चतुर्दश माला, खंड 32, अंक 3

बुधवार, 27 फरवरी, 2008
8 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 74
Dated 16 Jan 2009

(खण्ड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

रेनु बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 27 फरवरी, 2008/8 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	21 से 40	2-197
अतारांकित प्रश्न संख्या	177 से 352	197-545
सभा पटल पर रखे गए पत्र		546-548
विशेषाधिकार समिति		
दसवां प्रतिवेदन		548-549
कार्यमंत्रणा समिति		
पैंतालीसवां प्रतिवेदन		549
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) देश में एड्स की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता		
श्री एल. राजगोपाल		549
(दो) मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्राकृतिक गैस भण्डारों का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता		
श्री वीरेन्द्र कुमार		550
(तीन) अफीम प्रसंस्करण उद्योग में निजी कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता		
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय		551
(चार) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मैंगनीज अयस्क आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता		
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी		551
(पांच) छत्तीसगढ़ विधान सभा और राज्य से लोक सभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के कोटे के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता		
श्री पुन्नूलाल मोहले		552

विषय		कॉलम
(छह)	11वीं पंचवर्षीय योजना में 'के.बी.के.' जिलों की संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री परसुराम माझी	552
(सात)	देश में पर्याप्त आंगनवाड़ी केन्द्र बनाकर समेकित बाल विकास सेवा योजना का सार्वभौमिकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	553
(आठ)	उत्तर प्रदेश में जलालाबाद और सरसवा के बीच रेल संपर्क प्रदान कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री रशीद मसूद	554
(नौ)	उड़ीसा के भुवनेश्वर में शिशुपालगढ़ में पुरातात्विक स्थल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	554
(दस)	पूर्वी रेलवे में बारासात और हसनाबाद खंड के बीच रेलगाड़ी के फेरे बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
	श्री अजय चक्रवर्ती	555
(ग्यारह)	बिहार के छपरा और सिवान जिलों में बाढ़ के कारण जल भराव और गाद के जमाव को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	555
(बारह)	झारखण्ड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हेमलाल मुर्मू	556
(तेरह)	तेलुगु भाषा को "श्रेण्य" भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री किन्जरपु येरननायडु	557
(चौदह)	जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रही घुमंतु जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री छेवांग थुपस्तन	558

विषय	कॉलम

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 559-560

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 559-570

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 571-572

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 571-574

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 27 फरवरी, 2008/8 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

इस समय प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए!

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनके नाम दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इन सदस्यों के नाम दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि आप जानबूझकर इस देश और संसदीय लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको नोटिस दे रहा हूं। कल से सभा में पटल के निकट आने वाले सदस्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यह सूचना आपको दे रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मानव अंगों का प्रतिरोपण

*21. **श्री निखिल कुमार :**
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों ने मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 को नहीं अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की उक्त अधिनियम में बदलाव/संशोधन करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानव अंगों के अवैध व्यापार संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर और आंध्र प्रदेश केवल दो राज्य हैं जिन्होंने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को पारित नहीं किया है क्योंकि उनके पास इस अधिनियम के समान अपने कानून हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने सिविल रिट याचिका सं. 813/2004 में दिनांक 6.9.2004 के अपने आदेश के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रत्यारोपण नियम, 1995 के उपबंधों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। यह रिपोर्ट 25.5.2005 को प्रस्तुत कर दी गई थी। दिनांक 18.5.2007 को एक राष्ट्रीय परामर्श किया गया था और रिपोर्ट को अगस्त, 2007 के दूसरे पखवाड़े में प्रस्तुत कर दिया गया था। संस्तुत परिवर्तनों के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन अपेक्षित थे। इन

परिवर्तनों का अभीष्ट उद्देश्य वास्तविक मामलों की सहायता करना, प्रत्यारोपण क्रियाविधियों में पारदर्शिता बढ़ाना और कानून के उल्लंघन के लिए निवारक दंडों की व्यवस्था करना है। जहां तक इस अधिनियम का संबंध है निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है:

(i) संघ क्षेत्रों विशेषतौर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और/अथवा अपर महानिदेशक (अस्पताल) के बजाय उनके अपने समुचित प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करना।

(ii) दोषियों को इस अपराध को करने से रोकने के लिए अवैध प्रत्यारोपण कार्यकलापों हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत दंडों को कठोर और प्रज्ञेय बनाना।

(iii) केवल प्रत्यारोपणों के लिए केन्द्रों के पंजीकरण के बजाय अगों को जमा करने के लिए शवों और मस्तिष्कीय रूप से मृत रोगियों से अंगों को निकालने के लिए केन्द्रों के पंजीकरण की व्यवस्था करना।

(iv) उन संबंधित दाता और प्राप्तकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान करने के कार्यों की अनुमति देना जो आपस में नहीं मिलते हैं लेकिन अन्य इसी प्रकार के दाताओं/प्राप्तकर्ताओं के साथ मिलते हैं।

(ङ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मानव अंगों की बिक्री/खरीद पहले से ही निषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण मानव अंगों को बेचने के अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए उत्तरदायी और अधिकृत हैं।

[हिन्दी]

खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान

*22. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खतरनाक औद्योगिकी अपशिष्ट का निपटान किस प्रकार किया जाता है;

(ख) इसके पुन: चक्रण या स्थिरीकरण के लिए कौन-कौन सी तकनीकी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी मात्रा में उक्त अपशिष्ट उत्पन्न हुआ और इसका पुन: चक्रण किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं अर्थात् पुन: चक्रण योग्य, भू-भराव योग्य और जलाने योग्य। वर्ष 2003 में संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 के अनुसार अलौह धातु अपशिष्ट, इस्तेमाल किए गए तेल और अपशिष्ट तेल के पुन: चक्रणकर्ताओं को ऐसे अपशिष्टों के पुन: चक्रण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) से पंजीकरण की आवश्यकता होती है। सी पी सी बी द्वारा केवल उन्हीं पुन: चक्रणकर्ताओं को पंजीकरण प्रदान किया जाता है जिनके पास पर्यावरणीय रूप से उचित पुन: चक्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं। उच्च उष्मीय मान वाले ठोस अपशिष्टों और खतरनाक तरल अपशिष्टों का निपटान उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण युक्त भस्मकों में किया जाता है। ऐसे खतरनाक अपशिष्ट जो पुन: चक्रण और जलाने योग्य नहीं हैं उनका निपटान सुरक्षित भू-भराव स्थलों पर किया जाता है। इन खतरनाक अपशिष्टों की गई श्रेणियों का भू-भराव के लिए भेजने से पूर्व उनका स्थिरीकरण अपेक्षित है।

(ख) अलौह धातु अपशिष्ट, उपयोग किए गए तेल और अपशिष्ट तेल के पुन: चक्रण के लिए एक पंजीकरण स्कीम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चल रही है।

(ग) प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्ट और पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पुन:चक्रित अपशिष्ट राज्यवार मात्रा इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य	कुल खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन (टी पी ए)*	पुन:चक्रण योग्य अपशिष्ट (टी पी ए)*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,95,985	2,83,645
2.	असम	10,544	7,294
3.	बिहार	26,578	2,151
4.	चंडीगढ़	305	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
5.	दिल्ली	1,000	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	8,742	873
7.	गुजरात	15,61,000	5,11,333
8.	हरियाणा	32,559	उपलब्ध नहीं
9.	हिमाचल प्रदेश	73,016	19,494
10.	कर्नाटक	1,03,243	47,330
11.	केरल	1,54,722	93,912
12.	महाराष्ट्र	14,07,480	1,53,998
13.	मध्य प्रदेश	1,98,669	98,593
14.	उड़ीसा	3,41,144	2,841
15.	जम्मू व कश्मीर	1,221	उपलब्ध नहीं
16.	पांडिचेरी	34,770	34,612
17.	पंजाब	1,13,009	86,712
18.	राजस्थान	36,03,672	30,228
19.	तमिलनाडु	2,55,281	87,173
20.	उत्तर प्रदेश	1,69,288	1,17,226
21.	पश्चिम बंगाल	1,29,826	45,233
22.	त्रिपुरा	266	245
	कुल	87,22,320	16,13,893

*टन प्रति वर्ष

दर्शाए गए आंकड़े संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुहैया कराए गए है, शेष राज्यवार आंकड़े पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

***23. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरूणाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में जल विद्युत परियोजनाओं सहित बहुत सी विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के स्थान, उनकी अधिष्ठापित क्षमता, बांध के स्वरूप और उनकी जल भंडार क्षमता सहित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार ने पर्यावरण पर उनके पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 168 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें 128 थर्मल पावर परियोजनाएं, 39 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएं और न्यूक्लीयर पावर परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा और उनकी क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 15 फरवरी, 2008 तक 43 विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं जिनमें 37 थर्मल पावर परियोजनाएं, 5 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएं और एक न्यूक्लीयर पावर परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए उनकी स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) अधिसूचना, 2006 में परियोजनाओं को विशिष्ट श्रेणी के मूल्यांकन के लिए राज्य/संघ क्षेत्र स्तर के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण को गठित करने का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) अधिसूचना 2006 में परियोजना द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का

आकलन करने का प्रावधान है। यह कार्य परियोजना प्रस्तावों द्वारा दी गई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसके लिए गठित की गई बहु उद्देशीय विशेषज्ञ आकलन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्यांकन रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

मंजूर की गई पावर परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा और उनकी क्षमता

ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	क्षमता (एम डब्ल्यू)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11	10667
2.	असम	01	750
3.	बिहार	01	1320
4.	छत्तीसगढ़	07	3080
5.	दिल्ली	02	1600
6.	गुजरात	21	12245
7.	हरियाणा	03	3765
8.	झारखंड	05	1985
9.	कर्नाटक	07	2366
10.	मध्य प्रदेश	04	6008
11.	महाराष्ट्र	10	9485
12.	उड़ीसा	08	4442
13.	पंजाब	01	5.5
14.	राजस्थान	15	3270
15.	तमिलनाडु	12	3085
16.	त्रिपुरा	01	1082
17.	उत्तर प्रदेश	08	12260
18.	पश्चिम बंगाल	11	5190
	कुल	128	82,605.5

पनबिजली परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	बांध की क्षमता (एम डब्ल्यू)/ प्रकृति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	01	240 एम डब्ल्यू/ इम्मर्जन बीयर
2.	अरूणाचल प्रदेश	02	1110 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट बांध
3.	हिमाचल प्रदेश	09	2644 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट बांध
4.	जम्मू व कश्मीर	02	89 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट बांध
5.	केरल	01	163 एम डब्ल्यू/ ग्रेविटी बांध
6.	मेघालय	01	40 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट बांध
7.	उड़ीसा	01	25 एम डब्ल्यू/ वीयर
8.	सिक्किम	09	2513 एम डब्ल्यू/ रॉकफिल बांध, बैराज
9.	तमिलनाडु	01	500 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट बांध

1	2	3	4
10.	झारंखड	10	3479 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट/रॉकफिल बैराज
11.	पश्चिम बंगाल	02	280 एम डब्ल्यू/ कंक्रीट बांध/बैराज
	कुल	39	11083 एम डब्ल्यू

न्यूक्लीयर पावर परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	क्षमता (एम डब्ल्यू)
1.	गुजरात	01	1400
	कुल	01	1400

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाना

*24. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सड़कों/सड़कों के खंडों की पहचान कर ली है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन वाली सड़कों में बदला जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चार लेन वाली सड़कें बनाने का कार्य पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है; और

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III को 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान चार लेन बनाने की परियोजनाओं पर किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन बनाए जाने के राज्यवार और स्थानवार ब्यौरे

चार लेन बनाए जाने से संबंधित परियोजना के ब्यौरे

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी)	प्रारंभ तारीख	मूल संपूरण तारीख	पूर्वानुमानित संपूरण/ संपूरण तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्वर्णिम चतुर्भुज						
	आंध्र प्रदेश						
1.	इच्छापुरम-कोरलाम (आं प्र-4B) किमी 233-किमी 200 आंध्र प्रदेश	5	33	सित-2001	जन-2004	दिस-2005	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कोरलाम-पलास (आं प्र-4A) किमी 200-किमी 171 आंध्र प्रदेश	5	29	सित-2001	जन-2004	अगस्त-2005	4 लेन
3.	पलास-श्रीकाकुलम (आं प्र-2) किमी 171-किमी 97 आंध्र प्रदेश	5	74	जून-2001	जन-2004	जून-2005	4 लेन
4.	पुल खंड (आं प्र-6) किमी 233-किमी 98 आंध्र प्रदेश	5	0	सित-2001	मार्च-2004	जुलाई-2005	4 लेन
5.	श्रीकाकुलम-चंपावती (आं प्र-1) (शेष कार्य) किमी 97-किमी 49 आंध्र प्रदेश•	5	48	दिस-2005	दिस-2006	मई-2007	4 लेन
6.	चंपावती-विशाखापत्तनम (आं प्र-3) किमी 49-किमी 2.8 आंध्र प्रदेश	5	46.2	जून-2001	फर-2004	फर-2005	4 लेन
7.	पुल खंड (आं प्र-5) किमी 49-किमी 97 आंध्र प्रदेश	5	0	अगस्त-2001	फर-2004	सित-2003	4 लेन
8.	विशाखापत्तनम-अनाकपल्ली किमी 397-किमी 359 आंध्र प्रदेश	5	38	4 लेन			
9.	अनाकपल्ली-तुनी किमी 359.2-किमी 300 आंध्र प्रदेश	5	58.947	मई-2002	नवंबर-2004	जन-2005	4 लेन
10.	तुनी-धर्मावरम (आं प्र-16) किमी 300-किमी 253 आंध्र प्रदेश	5	47	मई-2002	नवंबर-2004	अगस्त-2005	4 लेन
11.	धर्मावरम-राजमुंदरी आं प्र-15) किमी 253-किमी 200 आंध्र प्रदेश	5	53	मई-2002	नवंबर-2004	मार्च-2005	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	दीवानचेरु (राजमुंदरी के समीप)-गोथामी (आं प्र-17) किमी 200-किमी 164.5 आंध्र प्रदेश	5	34.95	जून-2001	दिस-2003	मार्च-2005	4 लेन
13.	पुल खंड (आं प्र-19) किमी 162-किमी 200 आंध्र प्रदेश	5	2.45	अगस्त-2001	फर-2004	मार्च-2005	4 लेन
14.	गोथामी-गुंडुगोलानू (आं प्र-18) किमी 164.5-किमी 80 आंध्र प्रदेश	5	81.08	अगस्त-2001	फर-2004	फर-2005	4 लेन
15.	पुल खंड (आं प्र-20) किमी 80-किमी 162 आंध्र प्रदेश	5	0	अगस्त-2001	फर-2004	मई-2005	4 लेन
16.	विजयवाड़ा-राजमुंदरी खंड (इलूरू के समीप) किमी 75-किमी 80 आंध्र प्रदेश	5		जून-2000	मार्च-2002	मार्च-2002	4 लेन
17.	इलूरू-विजयवाड़ा पैकेज V किमी 75-किमी 3.4 आंध्र प्रदेश	5	72	दिस-1997	जन-2002	जन-2002	4 लेन
18.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज I किमी 355-किमी 380 आंध्र प्रदेश	5	25	मार्च-1999	मार्च-2002	जन-2003	4 लेन
19.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज II किमी 380-किमी 396.8 आंध्र प्रदेश	5	32	मार्च-1999	मार्च-2002	जन-2003	4 लेन
20.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज III किमी 408-किमी 420.5 आंध्र प्रदेश	5	23.78	मार्च-1999	मार्च-2002	जन-2003	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज IV किमी 10.8-किमी 13.68 आंध्र प्रदेश	5	2.88	मई-1999	मई-2002	मई-2002	4 लेन
22.	चिल्कालूरीपेट-अंगोल (आं प्र-13) किमी 357.9-किमी 291 आंध्र प्रदेश	5	66	जून-2001	दिस-2003	मार्च-2006	4 लेन
23.	अंगोल-कवली (आं प्र-12) किमी 291-किमी 222 आंध्र प्रदेश	5	72	अगस्त-2001	अप्रैल-2004	सित-2005	4 लेन
24.	कवली-नेल्लोर (आं प्र-11) किमी 222-किमी 178 आंध्र प्रदेश	5	43.8	मई-2001	फर-2004	मई-2005	4 लेन
25.	नेल्लोर बाइपास किमी 178.2-किमी 161 आंध्र प्रदेश	5	17.166	अक्टू-2002	अक्टू-2004	सित-2004	4 लेन
26.	नेल्लोर-टाडा (आं प्र-7) किमी 163.6-किमी 52.8 आंध्र प्रदेश	5	110.51	अगस्त-2001	दिस-2003	दिस-2003	4 लेन
	बिहार						
27.	मोहनिया-सासाराम (TRIP/IV-B) किमी 65-किमी 110 बिहार	2	45	फर-2001	फर-2004	मार्च-2006	4 लेन
28.	सासाराम-डेहरी-ऑन-सोन (GTRIP/IV-C) किमी 110-किमी 140 बिहार	2	30	मार्च-2002	मार्च-2005	अप्रैल-2008	4 लेन
29.	देहरी ऑन सोन-औरंगाबाद (TRIP/IV-D) किमी 140-किमी 180 बिहार	2	40	फर-2001	फर-2004	नवंबर-2005	4 लेन
30.	औरंगाबाद-बाराचट्टी (TRIP/V-A) किमी 180-किमी 240 बिहार	2	60	सित-2001	मार्च-2005	जुलाई-2007	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
	बिहार (10)/झारखंड (70)						
31.	बाराचट्टी-गोरहर (GTRIP/V-B) किमी 240-किमी 320 बिहार (10)/झारखंड (70)	2	80	मार्च-2002	मार्च-2005	जुलाई-2007	4 लेन
	दिल्ली (12)/हरियाणा (74)/उत्तर प्रदेश (59)						
32.	दिल्ली-मथुरा किमी 0-किमी 145 दिल्ली (12)/हरियाणा (74)/उत्तर प्रदेश (59)	2	145				4 लेन
	दिल्ली (13)/हरियाणा (23)						
33.	दिल्ली-गुडगांव किमी 0-किमी 36 दिल्ली (13)/हरियाणा (23)	8	36				4 लेन
	गुजरात						
34.	रतनपुर-हिम्मतनगर (UG-III) किमी 388-किमी 443 गुजरात	8	54.6	नवंबर-2001	मई-2004	दिस-2003	4 लेन
35.	हिम्मतनगर-चिलोडा (अहमदाबाद के निकट) (UG-IV) किमी 443-किमी 495 गुजरात	8	52	जून-2003	दिस-2005	दिस-2005	4 लेन
36.	अहमदाबाद बाइपास किमी 495-किमी 510 गुजरात	8	15				4 लेन
37.	अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-I किमी 0.0-किमी 43.4 गुजरात	8	43.4	अगस्त-2000	दिस-2002	दिस-2002	4 लेन
38.	अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-II किमी 43.3 (नानदेड-दकोर SH)- किमी 93.302 गुजरात	NE1	50	जून-2001	दिस-2003	मई-2004	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	वदोदरा-सूरत गुजरात	8	15				4 लेन
40.	सूरत (चल्थन)-अतुल किमी 263.4-किमी 343 गुजरात	8	79.6	नवंबर-2000	अक्टू-2003	जून-2005	4 लेन
41.	अतुल-कजली किमी 343-किमी 381.6 गुजरात	8	38.6	नवंबर-2000	अप्रैल-2003	जन-2004	4 लेन
	हरियाणा (55)/राजस्थान (71)						
42.	गुडगांव-कोटपुतली किमी 36-किमी 162 हरियाणा (55)/राजस्थान (71)	8	126	मार्च-1999	मार्च-2001	मार्च-2001	4 लेन
	झारखंड						
43.	गोरहर-बरवा अड्डा (TratतP/V-C) किमी 320-किमी 398.75 झारंखड	2	78.75	सित-2001	मार्च-2005	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
44.	बरवा अड्डा-बाराकर किमी 398.75-किमी 442 झारंखड	2	43	मार्च-1999	दिस-2001	दिस-2001	4 लेन
	कर्नाटक						
45.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम किमी 592-किमी 515 कर्नाटक	4	77	जून-2002	दिस-2004	अक्टू-2004	4 लेन
46.	बेलगाम बाइपास किमी 515-किमी 495 कर्नाटक	4	18	जून-2001	दिस-2003	जून-2006	4 लेन
47.	बेलगाम-धारवाड़ किमी 495-किमी 433 कर्नाटक	4	62	अप्रैल-2002	नवंबर-2004	जून-2007	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	हुबली-हावेरी किमी 404-किमी 340 कर्नाटक	4	64.5	जून-2001	दिस-2003	फर-2004	कार्यान्वयन के अधीन
49	हावेरी-हरिहर किमी 340-किमी 284 कर्नाटक	4	56	अगस्त-2007	मार्च-2009	मार्च-2009 ठेका समाप्त	कार्यान्वयन के अधीन
50.	हरिहर-चित्रदुर्ग किमी 284-किमी 207 कर्नाटक	4	77	मार्च-2002	अगस्त-2004	जून-2007 ठेका समाप्त	कार्यान्वयन के अधीन
51.	चित्रदुर्ग बाइपास किमी 207-किमी 189 कर्नाटक	4	18	अप्रैल-2007	सित-2008	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
52.	चित्रदुर्ग-सीरा किमी 189-किमी 122.3 कर्नाटक	4	66.7	मार्च-2002	अगस्त-2004	मार्च-2002	कार्यान्वयन के अधीन
53.	सीरा बाइपास किमी 122-किमी 116 कर्नाटक	4	5.8	जुलाई-2000	अप्रैल-2002	अप्रैल-2002	4 लेन
54.	सीरा-तुमकुर किमी 116.4-किमी 75 कर्नाटक	4	41.4	मार्च-2002	अगस्त-2004	जन-2005	4 लेन
55.	तुमकुर बाइपास किमी 75-किमी 62 कर्नाटक	4	13	दिस-2001	दिस-2003	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
56.	तुमकुर-नीलमंगला किमी 62-किमी 29.5 कर्नाटक	4	32.5	जून-2002	नवंबर-2003	दिस-2002	4 लेन
57.	नीलमंगला-बंगलौर किमी 30-किमी 0 कर्नाटक	4	30				4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	बंगलौर-हाथीपल्ली किमी 0-किमी 33 कर्नाटक	7	33				4 लेन
	महाराष्ट्र						
59.	कजली-मनोर किमी 381.6-किमी 439 महाराष्ट्र	8	57.4	नवंबर-2000	अक्टू-2003	नवंबर-2004	4 लेन
60.	मनोर-बसीन क्रीक खंड किमी 439-किमी 496 महाराष्ट्र	8	58			जून-2001	4 लेन
61.	बसीन क्रीक पुल-दहिसर महाराष्ट्र	8	2			फर-2000	4 लेन
62.	दहिसर-मुंबई महाराष्ट्र	8	4				4 लेन
63.	मुंबई पुणे एक्सप्रेस मार्ग किमी 958-किमी 878 महाराष्ट्र	4	80			अगस्त-2001	4 लेन
64.	मुंबई पुणे एक्सप्रेस मार्ग महाराष्ट्र	4	10			जुलाई-2002	4 लेन
65.	वेस्टरली डाइवर्जन किमी 0-किमी 34.25 महाराष्ट्र	4	34.25	जून-2000	अगस्त-2002	अक्टू-2004	4 लेन
66.	कटराज-सरोल (PS-3) किमी 825.5-किमी 797 महाराष्ट्र	4	28.5	नवंबर-2001	मई-2004	मार्च-2007	4 लेन
67.	कटराज पुनर्संरेखण (PS-4) किमी 825-किमी 30 of बाइपास महाराष्ट्र	4	9	नवंबर-2002	फर-2005	जून-2006	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	सरोल-वाथर (PS-2) किमी 773-किमी 781 को छोड़कर किमी 797-किमी 760 महाराष्ट्र	4	29	नवंबर-2001	अप्रैल-2004	दिस-2003	4 लेन
69.	खम्बात की घाट किमी 772-किमी 781 महाराष्ट्र	4	9			मई-2001	4 लेन
70.	वाथर-सतारा (PS-1) किमी 760-किमी 725 महाराष्ट्र	4	35	जुलाई-2001	दिस-2003	दिस-2003	4 लेन
71.	सतारा-कागल किमी 725-किमी 592.24 महाराष्ट्र	4	133	फर-2002	मई-2004	मार्च-2006	4 लेन
	उड़ीसा						
72.	लक्ष्मणनाथ-बालेश्वर (OR-4) किमी 0-किमी 53.41 उड़ीसा	60	53.41	मार्च-2001	दिस-2003	मार्च-2007	4 लेन
73.	पुल खंड (OR/पश्चिम बंगाल-I) किमी 0-किमी 119.275 उड़ीसा	60	0	सित-2001	जून-2004	अगस्त-2006	4 लेन
74.	बालासोर-भद्रक (OR-III) किमी 136.5-किमी 199.141 उड़ीसा	5	62.64	मई-2001	फर-2004 ठेका समाप्त	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
75.	भद्रक-चंडीखोल (OR-II) किमी 61-किमी 136 उड़ीसा	5	75.5	दिस-2000	दिस-2003	मई-2005	4 लेन
76.	पुल खंड (OR-V) किमी 199.141-किमी 61 उड़ीसा	5	11.587	अगस्त-2001	मई-2004	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	चंडीखोल-जगतपुर किमी 199.141-किमी 61 उड़ीसा	5	27.8	फर-2000	फर-2003	जन-2003	4 लेन
78.	जगतपुर-भुवनेश्वर किमी 0-किमी 28 उड़ीसा	5	28			दिस-2000	4 लेन
79.	भुवनेश्वर-खुर्दा (OR-I) किमी 387.7-किमी 418 उड़ीसा	5	26.3	जन-2001	जन-2004	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
80.	खुर्दा-सुनखला (OR-VI) किमी 388-किमी 338 उड़ीसा	5	52.058	मई-2001	दिस-2003	मार्च-2006	4 लेन
81.	सुनखला-गंजम (OR-VII) किमी 338-किमी 284 उड़ीसा	5	55.713	अगस्त-2001	अप्रैल-2004	दिस-2009	कार्यान्वयन के अधीन
82.	गंजम-इच्छापुरम (OR-VIII) (शेष कार्य) किमी 284-किमी 233 उड़ीसा	5	50.8	जुलाई-2006	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	राजस्थान						
83.	कोटपुतली-आमेर किमी 162-किमी 248 राजस्थान	8	86				4 लेन
84.	जयपुर बाइपास चरण II किमी 221. of रारा-8— किमी 246 of रारा-11 राजस्थान	8	34.7	दिस-2001	जून-2004	मार्च-2005	4 लेन
85.	जयपुर बाइपास चरण 1 किमी 283-किमी 297 राजस्थान	8	14	सित-1998	जन-2001	जन-2001	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	किशनगढ़ में आरओबी राजस्थान	8	1	मार्च-1998	फर-2000	फर-2000	4 लेन
87.	किशनगढ़-नसीराबाद (KU-I) किमी 363.9 (रारा-8)— किमी 15 (रारा-79) राजस्थान	79A	36.23	नवंबर-2001	मई-2004	जन-2004	4 लेन
88.	नसीराबाद-गुलाबपुरा (KU-II) किमी 15-किमी 70 राजस्थान	79	55.87	नवंबर-2001	मई-2004	जन-2004	4 लेन
89.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपास (KU-III) किमी 70-किमी 120 राजस्थान	79	50	नवंबर-2001	मई-2004	सित-2004	4 लेन
90.	भीलवाड़ा बाइपास-चित्तौड़गढ़ (KU-IV) किमी 120-किमी 183 राजस्थान	79	66	नवंबर-2001	मई-2004	मई-2004	4 लेन
91.	चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़ (KU-V) किमी 220-किमी 172 राजस्थान	76	48	नवंबर-2001	मई-2004	जन-2004	4 लेन
92.	मंगलवाड़-उदयपुर (KU-VI) किमी 172-किमी 113.825 राजस्थान	76	58.175	नवंबर-2001	मई-2004	मार्च-2005	4 लेन
93.	उदयपुर-केसरियाजी (UG-I) किमी 278-किमी 340 राजस्थान	8	62	अक्टू-2001	अप्रैल-2004	जन--2004	4 लेन
94.	केसरियाजी-रतनपुर (UG-II) किमी 340-किमी 388.4 राजस्थान	8	48.4	अक्टू-2001	अप्रैल-2004	मार्च-2005	4 लेन
	तमिलनाडु						
95.	टाडा-चेन्नै (TN-I) किमी 52.8-किमी 11 तमिलनाडु	5	41.8	जून-2001	दिस-2003	दिस-2005	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
96.	हाथीपल्ली-होसूर किमी 33-किमी 48.6 तमिलनाडु	7	16	दिस-1999	दिस-2001	अगस्त-2002	4 लेन
97.	होसूर-कृष्णागिरि किमी 48.6-किमी 94.0 तमिलनाडु	7	45.4	जून-2001	जून-2004	जन-2004	4 लेन
98.	कृष्णागिरि-वनियामबाड़ी (KR-1) किमी 0.0-किमी 49.0 तमिलनाडु	46	49	नवंबर-2001	मई-2004	मार्च-2004	4 लेन
99.	वनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा (KR-2) किमी 49.0-किमी 100.0 तमिलनाडु	46	51	नवंबर-2001	मई-2004	फर-2006	4 लेन
100.	पल्लकोंडा-रानीपेट और वलजापेट बाइपास (KR-3) किमी 100.0-किमी 145.0 तमिलनाडु	46	45	अक्टू-2001	अप्रैल-2004	जन-2006	4 लेन
101.	वलजापेट-कांचीपुरम किमी 106.4-किमी 70.2 तमिलनाडु	4	36.2	सित-2001	मार्च-2004	जन-2004	4 लेन
102.	कांचीपुरम-पूनामाली किमी 70.2-किमी 13.8 तमिलनाडु	4	56.4	जुलाई-2001	दिस-2003	मई-2007	4 लेन
	उत्तर प्रदेश						
103.	मथुरा-आगरा किमी 145-किमी 199 उत्तर प्रदेश	2	54			फर-2000	4 लेन
104.	आगरा-शिकोहाबाद (GTRIP/I-A) किमी 199.66-किमी 250.50 उत्तर प्रदेश	2	50.83	मार्च-2002	मार्च-2005	जुलाई-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	शिकोहाबाद-इटावा (GTRIP/I-B) किमी 250.5-किमी 307.5 उत्तर प्रदेश	2	59.02	सित-2005	सित-2007	अप्रैल-2008	कार्यान्वयन के अधीन
106.	इटावा बाइपास (शेष कार्य) किमी 307.5-किमी 321.1 उत्तर प्रदेश	2	13.6	फर-2006	फर-2008	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
107.	इटावा-राजपुर (GTRIP/I-C) किमी 321.1-किमी 393 उत्तर प्रदेश	2	72.825	मार्च-2002	मार्च-2005	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
108.	सिंकदरा-भौंटी (TरारP/II-A) किमी 393-किमी 470 एमडीआर रूट से 16 किमी कम उत्तर प्रदेश	2	62	फर-2001	अगस्त-2004	मई-2007	4 लेन
109.	कानपुर-फतेहपुर (GTRIP/II-B) किमी 470-483(0) किमी 0-किमी 38 उत्तर प्रदेश	2	51.5	मार्च-2002	मार्च-2005	अप्रैल-2008	कार्यान्वयन के अधीन
110.	फतेहपुर-खागा (TरारP/II-C) किमी 38-किमी 115 उत्तर प्रदेश	2	77	मार्च-2001	अक्टू-2004	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
111.	खागा-कोखराज (TरारP/III-A) किमी 115-किमी 158 उत्तर प्रदेश	2	43	फर-2001	जून-2004	जन-2005	4 लेन
112.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-I (पुल) किमी 158 किमी-किमी 159.02 उत्तर प्रदेश	2	1.02	सित-2003	मार्च-2006	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
113.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II किमी 158 किमी-किमी 198 उत्तर प्रदेश	2	38.987	जून-2004	दिस-2006	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
114.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III किमी 198 किमी-किमी 242.708 उत्तर प्रदेश	2	44.708	नवंबर-2004	मई-2007	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	हंडिया-वाराणसी (TRRIP/III-C) किमी 245-किमी 317 उत्तर प्रदेश	2	72	मार्च-2001	जुलाई-2004	फर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तर प्रदेश (55)/बिहार (21)						
116.	वाराणसी-मोहनिया (GTRIP/IV-A) किमी 317-329(0) किमी 0-किमी 65 उत्तर प्रदेश (55)/बिहार (21)	2	76	मार्च-2002	मार्च-2005	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	पश्चिम बंगाल						
117.	बाराकर-रानीगंज किमी 442-किमी 475 पश्चिम बंगाल	2	33			अप्रैल-2001	4 लेन
118.	रानीगंज-पानागढ़ किमी 475-किमी 517 पश्चिम बंगाल	2	42	मार्च-1999	नवंबर-2001	नवंबर-2001	4 लेन
119.	पानागढ़-पालसित किमी 517-किमी 581 पश्चिम बंगाल	2	64.457	जून-2002	दिस-2004	जून-2005	4 लेन
120.	पालसित-दनकुनी किमी 581-किमी 646 पश्चिम बंगाल	2	65	अक्टू-2002	फर-2005	जुलाई-2005	4 लेन
121.	दनकुनी-रारा-2/रारा-6 जंक्शन के समीप कोलकाता पश्चिम बंगाल	2	5				4 लेन
122.	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग पश्चिम बंगाल	2	6	सित-2002	अप्रैल-2006	जून-2007	4 लेन
123.	दनकुनी-कोलाघाट (पश्चिम बंगाल-I) किमी 17.6-किमी 72 पश्चिम बंगाल	6	54.4	मई-2001	मार्च-2004	मार्च-2007	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	कोलाघाट-खड़गपुर (पश्चिम बंगाल-II) किमी 72-किमी 132.45 पश्चिम बंगाल	6	60.45	दिस-2000	दिस-2003	मार्च-2005	4 लेन
125.	पुल खंड (पश्चिम बंगाल-III) किमी 17.6-किमी 136 पश्चिम बंगाल	6	1.732	जन-2001	जन-2004	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
126.	खड़गपुर-लक्ष्मणनाथ (पश्चिम बंगाल-IV) किमी 53.41-किमी 119.275 पश्चिम बंगाल	60	65.86	जून-2001	मार्च-2004	जून-2006	4 लेन
	उत्तर दक्षिण						
	आंध्र प्रदेश						
127.	इस्लाम नगर से कदताल (NS-2/BOT/आं प्र.-7) किमी 230 से किमी 278 आंध्र प्रदेश	7	48	मार्च-2007	मार्च-2010	मार्च-2010	कार्यान्वयन के अधीन
128.	अरमूर से कदलूर येल्लारेड्डी (NS-2/आं प्र.-1) किमी 308 से किमी 367 आंध्र प्रदेश	7	60.25				सौंपने हेतु शेष
129.	एमएच/आं प्र सीमा से इस्लाम नगर (NS-2/BOT/आं प्र.-6) किमी 175 से किमी 230 आंध्र प्रदेश	7	55	मई-2007	नवबंर-2009	नवंबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन
130.	कदलूर येल्लारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (NS-2/BOT/आं प्र.-2) किमी 367 से किमी 447 आंध्र प्रदेश	7	85.74	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
131.	कादल से अरमूर (NS-2/BOT/आं प्र.-8) किमी 278-किमी 308 आंध्र प्रदेश	7	31	मई-2007	नवंम्बर-2009	नवंबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
132.	कलकालू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (NS-8) किमी 447-किमी 464 आंध्र प्रदेश	7	17	दिस-2007	दिस-2001	अप्रैल-2002	4 लेन
133.	गुंडला पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से टोंडापल्ली (NS-23/आं प्र)— किमी 464.00-किमी 474.00 और किमी 9.40-किमी 22.30 आंध्र प्रदेश	7	23.1	दिस-2005	दिस-2006	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
134.	बोवनपल्ली (हैदराबाद शहर) से शिवरामपल्ली किमी 0.00-किमी 9.200 आंध्र प्रदेश	7	9.2			अप्रैल-1998	4 लेन
135.	टोंडापल्ली से फारूखनगर (NS-9) किमी 22.3-किमी 34.8 आंध्र प्रदेश	7	12.5	दिस-1999	जून-2001	जन-2003	4 लेन
136.	फारूखनगर से कोटाकाटा (NS-2/आं प्र-3) किमी 34.140 से किमी 80.050 आंध्र प्रदेश	7	46.162	अगस्त-2006	फर-2009	फर-2009	कार्यान्वयन के अधीन
137.	फारूखनगर से कोटाकाटा (NS-2/आं प्र-3) किमी 80.050 से किमी 135.469 आंध्र प्रदेश	7	55.74	अगस्त-2006	फर-2009	फर-2009	कार्यान्वयन के अधीन
138.	हैदराबाद बंगलौर खंड (NS-2/BOT/आं प्र-5) किमी 135.469 से किमी 211 आंध्र प्रदेश	7	74.65	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
139.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-10) किमी 211 से किमी 251 आंध्र प्रदेश	7	40	मार्च-2007	अगस्त-2009	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
140.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-11) किमी 251 से किमी 293.4 आंध्र प्रदेश	7	42.4	मार्च-2007	अगस्त-2009	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन
141.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-12) किमी 293.4 से किमी 336 आंध्र प्रदेश	7	42.6	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयन के अधीन
142.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-13) किमी 336 से किमी 376 आंध्र प्रदेश	7	40	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयन के अधीन
143.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-14) किमी 376-किमी 418 आंध्र प्रदेश	7	42	मार्च-2007	अगस्त-2009	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन
144.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-15) किमी 418-किमी 463.6 आंध्र प्रदेश	7	45.6	मार्च-2007	अगस्त-2009	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	हरियाणा						
145.	अंबाला-पानीपत किमी 212-किमी 96 हरियाणा	7	116				4 लेन
146.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग किमी 96.00 से 86.00 हरियाणा	1	10	जन-2006	जन-2009	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	जम्मू और कश्मीर						
147.	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड)(NS-30) किमी 286 से किमी 303.8 जम्मू और कश्मीर	1ए	17.8	दिस-2003	जून-2006	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
148.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (NS-30A) किमी 286 से किमी 303.8 जम्मू और कश्मीर	1ए	1.23	जून-2006	दिस-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (मैदान) (NS-88/JऔरK) किमी 286 से किमी 256 जम्मू और कश्मीर	1ए	30				सौंपने हेतु शेष
150.	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (NS-92/JऔरK) किमी 256 से किमी 220 जम्मू और कश्मीर	1ए	30				सौंपने हेतु शेष
151.	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (सुरंग को छोड़कर) (NS-93/JऔरK) किमी 220 से किमी 188 जम्मू और कश्मीर	1ए	32				सौंपने हेतु शेष
152.	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (केवल सुरंग) (NS-93A/JऔरK) किमी 220 से किमी 188 जम्मू और कश्मीर	1ए	7				सौंपने हेतु शेष
153.	उधमपुर-बनिहाल-(NS-94/JऔरK) किमी 171 से किमी 188 जम्मू और कश्मीर	1ए	17				सौंपने हेतु शेष
154.	उधमपुर-बनिहाल-(NS-95/JऔरK) किमी 151 से किमी 171.00 जम्मू और कश्मीर	1ए	20				सौंपने हेतु शेष
155.	उधमपुर-बनिहाल-(NS-96/JऔरK) किमी 130 से किमी 151 जम्मू और कश्मीर	1ए	21				सौंपने हेतु शेष
156.	उधमपुर-बनिहाल-(NS-97/JऔरK) किमी 67 से किमी 89 जम्मू और कश्मीर	1ए	21				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
157.	उधमपुर-बनिहाल (केवल सुरंग)- (NS-99A/JऔरK) किमी 90 से किमी 130.00 जम्मू और कश्मीर	1ए	9				सौंपने हेतु शेष
158.	जम्मू-उधमपुर खंड को 4 लेन का बनाना जम्मू बाइपास को 15 से किमी 19 तक तावी पुल और नगरोता बाइपास सहित किमी 15 से किमी 20.4/9.2 से 9.9/0 से 24.4/18.8 से किमी 20 जम्मू और कश्मीर	1ए	20.1				सौंपने हेतु शेष
159.	जम्मू-उधमपुर खंड को 4 लेन का बनाना (NS-102/JऔरK) किमी 27.5 से किमी 53.3 जम्मू और कश्मीर	1ए	15.48				सौंपने हेतु शेष
160.	जम्मू-उधमपुर खंड को 4 लेन का बनाना (3 सुरंगों सहित) (NS-102A/JऔरK) किमी 20 से किमी 27.50 जम्मू और कश्मीर	1ए	8.5				सौंपने हेतु शेष
161.	जम्मू-उधमपुर खंड को 4 लेन का बनाना (NS-103/JऔरK) किमी 53 से किमी 67 जम्मू और कश्मीर	1ए	33.86				सौंपने हेतु शेष
162.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) (NS-33/JऔरK) किमी 0.00 से किमी 15 जम्मू और कश्मीर	1ए	15	नवंबर-2005	मई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
163.	कुंजवानी से विजयपुर (NS-15/JऔरK) किमी 97-किमी 80 जम्मू और कश्मीर	1ए	17.2	जन-2002	दिस-2004	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
164.	विजयपुर से पठानकोट (NS-34/JऔरK) किमी 16.35 से किमी 50.00 जम्मू और कश्मीर	1ए	33.65	सित-2005	मार्च-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
165.	विजयपुर से पठानकोट (NS-35/JऔरK) किमी 50 से किमी 80 जम्मू और कश्मीर	1ए	30	सित-2005	मार्च-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
166.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (NS-36/JऔरK) किमी 110.45 से किमी 117.6 और किमी 4.0 से किमी 16.5 जम्मू और कश्मीर	1ए	19.65	नवंबर-2005	मई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	कर्नाटक						
167.	आं प्र/कर्नाटक सीमा-नंदीहिल क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव किमी 463.6 से किमी 527 और किमी 535-किमी 539 कर्नाटक	7	61.38	मार्च-2007	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	केरल						
168.	वलायर-वदकनचेरी खंड को चार लेन का बनाना किमी 182.000 से किमी 240.000 केरल	47	58				सौंपने हेतु शेष
169.	त्रिसूर से अंगमाली (KL-I) किमी 270.000 से किमी 316.70 केरल	47	40	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
170.	अंगमाली से अलूवा (NS-28/KL) किमी 332.6 से किमी 316.70 केरल	47	16.6	सित-2001	अगस्त-2003	जून-2004	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	त्रिसूर-कोची खंड किमी 332.0- किमी 349.0 केरल	47	17				4 लेन
	मध्य प्रदेश						
172.	म प्र/राज. सीमा से सराय चोला (NS-6) किमी 61-किमी 70 मध्य प्रदेश	3	9	जुलाई-2000	दिस-2001	जन-2003	4 लेन
173.	सराय चोलासे मुरैना (NS-20/म प्र) किमी 70.00 से किमी 85.00 मध्य प्रदेश	3	15	सित-2001	जून-2003	अगस्त-2004	4 लेन
174.	मुरैना-रायरू (ग्वालियर बाइपास से शुरू) (NS-21/म प्र) किमी 85.00 से किमी 103.00 मध्य प्रदेश	3	18	अगस्त-2001	मई-2003	दिस-2005	4 लेन
175.	ग्वालियर बाइपास (NS-1/BOT/म प्र-1) किमी 0 से किमी 42.033 मध्य प्रदेश	75,3	42	अप्रैल-2007	अक्टू-2009	अक्टू-2009	कार्यान्वयन के अधीन
176.	ललितपुर-सागर (ADB-II/C-4) किमी 132 से किमी 187 मध्य प्रदेश	26	55	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
177.	सागर बाइपास (ADB-II/C-5) किमी 187 से किमी 211 मध्य प्रदेश	26	26	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
178.	सागर-राजमार्ग चौराहा (ADB-II/C-6) किमी 211 से किमी 255 मध्य प्रदेश	26	44	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
179.	सागर (ADB-II/C-7) किमी 255 से किमी 297 मध्य प्रदेश	26	42	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
180.	राजमार्ग चौराहा से लखनडन (ADB-II/C-8) किमी 297 से किमी 351 (रारा 7 के किमी 544) मध्य प्रदेश	26	54	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
181.	राजमार्ग चौराहा से लखनडन (ADB-II/C-9) किमी 351 से 405.7 मध्य प्रदेश	26	54.7	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
182.	लखनडन से म प्र/एमएच सीमा (NS-1/BOT/म प्र-3) किमी 596.75 से किमी 653.225 मध्य प्रदेश	7	56.475	दिस-2007	जून-2010	जून-2010	कार्यान्वयन के अधीन
183.	लखनडन से म प्र/एमएच सीमा (NS-1/BOT/म प्र-2) किमी 547.4 से किमी 596.75 मध्य प्रदेश	7	49.35	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	मध्य प्रदेश (1)/राजस्थान (9)						
184.	धौलपुर-मुरैना खंड (चंबल पुल सहित) (NS-1/राज.-म प्र-1) किमी 51 से किमी 61 मध्य प्रदेश (1)/राजस्थान (9)	3	10	सित-2007		सित-2010	कार्यान्वयन के अधीन
	मध्य प्रदेश (68.5)/उत्तर प्रदेश (11.5)						
185.	ग्वालियर-झांसी किमी 16 से किमी 96.127 मध्य प्रदेश (68.5)/उत्तर प्रदेश (11.5)	75	80	जून-2007	दिस-2009	दिस-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	महाराष्ट्र						
186.	म प्र/महाराष्ट्र सीमा तक चार लेन बनाना से नागपुर I/C Ka म प्र tee Kanoon और किमी 689 से किमी 723 महाराष्ट्र	7	95				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
187.	नागपुर-चिंचभुवन किमी 0.00 से किमी 9.200 महाराष्ट्र	7	9.2			अप्रैल-1998	4 लेन
188.	चिंचभुवन-बूटीबोरी-बोरखेदी (NS-7) किमी 9.2-किमी 22.85 और किमी 24.65-किमी 36.6 महाराष्ट्र	7	25.6	सित-1999	मार्च-2002	मार्च-2002	4 लेन
189.	बूटीबोरी आरओबी (NS-29/एमएच) किमी 22.850 से किमी 24.650 महाराष्ट्र	7	1.8	जून-2005	दिस-2006	मई-2008	कार्यान्वयन के अधीन
190.	बोरखेडी-जाम (NS-22/एमएच) किमी 36.6-किमी 64.0 महाराष्ट्र	7	27.4	जून-2005	दिस-2007	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
191.	जाम-वाडनर (NS-59/एमएच) किमी 64 से किमी 94 महाराष्ट्र	7	30	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	अप्रैल-2008	कार्यान्वयन के अधीन
192.	वाडनर-देवधारी (NS-60/एमएच) किमी 94 से किमी 123 महाराष्ट्र	7	29	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	अप्रैल-2008	कार्यान्वयन के अधीन
193.	देवधारी-केलआंपुर (NS-61/एमएच) किमी 123 से किमी 153 महाराष्ट्र	7	30	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	अप्रैल-2008	कार्यान्वयन के अधीन
194.	केलआंपुर-पिम्पलखट्टी (NS-62) किमी 153 से किमी 175 महाराष्ट्र	7	22	मई-2006	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	पंजाब						
195.	पठानकोट से भोगपुर (NS-37/PB) किमी 26 से किमी 70 पंजाब	1ए	44	नवंबर-2005	मई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
196.	फगवाड़ा जंक्शन on रारा-1 (Flyover on existing 4-lane सड़क) पंजाब	1	1	दिस-2005	दिस-2006	जन-2008	4 लेन
197.	भोगपुर से जालंधर (NS-16/PB) किमी 26-किमी 4.23 पंजाब	1ए	21.77	अगस्त-2001	अगस्त-2003	अक्तू-2008	4 लेन
198.	जालंधर बाइपास (NS/1) किमी 387.1 of रारा-1-किमी 4.23 of रारा-1ए-किमी 372.7 of रारा 1 पंजाब	1	14.4	नवंबर-1999	फर-2002	जून-2008	4 लेन
199.	जालंधर-अंबाला किमी 372.7-किमी 213 पंजाब	1	160.7				4 लेन
	पंजाब (29)/हिमाचल प्रदेश (11)						
200.	पठानकोट से भोगपुर (NS-38/PB) किमी 70 से किमी 110 पंजाब (29)/हिमाचल प्रदेश (11)	1ए	40	नवंबर-2005	मई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	राजस्थान						
201.	मनिया-धौलपुर (NS-5) किमी 41-किमी 51 राजस्थान	3	10	दिस-1999	मार्च-2001	मार्च-2001	4 लेन
	तमिलनाडु						
202.	कृष्णागिरि से थोपुरघाट (NS-2/TN1) किमी 94.000 से 156 तमिलनाडु	7	62.5	जुलाई-2006	दिस-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
203.	थोपुरघाट खंड (NS-14) किमी 156-किमी 163.4 तमिलनाडु	7	7.4	दिस-1999	सित-2001	अप्रैल-2002	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
204.	थोपुरघाट से थुम्मापाड़ी (NS-25/TN) किमी 163.40 से किमी 180.00 तमिलनाडु	7	16.6	मई-2005	नवंबर-2007	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
205.	थुम्मापाड़ी से सलेम (NS-26/TN) किमी 180.00 से किमी 199.20 तमिलनाडु	7	19.2	सित-2001	अगस्त-2003	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
206.	सलेम बाइपास (NS-12) किमी 199.2-किमी 207.6 तमिलनाडु	7	8.4	दिस-1999	सित-2001	जन-2003	4 लेन
207.	सलेम से करूर (NS-2/TN-2) किमी 207.050 से किमी 248.625 तमिलनाडु	7	41.55	अगस्त-2006	फर-2009	जन-2009	कार्यान्वयन के अधीन
208.	सलेम से करूर (NS-2/TN-3) किमी 258.645 से किमी 292.6 तमिलनाडु	7	33.48	जुलाई-200	जन-2009	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
209.	बंगलौर-सलेम-मदुरै (NS-27/TN) किमी 248.0-किमी 259.6 तमिलनाडु	7	8.4	सित-2001	नवंबर-2002	अप्रैल-2004	4 लेन
210.	अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास तमिलनाडु	7	9.36	अगस्त-1999	अगस्त-2001	सित-2002	4 लेन
211.	करूर आरओबी का निर्माण तमिलनाडु	7	0.84	जुलाई-1999	मार्च-2001	सित-2002	4 लेन
212.	करूर से मदुरै (TN-4) किमी 305.6 से किमी 373.275 तमिलनाडु	7	68.125	अक्टू-2005	अप्रैल-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
213.	करूर से मदुरै (TN-5) किमी 373.275 से किमी 426.6 तमिलनाडु	7	53.025	जुलाई-2006	जन-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
214.	सलेम से केरल सीमा खंड (TN-6) किमी 203.96 on रारा-7 से किमी 53.00 on रारा-47 तमिलनाडु	7	53.525	जुलाई-2006	जन-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
215.	सलेम से केरल सीमा खंड (TN-7) किमी 53.000 से किमी 100 तमिलनाडु	7	48.51	जुलाई-2006	जन-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
216.	मदुरै से किमी 120 of मदुरै-तिरूनेलवेली खंड एवं मदुरै बाइपास (NS-39) किमी 0.000 से किमी 42.000 तमिलनाडु	7	42	सित-2005	अप्रैल-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
217.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-40/TN) किमी 42.000 से किमी 80.000 तमिलनाडु	7	38.86	सित-2005	अप्रैल-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
218.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-41/TN) किमी 80.00 से किमी 120.00 तमिलनाडु	7	39.51	सित-2005	अप्रैल-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
219.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-42/TN) किमी 120 से किमी 160 तमिलनाडु	7	42.7	सित-2005	मार्च-2008	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
220.	किमी 120 of मदुरै-तिरूनेलवेली खंड से पानागुड़ी (किमी 203) (NS-43) किमी 160 से किमी 203, तमिलनाडु	7	43	अक्टू-2006	मई-2008	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
221.	कन्याकुमारी-पानागुड़ी (NS-32) किमी 203 से किमी 233.6 तमिलनाडु	7	30.6	मार्च-2004	सित-2006 ठेका समाप्त		कार्यान्वयन के अधीन
222.	सलेम से किमी 100 और सलेम-कोयंबतूर-केरल सीमा खंड किमी 100 से किमी 182 तमिलनाडु	47	82				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर प्रदेश						
223.	नए आगरा बाइपास को 4 लेन का बनाना (NS-1/उत्तर प्रदेश-I) किमी 176.8 of रारा 2 से किमी 13.03 of रारा-3 उत्तर प्रदेश	2,3	32.8	अक्टू-2007	अक्टू-2010	अक्टू-2010	कार्यान्वयन के अधीन
224.	आगरा-राज./उत्तर प्रदेश सीमा (NS-4) किमी 8-किमी 24 उत्तर प्रदेश	3	16	दिस-1999	सित-2001	नवंबर-2001	4 लेन
225.	झांसी से ललितपुर (NS-1/BOT/उत्तर प्रदेश-3) किमी 49.7 से किमी 99 उत्तर प्रदेश	26	49.3	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयन के अधीन
226.	झांसी से ललितपुर (NS-1/BOT/उत्तर प्रदेश-2) किमी 0 से किमी 49.79 उत्तर प्रदेश	25,26	49.7	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयन के अधीन
227.	ललितपुर सागर (ADB-II/C-3) किमी 94 से किमी 132 उत्तर प्रदेश	26	38	मई-2006	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तर प्रदेश (7)/राजस्थान (10)						
228.	राज./उत्तर प्रदेश सीमा से मनिया (NS-19/उत्तर प्रदेश/राज.) किमी 24-किमी 41 उत्तर प्रदेश (7)/राजस्थान (10)	3	17	अगस्त-2001	अगस्त-2003	जन-2005	4 लेन
	पूर्व पश्चिम						
	असम						
229.	सिलचर-उदरबंद (AS-1) किमी 309 से किमी 275.00 असम	54	32	सित-2004	सित-2007	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
230.	उदरबंद से हरनगाजो (AS-14) किमी 275.00 से किमी 244.00 असम	54	31				सौंपने हेतु शेष
231.	हरनगाजो से मैबंग (AS-21) किमी 165.4.00 से किमी 190.587 असम	54	26	जन-2007	जुलाई-2009	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन
232.	हरनगाजो से मैबंग (AS-22) किमी 140.70 से किमी 164.08 असम	54	24	जन-2007	जुलाई-2009	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन
233.	हरनगाजो से मैबंग (AS-23) किमी 126.450 से किमी 140.700, किमी 164.080 से किमी 165.400 असम	54	16	अगस्त-2006	फर-2009	फर-2009	कार्यान्वयन के अधीन
234.	मैबंग से लूमडिंग (AS-27) किमी 40.000 से किमी 60.500 असम	54	21	अक्टू-2006	अप्रैल-2009	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन
235.	मैबंग से लूमडिंग (AS-26) किमी 60.500 से किमी 83.400 असम	54	23	मई-2006	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
236.	मैबंग से लूमडिंग (AS-25) किमी 83.400 से किमी 111.000 असम	54	28	अक्टू-2006	अप्रैल-2009	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन
237.	मैबंग से लूमडिंग (AS-24) किमी 111.000 से किमी 126.450 असम	54	15	मई-2006	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
238.	लम्डिग से दाबोका (AS-15) किमी 40.00 से किमी 22.00 असम	54	18.5				कार्यान्वयन के अधीन
239.	लंका से दाबोका (AS-16) किमी 22.00 से किमी 2.4 असम	54	24	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
240.	दाबोका से नागांव (AS-17) किमी 36 से किमी 5.5 असम	36	30.5	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
241.	नागांव बाइपास (AS-18) किमी 5.5(रारा-36) से किमी 262.7 (रारा-37) और किमी 262.70 से असम	37	23	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
242.	नागांव से धर्मातुल (AS-2) किमी 255 से किमी 230 असम	37	25	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
243.	धर्मातुल से सोनापुर (AS-19) किमी 230.5 से किमी 205 असम	37	25	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
244.	धर्मातुल से सोनापुर (AS-20) किमी 205.00 से किमी 183 असम	37	22	नवंबर-2005	मई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
245.	सोनापुर से गुवाहाटी (AS-3) किमी 183 से किमी 163.895 असम	37	19	सित-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
246.	गुवाहाटी बाइपास (EW/7) किमी 163.895-किमी 156 असम	37	8	जून-2000	जून-2002	दिस-2003	4 लेन
247.	गुवाहाटी बाइपास (EW-14/AS) किमी 156.00 से किमी 146.00 असम	37	10.5	सित-2001	सित-2003	जून-2004	4 लेन
248.	ब्रह्मपुत्र पुल (AS-28) किमी 1126.00 से किमी 1121.00 असम	31	5	अक्टू-2006	अप्रैल-2010	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन
249.	गुवाहाटी से नलबारी (AS-4) किमी 1121.00 से किमी 1093.00 असम	31	28	दिस-2005	अप्रैल-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
250.	गुवाहाटी से नलबारी (AS-5) किमी 1093.00 से किमी 1065.00 असम	31	28	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
251.	नलबारी सेबिजनी (AS-6) किमी 1065.00 से किमी 1040.3 असम	31	25	नवंबर-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
252.	नलबारी सेबिजनी (AS-7) किमी 1040.3 से किमी 1013.00 असम	31	27.3	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
253.	नलबारी सेबिजनी (AS-8) किमी 1013.00 से किमी 983.00 असम	31	30	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
254.	नलबारी सेबिजनी (AS-9) किमी 983.00 से किमी 961.5 असम	31	21.5	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
255.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (AS-10) किमी 93.00 से किमी 60.00 असम	31सी	33	नवंबर-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
256.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (AS-11) किमी 60.00 से किमी 30.00 असम	31सी	30	नवंबर-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
257.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (AS-12) किमी 30.00 से किमी 0.00 असम	31सी	30	नवंबर-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	बिहार						
258.	पूर्णिया-गयाकोटा (EW-4) किमी 476 15-किमी 470 और किमी 419-किमी 410 बिहार	31	15.15	दिस-1999	मार्च-2002	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
259.	पूर्णिया-गयाकोटा (EW-12/BR) किमी 447-किमी 419 बिहार	31	28	सित-2001	सित-2004	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
260.	पूर्णिया-फारबिसगंज (BR-1) किमी 309.0 से किमी 268 बिहार	57	41	नवंबर-2005	अप्रैल-2008	अगस्त-2008	कार्यान्वयन के अधीन
261.	पूर्णिया-फारबिसगंज (BR-2) किमी 268.0 से किमी 230 बिहार	57	38	नवंबर-2005	अप्रैल-2008	अगस्त-2008	कार्यान्वयन के अधीन
262.	फारबिसगंज-सिमराही (BR-3) किमी 230 से किमी 190 बिहार	57	40	अप्रैल-2006	सित-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
263.	सिमराही से रिंग बंद (मिसिंग लिंक) (BR-4) किमी 190 से किमी 165 बिहार	57	15	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
264.	कोसी पुल और पहुंच मार्ग और गाइड बंद और एफ्लक्स बंद (BR-5) किमी 155 से किमी 165 बिहार	57	10	अप्रैल-2007	मार्च-2010	मार्च-2010	कार्यान्वयन के अधीन
265.	रिंग बंद से झंझारपुर (BR-6) किमी 155 से किमी 110 बिहार	57	45	जन-2006	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
266.	झंझारपुर से दरंभंगा (BR-7) किमी 110 से किमी 70 बिहार	57	40	अप्रैल-2006	सित-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
267.	दरंभंगा से मुजफ्फरपुर (BR-8) किमी 70 से किमी 30 बिहार	57	40	जन-2006	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
268.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (BR-9) किमी 30 से किमी 0 बिहार	57	30	जन-2006	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
269.	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी-12) किमी 520 से किमी 480 बिहार	28	40	सित-2005	सित-2008	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
270.	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11) किमी 480 से किमी 440 बिहार	28	40	सित-2005	सित-2008	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
271.	कोटवा से दीवापुर (एलएमएनएचपी-10) किमी 440 से किमी 402 बिहार	28	38	नवंबर-2005	नवंबर-2008	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
272.	दीवापुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9) किमी 402 से किमी 360.915 बिहार	28	41.085	नवंबर-2005	नवंबर-2008	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	गुजरात						
273.	आबू रोड डीसा खंड पालनपुर के समीप (EW-1) किमी 340-किमी 350 गुजरात	14	10	दिस-1999	अप्रैल-2001	अप्रैल-2001	4 लेन
274.	पालनपुर-डीसा (EW-11/GJ) किमी 350.00 से किमी 372.70 गुजरात	14	22.7	अगस्त-2001	अगस्त-2003	फर-2003	4 लेन
275.	डीसा से राधनपुर (पैकेज-VI) किमी 372.60 से किमी 458.0 गुजरात	14	85.4	फर-2005	नवंबर-2007	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
276.	राधनपुर से गगोधर (पैकेज-V) किमी 138.80 से किमी 245.00 गुजरात	15	106.2	फर-2005	नवंबर-2007	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
277.	गगोधर से गारामोर (पैकेज-IV) किमी 245.0 से किमी 281.3 और किमी 308.00 से किमी 254.00 गुजरात	15,8A	90.3	फर-2005	नवंबर-2007	सित-2007	कार्यान्वयन के अधीन
278.	गारामोर से बामनबोर (पैकेज-III) किमी 254.00 से किमी 182.60 गुजरात	8A	71.4	फर-2005	नवंबर-2007	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
289.	बामनबोर-राज.kot किमी 216 से किमी 185 गुजरात	8B	31				4 लेन
280.	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर (पैकेज-VII) किमी 117.00 से किमी 143.00 और 175.00 से किमी 185.00 गुजरात	8B	36	सित-2005	मार्च-2008	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
281.	राजकोट-रिबड़ा किमी 175 से किमी 160 गुजरात	8B	15				4 लेन
282.	रिबड़ा से गोंडल खंड (EW-10/GJ) किमी 160-किमी 143 गुजरात	8B	17	सित-2001	अप्रैल-2003	अक्टू-2002	4 लेन
283.	जैतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II) किमी 117 से किमी 52.50 गुजरात	8B	64.5	फर-2005	नवंबर-2007	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
284.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-I) किमी 52.50 से किमी 2.00 गुजरात	8B	50.5	फर-2005	नवंबर-2007	मई-2007	4 लेन
	गुजरात (34)/राजस्थान (42)						
285.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी और गुजरात-34 किमी) किमी 264 से किमी 340 गुजरात (34)/राजस्थान (42)	14	76	सित-2006	मार्च-2009	जून-2009	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश						
286.	झांसी-शिवपुरी (EW-II-म प्र-2) किमी 50 से किमी 15 मध्य प्रदेश	25	35	अगस्त-2005	फर-2008	दिस-2009	कार्यान्वयन के अधीन
287.	शिवपुरी बाइपास और उत्तर प्रदेश से म प्र/राज. सीमा (EW-II-म प्र-I) किमी 15 से किमी 0 of रारा 25 और किमी 610 से किमी 579 of रारा 76 मध्य प्रदेश	25, 76	53	अगस्त-2005	फर-2008	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	राजस्थान						
288.	राज./म प्र सीमा से कोटा (राज.-11) किमी 579 से किमी 509 राजस्थान	76	70	सित-2005	मार्च-2008	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
289.	राज./म प्र सीमा से कोटा (राज.-10) किमी 509 से किमी 449.15 राजस्थान	76	59.85	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
290.	राज./म प्र सीमा से कोटा (राज.-9) किमी 449.15 से किमी 406 राजस्थान	76	43.15	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
291.	कोटा बाइपास (राज.-4) किमी 406 से किमी 381 राजस्थान	76	25	मई-2006	नवंबर-2008	जून-2009	कार्यान्वयन के अधीन
292.	चंबल पुल (राज.-5) राजस्थान	76	1.4	नवंबर 2006	फर 2010	सित-2010	कार्यान्वयन के अधीन
293.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (राज.-8) किमी 381 से किमी 316 राजस्थान	76	65	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
294.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (राज.-7) किमी 316 से किमी 253 राजस्थान	76	63	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
295.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (राज.-6) किमी 253 से किमी 213 राजस्थान	76	40	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
296.	गोगुंडा से उदयपुर (राज.-3) किमी 104 से किमी 73 राजस्थान	76	31	जन-2006	जुलाई-2008	सित-2008	कार्यान्वयन के अधीन
297.	बाकरिया से गोगुंडा (राज.-2) किमी 73 किमी किमी 29 राजस्थान	76	44	नवंबर-2005	मई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
298.	स्वरूपगंज से बाकरिया (राज.-1) किमी 29 किमी 0 (रारा 76) और किमी 264 से किमी 249.7 (रारा 14) राजस्थान	76,14	43	दिस-2005	जून-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तर प्रदेश						
299.	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8) किमी 360.915 से किमी 319.8 उत्तर प्रदेश	28	41.115	दिस-2005	दिस-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
300.	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7) किमी 319.8 से किमी 279.8 उत्तर प्रदेश	28	40	दिस-2005	दिस-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
301.	गोरखपुर बाइपास किमी 251.7 से किमी 279.8 उत्तर प्रदेश	28	32.6	अप्रैल-2007	अक्टू-2009	अक्टू-2009	कार्यान्वयन के अधीन
302.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6) किमी 251.70 से किमी 208.00 उत्तर प्रदेश	28	43.7	अक्टू-2005	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
303.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5) किमी 208.00 से किमी 164.00 उत्तर प्रदेश	28	44	अक्टू-2005	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
304.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4) किमी 164.00 से किमी 135.00 उत्तर प्रदेश	28	29	नवंबर-2005	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
305.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3) किमी 135.00 से किमी 93.075 उत्तर प्रदेश	28	41.925	नवंबर-2005	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
306.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2) किमी 93.075 से किमी 45 उत्तर प्रदेश	28	47	अक्टू-2005	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
307.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1) किमी 45.00 से किमी 8.250 उत्तर प्रदेश	28	36	अक्टू-2005	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
308.	लखनऊ बाइपास (EW-15/उत्तर प्रदेश) वाया रारा 56, रारा-25 और रारा-28 को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश	56A और B	22.85	सित-2001	अगस्त-2004	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
309.	लखनऊ-कानपुर खंड (EW/2) किमी 11.38-किमी 21.8 उत्तर प्रदेश	25	10.42	अप्रैल-2000	अक्टू-2001	अगस्त-2002	4 लेन
310.	लखनऊ-कानपुर खंड (EW-8/उत्तर प्रदेश) किमी 21.80 से किमी 44.00 उत्तर प्रदेश	25	22.2	सित-2001	नवंबर-2003	फर-2006	4 लेन
311.	लखनऊ-कानपुर खंड (EW-9/उत्तर प्रदेश) किमी 44-किमी 59.5 उत्तर प्रदेश	25	15.5	सित-2001	अप्रैल-2003	मार्च-2005	4 लेन
312.	लखनऊ-कानपुर (EW/3A) किमी 59.5-किमी 75.5 उत्तर प्रदेश	25	16	दिस-2003	मई-2008	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
313.	गंगा पुल से रमा देवी क्रासिंग (उत्तर प्रदेश-6) किमी 75.0-किमी 80.06 उत्तर प्रदेश	25	5.6	दिस-2005	सित-2008	जून-2009	कार्यान्वयन के अधीन
314.	बारा से ओरई रारा-2 पर 449 से 422 और किमी 255 से किमी 220 उत्तर प्रदेश	2,25	62.8	अक्टू-2006	अप्रैल-2009	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन
315.	ओरई से झांसी (उत्तर प्रदेश-5) किमी 220.0-किमी 170.0 उत्तर प्रदेश	25	50	सित-2005	मार्च-2008	दिस-2009	कार्यान्वयन के अधीन
316.	ओरई से झांसी (उत्तर प्रदेश-4) किमी 170.0-किमी 104.0 उत्तर प्रदेश	25	66	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन
317.	झांसी बाइपास (उत्तर प्रदेश-3) किमी 104.0-किमी 91.0 उत्तर प्रदेश	25	15	नवंबर-2005	मई-2008	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तर प्रदेश (11) मध्य प्रदेश (30)						
318.	झांसी-शिवपुरी (उत्तर प्रदेश/म प्र-1) (उत्तर प्रदेश-11 किमी और म प्र-30 किमी) किमी 91 से किमी 50 (उत्तर प्रदेश-11 किमी और म प्र-30 किमी) उत्तर प्रदेश (11)/मध्य प्रदेश (30)	25	41	अक्टू-2005	अप्रैल-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	पश्चिम बंगाल						
319.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकाटा (पश्चिम बंगाल-1) किमी 255.00 से किमी 223.00 पश्चिम बंगाल	31सी	32	जून-2006	नवबंर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
320.	घोसुपुर (किमी 351 of रारा 31) से सलसाबारी (किमी 226 of रारा 31सी) वाया फुलबारी-मैनागिरि धुम्पगिरि-फलकाता (3 पैकेजs) पश्चिम बंगाल	31,31सी	201				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
321.	सिलीगुडी से इस्लामपुर (पश्चिम बंगाल-6) किमी 551.00 से किमी 526.00 पश्चिम बंगाल	31	25	अप्रैल-2006	अक्टू-2008	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
322.	सिलीगुडी से इस्लामपुर (पश्चिम बंगाल-7) किमी 526.00 से किमी 500 पश्चिम बंगाल	31	26	जन-2006	जुलाई-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
323.	डलकोला इस्लामपुर उप खंड 2(EW/6) किमी 500 से किमी 476.15 पश्चिम बंगाल	31	23.85	अप्रैल-2000	जुलाई-2002	नवंबर-2005	4 लेन
324.	डलकोला-इस्लामपुर (EW/5) किमी 470-किमी 447 पश्चिम बंगाल	31	23	दिस-1999	मार्च-2002	मार्च-2004	4 लेन
	अन्य						
	आंध्र प्रदेश						
325.	नंदीगांव विजयवाड़ा 13 किमी 4 लेन, और 35 किमी 2 लेन आंध्र प्रदेश	9	48	अक्टू. 1996	अप्रैल-2000	अप्रैल 2000	4 लेन
326.	नंदीगांव विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश	9	35	अगस्त-2001	दिस-2003	जून-2004	4 लेन
	असम						
327.	गुवाहाटी बाइपास पर 10 किमी सर्विस रोड और दो लेन के एक फ्लाईओवर का निर्माण किमी 146 से किमी 156 असम	37	10	अगस्त-2005	अगस्त-2007	मई 2008	कार्यान्वयन के अधीन
	केरल						
328.	रारा संपर्क से ICTT वल्लारपदम केरल	एसएच	17.2	अगस्त-2007	फर-2010	फर-2010	कार्यान्वयन के अधीन
	पंजाब						
329	जालंधर-अमृतसर पंजाब	1	20				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्थान						
330.	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी 159 से किमी 213 राजस्थान	79, 76	30	अगस्त-2005	अगस्त-2007	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	तमिलनाडु						
331.	ताम्बरम-टिंडीवनम किमी 28-किमी 121 तमिलनाडु	45	93	मई-2002	नवंबर-2004	जन-2005	4 लेन
332.	चेन्नै बाइपास चरण II तमिलनाडु	45, 4 और 5	32	मई-2005	नवंबर-2007	अक्टू-2008	कार्यान्वयन के अधीन
333.	4 लेन के निर्माण सहित चेन्नै शहर मे स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुंच मार्ग का सुधार	205, 4 और 45	4	अप्रैल-2005	अप्रैल-2007	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
334.	टिंडीवनम-उलून्दूपेट (पैकेज-VI-A) किमी 121-किमी 192.25 तमिलनाडु	[illegible]	71.25	अक्टू-2006	मार्च-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
335.	उलून्दूपेट-पडलूर (पैकेज-VI-B) किमी 192.25 किमी 285.00 तमिलनाडु	45	92.75	दिस 2006	जून-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
336.	पडलूर-त्रिची (पैकेज-VI-C) किमी 285.00-किमी 325.00 तमिलनाडु	45	40	नवंबर-2006	मई-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
337.	त्रिची बाइपास से तोवारामकुरची (पैकेज-VII-A) किमी 0 से किमी 60.95 तमिलनाडु	45बी	60.95	फर-2006	अगस्त-2008	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
338	तोवारामकुरची से मदुरै (पैकेज-VII-B) किमी 60.95 से किमी 124.84 तमिलनाडु	45बी	63.89	फर-2006	अगस्त-2008	दिस-2008	कार्यान्वयम के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
339.	करूर से कंगायम (KC-1) किमी 218.200 से किमी 277.400 तमिलनाडु	67,KC-1	59.2	अगस्त-2006	अगस्त-2008	अगस्त-2008	कार्यान्वयन के अधीन
340.	कंगायम से कोयंबतूर (KC-2) किमी 277.400 से किमी 332.600 तमिलनाडु	67, KC-2	55.2	अगस्त-2006	अगस्त-2008	अगस्त-2008	कार्यान्वयन के अधीन
341.	लालापेट आरओबी किमी 183.400 तमिलनाडु	67	0	मार्च-2006	सित-2007	मार्च-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तर प्रदेश						
342.	नैनी के समीप यमुना पर केबल आधारित पुल उत्तर प्रदेश	27	6	अक्टू-2002	फर-2004	जुलाई-2004	4 लेन
343.	गोरखपुर में राप्ती नदी पर दो लेन का अतिरिक्त पुल उत्तर प्रदेश	28	0.4	मार्च-2004	मार्च-2006	जून-2007	4 लेन
344.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद किमी 93-149.25 आंध्र प्रदेश	24	56.25	मार्च-2005	सित-2007	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
345.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर किमी 58-93 आंध्र प्रदेश	24	35	मार्च-2005	सित-2007	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
346.	गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बाइपास उत्तर प्रदेश	24	33	अप्रैल-1999	अप्रैल-2002	सित-2002	4 लेन
	पत्तन संपर्क						
	आंध्र प्रदेश						
347.	विशाखापत्तनम पत्तन 3.6 किमी 4 लेन, 8.57 किमी 2 लेन आंध्र प्रदेश	एसआर	12	जून-2002	दिस-2004	नवंबर-2006	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
	गोवा						
348.	पत्तन संपर्क से मुरगांव रारा-17बी (रारा 17 पर पत्तन से वरना जंक्शन) गोवा	17बी	13	अप्रैल-2001	अप्रैल-2003	जून-2004	4 लेन
	गुजरात						
349.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज I किमी 306-किमी 324 गुजरात	8ए	18	सित-1998	सित-2000	सित-2000	4 लेन
350.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज II किमी 324-किमी 346 गुजरात	8ए	22	मई-1999	मई-2001	जुलाई-2002	4 लेन
351.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज III किमी 346-किमी 362 गुजरात	8ए	16.16	मई-1999	मई-2001	मार्च-2002	4 लेन
	कर्नाटक						
352.	नव मंगलूर पत्तन रारा-17 (सूरतकल-ननतूर खंड), रारा-48 (पादिल बांटवाल)	13,17 और 48	37	जून-2005	दिस-2007	जून-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	केरल						
353.	कोचीन पत्तन किमी 348/382-किमी 258 750 एवं 5 बड़े पुल केरल	47	10	दिस-2007	जून-2009 ठेका समाप्त		कार्यान्वयन के अधीन
	महाराष्ट्र						
354.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-I महाराष्ट्र	4बी, 4	30	फर-2002	अगस्त-2004	जून-2005	4 लेन
355.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-II एसएच-54+आमरा मार्ग+पनवेल क्रीक पुल महाराष्ट्र	एसएच54	14.35	नवंबर-2004	मई-2007	मई-2008	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
	उड़ीसा						
356.	पारादीप पत्तन रारा-5ए (किमी 0 से किमी 77) उड़ीसा	5ए	77	फर-2004	फर-2007	मई-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	तमिलनाडु						
357.	तूतीकोरिन पत्तन रारा-7ए (तूतीकोरिन-तिरूनेलवेली खंड) तमिलनाडु	7ए	47.2	फर-2004	अगस्त-2006	दिस-2007	कार्यान्वयन के अधीन
358.	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस वे इनर रिंग रोड और मनाली ऑयल रिफाइनरी रोड तमिलनाडु	एसआर	15	अगस्त-2007	अगस्त-2008	अगस्त-2008	कार्यान्वयन के अधीन
359.	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस वे टीपीपी रोड, इनर रिंग रोड और मनाली ऑयल रिफाइनरी रोड तमिलनाडु	एसआर	6.1				सौंपने हेतु शेष
360.	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस वे टीपीपी सड़क, तमिलनाडु	एसआर	9	मई-2006	दिसं-2007	जुलाई-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	पश्चिम बंगाल						
361.	हल्दिया पत्तन रारा-41 (कोलाघाट पर रारा-6 से हल्दिया) पश्चिम बंगाल	41	53	दिस-2007	दिस-2009 ठेका समाप्त		कार्यान्वयन के अधीन
	एनएचडीपी चरण IIIA						
	आंध्र प्रदेश						
362.	हैदराबाद-विजयवाड़ा (किमी 40 से 160) आंध्र प्रदेश	9	120				सौंपने हेतु शेष
363.	हैदराबाद-विजयवाड़ा और विजयवाड़ा- मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश	9	121				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
	बिहार						
364.	पटना-मुजफ्फरपुर बिहार	19 और 77	60				सौंपने हेतु शेष
365.	पटना-बख्तियारपुर बिहार	30	53				सौंपने हेतु शेष
366.	पटना-गया डोभी बिहार	83	125				सौंपने हेतु शेष
	छत्तीसगढ़						
367.	दुर्ग बाइपास-छत्तीसगढ़/ महाराष्ट्र सीमा छत्तीसगढ़	6	82.685				कार्यान्वयन के अधीन
368.	औरंग-रायपुर किमी 232 से किमी 281 छत्तीसगढ़	6	45	अप्रैल-2006	जन-2009	जन-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	दिल्ली						
369.	दिल्ली-हिसार (दिल्ली खंड) दिल्ली	10	20				सौंपने हेतु शेष
	गुजरात						
370.	कांडला-मुंदरा पत्तन गुजरात	8A	73				सौंपने हेतु शेष
371.	सूरत हजीरा पत्तन गुजरात	6	29				सौंपने हेतु शेष
	हरियाणा						
372.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक हरियाणा	10	63.49				कार्यान्वयन के अधीन
373.	पानीपत-रोहतक हरियाणा	71A	73				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
374.	रोहतक-हिसार हरियाणा	10	80				सौंपने हेतु शेष
375.	पंचकुला-बरवाला-साहा-यमुना नगर उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा हरियाणा	73	108				सौंपने हेतु शेष
376.	रोहतक-बावल हरियाणा	71	97				सौंपने हेतु शेष
	हरियाणा (20)/हिमाचल प्रदेश (6.69)/ पंजाब (2)						
377.	जीरकपुर-परवानु हरियाणा (20)/हिमाचल प्रदेश (6.69)/ पंजाब (2)	22	28.69				कार्यान्वयन के अधीन
	हरियाणा (6)/पंजाब (30)						
378.	अंबाला-जीरकपुर किमी 5/735 से किमी 39/961 of रारा-22 और किमी 0/0 से किमी हरियाणा (6)/पंजाब (30)	21, 22	36	मई-2006	नवंबर-2008	नवंबर-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	हिमाचल प्रदेश						
379.	परवानु-शिमला हिमाचल प्रदेश	22	103				सौंपने हेतु शेष
	झारखंड						
380.	हजारीबाग-रांची झारखंड	33	75				सौंपने हेतु शेष
	कर्नाटक						
381.	बीजापुर-होसपेट कर्नाटक	13	194				सौंपने हेतु शेष
382	मुलबागल-कर्नाटक/आं प्र सीमा कर्नाटक	4	11				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
383.	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रानिक सिटी जंक्शन तक उत्थापित राजमार्ग कर्नाटक	7	9.98	जुलाई-2006	जुलाई-2008	जुलाई-2008	कार्यान्वयन के अधीन
384.	कुंदापुर-सूरतकल कर्नाटक	17	71				सौंपने हेतु शेष
385.	बंगलौर-होसपेट-मुदबागल खंड किमी 237.700 से किमी 318.000 कर्नाटक	4	79.724	जन-2008	जुलाई-2010	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन
386.	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा कर्नाटक	17	18				सौंपने हेतु शेष
387.	नीलमंगला-हासन कर्नाटक	48	73				सौंपने हेतु शेष
388.	रारा 48 के साथ रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली कर्नाटक	48	81	जन-2008	जुलाई-2010	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन
389.	बेलगाम-कर्नाटक/गोवा सीमा कर्नाटक	4A	84				सौंपने हेतु शेष
390.	बंगलौर-नीलमंगला कर्नाटक	4	19.5	नवंबर-2007	जुलाई-2009	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	केरल						
391.	त्रिवेन्द्रम-केरल/तमिलनाडु सीमा केरल	47	29				सौंपने हेतु शेष
392.	चेरथलई-पलक्कड़-तिरूवनंतपुरम केरल	47	180				सौंपने हेतु शेष
	मध्य प्रदेश						
393.	बरेली-राजमार्ग क्रासिंग मध्य प्रदेश	12	0				सौंपने हेतु शेष
394.	राजमार्ग क्रासिंग-जबलपुर मध्य प्रदेश	12	0				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
395.	भोपाल-बरेली मध्य प्रदेश	12	297				सौंपने हेतु शेष
396.	गुना बाइपास किमी 319/700 से किमी 332/100 मध्य प्रदेश	3	14	जन-2006	जुलाई-2007	दिस-2007	4 लेन
397.	इंदौर-खालघाट मध्य प्रदेश	3	80	सित-2006	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयन के अधीन
398.	खालघाट-म प्र/महाराष्ट्र सीमा मध्य प्रदेश	48	73				कार्यान्वयन के अधीन
	महाराष्ट्र						
399.	म प्र/महाराष्ट्र सीमा-धुले महाराष्ट्र	3	97				सौंपने हेतु शेष
400.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा- वेनगंगा पुल महाराष्ट्र	6	80.055				कार्यान्वयन के अधीन
401.	नागपुर-वेनगंगापुल महाराष्ट्र	6	60				सौंपने हेतु शेष
402.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे महाराष्ट्र	3	60				सौंपने हेतु शेष
403.	सोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा महाराष्ट्र	13	30				सौंपने हेतु शेष
404.	पुणे-खेड़ किमी12/190 से किमी 42/000 महाराष्ट्र	50	30	अगस्त-2003	अगस्त-2005		4 लेन
405.	धुले-पिंपलगांव किमी 380/0 से किमी 265/0 महाराष्ट्र	3	118	मार्च-2006	मार्च-2009	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
406.	गोंडे-वदापे (थाणे) किमी 440/000 से किमी 539/500 महाराष्ट्र	3	100	अप्रैल-2006	अप्रैल-2009	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
407.	कोंधाली-तेलेगांव किमी 50 से किमी 100 महाराष्ट्र	6	50	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
408.	नागपुर-कोंधाली किमी 9.2 से किमी 50 महाराष्ट्र	6	40	जून-2006	दिस-2008	दिस-2008	कार्यान्वयन के अधीन
	उड़ीसा						
409.	पनीकोइली-क्योंझर-रिमोली उड़ीसा	215	106				सौंपने हेतु शेष
410.	भुवनेश्वर-पुरी उड़ीसा	203	59				सौंपने हेतु शेष
411.	रिमोली-रॉक्सी-राजमुंडा उड़ीसा	215	163				सौंपने हेतु शेष
412.	डुबरी i-तल्चर उड़ीसा	200	98				सौंपने हेतु शेष
413.	चंडीखोल-डुबरी उड़ीसा	200	39				सौंपने हेतु शेष
	पंजाब						
414.	चंडीगढ़-कुराली पंजाब	21	30				सौंपने हेतु शेष
415.	कुराली-कीरतपुर पंजाब	21	42.9	दिस-2007	जून-2010	जून-2010	कार्यान्वयन के अधीन
416.	अमृतसर-पठानकोट पंजाब	15	101				सौंपने हेतु शेष
417.	अमृतसर-वाघा सीमा पंजाब	1	36.22				कार्यान्वयन के अधीन
418.	जालंधर-अमृतसर किमी 407/100 से किमी 456/100 पंजाब	1	49	मई-2006	नवंबर-2009	नवंबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्थान						
419.	जयपुर-टोंक-देवली राजस्थान	12	150				सौंपने हेतु शेष
420.	जयपुर-रिंगस राजस्थान	11	54				सौंपने हेतु शेष
421	देवली-कोटा-झालावाड़ राजस्थान	12	178				सौंपने हेतु शेष
422.	रिंगस-सीकर राजस्थान	11	41				सौंपने हेतु शेष
423.	उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा-भरतपुर राजस्थान	11	21				सौंपने हेतु शेष
424.	महुआ-जयपुर किमी 120 से किमी 228 राजस्थान	11	108	मार्च-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
425.	भरतपुर-महुआ किमी 63 से किमी 120 राजस्थान	11	57	अप्रैल-2006	जन-2009	जन-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	तमिलनाडु						
426.	त्रिची-डिंडीगुल तमिलनाडु	45	88.273	जन-2008	जुलाई-2010	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन
427.	मदुरै-अरूकुकोटई-तूतीकोरिन किमी 138.8 से किमी 264.5 तमिलनाडु	45B	128.15	जन-2007	जन-2010	जन-2010	कार्यान्वयन के अधीन
428.	कराईकुडी-रामनाथपुरम तमिलनाडु	210	100				सौंपने हेतु शेष
429	कृष्णागिरि-टिंडीवनम तमिलनाडु	66	170				सौंपने हेतु शेष
430.	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी तमिलनाडु	47	56				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
431.	नागपट्टनम-तंजारूर तमिलनाडु	67	74				सौंपने हेतु शेष
432.	पांडिचेरी-डिंटीवनम तमिलनाडु	66	38.61	जन-2008	जुलाई-2010	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन
433.	सलेम-उलून्डूपेट (BOT-1/TN-06) किमी 0.313 से किमी 136.670 तमिलनाडु	68	136.35	जन-2008	जन-2011	जन-2011	कार्यान्वयन के अधीन
434.	त्रिची-करूर तमिलनाडु	67	79.7	जन-2008	जुलाई-2010	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन
435.	तंजारूर-त्रिची किमी 80-किमी 135.750 तमिलनाडु	67	56	दिस-2008	जून-2009	जून-2009	कार्यान्वयन के अधीन
436.	त्रिची-करईकुडी तमिलनाडु	210	100				सौंपने हेतु शेष
	तमिलनाडु (81.5)/आंध्र प्रदेश (44)						
437.	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै तमिलनाडु (81.5)/आंध्र प्रदेश (44)	205	125.5				सौंपने हेतु शेष
	उत्तर प्रदेश						
438.	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा से मेरठ उत्तर प्रदेश	58	46				सौंपने हेतु शेष
439.	मेरठ-मुजफ्फरनगर किमी 52.250 से किमी 131.00 उत्तर प्रदेश	58	79	मार्च-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
440.	सीतापुर-लखनऊ किमी 488.27 से किमी 413.20 उत्तर प्रदेश	24	75	जून-2006	जून-2009	जून-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तर प्रदेश (21)/उत्तरांचल (56)						
441.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार उत्तर प्रदेश (21)/उत्तरांचल (56)	58,72	77				सौंपने हेतु शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर प्रदेश (24.75)/राजस्थान (20.25)						
442.	आगरा-भरतपुर किमी 17.756-किमी 63 उत्तर प्रदेश (24.75)/राजस्थान (20.25)	11	45	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयन के अधीन
	उत्तरांचल						
443.	हरिद्वार-देहरादून उत्तरांचल	72	69				सौंपने हेतु शेष
	पश्चिम बंगाल						
444.	बरासत-बनगांव पश्चिम बंगाल	35	60				सौंपने हेतु शेष
	राराविप चरण IIIबी						
	आंध्र प्रदेश						
445.	कुड्डप्पाहा-मेडुकुर-कुरनूल आंध प्रदेश	18	192.5				ठेका दिए जाने के लिए शेष
446.	हैदराबाद-यादगिरि आंध्र प्रदेश	202	30				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	अरुणाचल प्रदेश						
447.	ईटानगर-अरूणाचल प्रदेश/असम सीमा अरूणाचल प्रदेश	52ए	22				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	असम						
448.	बंदरदेवा-असम/आंध्र प्रदेश सीमा असम	52ए	9				ठेका दिए जाने के लिए शेष
449.	डबोका-असम/नागालैंड सीमा असम	36	124				ठेका दिए जाने के लिए शेष
450.	बिहटा चरियाली-बंदरदेवा असम	52	314				ठेका दिए जाने के लिए शेष
451.	असम/मेघालय सीमा-असम/त्रिपुरा सीमा असम	44	116				ठेका दिए जाने के लिए शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
452.	सिलचर-असम/मिजोरम सीमा असम	54	50				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	बिहार						
453.	मोतिहारी-रक्सौल बिहार	28ए	67				ठेका दिए जाने के लिए शेष
454.	फोरबेसगंज-जोगवानी बिहार	57ए	13				ठेका दिए जाने के लिए शेष
455.	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर बिहार	85,19	153				ठेका दिए जाने के लिए शेष
456.	पटना-बक्सर बिहार	84	130				ठेका दिए जाने के लिए शेष
457.	मुजफ्फरपुर-सोनबर्सा बिहार	77	89				ठेका दिए जाने के लिए शेष
458.	मोकामा-मुंगेर बिहार	80	70				ठेका दिए जाने के लिए शेष
459.	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया बिहार	31	255				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	छत्तीसगढ़						
460.	रायपुर-सिमगा छत्तीसगढ़	200	28				ठेका दिए जाने के लिए शेष
461.	करनूड-धमतरी छत्तीसगढ़	43	23				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	दिल्ली						
462.	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा तक दिल्ली	1 और 24	8				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	गोवा						
463.	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पंजी गोवा-कर्नाटक सीमा गोवा	17	139				ठेका दिए जाने के लिए शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
464.	पंजी-गोवा/कर्नाटक सीमा गोवा	4ए	69				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	गुजरात						
465.	गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा-अहमदाबाद गुजरात	59	210				ठेका दिए जाने के लिए शेष
466.	जेतपुर-सोमनाथ गुजरात	8डी	127				ठेका दिए जाने के लिए शेष
467.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत गुजरात	6	84				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	हरियाणा						
468.	अम्बाला-कैथल हरियाणा	65	78				ठेका दिए जाने के लिए शेष
469.	रोहतक-जींद हरियाणा	71	45				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	झारखंड						
470.	रांची-रारगांव झारखंड	33	150				ठेका दिए जाने के लिए शेष
471.	बरही-हजारीबाग झारखंड	33	40				ठेका दिए जाने के लिए शेष
472.	रारगांव-जमशेदपुर झारखंड	34	0				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	केरल						
473.	कर्नाटक/केरल सीमा-कोझिकोड-एड्डापल्ली केरल	17	451				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	मध्य प्रदेश						
474.	इंदौर-झबुआ-गुजरात/मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश	59	168				ठेका दिए जाने के लिए शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
475.	ओबाईदुल्लागंज-भीमबेटका मध्य प्रदेश	69	13				ठेका दिए जाने के लिए शेष
476.	झांसी-खजुराहो मध्य प्रदेश	75	100				ठेका दिए जाने के लिए शेष
477.	भोपाल-सांची मध्य प्रदेश	86एक्स.	40				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	महाराष्ट्र						
478.	पुणे-शोलापुर महाराष्ट्र	9	170				ठेका दिए जाने के लिए शेष
479.	तलेगांव-अमरावती महाराष्ट्र	6	58				ठेका दिए जाने के लिए शेष
480.	पनवेल-इंदापुर महाराष्ट्र	17	84				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	मणिपुर						
481.	नागालैंड/मणिपुर सीमा-इम्फाल मणिपुर	39	111				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	मेघालय						
482.	जोवई-असम/मेघालय सीमा मेघालय	44	109				ठेका दिए जाने के लिए शेष
483.	शिलौंग (शिलौंग बाईपास को छोड़कर)-जोवई मेघालय	44	27				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	मिजोरम						
484.	असम मिजोरम सीमा से एजॉल मिजोरम	54	140				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	नागालैंड						
485.	कोहिमा-नागालैंड/मणिपुर सीमा नागालैंड	39	28				ठेका दिए जाने के लिए शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
	उड़ीसा						
486.	संबलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा उड़ीसा	6	88				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	पांडिचेरी						
487.	पांडिचेरी-तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा पांडिचेरी	66	4				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	पंजाब						
488.	लुधियाना-तलवंडी पंजाब	95	84				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	राजस्थान						
489.	किशनगढ़-अजमेर-बेवाड़ राजस्थान	8	82				ठेका दिए जाने के लिए शेष
490.	बेवाड़-पाली-पिंडवाड़ा राजस्थान	14	246				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	तमिलनाडु						
491.	मदुरई-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी तमिलनाडु	49	186				ठेका दिए जाने के लिए शेष
492.	थेनी-कुमिली तमिलनाडु	220	57				ठेका दिए जाने के लिए शेष
493.	कोयम्बटूर-मेट्टूपलायम तमिलनाडु	67एक्स.	45				ठेका दिए जाने के लिए शेष
494.	डिंडीगुल-पेरीगुलम-थेनी तमिलनाडु	45एक्स.	73				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	उत्तर प्रदेश						
495.	गाजियाबाद-अलीगढ़ उत्तर प्रदेश	91	106				ठेका दिए जाने के लिए शेष

1	2	3	4	5	6	7	8
496.	मुरादाबाद-बरेली उत्तर प्रदेश	24	112				ठेका दिए जाने के लिए शेष
497.	बरेली-सीतापुर उत्तर प्रदेश	24	134				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	उत्तरांचल						
498.	रामपुर-काठगोदाम उत्तरांचल	87	88				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	पश्चिम बंगाल						
499.	कोलकाता-दलकोला पश्चिम बंगाल	34	438				ठेका दिए जाने के लिए शेष
	रारा-34						
	पश्चिम बंगाल						
500.	दलकोला बाईपास पश्चिम बंगाल	34	5.5	सितम्बर-2006	अगस्त-2008	अगस्त-2008	निर्माणाधीन

विवरण-II

4 लेन बनाने से संबंधित परियोजनाओं पर वर्ष 2007-08 के दौरान व्यय के ब्योरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति	संबंधित राज्य	स्थान	2007-08 के दौरान व्यय (करोड़ रु.) (जन. '08 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	चंपावती-श्रीकाकुलम (किमी 49-किमी 97) आं प्र-I	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	31.75
2.	श्रीकाकुलम-पलास (किमी 49-किमी 171) आं प्र-II	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.41
3.	विशाखापत्तनम-चंपावती नदी (किमी 2.8-49) (आं प्र-III)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.11
4.	कोरलाम-पलास (किमी 171-200), पैकेज. आं प्र-IVA	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.28
5.	इच्छापुरम-कोरलाम (किमी 233-200, रारा-5) पैकेज आं प्र-IVB	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.86

1	2	3	4	5	6
6.	विशाखापत्तनम-चंपावती (पुल खंड किमी 49-97) आं प्र-V	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
7.	इच्छापुरम-चंपावती (पुल खंड किमी 98-233) आं प्र-VI	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.85
8.	तुनी-अनाकपल्ली किमी 300-359 BOT [A]-III	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.21
9.	रामुंदरी-धर्मावरम आं प्र-15 किमी 200-254 BOT [A]-I	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.10
10.	धर्मावरम-तुनी आं प्र-16 किमी 254-300 BOT [A]-II	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.09
11.	राजमुंदरी-इलूरु आं प्र-17 (गोथामी-राजमुंदरी) (किमी 200-165)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.90
12.	राजमुंदरी-इलूरु आं प्र-18 (इलूरु-गोथामी) (किमी 80-165) आं प्र-18	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	1.52
13.	इलूरू-राजमुंदरी (पुल-II) आं प्र-19	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.01
14.	इलूरू-राजमुंदरी (पुल-I) आं प्र-20	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
15.	कवली-नेल्लोर (आं प्र-11) किमी 222 से 178	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.26
16.	कवली-अंगोल (आं प्र-12) किमी 291 से 222	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
17.	अंगोल-चिल्कालूरीपेट (आं प्र-13) किमी 357.9 से 291	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
18.	नेल्लोर बाइपास	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	54.05
19.	जीक्यू पर टाडा-नेल्लोर (पैकेज. आं प्र-7 और 8)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
20.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (पैकेज-I)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
21.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (पैकेज-II)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
22.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (पैकेज-III)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
23.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा पैकेज-IV (कृष्णा पुल)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.00
24.	इलूरु के समीप (राजमुंदरी-विजयवाड़ा) (किमी 75-80)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	0.02
25.	विजयवाड़ा-इलूरु (ADB, पैकेज-V) (किमी 3.4 से 75)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	जीक्यू (सीके)	2.82
26.	कलकल्लू-गुंडला पोचमपल्ली (किमी 447-464, रारा-7) एनएस/8 (आं प्र)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00

1	2	3	4	5	6
27.	टोंडापल्ली-फारुखनगर (किमी 22.30 से किमी 34.80, रारा-7) एनएस/9 (आं प्र)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
28.	किमी 464.474 को चार लेन का बनाना (गुंडला पोचमपल्ली-बोवनपल्ली) और किमी 9.40-22.30 (शिवरामपल्ली-टोंडापल्ली) रारा-7, आं प्र, एनएस-23/आं.प्र.	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	18.18
29.	नंदीगांव-विजयवाड़ा (ADB, पैकेज-IV)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	अन्य	0.00
30.	नंदीगांव-इब्राहिमपुरम (किमी 217.252, रारा-9)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	अन्य	0.01
31.	पत्तन सड़क संपर्क (विशाखापत्तनम पत्तन)	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	अन्य	1.73
32.	अरमूर-अटलूर येल्लारेड्डी (एनएस-2/आं प्र-1)	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
33.	अरमूर-कलकालू गांव (आं प्र-2)	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	263.72
34.	फारुखनगर-कोटाकाटा (आं प्र-3) किमी 34. 100-80.000	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	163.03
35.	फारुखनगर-कोटाकाटा (आं प्र-4) किमी 80. 000-135.740	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	115.95
36.	कोटाकाटा-कुरनूल (आं प्र-5) किमी 135.740-211.000	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	206.65
37.	एम एच/आं प्र सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/BOT आं प्र-6) किमी 175/0 से किमी 230/0	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	29.83
38.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/BOT/आं प्र-7) किमी 230.00 से किमी 278.00	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	10.30
39.	कदताल से अरमूर (एनएस-2/BOT/आं प्र-8) किमी 278/0 से किमी 308/0	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	50.16
40.	कुरनूल-अनंतपुर (आं प्र-10) ADB किमी 211.000-251.000-ADB सेक्टर-II/C-10	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	28.37
41.	अनंतपुर-आं प्र/कर्नाटक सीमा (आं प्र 11)ADB किमी 251.000-293.40-ADB सेक्टर-II/C-11	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	31.29

1	2	3	4	5	6
42.	कुरनूल-अनंतपुर-(रारा-7) किमी 293.40-336.000-ADB सेक्टर-II/C-12	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	11.32
43.	अनंतपुर-आं प्र/कर्नाटक-(रारा-7) किमी 336.000-376.000-ADB सेक्टर-II/C-13, आं प्र	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	11.95
44.	अनंतपुर-आं प्र/कर्नाटक-(रारा-7) किमी 376.000-418.000-ADB सेक्टर-II/C-14, आं प्र	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	31.79
45.	अनंतपुर-आं प्र/कर्नाटक-(रारा-7) किमी 418.000-463.640-ADB सेक्टर-II/C-15, आं प्र	जारी	आंध्र प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	37.01
			आंध्र प्रदेश कुल		1073.78
46.	गुवाहाटी बाइपास (किमी 156-163.90, रारा-37, असम) पैकेज ईडब्ल्यू/7(A)	पूर्ण	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.66
47.	गुवाहाटी बाइपास (किमी 146-156.50, रारा-37, असम) पैकेज ईडब्ल्यू/14(A)	पूर्ण	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
48.	सिलचर से उदरबंद (किमी 275-309, रारा-54) A-1	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	19.88
49.	नागांव से धर्मातुल (किमी 255-230, रारा-37) A-2	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
50.	सोनापुर से गुवाहाटी (किमी 183-163.89, रारा-37) A-3	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	13.94
51.	गुवाहाटी-नलबारी (किमी 1121-1093, रारा-31) A-4	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	6.21
52.	गुवाहाटी-नलबारी (किमी 1093-1065, रारा-31) A-5	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	14.72
53.	नलबारी-बिजनी (किमी 1065-1040.30, रारा-31) A-6	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	17.99
54.	नलबारी-बिजनी (किमी 1040.30-1013, रारा-31) A-7	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	5.67

1	2	3	4	5	6
55.	नलबारी-बिजनी (किमी 1013-983, रारा-31) A-8	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	19.58
56.	नलबारी-बिजनी (किमी 983-961.50, रारा-31) A-9	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	12.65
57.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (किमी 93-60, रारा-31C) A-10	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	8.66
58.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (किमी 60-30, रारा-31C) A-11	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	7.60
59.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (किमी 30-0, रारा-31C) A-12	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	15.76
60.	उदरबंद-हरनगाजो (किमी 244-275, रारा-54) A-14	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
61.	लूमडिंग-दाबोका (किमी 22-40, रारा-54) A-15	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
62.	लंका-दाबोका (किमी 22-2.40, रारा-54) A-16	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
63.	दाबोका-नागांव (किमी 36-5.50, रारा-36) A-17	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
64.	नागांव बाइपास (किमी 5.5, रारा-36 से किमी 262.70, रारा-37 और किमी 262.70-255, रारा-37) A-18	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	16.73
65.	धर्मातुल-सोनापुर (किमी 230.50-205, रारा-37) A-19	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
66.	धर्मातुल-सोनापुर (किमी 205-183, रारा-37) A-20	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	11.09
67.	हरनगाजो-मैबांग (किमी 178-244, रारा-54) A-21	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	7.60
68.	हरनगाजो-मैबांग (किमी 154-178, रारा-54) A-22	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	1.52

1	2	3	4	5	6
69.	हरनगाजो-मैबांग (किमी 140-154, रारा-54) A-23	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.86
70.	मैबांग-लूमडिंग (किमी 40-65, रारा-54) A-24	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
71.	मैबांग-लूमडिंग (किमी 65-90, रारा-54) A-25	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
72.	मैबांग-लूमडिंग (किमी 90-115, रारा-54) A-26	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
73.	मैबांग-लूमडिंग (किमी 115-140, रारा-54) A-27	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
74.	ब्रहमपुत्र पुल (किमी 1121-1126, रारा-31) A-28	जारी	असम	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	2.27
75.	गुवाहाटी बाइपास पर सर्विस रोड और फ्लाईओवर ईडब्ल्यू/14A(A)	जारी	असम	अन्य (ईडब्ल्यू)	0.80
			असम कुल		184.19
76.	मोहनिया-सासाराम (टीएनएचपी-5) पैकेज-IV-B बिहार	पूर्ण	बिहार	जीक्यू (डीके)	0.02
77.	डेहरी ओन सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी-6) पैकेज-IV-D	पूर्ण	बिहार	जीक्यू (डीके)	1.25
78.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-7) पैकेज V-A (औरंगाबाद-बाराचट्टी)	पूर्ण	बिहार	जीक्यू (डीके)	24.12
79.	सासाराम-डेहरी ओन सोन (GTRIP-6) पैकेज IV-C	जारी	बिहार	जीक्यू (डीके)	21.30
80.	पूर्णिया-गयाकोटा (किमी 410-419, और किमी 470-476.15, रारा-31), बिहार पैकेज-ईडब्ल्यू/4 (BR)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	6.57
81.	पूर्णिया-गयाकोटा (किमी 419-447, रारा-31, बिहार), पैकेज-ईडब्ल्यू/12 (BR)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	41.69
82.	पूर्णिया-फारबिसगंज (BR-1)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	25.72

1	2	3	4	5	6
83.	पूर्णिया-फारबिसगंज (BR-2)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	36.11
84.	फारबिसगंज-सिमराही (BR-3)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	17.48
85.	सिमराही-रिंग बंद (BR-4)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	23.91
86.	बिहार में रारा 57 पर कोसी पुल और पहुंच मार्ग (किमी 165.00 से 155.00) (BR-5)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	83.31
87.	रिंग बंद-झंझारपुर (BR-6)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	104.74
88.	झंझारपुर-दरभंगा (BR-7)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	73.32
89.	दरभंगा-मुजफ्फरपुर (BR-8)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	112.95
90.	दरभंगा-मुजफ्फरपुर (BR-9)	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	45.25
91.	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-दीवापुर (किमी 360.91 से 402, रारा-28, बिहार) पैकेज-IX	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	42.94
92.	दीवापुर-कोटवा (किमी 402 से 440, रारा-28, बिहार) पैकेज-X	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	9.67
93.	कोटवा-मेहसी (किमी 440 से 480, रारा-28, बिहार) पैकेज-XI	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	3.06
94.	मेहसी-मुजफ्फरपुर (किमी 480-520, रारा-28, बिहार) पैकेज-XII	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	10.86
95.	बिहार में रारा 28 के किमी 360.57-520 के लिए डीपीआर	जारी	बिहार	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
			बिहार कुल		684.27

1	2	3	4	5	6
96.	दुर्ग बाइपास, रारा-6	पूर्ण	छत्तीसगढ़	अन्य	0.00
97.	रायपुर-औरंग	जारी	छत्तीसगढ़	एनएचडीपी-III	86.24
98.	दुर्ग बाइपास-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	जारी	छत्तीसगढ़	एनएचडीपी-III	0.00
			छत्तीसगढ़ कुल		**86.24**
99.	पत्तन संपर्क (मुरगांव पत्तन)	पूर्ण	गोवा	अन्य	0.00
			गोवा कुल		**0.00**
100.	उदयपुर-रतनपुर-चिलोडा (रतनपुर-हिम्मतनगर) किमी 388.4-किमी 443 UG-III	पूर्ण	गुजरात	जीक्यू (डीएम)	0.00
101.	उदयपुर-रतनपुर-चिलोडा (हिम्मतनगर-चिलोडा/गांधीनगर) (किमी 443-495) UG-IV	पूर्ण	गुजरात	जीक्यू (डीएम)	0.00
102.	अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रैसमार्ग-I	पूर्ण	गुजरात	जीक्यू (डीएम)	0.00
103.	अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रैसमार्ग-II	पूर्ण	गुजरात	जीक्यू (डीएम)	0.00
104.	सूरत-मनोर पैकेज-I	पूर्ण	गुजरात	जीक्यू (डीएम)	0.00
105.	सूरत-मनोर पैकेज-II	पूर्ण	गुजरात	जीक्यू (डीएम)	0.00
106.	अबु सड़क-दीसा (किमी 340-350) गुजरात में पालनपुर के समीप रारा-14 पैकेज-ईडब्ल्यू/1 (GJ)	पूर्ण	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
107.	गोंडल से रिबड़ा (किमी 143-160, रारा-8B) ईडब्ल्यू/10 (GJ)	पूर्ण	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
108	4-लेन किमी 350-372.70 (पालनपुर के समीप) रारा-14, गुजरात, पैकेज-ईडब्ल्यू/11(GJ)	पूर्ण	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
109.	समख्याली-गांधीधाम पैकेज-I (GJ)	पूर्ण	गुजरात	अन्य	0.00
110.	समख्याली-गांधीधाम पैकेज-II (GJ)	पूर्ण	गुजरात	अन्य	0.00
111.	समख्याली-गांधीधाम पैकेज-III (GJ)	पूर्ण	गुजरात	अन्य	0.00
112.	गोंडल-जैतपुर (किमी 117-143.3) और राजकोटबाइपास (किमी 175-185), रारा-8B, गुजरात, पैकेज-VII	जारी	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	293.18

1	2	3	4	5	6
113.	भिलाड़ी से पोरबंदर (किमी 52.5-2), रारा-8B, पैकेज-I	पूर्ण	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	45.26
114.	जैतपुर से भिलाड़ी (किमी 117-52.5), रारा-8B, पैकेज-II	जारी	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	143.42
115.	गारामोर-बामनबोर (किमी 254-182.60), रारा-8A पैकेज-III	जारी	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	73.15
116.	गारामोर-गगोधर (किमी 254-308, रारा-8A) और (किमी 281.30-245, रारा-15), पैकेज-IV	जारी	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	58.35
117.	राधनपुर से गगोधर, (किमी 138.80-245, रारा-15), पैकेज-V	जारी	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	91.73
118.	राधनपुर-डीसा (किमी 458-372.60, रारा-14), पैकेज-VI	जारी	गुजरात	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	105.70
			गुजरात कुल		**810.79**
119.	दिल्ली सीमा-समालखा (किमी 29.30-44.30), रारा-1, हरियाणा, पैकेज-एनएस/2 (HR)	पूर्ण	हरियाणा	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
120.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग परियोजना (किमी 86-96, रारा-1)	जारी	हरियाणा	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	260.71
121.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक, रारा-10	जारी	हरियाणा	एनएचडीपी-III	3.73
122.	जीरकपुर-परवानु (रारा-22)	जारी	हरियाणा	एनएचडीपी-III	6.00
			हरियाणा कुल		**270.44**
123.	जम्मू-पठानकोट (किमी 80-97.20, रारा-1A, जे एंड के) पैकेज-एनएस/15/जे एंड के	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	12.27
124.	श्रीनगर बाइपास, रारा 1A, जे एंड के (एनएस-30/जे एंड के)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	19.68
125.	जम्मू-कुंजवानी (जम्मू बाइपास) (एनएस-33/जे एंड के)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00

1	2	3	4	5	6
126.	एनएस-88/जे एंड के (किमी 256 से किमी 286)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	136.49
127.	एनएस-92/जे एंड के (किमी 220 से किमी 286)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	56.32
128.	एनएस-96/जे एंड के (किमी 130 से किमी 151)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	7.34
129.	एनएस-97/जे एंड के (किमी 67 से किमी 39)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	34.76
130.	एनएस-100/जे एंड के (जम्मू से ठधमपुर)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.99
131.	विजयपुर-पठानकोट (एनएस-34/जे एंड के)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	16.20
132.	विजयपुर-पठानकोट (एनएस-35/जे एंड के)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	13.64
133	पठानकोट-जे एंड के सीमा (एनएस-36/जे एंड के)	जारी	जे एंड के	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	17.18
			जे एंड के कुल		**314.87**
134.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-8) (गोरहर-बरवा अड्डा) पैकेज-V-C (किमी 320-398.75)	जारी	झारखंड	जीक्यू (डीके)	27.65
135.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (GTRIP-7) (V-B) (बाराचट्टी-गोरहर)	पूर्ण	झारखंड	जीक्यू (डीके)	19.09
136.	बरवा अड्डा-बाराकर (ADB पैकेज-III)	पूर्ण	झारखंड	जीक्यू (डीके)	0.00
			झारखंड कुल		**46.74**
137.	मीरा बाइपास	पूर्ण	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	0.00
138.	तुमकुर बाइपास	जारी	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	1.60
139.	नीलमंगला-तुमकुर (BOT)	पूर्ण	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	0.29

1	2	3	4	5	6
140.	बेलगाम बाइपास	पूर्ण	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	2.16
141	बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा (पैकेज-IV)	पूर्ण	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	0.00
142	धारवाड़-बेलगाम (KT) रारा 4 पैकेज-III	पूर्ण	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	5.72
143	हुबली-हावेरी	जारी	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	33.59
144.	तुमकुर-हावेरी (तुमकुर-सीरा) पैकेज-I	पूर्ण	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	0.13
145.	तुमकुर-हावेरी (सीार-चित्रदुर्ग) पैकेज-II	जारी	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	60.95
146.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग खंड) पैकेज-III	जारी	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	13.01
147.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग-हरिहर) पैकेज-IV	जारी	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	2.54
148.	तुमकुर-हावेरी (दावनगेरे-हावेरी) पैकेज-V	जारी	कर्नाटक	जीक्यू (एमसी)	1.75
149.	हैदराबाद-बंगलौर (किमी 524-527 और किमी 535-539), रारा-7, कर्नाटक पैकेज-एनएस/10 (कर्नाटक)	पूर्ण	कर्नाटक	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	13.22
150.	हैदराबाद-बंगलौर (किमी 556-539 और किमी 535-527, रारा-7, कर्नाटक) पैकेज-एनएस/24 (Kएनएस)	जारी	कर्नाटक	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	6.38
151.	पत्तन संपर्क पैकेज-V (एनएसईडब्ल्यू मंगलौर)	जारी	कर्नाटक	अन्य	19.66
152	बंगलौर-होकोटे-मुदबगल खंड किमी 237.700 से किमी 318.000, रारा-4	जारी	कर्नाटक	एनएचडीपी-III	29.81
153.	नीलमंगला-हासन (पैकेज-I) किमी 28/200 से किमी 110/000, रारा-48	जारी	कर्नाटक	एनएचडीपी-III	0.31
154.	नीलमंगला-हासन (पैकेज-II) किमी 110/000 से किमी 191/200, रारा-48	जारी	कर्नाटक	एनएचडीपी-III	0.10
155.	नीलमंगला जंक्शन, रारा-4 with रारा-48 से देवीहल्ली	जारी	कर्नाटक	एनएचडीपी-III	0.00
			कर्नाटक कुल		191.21
156.	अलूवा से अंगमाली (किमी 332.60 से किमी 316, रारा-47), केरल, एनएस/28 (KL)	पूर्ण	केरल	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.16

1	2	3	4	5	6
157.	पत्तन संपर्क पैकेज-IV (कोचीन)	जारी	केरल	अन्य	0.00
158.	केरल सीमा से Trihur (किमी 182 से 270), केरल, रारा-47	जारी	केरल	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.08
159.	त्रिहुर-अंगमाली (किमी 270-316.70, रारा-47) KL-1	जारी	केरल	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	91.87
			केरल कुल		92.11
160.	आगरा-ग्वालियर (किमी 60-70), रारा-3, म प्र, पैकेज-एनएस/6 (म प्र)	पूर्ण	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
161.	आगरा-ग्वालियर (किमी 70-85, रारा-3, म प्र) पैकेज-एनएस/20 (म प्र)	पूर्ण	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
162.	आगरा-ग्वालियर (किमी 85-103, रारा-3, म प्र) पैकेज-एनएस/21 (म प्र)	पूर्ण	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
163.	एनएस-1/BOT/म प्र-उत्तर प्रदेश/ग्वालियर-झांसी (किंमी 16-किमी 96.127, रारा-75)	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	79.72
164.	ललितपुर-सागर (किमी 94-132, रारा-26), म प्र/ ADB C-II A/3	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
165.	ललितपुर-सागर (किमी 132-187, रारा-26), म प्र/ ADB C-II A/4	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	8.57
166.	ललितपुर-सागर (किमी 187-211, रारा-26), म प्र/ ADB C-II A/5	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
167.	ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (किमी 211-255, रारा-26), म प्र/ADB C-II A/6	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
168.	ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (किमी 255-297, रारा-26), म प्र/ADB C-II A/7	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	35.74
169.	राजमार्ग चौराहा-लखनडन (किमी 297-351, रारा-26), म प्र/ADB C-II A/8	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	10.15

1	2	3	4	5	6
170.	राजमार्ग चौराहा-लखनडन (किमी 351-405.70, रारा-26), म प्र/ADB C-II A/9	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
171.	लखनडन-म प्र/एमएच सीमा (किमी 544-652, रारा-7), म प्र C-II/C-2	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
172.	लखनडन-म प्र/एमएच सीमा (किमी 547.4-596.75, रारा-7), म प्र एनएस-1/BOT/म प्र-2	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	68.84
173.	लखनडन-म प्र/एमएच सीमा (किमी 596.75-653.225 रारा-7), म प्र एनएस-1/BOT/म प्र-3	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	15.99
174.	शिवपुरी बाइपास-म प्र/राज. सीमा (म प्र-1)	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	67.48
175.	झांसी-शिवपुरी (म प्र-2)	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	52.91
176.	झांसी-शिवपुरी (उत्तर प्रदेश/म प्र-1)	जारी	मध्य प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	36.99
177.	गुना बाइपास (किमी 319.700-किमी 332.100, रारा-3)	जारी	मध्य प्रदेश	एनएचडीपी-III	14.50
178.	इंदौर-खालघाट (किमी 12.600-किमी 84.700, रारा-3)	जारी	मध्य प्रदेश	एनएचडीपी-III	171.97
179.	खालघाट-म प्र/एमएच सीमा	जारी	मध्य प्रदेश	एनएचडीपी-III	0.00
			मध्य प्रदेश कुल		**562.86**
180.	सूरत-मनोर पैकेज III	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (डीएम)	0.00
181.	सूरत-मनोर (निर्माण के दौरान ब्याज)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (डीएम)	0.00
182.	वेस्टरली डाइवर्जन (पुणे बाइपास)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (एमसी)	1.86
183.	पुणे-सतारा (वाथर-सतारा) किमी 760-किमी 725 (P-1)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (एमसी)	1.60
184.	पुणे-सतारा (सरोल-वाथर) किमी 760-किमी 797 (P-2)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (एमसी)	0.00
185	पुणे-सतारा (कटराज-सरोल), 797-किमी 825.5 (P-3)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (एमसी)	8.14
186.	पुणे-सतारा (कटराज बाइपास), Katra पुनर्सरेखण (P-4)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (एमसी)	3.84

1	2	3	4	5	6
187.	सतारा-कर्नाटक सीमा (कागल)	पूर्ण	महाराष्ट्र	जीक्यू (एमसी)	0.21
188.	चिचगुआन-बुटीबोरी-बोरखेडी (किमी 9.20-22.85 और किमी 24.65-36.60, रारा-7) पैकेज-एनएस/7(एमएच)	पूर्ण	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
189.	अमरावती बाइपास, महाराष्ट्र	पूर्ण	महाराष्ट्र	अन्य	0.00
190.	पत्तन संपर्क जेएनपीटी पैकेज-I	पूर्ण	महाराष्ट्र	अन्य	0.00
191.	पत्तन संपर्क जेएनपीटी पैकेज-II	जारी	महाराष्ट्र	अन्य	7.73
192.	बुटीबोरी आरओबी किमी 22.850 से 24.650 (एनएस/29)	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	1.29
193.	बोरखेडी-जाम (किमी 36.60 से किमी 64, रारा-7) एनएस/22/एमएच	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	35.23
194.	म प्र/एमएच सीमा-मनेसर (किमी 652-689, रारा-7), महाराष्ट्र C-II/C-3	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
195.	मनेसर-नागपुर और कंपटी कानून बाइपास (किमी 689-723, रारा-7) C-II/C-4	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.11
196.	नागपुर बाइपास	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.37
197.	नागपुर-हैदराबाद (किमी 64-94, रारा-7) एनएस-59/एमएच	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	14.02
198.	नागपुर-हैदराबाद (किमी 94-123, रारा-7) एनएस-60/एमएच	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	7.90
199.	नागपुर-हैदराबाद (किमी 123-153, रारा-7) एनएस-61/एमएच	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	14.21
200.	नागपुर-हैदराबाद (किमी 153-175, रारा-7) एनएस-62/एमएच	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	5.88
201.	एनएसईडब्ल्यू-प्राथमिकता (श्रीनगर-नागपुर)	जारी	महाराष्ट्र	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	1.72
202.	वडापे-गोंडे	जारी	महाराष्ट्र	एनएचडीपी-III	190.00

1	2	3	4	5	6
203.	पिंपलगांव-धुले	जारी	महाराष्ट्र	एनएचडीपी-III	235.00
204.	पुणे-खेड (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)	जारी	महाराष्ट्र	एनएचडीपी-III	0.00
205.	कोंधाली-तेलेगांव	जारी	महाराष्ट्र	एनएचडीपी-III	213.77
206.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगापुल	जारी	महाराष्ट्र	एनएचडीपी-III	33.03
207.	नागपुर-कोंधाली	जारी	महाराष्ट्र	एनएचडीपी-III	126.14
			महाराष्ट्र कुल		902.05
208.	पुल बालासोर-खड़गपुर OR-पश्चिम बंगाल-I	पूर्ण	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	0.16
209.	भुवनेश्वर-खुर्दा OR-I	जारी	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	6.66
210.	चंडीखोल I-भद्रक OR-II	पूर्ण	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	1.65
211.	भद्रक-बालासोर OR-III	जारी	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	9.75
212.	बालासोर-लक्ष्मणनाथ OR-IV	पूर्ण	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	12.27
213.	चंडीखोल I-बालासोर (पुल) OR-V	जारी	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	7.18
214.	सुनखला-खुर्दा OR-VI किमी 338-388	पूर्ण	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	2.34
215.	गंजम-सुनखला OR-VII किमी 284-338	जारी	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	4.06
216.	इच्छापुरम-गंजम OR-VIII किमी 233-284	जारी	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	8.23
217.	जगतपुर-चंडीखोल (IDP-100)	पूर्ण	उड़ीसा	जीक्यू (सीके)	1.73
218.	पत्तन संपर्क पैकेज-VI (पारादीप पत्तन)	जारी	उड़ीसा	अन्य	85.15
			उड़ीसा कुल		139.18
219.	जालंधर बाइपास (किमी 372.70-387.10), रारा-1, पंजाब, पैकेज-एनएस/1 (PB)	पूर्ण	पंजाब	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.03
220.	जालंधर-पठानकोट (किमी 4.23-26, रारा-1A, पंजाब), पैकेज-एनएस/16 (PB)	पूर्ण	पंजाब	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.18
221.	पठानकोट-भोगपुर (एनएस-37/PB)	जारी	पंजाब	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	24.91

1	2	3	4	5	6
222.	पठानकोट-भोगपुर (एनएस-38/PB)	जारी	पंजाब	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	9.53
223.	अंबाला-चंडीगढ़ (जीरकपुर)	जारी	पंजाब	एनएचडीपी-III	251.46
224.	जालंधर-अमृतसर	जारी	पंजाब	एनएचडीपी-III	79.00
225.	कुराली-कीरतपुर	जारी	पंजाब	एनएचडीपी-III	36.05
226.	अमृतसर-वाघा सीमा खंड, रारा-1 किमी 455.400 से किमी 491.620	जारी	पंजाब	एनएचडीपी-III	0.00
			पंजाब कुल		401.16
227.	जयपुर-किशनगढ़	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.00
228.	आरओबी किशनगढ़	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.00
229.	जयपुर बाइपास (चरण-I) जोन-C	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.00
230.	जयपुर बाइपास, चरण-II, जोन-D (आरएसआर डीसीसी के लिए भुगतान और टॉल प्लाजा के निर्माण सहित)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.00
231.	किशनगढ़-नसीराबाद (KU-I)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.24
232.	नसीराबाद-गुलाबपुरा (KU-II)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.32
233.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपास (KU-III)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	1.19
234.	भीलवाड़ा बाइपास से चित्तौड़गढ़ (KU-IV)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.66
235.	किशनगढ़-उदयपुर (चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़) पैकेज (KU-V)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.00
236.	किशनगढ़-उदयपुर (मंगलवाड़-उदयपुर) किमी 172-किमी 113.825 पैकेज (KU-VI)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.21
237.	चित्तौड़गढ़ बाइपास	जारी	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	51.48
238.	उदयपुर-रतनपुर-खिलोडा (उदयपुर-केसरियाजी) किमी 278-किमी 340, रारा-8 UG-I	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.03
239.	उदयपुर-रतनपुर-खिलोडा (केसरियाजी-रतनपुर) किमी 340-किमी 388.4 UG-II	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.03

1	2	3	4	5	6
240.	गुड़गांव कोटपुतली (ADB पैकेज-I)	पूर्ण	राजस्थान	जीक्यू (डीएम)	0.43
241.	आगरा-धौलपुर (किमी 41-51), रारा-3, राजस्थान, पैकेज-एनएस/5 (राज.)	पूर्ण	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
242.	4-लेन (किमी 24-41), उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पैकेज.-एनएस/19 (उत्तर प्रदेश/राज.)	पूर्ण	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
243.	पिंडवाड़ा-पालनपुर (किमी 264.00-340.00, रारा 14)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	32.21
244.	4 लेन किमी 51.00 से किमी 61.00, रारा-3 (चंबल पुल सहित)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
245.	पिंडवाड़ा-बाकरिया (राज.-1)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	45.44
246.	बाकरिया-गोगुंडा (राज.-2)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	92.36
247.	गोगुंडा-उदयपुर (राज.-3)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	84.62
248.	कोटा बाइपास (राज.-4)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	20.90
249.	चंबल पुल (राज.-5)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	29.21
250.	चितौड़गढ़ बाइपास (राज.-6)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	87.92
251.	कोटा-चित्तौड़गढ़ (राज.-7)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	155.12
252.	कोटा-चित्तौड़गढ़ (राज.-8)	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	135.27
253.	राज./म प्र सीमा-कोटा (राज.-9) किमी 406 से किमी 449	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	24.47

1	2	3	4	5	6
254.	राज./म प्र सीमा-कोटा (राज.-10) किमी 449 से किमी 509	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	33.80
255.	राज./म प्र सीमा-कोटा (राज.-11) किमी 509 से किमी 579	जारी	राजस्थान	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	50.98
256.	महुआ-जयपुर	जारी	राजस्थान	,u,pMhih&III	193.98
257.	भरतपुर-महुआ	जारी	राजस्थान	एनएचडीपी-III	75.68
			राजस्थान कुल		1116.55
258.	होसूर-कृष्णागिरि	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (एमसी)	0.00
259.	कृष्णागिरि-वनियामबाड़ी, पैकेज KR-1	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (एमसी)	0.00
260.	वनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा (किमी 49-100) पैकेज-KR-2	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (एमसी)	0.00
261.	पल्लीकोंडा-रानीपेट (किमी 100-145) पैकेज KR-3	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (एमसी)	0.00
262.	पूनामाली-कांचीपुरम (किमी 70.20-13.80) पैकेज RC-1	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (एमसी)	17.52
263.	वालेजापेट-कांचीपुरम (किमी 70.2-106.20, रारा-46) पैकेज RC-2	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (एमसी)	2.37
264.	चेन्नै-टाडा	पूर्ण	तमिलनाडु	जीक्यू (सीके)	2.54
265.	हाथीपल्ली-होसूर (किमी 33.015-48.60), रारा-7 टीएन, पैकेज-एनएस/11 (तमिलनाडु)	पूर्ण	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
266.	सलेम बाइपास (किमी 199.20-207.60, रारा-7) एनएस/12 (तमिलनाडु)	पूर्ण	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
267.	थोपुरघाट खंड (किमी 156-163.40, रारा-7) एनएस/14 (तमिलनाडु)	पूर्ण	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
268.	करूर आरओबी, तमिलनाडु	पूर्ण	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
269.	करूर बाइपास एवं अमरावती नदी पर पुल, तमिलनाडु	पूर्ण	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00

1	2	3	4	5	6
270.	थुम्पापाड़ी-सलेम (किमी 180 से किमी 199.20, रारा-7) एनएस/26 (तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	7.30
271.	एनएस एमाक्कल बाइपास (किमी 248-किमी 259.6, रारा-7) एनएस/27 (तमिलनाडु)	पूर्ण	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
272.	चेन्नै बाइपास चरण-I	पूर्ण	तमिलनाडु	अन्य	0.12
273.	ताम्बरम-टिंडीवनम (BOT/A एनएसएनएसUITY) किमी 67 से किमी 122	पूर्ण	तमिलनाडु	अन्य	0.40
274.	पत्तन संपर्क पैकेज-VII (तूतीकोरिन)	जारी	तमिलनाडु	अन्य	0.00
275.	पत्तन संपर्क (चेन्नै-इन्नौर पत्तन)	जारी	तमिलनाडु	अन्य	2.49
276.	चेन्नै इन्नोर एक्सप्रैसमार्ग इनर रिंग रोड रोड मनाली तेल रिफाइनरी सड़क संपर्क से महापत्तन (चरण-II)	जारी	तमिलनाडु	अन्य	0.00
277.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड, रारा-7, तमिलनाडु, (एनएस-32/तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
278.	ओमालूर-थुम्पापाड़ी (किमी 163.40 से किमी 180, रारा-7) एनएस/25 (तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	13.49
279.	मदुरै-तिरूनेलवेली और मदुरै बाइपास (एनएस-39/तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	96.31
280.	मदुरै-कन्याकुमारी (एनएस-40/तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	65.02
281.	मदुरै-कन्याकुमारी (एनएस-41/तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	52.80
282.	मदुरै-कन्याकुमारी (एनएस-42/तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	82.22
283.	मदुरै-पानागुढ़ी-तिरूनेलवेली (एनएस-43/तमिलनाडु)	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	61.03
284.	कृष्णागिरी-थोपुरघाट (किमी 94-156, रारा-7) तमिलनाडु-1	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	187.40

1	2	3	4	5	6
285.	सलेम-करूर (त्रिची-करूर) (किमी 207.05-248.62, रारा-7) तमिलनाडु-2	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	97.71
286.	सलेम-करूर (नमक्कल-करूर) (किमी 258.65-292.60, रारा-7) तमिलनाडु-3	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	16.44
287.	करूर-मुदैरे (करूर-डिंडीगुल) (किमी 292.60-373.725, रारा-7) तमिलनाडु-4	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	6.18
288.	करूर-मुदैरे (डिंडीगुल-समयानलूर) (किमी 373.27-426.60, रारा-7) तमिलनाडु-5	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	30.69
289.	सलेम-केरल सीमा (किमी 0-53, रारा-47) तमिलनाडु-6	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	55.62
290.	सलेम-केरल सीमा (किमी 53-100, रारा-47) तमिलनाडु-7	जारी	तमिलनाडु	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	76.90
291.	चेन्नै बाइपास चरण-II	जारी	तमिलनाडु	अन्य	126.25
292.	त्रिची बाइपास-तोवारामकुरची (पैकेज-VII-A)	जारी	तमिलनाडु	अन्य	70.76
293.	तोवारामकुरची-मदुरै (पैकेज-VII-B)	जारी	तमिलनाडु	अन्य	71.89
294.	टिंडीवनम-उलुन्दूपेट (पैकेज-VI A) किमी 21-किमी 192.25	जारी	तमिलनाडु	अन्य	240.17
295.	उलुन्दूपेट-पडलूर (पैकेज-VI B) किमी 192.25-किमी 285	जारी	तमिलनाडु	अन्य	199.21
296.	पडलूर-त्रिची (पैकेज-VI C) किमी 285-किमी 325	जारी	तमिलनाडु	अन्य	150.14
297.	मदुरै-अरूपुकोटटई-तूतीकोरिन (किमी 138.8-किमी 264.5) तमिलनाडु-14	जारी	तमिलनाडु	एनएचडीपी-III	115.30
298.	4 लेन किमी 80.000 से किमी 135.750, तंजावुर-त्रिची खंड, रारा-67 तमिलनाडु	जारी	तमिलनाडु	एनएचडीपी-III	106.02
299.	त्रिची-करूर, रारा-67	जारी	तमिलनाडु	एनएचडीपी-III	0.00
300.	त्रिची-डिंडीगुल, रारा-45	जारी	तमिलनाडु	एनएचडीपी-III	0.49
301.	पांडिचेरी-टिंडीवनम, रारा-66	जारी	तमिलनाडु	एनएचडीपी-III	2.54

1	2	3	4	5	6
302.	सलेम-उलून्दूपेट (BOT-1/तमिलनाडु-06 किमी 0.313 से किमी 136.670, रारा-68	जारी	तमिलनाडु	एनएचडीपी-III	0.00
			तमिलनाडु कुल		1955.32
303.	सिकंदरा-भोंटी (टीएनएचपी-1) पैकेज II-A	पूर्ण	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	7.39
304.	फतेहपुर-खागा टीएनएचपी-2) पैकेज II-C, किमी 38-115, रारा 2, उत्तर प्रदेश	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	42.96
305.	खागा-कोखराज (टीएनएचपी-3) पैकेज III-A (उत्तर प्रदेश)	पूर्ण	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	2.04
306.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी-4) पैकेज III-C	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	11.66
307.	आगरा-शिकोहाबाद (GTRIP-1) पैकेज-I-A (किमी 199.66-250.50)	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	14.95
308.	शिकोहाबाद-इटावा (GTRIP-2) पैकेज-I-B (किमी 250.50-307.50)	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	73.32
309.	इटावा-राजपुर (GTRIP-3) पैकेज-I-C (किमी 321.10-393)	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	43.13
310.	भोंटी-फतेहपुर (GTRIP-4) पैकेज-II-B	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	56.95
311.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज-ABP-I) (किमी 163.28-164.30 रारा-2) (गंगा पुल)	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	17.54
312.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज-ABP-II) (किमी 158-198, रारा-2)	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	96.75
313.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज-ABP-III) (किमी 198-242.708, रारा-2)	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	107.66
314.	वाराणसी-मोहनिया (GTRIP-5) पैकेज IV-A	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	1.01
315.	इटावा बाइपास, रारा 2 किमी 307.5 से 321.100	जारी	उत्तर प्रदेश	जीक्यू (डीके)	41.56
316.	आगरा-ग्वालियर (किमी 8-24), रारा-3, उत्तर प्रदेश, पैकेज-एनएस/4 (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	0.00
317.	लखनऊ-कानपुर (किमी 11.38-21.80, रारा-25 उत्तर प्रदेश) पैकेज-ईडब्ल्यू/4 (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00

1	2	3	4	5	6
318.	लखनऊ-कानपुर (किमी 59.50-75.50, रारा-25 उत्तर प्रदेश) पैकेज-ईडब्ल्यू/3 (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
319.	लखनऊ-कानपुर (किमी 59.50-75.50, रारा-25 उत्तर प्रदेश) पैकेज-ईडब्ल्यू/3A (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	8.06
320.	लखनऊ-कानपुर (किमी 21.80-44, रारा-25 उत्तर प्रदेश) पैकेज-ईडब्ल्यू/8 (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	3.27
321.	लखनऊ-कानपुर (किमी 44-59.50), रारा-25 उत्तर प्रदेश पैकेज-ईडब्ल्यू/9 (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.01
322.	लखनऊ बाइपास जोड़ते हुए रारा-25 और रारा-28 वाया रारा-56, उत्तर प्रदेश पैकेज-ईडब्ल्यू/15 (उत्तर प्रदेश)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	9.13
323.	ननी के समीप युमना पर केबल आधारित पुल (नैनी पुल इलाहाबाद)	पूर्ण	उत्तर प्रदेश	अन्य	0.00
324.	गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बाइपास	पूर्ण	उत्तर प्रदेश	अन्य	0.00
325.	एमटीआरसीएल (मुरादाबाद बाइपास)	पूर्ण	उत्तर प्रदेश	अन्य	0.00
326.	गोरखपुर बाइपास (किमी 251.70-279.80)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	137.06
327.	एनएस-1/BOT/म प्र-1/ग्वालियर बाइपास (किमी 103, रारा-3 से किमी 16, रारा-75	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	15.96
328.	झांसी-ललितपुर (किमी 0-49.79, रारा-25,26) उत्तर प्रदेश एनएस-1/BOT उत्तर प्रदेश-2	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	82.03
329.	झांसी-ललितपुर (किमी 49.79-99.00, रारा-26), उत्तर प्रदेश एनएस-1/BOT उत्तर प्रदेश-3	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (एनएस)	74.50
330.	लखनऊ-अयोध्या (किमी 8.25 से 45, रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-I	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	62.94
331.	लखनऊ-अयोध्या (किमी 45 से 93, रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-II	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	63.60
332.	लखनऊ-अयोध्या (किमी 93 से 135, रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-III	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	76.47

1	2	3	4	5	6
333.	अयोध्या-गोरखपुर (किमी 135 से 164, रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-IV	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	60.35
334.	अयोध्या-गोरखपुर (किमी 164 से 208, रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-V	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	12.36
335.	अयोध्या-गोरखपुर (किमी 208-251.70 रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-VI	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	61.80
336.	गोरखपुर-कसिया (किमी 279.80-319.80, रारा-28, उत्तर प्रदेश) पैकेज-VII	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	73.99
337.	कसिया-बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा (किमी 319.80 से 360.91, रारा-28 उत्तर प्रदेश) पैकेज-VIII	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	45.51
338.	एनएसईडब्ल्यू 4 का नया आगरा बाइपास संपर्क किमी 176.80, रारा-2 से किमी 13.03, रारा-3	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	7.10
339.	झांसी बाइपास (उत्तर प्रदेश-3)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	24.37
340.	ओरई-झांसी (उत्तर प्रदेश-4)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	67.56
341.	ओरई-झांसी (उत्तर प्रदेश-5)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	16.48
342.	बारा-ओरई (किमी 449 से किमी 422, रारा-2, और किमी 255 से 220)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	8.91
343.	गंगा पुल-रमा देवी क्रासिंग (उत्तर प्रदेश-6) (ईडब्ल्यू/6)	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	4.83
344.	गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल (किमी 261-263, रारा-28), उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यू-II (उत्तर प्रदेश-I)	जारी	उत्तर प्रदेश	अन्य	2.44
345.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर (किमी 58-93, रारा-24) पैकेज-I	जारी	उत्तर प्रदेश	अन्य	14.09
346.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद (किमी 93-149.25, रारा-24) पैकेज-II	जारी	उत्तर प्रदेश	अन्य	12.35
347.	मेरठ-मुजफ्फरनगर	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएचडीपी-III	173.87

1	2	3	4	5	6
348.	आगरा-भरतपुर (जयपुर) उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएचडीपी-III	98.32
349.	सीतापुर-लखनऊ	जारी	उत्तर प्रदेश	एनएचडीपी-III	50.00
			उत्तर प्रदेश कुल		1784.79
350.	दनकुनी-कोलाघाट पश्चिम बंगाल-I	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (सीके)	11.20
351.	कोलाघाट-खड़गपुर रारा-6 पश्चिम बंगाल-II	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (सीके)	0.00
352.	दनकुनी-खड़गपुर पश्चिम बंगाल-III (पुल) (किमी 17.6136, रारा-6)	जारी	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (सीके)	0.00
353.	लक्ष्मणनाथ-खड़गपुर पश्चिम बंगाल-IV	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (सीके)	0.76
354.	पानागढ़-पालसित	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (डीके)	0.00
355.	पालसित-दनकुनी दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (डीके)	0.00
356.	रानीगंज-पानागढ़ (ADB पैकेज-II)	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (डीके)	0.00
357.	विवेकानंद पुल (2एनएसd)	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	जीक्यू (डीके)	86.21
358.	डलखोला-इस्लामपुर (किमी. 447-470, रारा-31 पश्चिम बंगाल) पैकेज-ईडब्ल्यू/5 पश्चिम बंगाल)	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.24
359.	डलखोला-इस्लामपुर (किमी. 476.15-500, रारा-31 पश्चिम बंगाल) पैकेज-ईडब्ल्यू/6 (पश्चिम बंगाल)	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.24
360.	पत्तन संपर्क पैकेज-III (कोलकाता-हल्दिया)	जारी	पश्चिम बंगाल	अन्य	0.00
361.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा-गैरकाटा (किमी 255-223, रारा-31C) पश्चिम बंगाल-1	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	45.98
362.	सिलीगुड़ी-इस्लामपुर (किमी 551-526, रारा-31) पश्चिम बंगाल-6	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	72.64
363.	सिलीगुड़ी-इस्लामपुर (किमी 526-500, रारा-31) पश्चिम बंगाल-7	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	16.08
364.	सिलीगुड़ी-इस्लामपुर (किमी 551-580, रारा-31)	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00

1	2	3	4	5	6
365.	गैरकाटा-सिलीगुड़ी (किमी 580-603, रारा-31)	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
366.	गैरकाटा-सिलीगुड़ी (किमी 603-623, रारा-31)	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
367	गैरकाटा-सिलीगुड़ी (किमी 105-115, रारा-31C और किमी 623-634, रारा-31)	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
368.	गैरकाटा-सिलीगुड़ी (किमी 115-145, रारा-31C	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
369.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा-गैरकाटा (किमी 145-171, रारा-31C	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
370.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा-गैरकाटा (किमी 171-195, रारा-31C	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
371.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा-गैरकाटा (किमी 195-223, रारा-31C	जारी	पश्चिम बंगाल	एनएसईडब्ल्यू (ईडब्ल्यू)	0.00
			पश्चिम बंगाल कुल		233.35
			कुल जोड़		10849.89

[हिन्दी]

सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में भ्रष्टाचार

*25. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के अवैध खनन/तस्करी/चोरी के राज्य-वार कितने मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए; और

(घ) ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के दो स्तरों के अधिकारियों के व्यक्तिश: मामलों पर सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से परामर्श लिया जाता है, जिसमें सीवीसी की जाने वाली कार्रवाई और दिए जाने वाले दंड के बारे में सलाह देता है। इसके अलावा, सतर्कता प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में

सीवीसी तथा मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के बीच आवधिक विचार-विमर्श किए जाते हैं।

(ग) जैसाकि कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध खनन/तस्करी/उठाईगिरी का कोई मामला सीबीआई को सौंपा नहीं गया। तथापि, मंत्रालय से वर्ष 2005-06 के दौरान एक मामला और वर्ष 2007-08 के दौरान दो मामले सीबीआई को सौंपे गए।

(घ) अवैध खनन/तस्करी/उठाईगिरी के मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) भारत सरकार की पहल पर, अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों और कोयला कंपनियों को शामिल करके संयुक्त कार्रवाई समितियां गठित की गई है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में राज्य और जिला स्तरों पर कार्यबल गठित किया गया है जो नियमित आधार पर कार्रवाई की समीक्षा करता है।

(ii) इसके अतिरिक्त, कोयला कंपनियां रेट होलों को बंद करने, खाईयां खोदने, कंक्रीट दीवारें खड़ी करने, तारबाड़ लगाने, ओवरबर्डन डम्प करने, सुरक्षा बल की तैनाती तथा क्षेत्रों में सघन गश्त करने आदि जैसे निवारणात्मक उपाय भी कर रही है।

(iii) कोयले के अवैध खनन की समस्या का निदान करने के लिए कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(iv) उठाईगिरी की रोकथाम करने तथा कोयला बरामद करने के लिए राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के साथ निकट सम्पर्क।

(v) अवैध कोयला डिपुओं और कोयले की अवैध ढुलाई के बारे में आसूचना रिपोर्टें एकत्र करना तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए उसके बारे में जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(vi) खान और कोयला भंडार बिन्दुओं से जुड़े सभी प्रवेश द्वारों/निकास द्वारों पर चेकपोस्ट और अवरोध स्थापित किए जाते हैं तथा सुरक्षा कार्मियों द्वारा निगरानी की जाती है।

(vii) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए लदान बिन्दुओं पर सुरक्षा चेकपोस्ट की स्थापना करना।

(viii) निगरानी-टावरों का निर्माण तथा कोयला भंडारन क्षेत्र के चारों ओर प्रकाश की व्यवस्था करना।

(ix) रात्रि के दौरान सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती सहित स्थायी सुरक्षा करना।

(x) सशस्त्र गार्डों द्वारा रेलवे तोलसेतुओं तक लदे हुए रेकों की अभिरक्षा करना तथा उन रेलवे लाइनों जहां वैगन के लूटे जाने की संभावना है, में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ संयुक्त रूप से गश्त लगाना।

(xi) चोरी अथवा उठाईगिरी में पकड़े गए परिवहन वाहनों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई।

(xii) कोयले की चोरी में पकड़े गए व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।

(xii) प्रबंधन और अधिकारियों द्वारा तोलसेतुओं, लदान बिन्दुओं, अवरोधों पर समय-समय पर औचक जांच करना।

(xiv) महिलाओं और बच्चों को कोयले की चोरी/उठाईगिरी में लिप्त होने से रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्डों की तैनाती करना।

[अनुवाद]

पत्तनों की माल ढुलाई क्षमता का विस्तार

*26. प्रो. एम. रामदास :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल ढुलाई की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रमुख पत्तन पर इस समय उपलब्ध वास्तविक ढुलाई क्षमता की तुलना में आवश्यक माल ढुलाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रमुख पत्तनों की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा पत्तन-वार कितनी धनराशि निवेश की जाएगी; और

(घ) इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष, 2006-07 के अंत तक, सभी महापत्तनों की अनुमानित क्षमता, 504.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी जब कि महापत्तनों द्वारा वर्ष, 2006-07 में कुल 463.78 मिलियन टन यातायात संभाला गया।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष, 2011-12 तक की अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु पत्तनों में समग्र कार्य-कलापों से युक्त कुल 276 परियोजनाएं चुन ली गई हैं। इन परियोजनाओं में नए घाटों का निर्माण, मौजूदा घाटों का विस्तार, पत्तन-जलमार्गों को गहरा किया जाना, कार्गो संभालने के उपस्करों की खरीद/आधुनिकीकरण, रेल और सड़क से संपर्क तथा अन्य संबद्ध परियोजनाएं। उपर्युक्त का उद्देश्य पत्तन-सुविधाएं मुहैया करवाने का है जो कि वैश्विक स्तरीय हों।

11वीं पंचवर्षीय योजना में यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक अर्थात् वर्ष, 2011-12 तक महापत्तन, 708.09 मिलियन टन का यातायात संभालेंगे। वर्ष, 2011-12 तक महापत्तनों की क्षमता को बढ़ाकर 1016.55 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की योजना बनाई गई है। पत्तन-वार ब्योरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए है।

11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान महापत्तनों के लिए गैर सरकारी निवेश सहित निधियों की समग्र आवश्यकता 54419.48 करोड़ रुपए अनुमानित है। पत्तन-वार ब्योरे संलग्न विवरण-2 में दिए गये है।

(घ) भारत सरकार ने बोली प्रक्रिया में एकरूपता लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा गैर सरकारी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल रियायत करार को अंतिम रूप दे दिया है। महापत्तनों में सरकारी गैर सरकारी भागीदारी की परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशुल्क संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी जारी कर दिया गया है, जिनसे गैर सरकारी प्रचालकों को पी पी पी परियोजनाओं को बोली द्वारा दिए जाने से पहले प्रशुल्क दरों को निश्चित किए जाने में सक्षमता आएगी।

विवरण-I

क्रम सं.	पत्तन का नाम	वर्ष, 2011-12 तक यातायात का अनुमान (मिलियन टन में)	वर्ष, 2011-12 तक अनुमानित क्षमता (मिलियन टन में)
1.	कोलकाता	57.93	96.95
2.	पारादीप	76.40	111.00
3.	विशाखापट्टणम	82.20	109.90
4.	एन्नोर	47.00	64.20
5.	चेन्नई	57.50	73.50
6.	तूतीकोरिन	31.72	63.98
7.	कोचीन	38.17	55.55
8.	नवमंगलूर	48.81	63.80
9.	मुरगांव	44.55	67.46
10.	जेएनपीटी	66.04	95.60
11.	मुंबई	71.05	92.81
12.	कांडला	86.72	120.10
	कुल	708.09	1016.55

विवरण-II

क्रम सं.	पत्तन का नाम	सरकारी बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) (करोड़ रु. में)	आंतरिक संसाधन (करोड़ रु. मे)	अतिरिक्त बजटीय संसाधन और अन्य (करोड़ रु. में)	निजी क्षेत्र (करोड़ रु.)
1.	कोलकाता	374.96	539.53	7.50	3138.07
2.	पारादीप	85.05	1122.76	0.00	1362.60
3.	विशाखापट्टनम	–	1396.14	0.00	1625.00
4.	एन्नोर	217.74	60.00	950.00	5300.00
5.	चेन्नई	–	1143.79	111.00	833.50
6.	तूतीकोरिन	789.98	437.54	220.68	5115.08
7.	कोचीन	541.62	668.35	90.00	6282.00
8.	नवमंगलूर	–	814.00	195.00	4952.00
9.	मुरगांव	47.63	313.33	60.00	731.00
10.	जेएनपीटी	–	4464.62	0.00	3453.00
11.	मुंबई	–	1724.04	0.00	1084.44
12.	कांडला	–	1175.98	0.00	2991.55
	कुल	2056.98	13860.08	1634.18	36868.24

[हिन्दी]

दुर्लभ/मूल्यवान वृक्षों की अवैध रूप से कटाई और उनकी तस्करी

***27. श्री बापू हरी चौरे :**
श्री संजय धोत्रे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंदन और टीक जैसे दुर्लभ और मूल्यवान वृक्षों की बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कटाई और उनकी तस्करी किए जाने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जैसाकि देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन वृक्षों की अवैध रूप से कटाई और उनकी तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे वृक्षों की अवैध रूप से कटाई और उनकी तस्करी को रोकने के लिए एक कृतक बल का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) देश के विभिन्न भागों से चंदन की लकड़ी और टीक जैसे दुर्लभ और मूल्यावान वृक्षों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई और तस्करी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथापि अवैध कटाई और तस्करी की घटनाएं होती रहती है और इस संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वनों की सुरक्षा और प्रबंधन मुख्यत: राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार और राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 और उनके नियम, दिशानिर्देश विभिन्न राज्य अधिनियम और उनके नियम, जैसे विधिक उपाय।

- प्रबंध उपाय जैसे अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार वनों की कार्य प्रणाली, वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना।

- केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने जैसे वित्तीय उपाय। केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित वन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मुख्यत: अवैध कटाई, दावानल, अतिक्रमण आदि से वनों की सुरक्षा हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए धन प्रदान किया जाता है।

- क्षेत्र की गश्त लगाना।

- जांच चौकियों और अवरोधों का निर्माण।

- वन उत्पादों के संचलन के लिए पारगमन आज्ञापत्र का मेकेनिज्म।

- नियमित निरीक्षण के लिए उड़न दस्ते, चल सुरक्षा इकाइयां और सतर्कता दल।

- वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन।

- संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन के माध्यम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी।

- अतंर-राज्य सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीमा राज्यों के अधिकारियों की बैठकें।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित सरकारों और राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त सूचना पर आधारित साल और/अथवा टीक वृक्षों, चन्दन वृक्षों और रेड सेंडर्स की अवैध कटाई के मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

तीन वर्षों यथा 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में की गई अवैध कटाई के साल और/टीक से संबंधित ब्यौरे:

क्रम सं.	राज्य	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8208.89 क्यूबिक मीटर (वाल्यूम)	1633.98
2.	असम	5022*	311.62*
3.	बिहार	एन ए	एन ए
4	छत्तीसगढ़	58380	1287.81
5.	गुजरात	13586	1360.74
6.	हरियाणा	10 पेड़	0.18
7.	हिमाचल प्रदेश	407	4.96
8	झारखंड	एन ए	एन ए

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	6184	513.76
10.	केरल	प्रजातिवार पृथक रिकार्ड नहीं रखा गया है	
11.	मध्य प्रदेश**	157886	एन ए
12.	महाराष्ट्र	268088	2251.12
13.	मेघालय	864.78 क्यूबिक मीटर (वाल्यूम)	27.57
14.	उड़ीसा	1,32,602	1147.07
15.	राजस्थान	प्रजातिवार पृथक रिकार्ड नहीं रखा गया है	
16.	तमिलनाडु	255	14.51
17.	उत्तर प्रदेश	एन ए	एन ए
18.	उत्तराखंड	1744 पेड़	59.73
19.	पश्चिम बंगाल	19218	1594.08

*गैर टीक और गैर-साल किस्मों के आंकड़े शामिल हैं साथ ही अलग-अलग किस्मों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

**2005, 2006, 2007 से संबंधित आंकड़े

एन ए—उपलब्ध नहीं।

बड़े पैमाने पर चंदन उगाने वाले राज्यों में चंदन वृक्षों की तस्करी/अवैध कटाई का ब्यौरा।

केरल—पिछले तीन वर्षों यथा 2005, 2006 और 2007 के दौरान कुल 2666 वृक्ष अवैध रूप से काटे गए।

कर्नाटक—पिछले तीन वर्षों के दौरान 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में चंदन की लकड़ी की तस्करी के कुल 881 मामलों की सूचना मिली है जिसमें 35,299 किलो चंदन की लकड़ी की मात्रा शामिल है।

महाराष्ट्र — पिछले तीन वर्षों के दौरान 1404 वृक्षों की अवैध कटाई की सूचना मिली है।

तमिलनाडु — पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान चंदन की लकड़ी की तस्करी के 253 मामलों की सूचना मिली हैं, जिनमें 20.739 टन चंदन की लकड़ी शामिल है।

रेड सैंडर्स (टेरोकरप्स सैंटालिनस) से संबंधित सूचना : निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा रेड सैंडर्स के अवैध निर्यात के दर्ज कराए गए मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	वर्ष	जब्त की गई मात्रा (एम.टी.)
1.	2005-06	479.622
2.	2006-07	359.525
3.	2007-08	451.46

वर्ष 2006-07 के दौरान चंदन की लकड़ी की 3 खेपों का आयात किए जाने से संबंधित मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में 1776.60 लाख रुपए मूल्य की 177.660 मीटरिक टन चंदन की लकड़ी जब्त की गई।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन के संबंध में बाली सम्मेलन

*28. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के भागीदारों का सम्मेलन हाल ही में बाली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का भारत पर क्या असर पड़ने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन

के पक्षकारों का तेरहवां सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकाल के पक्षकारों की तीसरी बैठक दिसम्बर, 2007 में बाली में आयोजित की गई थी।बाली सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष में 'बाली कार्य योजना' नामक एक व्यापक प्रक्रिया को शुरू करना था जो अभी वर्ष 2012 तक और तत्पश्चात दीर्घ आवधिक सहयोगी कार्य के माध्यम से यूएनएफसीसीसी के पूर्ण प्रभावी और सतत कार्यान्वयन में सक्षम होगी। आशा है कि दिसम्बर, 2009 में होने वाले पक्षकारों के पन्द्रहवें सम्मेलन में बाली कार्य योजना के संबंध में सहमत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उस निर्णय का अनुपालन किया जाएगा।

बाली में पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य कर रहे पक्षकारों के सम्मेलन ने भी क्योटो प्रोटोकाल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं विकसित देशों की अगली वचनबद्धता पर तदर्थ कार्यदल ग्रुप (2012 से आगे) ने अपना कार्य पूरा करने के लिए और एनेक्स 1 पक्षकारों (विकसित देशों) की परिमाणन उत्सर्जन सीमा और कमी करने की वचनबद्धता पर उसकी सिफारिशों के लिए और पक्षकारों के पन्द्रहवें सम्मेलन में उन पर निर्णय के लिए प्रस्तुत करने के लिए 2009 की अंतिम समयसीमा निश्चित की गई है।

बाली में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी सहमति हुई। इनमें जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए विकासशील देशों को सहायता मुहैया कराने हेतु अनुकूलन निधि का प्रचालन; स्वच्छ विकास तंत्र को और आगे क्रियान्वित करने और सुधारने के लिए मार्गदर्शन पर समझौता; विकासशील देशों में वन विनाश और वन अवक्रमण से उत्सर्जन कम करने से संबंधित मुद्दों और संरक्षण की भूमिका वनों का सतत प्रबंधन और विकासशील देशों में वन कार्बन भण्डार में बढ़ोत्तरी के लिए नीति दृष्टिकोण और सकारात्मक प्रोत्साहन; निम्न कार्बन प्रौद्योगिकीयों की गम्यता और अन्तरण के समर्थन के लिए लाइसेंस और जानकारी सहित 'प्रौद्योगिकीयों का अन्तरण' शामिल है।

आशा है कि बाली में लिए गए निर्णयों से यूएनएफसीसीसी के कार्यान्वयन में उन्नयन होगा और जिम्मेदार देश होने के नाते, भारत इन वार्ताओं में रचनात्मक रूप से काम करेगा।

पुराने असंचारी रोग

*29. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित एक लेख के निष्कर्षों के अनुसार अगले दशक में पुराने असंचारी रोगों (सी.एन. सी.डी.) पर भारत को 237 बिलियन डालर खर्च करने पड़ेंगे जैसाकि दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पुराने असंचारी रोगों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) जैसा कि दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के टाइम्स ऑफ इंडिया में सूचित किया गया है कि अगले दशक में चिरकालिक गैर-संचारी रोगों पर भारत को 237 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अखबार में छपी यह रिपोर्ट 'नेचर' नामक विज्ञान पत्रिका में छपे एक लेख पर आधारित है। इसके लेखक ने ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट अर्थात् ''प्रीवेन्टिंग क्रोनिक डिजीजिज: ए वाइटल इन्वेस्टमेंट: डब्ल्यूएचओ ग्लोबल रिपोर्ट, 2005'' से उद्धृत किए हैं।

भारत सरकार ने मधुमेह, कार्डियोवेस्कुलर रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्ष 2008 में 9 राज्यों के 9 जिलों में राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण आरम्भ किया है।

यह प्रायोगिक चरण गैर संचारी रोगों के लिए जोखिम घटकों की व्याप्तता दर, गैर संचारी रोगों (मधुमेह, हृदयवाहिका रोग (सीवीडी) और आघात) और मधुमेह, हृदयवाहिका के रोग और आघात के निवारण के लिए जोखिम में कमी तथा मधुमेह, हृदयवाहिका के रोग और आघात के शुरू में ही निदान तथा समुचित उपचार के मूल्यांकन करने के उद्देश्यों से चलाया गया है।

इस प्रायोगिक चरण में निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई गई हैं:-

– गैर संचारी रोगों के जोखिम घटकों की निगरानी

– आम आबादी के लिए स्वास्थ्य संवर्धन

– उच्च जोखिम वाले समूह के लिए रोग निवारण

जीवन शैली के परिवर्तनों और स्वस्थ्य आहार संबंधी आदतों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इस मंत्रालय द्वारा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा फलों और सब्जियों के बारे में वीडियो

स्पॉट तैयार करवाए गए जिनको दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से और 6 स्पॉट भी तैयार किए गए हैं तथा उनको शीघ्र ही दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों ने स्वस्थ जीवन शैलियों और जीवन शैली से संबंधित रोगों के बारे में 20 पैनलों से बने एक व्यापक प्रदर्शनी सेट तैयार किया है तथा वह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न स्वास्थ्य मेलों में भाग ले रहा है।

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

***30. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों संबंधी विशेषज्ञ समूह ने अगले तीन वर्षों में 2.5 लाख पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की है जैसाकि दिनांक 18 जनवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ धनराशि किस प्रकार जुटाई जाएगी?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ख) जी हां। ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटरीकरण के लाभकारी महत्व को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने मंत्रालय के वर्तमान व आगामी सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के आकलन, ग्राम पंचायतों तक सर्वाधिक व्यय प्रभावी प्रौद्योगिकियों की पहुंच, दूर शिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता-निर्माण को प्रभावी ढंग से सम्पन्न किए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल; तथा सिफारिशों के व्यय निहितार्थ के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के महानिदेशक की अध्यक्षता में जून, 2007 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह ने 17.1.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित सिफारिशें की:

- पंचायतों को प्रकार्यात्मक अंतरण तथा विभिन्न राज्यों में अन्य संबंधित आधारभूत अवसंरचनाओं की उपलब्धता के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए समूह ने सिफारिश की है कि पंचायतों को उनकी समग्र तत्परता के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण, राज्यों को, डिजिटल खाई और चौड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करते हुए, पंचायतों को और अधिक अंतरण हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित करेगा।

- समूह ने दो तिहाई ग्राम पंचायतों व प्रखंड पंचायतों को कंप्यूटरों व अन्य संबंधित आधारभूत अवसंरचनसओं के प्रावधान की सिफारिश है।

- संगणन की आधारभूत अवसंरचना के अलावा, समूह ने इंटरनेट जुड़ाव, अधिमानतः ब्रॉड बैंड के माध्यम से, तथा इस आधारभूत अवसंरचना के प्रभावी इस्तेमाल में पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए मानव शक्ति को उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश भी की है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार को भी तेज करेगा तथा आम आदमी को साइबर जगत से जोड़ेगा।

- विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की कि प्रौद्योगिकी का चुनाव डिजिटल खाई को पाटने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के पास प्रौद्योगिकी के लाभों को हासिल करने की आजादी हो, की आवश्यकता से परिचालित होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए ओपन टेक्नॉलाजी, जिसमें ओपन मानकों, ओपन सोर्स तथा अन्य समान खुले पहल (ओपन इनिशियेटिब्ज) शामिल हैं, की प्रौद्योगिक के विकल्प के तौर पर सिफारिश की गई क्योंकि इससे चुनाव कम खर्चीला होगा, विक्रेता चंगुल से मुक्ति मिलेगी तथा पारदर्शी अंतर परिचालनात्मक मानक हासिल होंगे।

- जबकि समूह ने कुछ राज्यों में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी की आधारभूत अवसंरचना की विद्यमानता को ध्यान में रखते हुए ओपन टेक्नोलाॅजी की सिफारिश की, वहीं समूह द्वारा, विद्यमान अन्य प्रणालियों से संगति (कॉम्पेटिबिलिटी) की सुनिश्चितता पर भी यथोचित रूप से विचार किया गया।

- अलग-अलग राज्यों में पंचायतों के कार्यों की भिन्नता को संज्ञान में लेते हुए समूह ने राज्यों को राज्य विशिष्ट कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं अपने साफ्टवेयर को तय व विकसित करने हेतु जहां पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की है, वहीं परियोजना की अंतर परिचालनात्मकता, उसके द्रुततर व प्रभावी कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय केंद्रीय मूल सामान्य कार्यों को विकसित किए जाने की भी सिफारिश की है।

- समूह ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए बहु विधि प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को भी अपनाए जाने की सिफारिश की है।

(ग) समूह ने परियोजना व्यय को 6700 करोड़ रुपये आंकते हुए तीन वर्षों की समय-सीमा का आकलन किया है। पंचायती राज मंत्रालय सरकार के अनुमोदन के लिए स्कीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। स्कीम को अंतिम रूप मिलने तथा उसके अनुमोदित होने के बाद परियोजना के वास्तविक खर्च का पता चल पायेगा। परियोजना पर राज्य-वार अनुमानित व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय सरकार की बजटीय सहायता के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान (एन.ई.जी.पी.) के तहत एक मिशन मोड परियोजना का प्रतिपादन कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी विश्व बैंक की सहायता से परियोजना के निधीयन के एक हिस्से को प्राप्त करने के लिए संभावनाओं का पता लगा रहा है।

बाघों और हाथियों का अवैध शिकार

*31. **श्री एम. अप्पादुरई :**
श्री अबु अयीश मंडल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में वन्य प्राणियों विशेषत: बाघों और हाथियों का अवैध शिकार किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और गत वार इस प्रकार की कितनी घटनाएं सरकार की जानकारी में आई है;

(ग) अवैध शिकार करने वालों के विरूद्ध सरकार क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) राज्यों से वन्य प्राणियों, विशेषत: बाघों हाथियों के अवैध शिकार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, इन आंकड़ों से किसी निश्चित रूझान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाघों और हाथियों के अवैध शिकार के संबंध में राज्यों द्वारा दी गई सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध शिकार के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के विरूद्ध लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य में उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाता है। इस संबंध में प्रत्येक मामलों के विवरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते है।

(घ) बाघों और हाथियों सहित वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अवैध शिकार के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा की गई पहल संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान बाघ और हाथी के अवैध शिकार का विवरण (राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

वर्ष	राज्य का नाम	बाघ	हाथी
1	2	3	4
2004-2005	राजस्थान	4	—
	असम	—	3
	पश्चिम बंगाल	—	2

1	2	3	4
	उत्तरांचल	—	2
	केरल	—	2
	उड़ीसा	—	4
	कर्नाटक	—	3
	मिज़ोरम	—	2
	कुल	4	18
2005-2006	उत्तरांचल	—	1
	असम	—	4
	केरल	1	3
	उड़ीसा	—	7
	कर्नाटक	—	1
	उत्तर प्रदेश	1	—
	कुल	2	16
2006-2007	उत्तर प्रदेश	1	—
	केरल	1	3
	उत्तरांचल	2	1
	असम	—	1
	तमिलनाडु	—	1
	उड़ीसा	—	11
	कर्नाटक	—	4
	मेघालय	—	2
	कुल	4	23

विवरण-II

बाघ और हाथी सहित वन्य जीवों के अवैध शिकार के विरूद्ध सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के संबंध में प्रावधान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना। बाघ रिजर्व में किए गए अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके शिकारोधी दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय कार्यबल को शामिल करके बाघ सुरक्षा बल की तैनाती के लिए 17 बाघ रिजर्वों का 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई।

4. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानक सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव

अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

लंबित कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति

*32. **श्री अनन्त नायक :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई कोयला परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति नहीं दी है जिसके कारण आवश्यकतानुसार कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति हेतु कितनी परियोजनाएं लंबित हैं तथा आज की तारीख तक इनमें कितना विलंब हुए है और इसके कंपनी-वार क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) इस समय कोयला क्षेत्र की 8 परियोजनाएं सरकार के पास अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। ब्यौरे निम्नवत हैं :

क्र. सं.	परियोजना और कंपनी का नाम	क्षमता मिलियन टन प्रतिवर्ष (मि.ट. प्रतिवर्ष)	मौजूदा स्थिति
1.	आम्रपाली ओपनकास्ट परियोजना सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि (सीसीएल)	12.0	वानिकी मंजूरी प्रतीक्षित। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है।
2.	चूपरबीटा ओसीपी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि (ईसीएल)	4.0	वानिकी मंजूरी प्रतीक्षित। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है।
3.	हुरा ओपीसी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि (ईसीएल)	3.0	वानिकी मंजूरी प्रतीक्षित। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है।
4.	गेवरा ओसी विस्तार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि (एसईसीएल)	10.0 (वृद्धिक)	पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) और वानिकी मंजूरी प्रतीक्षित। वानिकी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है।
5.	मगध ओसीपी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि (सीसीएल)	20.0 (वृद्धिक)	पर्यावरण और वन मंत्रालय से ईएमपी मंजूरी प्रतीक्षित।
6.	खादिया ओपनकास्ट (ओसी) विस्तार नार्दर्न कोलफील्ड्स लि (एनसीएल)	6.0 (वृद्धिक)	वानिकी मंजूरी प्रतीक्षित। पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास प्रस्ताव लंबित।
7.	दीपिका ओसी विस्तार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	5.0 (वृद्धिक)	पीआईबी नोट परिचालित किया गया और पीआईबी बैठक आयोजित होनी है।
8.	काकातिया लांगवाल भूमिगत सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल)	2.75	पीआईबी नोट परिचालित किया गया और पीआईबी बैठक आयोजित होनी है।

कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी समय पर देने में संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब से इन परियोजनाओं से निर्धारित/चरणबद्ध उत्पादन प्रभावित होता है, तथापि, उत्पादन में संभावित क्षति को अन्य खानों/परियोजना से उत्पादन में वृद्धि करके पूरा किया जाता है। कोल इंडिया लि. प्रत्येक वर्ष कोयला उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है अथवा प्राप्त करने के करीब है।

(ग) और (घ) सरकार परियोजनाओं के लिए शीघ्र मंजूरी देने के सभी आवश्यक कदम उठा रही है जिसमें योजना की "सिद्धांततः मंजूरी" तथा कोयला और विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पीआईबी-पूर्व बैठकों को समाप्त करके जांच के स्तरों को कम करना शामिल है। मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन के लिए कोयला कंपनियों को निर्देश देने हेतु मंत्रालय स्तर पर नियमित मानीटरिंग तथा वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी एवं अन्य सम्बद्ध मामलों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। अपेक्षित वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बाद लंबित परियोजनाएं अनुमोदित की जाएंगी।

रूस के साथ असैनिक परमाणु समझौता

*33. **श्री गुरूदास दासगुप्त :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत में परमाणु विद्युत रिएक्टरों के निर्माण के लिए भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता करने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) असैन्य नाभिकीय सहकार के संबंध में एक अंतर-सरकारी करार का सम्मत पाठ तैयार करने के लिए दोनों सरकारों के बीच बातचीत पूरी हो गई है और इस करार के पाठ को फरवरी, 2008 में अंतिम रूप दिया गया था।

[हिन्दी]

वन संरक्षण में जनजातीय लोगों की भागीदारी

*34. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन संरक्षण कार्य में वन में रहने वाले जनजातीय लोगों को भागीदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों सहित स्थानीय लोगों को संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वन संरक्षण में भागीदार बनाया गया है। अनुमानतः, 106482 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां 220 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को संरक्षित कर रही हैं। लगभग 8712241 जनजातीय परिवार, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वनों के संरक्षण में लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों हेतु तैयारी

*35. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
डा. के धनराजू :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के संबंध में हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं। सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रियों के समूह; उप राज्यपाल, जीएनसीटीडी तथा मंत्रिमंडल सचिवालय इत्यादि उच्च स्तरीय बैठकें राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की, यह सुनिश्चत करने के लिए कि संबंधित एजेंसियों से वे अपेक्षित कार्रवाई कर दी है, अगली बैठक के आयोजन से पहले समीक्षा की जाती है।

(ङ) सरकार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए समुचित आयोजना और समय पर तैयारी करने के प्रति सजग है और इस दिशा में अनेक संस्थागत प्रबंध किए गए हैं। इसमें खेलों के आयोजन से संबंधित विभिन्न कार्यों के समन्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की सह-अध्यक्षता में मंत्रियों का कोर समूह; तैयारियों पर निगरानी रखने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति; खेलों के संचालन के लिए अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता में एक आयोजक समिति, और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति जो मंत्रियों के समूह के निर्णयों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और अन्य संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है, शामिल है। केन्द्रीय स्तर पद इन प्रबंधों के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में खेलों के लिए अवसंरचना और अन्य तैयारियों से संबंधित सभी मामलों के संदर्भ में दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति है। दिल्ली के राज्यपाल को दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले सभी मामलों तथा सुरक्षा, कानून और व्यवस्था का समग्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रधान सचिव, जीएनसीटीडी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति खेलों से जुडी परियोजनाओं के संबंध में यथाशीघ्र अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी एजेंसियों/प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों सहित एक समिति गठित की गई है। एक अन्य समिति दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) से संबंधित मामलों पर अनुमति प्राप्त करने को सुगम बनाने के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित की गई है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारी तादात् में आने वाले दर्शकों की संभावना के मद्देनजर पर्याप्त आवास विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इस संबंध में की गई और कार्रवाई के अनुवीक्षण और समन्वय के लिए पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुसचिवीय कार्यदल गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जाने वाले होटलों के संबंध में केन्द्र सरकार की अनुमति शीघ्र प्राप्त करने के लिए एक समिति सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित की गई है।

विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं/प्रशिक्षण स्थलों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र (आईबीसी) मुख्य प्रेस केन्द्र (एमपीसी) की अवस्थितियों पर स्वामित्वधारी सहमत हैं। सभी स्वामित्वधारियों ने बुनियादी कार्यों के लिए विशिष्ट समयसीमा बता दी है जैसे-विस्तृत अभिविन्यास और प्राक्कलन को अंतिम रूप देना, निविदा प्रक्रिया आरंभ करना, कार्य सौपना, कार्य का प्रारंभ, कार्य पूरा करना; तथा आयोजक समिति को देना/सभी प्रमुख खेल आयोजन स्थल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ कर दिए गए है तथा आयोजन स्थल वर्ष 2009 के अंत तक आयोजक समिति को सौंप दिए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित परियोजनाओं के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए अनुवीक्षण प्रणाली पर आधारित एक वेबसाइट भी गठित की है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारतीय खिलाड़ी दल के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सभी स्वामित्वधारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है तथा विशिष्ट खिलाड़ियों हेतु 802.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर प्रशिक्षण, विदेशों में कार्यक्रम तैयार किया गया हैं जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सरकार ने खेल स्थल अवसंरचना के उन्नयन/सृजन हेतु 1000 करोड़ (+15%) रु. का भारतीय खेल प्राधिकरण के परियोजना संबंधी प्रस्ताव; 30 करोड़ (+15%) की लागत पर अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा टेनिस आयोजन स्थल का स्तरोन्नयन; और "खेलों के आयोजन के लिए 767 करोड़ . (+15%) रु. के निरक्षेप राजस्व के आधार पर आयोजक समिति के लिए परिव्यय बजट अनुमोदित कर दिए हैं। व्यय वित्त समिति ने खेल गांव (जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में विकसित किया जा रहा है।) तथा से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र डीडीए से संबंधित अन्य स्थलों में खेल अवसंरचना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के लगभग 765.00 करोड़ रु. के प्रस्ताव की सिफारिश की है। व्यय वित्त समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के प्रतियोगिता/प्रशिक्षण स्थलों

के उन्नयन/सृजन हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के 257.41 करोड़ रु. के प्रस्ताव की भी सिफारिश कर दी है।

योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 777.00 करोड़ रु. के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। योजना आयोग ने पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 जो मुख्य राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की एक उप प्रतियोगिता है, हेतु खेल अवसंरचना के लिए महाराष्ट्र सरकार को 210.00 करोड़ रु. का अनुमोदन दे दिया है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित राजमार्गों को नुकसान

*36. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषत: कर्नाटक में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (जीक्यूपी) के अंतर्गत नवनिर्मित राजमार्गों के कतिपय भाग धंस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और जवाबदेही निर्धारित की गई है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पूरे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु एक समान तकनीकी मानंदड अपनाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके आधार क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) स्वर्णिम चतुर्भुज के एक हिस्से के धंसने की दो घटनाएं हुई हैं। पहली घटना में, पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के 19/100 किमी. में सड़क उपरिपुल की ओर जाने वाले पहुंच मार्गों में आर ई वॉल की 110 मीटर लंबाई 9 फरवरी, 2006 में धंस गई थी जिसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा कराई गई। दूसरी घटना में, आसनसोल के निकट कोयला बाहुल्य खानों के अंडर ग्राउंड कॉलम के धंसने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की 450 मीटर लंबाई जनवरी, 2007 में धंस गई थी जिसका पुन: निर्माण किया गया। कर्नाटक राज्य में धंसाव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पहली घटना के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार पाया गया और मरम्मत कार्य उसके खर्च पर कराया गया। दूसरी घटना महज एक दुर्घटना थी जिसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था।

(घ) और (ङ) जी हां। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तकनीकी विनिर्देशों, भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों और बेहतर इंजीनियरी परंपराओं के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी कार्यों के लिए एकसमान तकनीकी मानदंड अपनाए गए हैं।

सर्व स्वास्थ्य अभियान

*37. श्री एल. राजगोपाल :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सर्व स्वास्थ्य अभियान शुरू करने का है जैसाकि दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान सर्व स्वास्थ्य अभियान के लिए राज्य-वार आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अभियान से देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां। ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में उल्लेख है कि इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान का गठन करेगा, शुरू करके सम्मिलित विकास करना होगा।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अनुमोदन 2007-2012 की अवधि के लिए पहले ही किया जा चुका है और यह कार्यान्वयनाधीन है। इसमें लोगों विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए सुलभ, वहनीय, समान, उत्तरदायी एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या

की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सभी प्रसवों में दक्ष परिचरों के संबंध में समवर्ती सेवा गारंटी प्रदान करना, बाल्यावस्था रोगों/स्वास्थ्य स्थितियों, मातृत्व रोगों/स्वास्थ्य स्थितियों, अपवर्तक दोषों के कारण दृष्टिहीनता तथा कम नजर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वैक्टरजनित रोगों, बाल्यावस्था रोगों का अंतरंग उपचार, मातृत्व रोगों का अंतरंग उपचार, जीवन शैली से संबंधित रोगों, अतिरक्तचाप की पूर्ण कवरेज, जिला अस्पतालों में द्वितीयक परिचर्या सेवाएं प्रदान करना, अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना और आरटीआई/एसटीआई के लिए बच्चों के जन्म में अन्तराल और स्थायी परिवार नियोजन सेवाएं तथा किशोरों के लिए एचआईवी/एड्स के संबंध में परामर्श देना सुनिश्चित किया गया है।

शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरी गरीब लोगों के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का भी प्रस्ताव है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटन 89476.00 करोड़ रु. और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए 4495.00 करोड़ रु. है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2008-09 की वार्षिक योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 11930.00 करोड़ रु. और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए 50.00 करोड़ रु. है। तथापि, इन दो कार्यक्रमों के संबंध में वर्षवार एवं राज्यवार आबंटन का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है।

पंचवर्षीय योजना का स्कीमवार परिव्यय निर्देशात्मक है। राज्यवार और स्कीमवार आबंटन योजना आयोग द्वारा संसूचित वार्षिक योजना परिव्यय के आधार पर वर्ष के दौरान किया जाता है जो विभागों द्वारा प्रक्षेपित वार्षिक योजना प्रस्तावों से सामान्यतया कम होता है। इसके अलावा, स्कीमवार वार्षिक योजना प्रस्ताव स्कीम को दिए गए राज्य विशिष्ट महत्व के आधार पर प्रत्येक स्कीम को प्रदत्त प्राथमिकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अनटाईड निधियों तथा पंचायतों इत्यादि की भागीदारी, बेहतर प्रबंधन, दक्षता के संवर्धन और प्रबंधकीय दक्षताओं के संयोजन के जरिए क्षमता, लचीले वित्त पोषण, भारतीय जनस्वास्थ्य मानदण्डों के जरिए मानदण्डों के मुकाबले मानीटरिंग प्रगति, मानव संसाधन प्रबंधन में नवीनता, गैर-सरकारी प्रदायकों के साथ सहभागिता इत्यादि के जरिए संप्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से इसके उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ग्यारहवीं योजना को स्वीकृति

***38. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2007-2012 के दौरान देश की औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है ताकि इसे श्रम प्रधान तकनीकों को प्राथमिकता देकर विकसित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश के समग्र विकास में तीव्रता लाने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की 19 दिसम्बर, 2007 को आयोजित बैठक में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना के व्यापक विजन में अनेक अन्तःसम्बद्ध घटक शामिल हैं अर्थात् तीव्र विकास जो गरीबी को घटाता और रोजगार अवसरों का सृजन करता है, विशेष रूप से गरीबों और वंचित रहे लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा में अनिवार्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करता है, अवसरों की समानता को बढ़ाता है, शिक्षा और दक्षता विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के माध्यम से सशक्तिकरण।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योग में 10 प्रतिशत वृद्धि और विनिर्माण में इससे भी अधिक वृद्धि करना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण श्रम बल में कुछ अतिरिक्त श्रमिकों को समाविष्ट करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त रोजगार अवसर मुहैया कराना ही नहीं है बल्कि ग्रामीण और शहरी, दोनों, क्षेत्रों में श्रम बल में शामिल होने वाले प्रत्याशित नये सदस्यों के लिए रोजगार सृजित करना भी है। ग्यारहवीं योजना में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्रक

को संधारणीय और समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार के लिए एक इंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। भौतिक अवसंरचना में सुधार, गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति, दक्षता विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विनिर्माण की आधुनिक पद्धतियों को अपनाना, अर्थव्यवस्था के निश्चित स्तर की उपलब्धि, उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए ऋण, आदि देश के औद्योगिक विकास को तीव्र करने के कुछेक उपाय हैं।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

*39. **श्री जुएल ओराम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन तथा उन्हें पूरा करने के लिए कई प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शीघ्र तकनीकी स्वीकृति देने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 215 सहित ऐसी सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह धनराशि की उपलब्धता, यातायात घनत्व तथा कार्यों की पारस्परिकता प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 215 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाती है और बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रगति पर निगरानी रखने और बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तिमाही रूप से समीक्षा बैठकें की जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जाते हैं:-

(i) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित राज्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है।

(iii) कार्य की प्रगति में बाधक अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(iv) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना को विधि मंत्रालय को भेजे बगैर जारी करने के लिए इस मंत्रालय को अधिकृत किया गया है।

(v) रेल उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

(vi) गैर कार्य निष्पादक ठेकेदारों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

(vii) ठेकेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर के उनकी नकदी प्रवाह की समस्या में सुधार करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(घ) परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तारीख का निर्णय परियोजना की किस्म, धनराशि, प्रयुक्त विनिर्देशों और परियोजना की लोकेशन के आधार पर किया जाता है। परियोजना को पूरा करने की तारीख अलग-अलग होती है।

जैव-ईंधन फसलें

*40. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका में हुए अध्ययन की जानकारी है जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि जैव ईंधन फसलों की अत्यधिक मांग होने के कारण इससे हाइड्रो कार्बन की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं। जैव ईंधन एक संभावित लो कार्बन एनर्जी स्रोत है, लेकिन जैव ईंधन से निकलने वाली कार्बन इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कैसे उत्पादित किया जाता है। वनों, चारागाहों और उत्पादक भूमि को खाद्य आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन करने में बदलने से इनके द्वारा की जाने वाली बचत से ज्यादा ग्रीन हाऊस गैसे पैदा होती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण केन्द्र

177. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने परिवार कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से बाल कल्याण के और अधिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में कुल 7274 उप-केन्द्र, 1073 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 273 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, 2007-08 के अंतर्गत नए उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव हुए हैं। प्रति उपकेन्द्र चार लाख रुपए की दर से 200 नए उप-केन्द्रों का निर्माण करने के लिए 800 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए 658 लाख रुपए और पांच नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करने के लिए 510 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

मनोचिकित्सा केन्द्र

178. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान में राज्यवार कितने मनोचिकित्सा केन्द्र हैं तथा कितने मनोचिकित्सक हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : देश में 40 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं। मानसिक अस्पतालों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में है। वर्ष 2002 में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संसाधन सर्वेक्षण के अनुसार देश में मनोचिकित्सकों की संख्या 2219 है।

विवरण

सरकारी मानसिक अस्पतालों की सूची

राज्य	अस्पतालों की सूची
1	2
आंध्र प्रदेश	2
असम	1
दिल्ली	1
गोवा	1
गुजरात	4

1	2
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू एवं कश्मीर	2
झारखंड	2
कर्नाटक	2
केरल	3
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	4
मेघालय	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	6
कुल	40

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/अस्पतालों में रिक्त पद

179. **श्री एस.के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों और अस्पतालों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नागपुर चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन

180. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नागपुर चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन हेतु कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संबद्ध राज्य सरकार को मंजूर की गई राशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) नागपुर चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: निधियों का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का पुन: सरेखन तथा पुनर्निर्माण

181. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय-8 के

नारोल-नरोदा मार्ग के पुनःसरेखन तथा वदोदरा-सूरत मार्ग के पुनर्निर्माण के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारोल-नरोदा मार्ग को बदलने तथा वदोदरा-सूरत मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के नारोल-नरोदा खंड के पुनर्संरेखण के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5 के अंतर्गत वडोदरा से सूरत तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन का बनाने का कार्य कार्यान्वियाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के वडोदरा-सूरत खंड का रिसरफेसिंग कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर रियायत ग्राही द्वारा 6 लेन बनाने के कार्य के भाग के रूप में किया जाएगा। इस परियोजना को जुलाई, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

अस्पतालों का पैनल बनाना

182. **श्री नरहरि महतो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एच. ने हाल ही में अपनी अनुमोदित सूची में से अनेक बड़े निजी अस्पतालों को हटा दिया है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अन्य सीजीएचएस लाभार्थियों को भारी असुविधाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में सीजीएचएस की अनुमोदित सूची में प्रमुख निजी अस्पतालों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश के सभी भागों में अपने स्वयं के अस्पताल खोलने के लिए सीजीएचएस द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे अस्पतालों, जिन्होंने सीजीएचएस की दरों और अनुबन्ध की शर्तों को स्वीकार नहीं किया था, को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

(ग) सूचीबद्ध किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और सीजीएचएस शहरों में स्थित सीजीएचएस दरों एवं शर्तों को स्वीकार करने वाला कोई भी निजी अस्पताल सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध हो सकता है।

(घ) सीजीएचएस का अपने स्वयं के अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाना

183. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा बलिया जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स के लिए एंटी-रिट्रोवायरल औषधि

184. **श्री महावीर भगोरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एचआईवी/एड्स से मुकाबला करने के लिए बच्चों को मुफ्त एंटी-रिट्रोवायरल औषधि प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : एआरटी केन्द्रों को बच्चों के लिए एंटी-रिट्रोवायरल

औषधियों की आपूर्ति वस्तुगत रूप में नाको द्वारा की जाती है। औषधियों की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधियां जारी नहीं की जाती हैं। ये औषधियों क्लिंटन फाउन्डेशन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

185. **श्री हितेन बर्मन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र के कोयला आधारित नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान जनवरी, 2008 तक कितने कोयला ब्लाक आबंटित किए गए या मंजूर किए गए;

(ख) वे कौन-कौन सी निजी कंपनियां हैं जिन्हें उपर्युक्त अवधि के दौरान कोयला ब्लाक आबंटित किए गए या मंजूर किए गए;

(ग) पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में कुल कितना कोयला भंडार है; और

(घ) वह समय-सीमा क्या है जिसके अंतर्गत वे कंपनियां, जिन्हें पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं, विद्युत संयंत्र स्थापित कर लेंगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2007-08 में जनवरी, 2008 तक निजी पार्टियों को कुल 15 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए।

(ख) जो ब्लाक उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न निजी कंपनियों को आबंटित किए गए हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	आबंटित ब्लाक	क्र.सं.	पार्टी का नाम
1	2	3	4
1.	केरनदारी बीसी	1	मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन
2.	तुबेद	1	मैसर्स हिंडाल्को
		2	मैसर्स टाटा पावर लि.
3.	अशोक करकट्टा सेन्ट्रल	1	मैसर्स एस्सार पावर लि.
4.	पाटल ईस्ट	1	मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लि.
5.	श्यांग	1	मैसर्स एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा. लि.
6.	दुर्गापुर II/सरिया	1	मैसर्स डीबी पावर लि.
7.	दुर्गापुर II/तराईमार	1	मैसर्स भारत एल्युमीनियम कंपनी
8.	लोहारा वेस्ट विस्तार	1	मैसर्स अदानी पावर लि.
9.	मदाकंनी	1	मैसर्स मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.
		2	मैसर्स जिंदल फोटो लि.
		3	मैसर्स टाटा पावर कंपनी लि.

1	2	3	4
10.	सेरेगरहा	1	मैसर्स आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.
		2	मैसर्स जीवीके पावर (गोविंदवाल साहिब) लि.
11.	महुआगढी	1	मैसर्स कलकत्ता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी लि.
		2	मैसर्स जस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.
12.	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	1	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.
		2	मैसर्स गगन स्पंज आयरन प्रा. लि.
13-14.	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	1	मैसर्स स्टरलाइट एनर्जी लि.
		2	मैसर्स जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)
		3	मैसर्स आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.
		4	मैसर्स लैंको ग्रुप लि.
		5	मैसर्स नवभारत पावर प्रा.लि.
		6	मैसर्स रिलायंस एनर्जी लि.
15.	फतेहपुर ईस्ट	1	मैसर्स जेएलडी यवतमल एनर्जी लि.
		2	मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.
		3	मैसर्स वीजा पावर लि.
		4	मैसर्स ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
		5	मैसर्स वन्दना विद्युत लि.

(ग) दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में कोयले का भंडार निम्नवत है:-

राज्य	कोयला संसाधन मिलियन टन में
पश्चिम बंगाल	28335
छत्तीसगढ़	41450

(घ) आबंटन की शर्त के अनुसार, विद्युत संयंत्र का विकास लिंकड कोयला ब्लाक के विकास के साथ तुल्यकालिक होना चाहिए। कैप्टिव ब्लाक से कोयला उत्पादन आबंटन की तारीख से ओपनकास्ट खान के मामले में 36 महीने (42 महीने यदि क्षेत्र वनभूमि में है) तथा भूमिगत खान के मामले में 48 महीने (54 महीने यदि क्षेत्र वनभूमि में है) के भीतर आरंभ किया जाना है। यदि कैप्टिव ब्लाक का अन्वेषण नहीं किया जाता है तो विस्तृत अन्वेषण तथा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त दो वर्षों की अनुमति दी जाती है।

लिग्नाइट/कोल ब्लाक के लिए नीति

186. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लिग्नाइट/कोल ब्लाकों को पट्टे पर देने की वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों द्वारा अपने खनिज संसाधनों का अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अन्तर्विष्ट अधिकारों से राज्य सरकारों को वंचित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि बोली प्रक्रिया लागू की जाती है तो क्या सरकार राज्य सरकार को पचहत्तर प्रतिशत उत्पादन आधारित भुगतान करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। आवेदनों की बढ़ती हुई संख्या और कोयला तथा लिग्नाइट ब्लाकों की घटती हुई संख्या के संदर्भ में लिग्नाइट और कोयला ब्लाकों को पट्टा पर देने की नीति को अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपरक बनाने के उद्दश्य से सरकार खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके ऐसे ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी की प्रणाली लागू करने का विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल कोयला, लिग्नाइट तथा अन्य खनिजों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा किए जाने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

(ङ) और (च) प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा जुटाए गए समस्त संसाधनों को उस संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, जहां कोयला ब्लाक स्थित है।

नए चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित किया जाना

187. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार से राज्य में सरकारी तथा निजी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने को अनुमोदन देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नए सरकारी और प्राइवेट चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेजों को खोलने के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नए सरकारी और प्राइवेट चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेजों को खोलने के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज का नाम	प्रबंधन	प्रास्थिति
1	2	3	4
	वर्ष 2005		
1.	राजराजेश्वरी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बंगलौर	प्राइवेट	भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।

1	2	3	4
2.	तिरूवल, कर्नाटक में पुष्प गिरी दंत आयुर्विज्ञान कालेज	प्राइवेट	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए 50 बीडीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।
3.	नवोदय दंत चिकित्सा कालेज, रायचूर, कर्नाटक	प्राइवेट	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए 100 बीडीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।
4.	ईस्ट प्वाइंट दंत चिकित्सा कालेज बंगलौर, कर्नाटक	प्राइवेट	इस प्रस्ताव में वर्ष 2005 से 2007 के दौरान कमी पाई गई। इस स्कीम को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए तकनीकी मूल्यांकन हेतु भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को अग्रेषित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हता संबंधी मानदण्ड के पूरा होने, आधारभूत एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा इसके बारे में निर्धारित समय सारणी के अनुसार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार को की गई अनुशंसाओं पर निर्भर करती है।
		वर्ष 2006	
1.	मांड्या आयुर्विज्ञान संस्थान, मांड्या, कर्नाटक	सरकारी	भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।
2.	बेलगाम आयुर्विज्ञान संस्थान, बेलगाम, कर्नाटक	सरकारी	भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।
3.	हासन आयुर्विज्ञान संस्थान, हासन, कर्नाटक	सरकारी	केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।

1	2	3	4
4.	एस.एस. आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान कर्नाटक केन्द्र संस्थान, देवनगीर,	प्राइवेट	भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई और इसका नवीकरण शैक्षणिक वर्ष 2007-08 तक किया गया।
5.	श्रीनिवास दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मंगलौर, कर्नाटक	प्राइवेट	इस प्रस्ताव में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हता संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं किया गया और इसलिए इसे आवेदक को वापस कर दिया गया।
		वर्ष 2007	
1.	शिमोगा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिमोगा, कर्नाटक	सरकारी	केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई।
2.	बीदर आयुर्विज्ञान संस्थान, बीदर, कर्नाटक	सरकारी	भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई।
3.	रायचुर मेडिकल कालेज, रायचूर, कर्नाटक	सरकारी	केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई।
4.	विजयनगर दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बेल्लारी	सरकारी	इस स्कीम को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए तकनीकी मूल्यांकन हेतु भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को अग्रेषित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हता संबंधी मानदंड के पूरा होने, आधारभूत एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा इसके बारे में निर्धारित समय सारणी के अनुसार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार को की गई अनुशंसाओं पर निर्भर है।

कोल इंडिया लिमिटेड इत्यादि द्वारा आसपास बसे गांवों का विकास

188. श्री रनेन बर्मन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी ईसीएल, एमसीएल, बीसीसीएल तथा कोयला उत्पादन में लगी निजी कंपनियों द्वारा आसपास बसे गांवों के विकास हेतु कुल कितनी राशि का निवेश किया गया; और

(ख) इन कंपनियों द्वारा सकल लाभ का कितना प्रतिशत आबंटित किया गया तथा किन कार्यों पर इस राशि का उपयोग किया गया?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सामुदायिक/परिधीय विकास पर कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा खर्च की गयी राशि का कंपनी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपए. में)

कंपनी	2004-05	2005-06	2006-07
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	60.93	107.36	125.98
भारत कोकिंग कोल लि.	54.18	128.33	156.44
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	59.99	203.73	291.91
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	222.71	335.52	374.97
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	122.25	183.27	235.78
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	473.20	957.75	746.39
महानदी कोलफील्ड्स लि.	374.12	379.47	395.89
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सीआईएल)	9.18	6.53	11.40
कुल	1376.56	2301.96	2338.76

आसपास के गांवों के विकास के लिए कोयला उत्पादन में लगी निजी कंपनियों द्वारा निवेश की गयी कुल राशि उनकी दी गयी सूचना के अनुसार निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	निवेश की गई कुल राशि
1	2
मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	2 करोड़ रु. + 20 लाख रु. प्रतिमाह
हिंडल्को इंडस्ट्रीज लि.	3.60 करोड़ रु.
सनफ्लेग आयरन एंड स्टील लि.	0.33 करोड़ रु.
जयसवाल नेको लि.	0.03 करोड़ रु.
प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	1.13 करोड़ रु.
सीईएससी/आईसीएमएल	2.30 करोड़ रु.
जिंदल पावर लि.	0.46 करोड़ रु.

(ख) कंपनियों के सकल लाभ की तुलना में सामुदायिक विकास पर व्यय का कंपनी-वार प्रतिशत निम्नानुसार है :-

कंपनी	सकल लाभ प्रतिशतता		
	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	*	0.28	1.06
भारत कोकिंग कोल लि.	*	0.42	1.21
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	0.11	0.16	0.26
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.24	0.23	0.35
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	0.06	0.09	0.11
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.30	0.74	0.41
महानदी कोलफील्ड्स लि.	0.25	0.21	0.19
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (सीआईएल)	0.01	**	**

*2004-05 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. का सकल लाभ नकारात्मक था।

कोयला उत्पादन में लगी निजी कंपनियों के संबंध में सकल लाभ की तुलना में सामुदायिक विकास पर व्यय का प्रतिशत युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि वे अपनी गृहीत खपत के लिए कोयले का खनन कर रही है।

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों तथा निजी कंपनियों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों के प्रकार निम्नानुसार है:

1. हैण्डपम्प लगाना/मरम्मत करना।
2. कुओं/तलाबों/बांधों आदि की खुदाई करना/नवीकरण करना।
3. पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति।
4. सामुदायिक केन्द्र/भवन का निर्माण/नवीकरण तथा मरम्मत।
5. सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत।
6. स्कूल भवनों का निर्माण/मरम्मत।
7. चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
8. खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करना।
9. विविध कार्य।

[हिन्दी]

भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त दल

189. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोई नया संयुक्त दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गठित किए गए दल का ब्यौरा क्या है तथा उसकी की गई कार्यवाही रिपोर्ट क्या है;

(घ) क्या संयुक्त दल ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"पूर्वोन्मुखी नीति" के अंतर्गत उत्तर पूर्व के राज्यों में निवेश

190. **श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाल में हुई बैठक में "पूर्वोन्मुखी नीति" के अंतर्गत उत्तर-पूर्व राज्यों में और निवेश करने तथा व्यावसायिक अवसरों के विकास तथा सड़कों को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त विषय पर एक बैठक विदेश मंत्री की अध्यक्षता में 31 अक्तूबर, 2007 को आयोजित की गयी। इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सभी प्रकार के आंतरिक परिवहन संपर्क की महत्ता पर बल दिया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी गयी। इस दिशा में, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों के दायरे में आने वाले संबंधित पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक एवं व्यापार संपर्कों को बढ़ाने के लिए चर्चा की जा रही है।

(ग) भौतिक अवसंरचना निर्मित करने सहित पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय अपने द्वारा आने वाले दिनों में उठाए जाने वाले विशिष्ट उपायों का राज्यवार ब्यौरा प्रदान करेगा।

वन्यजीव अभयारण्यों हेतु चिकित्सकीय अवसंरचना

191. **श्री के.एस. राव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक

अभयारण्य में प्रशिक्षित तथा व्यावसायिक पशु चिकित्सकों की तैनाती तथा उपलब्ध चिकित्सीय अवसंरचना के क्या मापदंड हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उचित तथा समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण कितने बाघ और अन्य वन्यजीव दुर्घटना में मारे गए;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक वन्यजीव अभयारण्य में प्रशिक्षित तथा व्यावसायिक कार्मिकों से युक्त उचित चिकित्सा अवसंरचना सुनिश्चित करने तथा बीमार या घायल पशुओं का उपचार करने हेतु उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के संबंध में प्रत्येक यूनिट को जानकारी देना तथा जानवरों को संभावित मृत्यु से बचाने के लिए उन्हें समेकित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) देश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 514 है। देश में कुछ महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा (मुख्यत: प्रतिनियुक्ति पर) समर्पित पशु चिकित्सा स्टाफ तैनात हैं। कुछ राज्यों में पशु चिकित्सा स्टाफ की तैनाती चिड़ियाघरों में और राज्य स्तर पर वन विभागों में राज्य में वन्य जीव क्षेत्र की जरूरतों की देख-रेख के लिए की जाती है। इसी प्रकार राज्य पशुपालन विभागों/पशु चिकित्सालय महाविद्यालयों के पशु चिकित्सा स्टाफ की सहायता भी जरूरत पड़ने पर ली जाती है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल/सड़क दुर्घटनाओं में 4 बाघ और 21 हाथी मारे गऐ हैं। तथापि, इसके लिए समय पर उपचार न मिलना और उपयुक्त चिकित्सा उपचार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अधिकांश मृत्यु तात्कालिक हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामत: राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के तहत वन्यजीव पशु चिकित्सा, देखभाल-अवसंरचना, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण आदि से जुड़े कार्यकलापों के लिए राज्य/संघ शासित राज्यों की सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का पुनरूद्धार

192. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का पुनरूद्धार करने के सरकार के प्रयास के कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) मंत्रियों के दल (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स), जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल) के पुर्नवास-सह-वित्तीय पुर्नसंरचना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था ने, अब अपनी सिफारिशें दे दी हैं जो विचाराधीन हैं।

मुम्बई पत्तन से भीड़ कम करना

193. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन से भीड़ करने के लिए मुम्बई के निकट जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के लिए दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति ने मुम्बई पत्तन न्यास के संबंध में कुछ शर्तें लगा दी थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुम्बई पत्तन से भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाए जाने के बावजूद मुम्बई पत्तन न्यास को उसकी विस्तार योजनाओं हेतु अनुमति दी गई थी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने न्हावा सेवा पत्तन को पर्यावरणीय अनुमोदन देते समय शर्त रखी कि मुम्बई पत्तन पर यातायात का स्तर धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह लगाई गई थी कि पत्तन की भूमि, जिसकी प्रचालनात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं है, को हरित क्षेत्र और मनोरंजन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 2006-07 में मुम्बई पत्तन ने 59.36 मिलियन टन की संभलाई की। उपर्युक्त का लगभग 62% तरल कार्गो के रूप में है जिसे पाइप लाइनों के माध्यम से लाया-ले-आया गया,

12% जलमार्गों से, 6% रेल से और 14% सड़क मार्ग से संचालित किया गया। सड़क मार्ग से संचालित होने वाला 58% कार्गो शहर की खपत के लिए और 42% शहर से बाहर के लिए होता है। शहर आने और शहर से जाने वाला यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग-4 से जुड़ी 3 मुख्य सड़कों का उपयोग करता है। शहर में पत्तन की भूमि का उपयोग महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर आयोजना अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अंतिम रूप से तैयार नगर विकास योजना द्वारा प्रशासित होता है। यह योजना 2012-13 तक वैध है और इसमें हरित क्षेत्र और मनोरंजन के लिए भूमि उद्दिष्ट है।

भारतीय पत्तनों में यातायात में बढ़ोतरी का रूझान देखा गया और आर्थिक विकास के समर्थन के लिए अवसंरचना को समनुरूप बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पत्तनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मुम्बई पत्तन के विकास/विस्तार के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और समुद्रीय व्यापार की मांगों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक अनुमोदन लेने के पश्चात् उचित निर्णय लिए जाते हैं।

लम्बित परियोजनाएं

194. श्री सुरेश अंगडि : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखंड राज्य विशेषतः पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2007-08 हेतु गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों जिनके आवेदन, पूरी हो चुकी परियोजनाओं सहित, निधियों के आवंटन हेतु युवक कार्यक्रम विभाग में लम्बित हैं, की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे संगठनों को कब तक धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है और धनराशि आबंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 2007-08 के दौरान उत्तराखंड राज्य के गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों के सभी लम्बित 25 प्रस्तावों, जिनमें 2 पौढ़ी गढ़वाल के भी शामिल हैं, पर विचार किया गया। 18 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया और 7 अधूरे प्रस्ताव रद्द कर दिये गये।

(ख) 18 संस्तुत मामलों में से, 6 मामलों में धनराशि जारी कर दी गई है तथा शेष 12 मामलों, जिनमें एक पौढ़ी गढ़वाल का भी शामिल है, में धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अनुदानग्राही संगठनों से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

अत्यंत संकटापन्न घड़ियाल

195. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व संरक्षण इकाई द्वारा लाल सूची में गंभीर रूप से संकटापन्न घोषित 100 घड़ियालों की वर्ष 2007 में मृत्यु हो गई जैसा कि 16 जनवरी, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न अभयारण्यों में आज की तिथि के अनुसार घड़ियाल की संख्या, अभयारण्य-वार क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सबसे बड़े पर्यावास के बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 8-12-2007 और 21-2-2008 के बीच की अवधि के दौरान लगभग 105 घड़ियालों के मारे जाने का पता चला है। घड़ियालों की इस प्रकार की मौत के लिए कोई विशेष कारण जिम्मेदार नहीं है। तथापि, खाद्य-श्रृंखला के माध्यम से नेफरो-टॉक्सिन के शरीर में जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) मंत्रालय में घड़ियालों की वर्तमान गणना की सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 2007 में की गई पिछली गणना के अनुसार विभिन्न अभयारण्यों में घड़ियालों की संख्या निम्नलिखित हैं:

1.	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	—	1457
2.	सोन घड़ियाल अभयारण्य	—	106
3.	केन घड़ियाल अभयारण्य	—	12
4.	कटेरनियाघाट अभयारण्य	—	70-80

(घ) सरकार द्वारा घड़ियालों और उनके वास-स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) घड़ियालों के महत्वपूर्ण वास-स्थलों जैसे चम्बल नदी, गेरुआ नदी को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(ii) घड़ियाल और उनके वास स्थलों सहित वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) घड़ियालों के वास स्थलों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अवैध बालू खनन रोकने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, घड़ियालों और उनके वास-स्थलों के संरक्षण और प्रबंध हेतु मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सहयोग किया गया है।

(iv) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में घड़ियालों को शामिल करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(v) घड़ियालों का बंधक अवस्था में प्रजनन क्रिया को सफलतापूर्वक मानीकृत किया गया है और जब भी अपेक्षित हो, बंधक अवस्था में जनित घड़ियालों को वनों में भी छोड़ा गया है।

(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने घड़िया मर्त्यता को रोकने में किए गए प्रयासों को समन्वित करने के लिए क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप गठित किया है।

गुणवत्ता वाले बीजों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना

196. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुणवत्ता वाले बीजों द्वारा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रयोक्ता एजेन्सियों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से वन उत्पादकता को बढ़ाना राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना में बहुत उच्च प्राथमिकता प्राप्त है तथापि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान में अलग से कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के माध्यम से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परियोजना व्यापक स्तर पर प्लांटिंग स्टाक सुधार के लिए शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग सभी राज्य सरकारों को उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों के उत्पादन हेतु हाईटैक नर्सरी और अनुसंधान इनपुट प्रदान किये जाते हैं।

(ग) अभी तक प्रयोक्त एजेंसियों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष मानदण्ड नहीं अपनाए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति

197. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पीड़ितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को बढ़ाने के लिए मोटरयान अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संशोधित क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना कब से प्रभावी होगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। सड़क दुर्घटना पीड़ित को मुआवजा या तो 'कोई गलती नहीं सिद्धांत' अथवा 'गलती सिद्धांत' के आधार पर दिया जाता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 में केवल 'कोई गलती नहीं सिद्धांत' पर मुआवजे का प्रावधान करता है। यदि दावेदार 'कोई गलती नहीं सिद्धांत' आधार पर दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं होता है तो वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अथवा सिविल न्यायालय में 'गलती सिद्धांत' के अंतर्गत उच्चतर धनराशि के लिए दावा करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार के मुआवजे की कोई सीमा नहीं होती है तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अथवा

सिविल न्यायालय मामले की प्राथमिकता के आधार पर मुआवजे की कोई भी धनराशि दे सकता है।

(ग) और (घ) जी हां। मोटरयान (संशोधन) बिल, 2007 में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:-

(क) हिट एण्ड रन मामलों में मुआवजा:-

	विद्यमान	प्रस्तावित
मृत्यु	25,000 रुपए	50,000 रुपए
गंभीर रूप से घायल	12,500 रुपए	25,000 रुपए

(ख) संरचनागत मुआवजा फार्मूले के अनुसार मुआवजा

1. बेरोजगार व्यक्तियों की मृत्यु के लिए एक नियत मुआवजा देय होगा:-

   (i) पांच वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए 1,00,000 रुपए।

   (ii) पांच वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए 1,50,000 रुपए।

2. गैर घातक दुर्घटनाओं में बेरोजगार व्यक्तियों के घायल होने के मामले में मुआवजा।

   (i) गंभीर चोट 50,000 रुपए से अनधिक

   (ii) हल्की चोट 20,000 रुपए से अनधिक

3. कमाऊ व्यक्तियों के मामले में मृत्यु अथवा अशक्तता के लिए मुआवजा उम्र और आहत व्यक्ति की वार्षिक आय पर निर्भर करेगा किन्तु यह अधिकतम 10 लाख रुपए तक होगा।

4. मृत्यु के मामले में सामान्य क्षतियां :-

		मौजूदा	प्रस्तावित
1.	पीडा और कष्ट	शून्य	5,000 रुपए तक
2.	कंसोर्टियम की क्षति, यदि लाभ प्राप्तकर्ता पति/पत्नी हैं	5,000 रुपए	10,000 रुपए तक
3.	परिसंपत्ति की हानि	2500 रुपए	5,000 रुपए तक
4.	मृत्यु से पूर्व वहन चिकित्सा व्यय जिसके साथ बिल/वाउचरों को विधिवत् संलग्न किया गया हो।	15,000 रुपए से अनधिक	50,000 रुपए से अनधिक

5. गैर-घातक दुर्घटनाओं में हुई अशक्तता के मामले में सामान्य क्षतियां :-

		मौजूदा	प्रस्तावित
1.	पीडा और कष्ट-गैर घातक चोट	1,000 रुपए	5,000 रुपए तक
2.	पीडा और कष्ट-घातक चोट	5,000 रुपए	20,000 रुपए तक
3.	मृत्यु से पूर्व वहन चिकित्सा व्यय जिसके साथ बिल/वाउचरों को विधिवत् संलग्न किया गया हो।	15,000 रुपए से अनधिक	50,000 रुपए से अनधिक

(ङ) प्रस्तावित संशोधन कब तक प्रभावी होगा इसे इस समय बताना संभव नहीं है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी

198. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) में कर्मचारियों की भारी कमी है जिसके परिणामत: कार्यभार बढ़ता है, पासपोर्ट निर्गत होने में विलम्ब होता है तथा आरपीओ के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो आरपीओ-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी आरपीओ में रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कदम उठाए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) अधिकांश पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि पासपोर्ट आवेदनों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हो पाई है। केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या 1997 से 2007 के बीच 123% बढ़ गयी (1997 में 22.2 लाख से बढ़कर 2007 में 49.4 लाख हो गयी)। तथापि, इसी अवधि के दौरान सी.पी.ओ. के कर्मचारियों की संख्या में 25.41% की बढ़त हुई है।

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार कर्मचारियों में कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की कमी के ब्यौरे
1	2	3
1.	अहमदाबाद	56
2.	बैंगलोर	27
3.	बरेली	शून्य
4.	भोपाल	10
5.	भुबनेश्वर	8
6.	चंडीगढ़	13
7.	चेन्नई	7
8.	कोचिन	शून्य
9.	दिल्ली	शून्य
10.	गाजियाबाद	शून्य
11.	गुवाहाटी	7
12	हैदराबाद	15
13.	जयपुर	16
14.	जालंधर	8
15.	जम्मू	6
16.	कोलकाता	4
17.	कोझीकोड	शून्य
18.	लखनऊ	शून्य
19.	मदुरई	शून्य
20.	मलप्पुरम	26
21.	मुंबई	4
22.	नागपुर	8
23.	पणजी	5
24.	पटना	5

1	2	3
25.	पुणे	11
26.	रायपुर	शून्य
27.	रांची	7
28.	शिमला	16
29.	श्रीनगर	शून्य
30.	सूरत	20
31.	थाने	4
32.	त्रिचि	शून्य
33.	त्रिवेन्द्रम	शून्य
34.	विशाखापट्टनम	11

भर्ती में पारदर्शिता और जवाबदेही

199. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती की एक नई प्रणाली बनाने पर विचार किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ''स्थानीय अधिशासन-भविष्य में एक प्रेरक यात्रा'' नामक अपनी छठी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि शहरी स्थानीय निकायों में अस्पतालों और स्कूलों के लिये भर्ती गैर-जवाबदेह राज्य स्तरीय भर्ती से हटाकर किसी संस्था/समिति द्वारा की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट http://www.arc.gov.in पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में भी रख दी गयी हैं।

(ग) और (घ) इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार करने एवं स्वीकृति देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

आर.टी.आई आवेदनों पर अस्पष्ट सूचना देना

200. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने के बावजूद कई मामलों में सूचना मांगने वालों को उनकी याचिका के प्रत्युत्तर में काफी विलम्ब करने के बाद भी अधूरी और अस्पष्ट सूचना दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो व्यवस्था को सुधारने और प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) यह ध्यान में आया है कि कुछ मामलों में सूचना मांगने वालों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम में सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रावधान निहित हैं यदि निर्धारित समय के भीतर सही और पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चार लेन का बनाना और उत्तर प्रदेश में बाइपास का निर्माण

201. **श्री संतोष गंगवार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चार लेन का बनाने और बरेली सहित उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में बाइपास निर्मित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू/पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 के मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर खंड को छोड़कर इस राजमार्ग को चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो गया है/प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर इस खंड को चार लेन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और इसको जून, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के मुरादाबाद-बरेली खंड में रामपुर बाइपास, मिलक बाइपास, मीरगंज बाइपास, फतेहगंज बाइपास और बेरली बाइपास के निर्माण का प्रावधान है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से अनुमोदन मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के इस खंड को पूरा करने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु सहायता

202. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007 के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए व्यय का क्या ब्यौरा है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 2007 के दौरान छह सौ चौसठ तीर्थयात्रियों ने कैलाश-मानसरोवर की यात्रा की।

(ख) वर्ष 2007 के दौरान यात्रा के लिए सरकार ने संचार, संभारतंत्रों, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर 56,42,057/- रुपए का व्यय किया।

[हिन्दी]

आईएईए के साथ बातचीत

203. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री मोहन सिंह :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भारत संबंधी सुरक्षापायों के संबंध में करार को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ बातचीत शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कितने दौर की बातचीत हो चुकी है और उनमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) नवंबर, 2007, दिसंबर, 2007 और जनवरी, 2008 में बातचीत की गई थी।

(ग) अब तक बातचीत के चार दौर पूरे हो चुके हैं। सुरक्षोपायों संबंधी करार से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय मछुआरों का पकड़ा जाना

204. **श्री हरिन पाठक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) द्वारा सैकड़ों भारतीय मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने की नौकाओं को पकड़ लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने मछुआरों और उनकी नौकाओं को पकड़ा गया;

(ग) सरकार द्वारा उनकी रिहाई हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी (पीएमएसए) द्वारा 2005 में 460, 2006 में 365, 2007 में 124 और 2008 में 22 भारतीय मछुआरे अभिरक्षा में लिए गए। इसी प्रकार 2003 और 2005 के बीच 251, 2006 में 58, 2007 में 29 और 2008 में 4 नौकाएं अभिरक्षा में ली गईं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 372 भारतीय मछुआरे और 342 नौकाएं पाकिस्तानी प्राधिकारियों की अभिरक्षा में हैं। अधिकांश मछुआरे और नौकाएं गुजरात और दीव और दमन के संघीय राज्य क्षेत्र से हैं।

(ग) और (घ) 2005 से पाकिस्तान द्वारा 1579 मछुआरे मुक्त किए गए हैं, जिनमें 2005 से पूर्व अभिरक्षा में लिए मछुआरे शामिल हैं। सरकार उच्चतम स्तर सहित पाकिस्तान सरकार के समक्ष नियमित रूप से मछुआरों और उनकी रिहाई के मुद्दे को उठाती रही है। दोनों देशों में स्थित बंदियों की शीघ्र रिहाई हेतु भारत और पाकिस्तान के न्यायाधीशों की एक न्यायिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की प्रथम बैठक 26-27 फरवरी, 2008 को आयोजित होगी।

केरल में आयुष संस्थान

205. श्री पी.सी. थामस :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल सरकार से आयुष संस्थानों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित संस्वीकृत निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

केरल राज्य को आयुष संस्थानों के विकास एवं उन्नयन हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 2007-08 के दौरान संस्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	कालेज/संस्थान का नाम	स्कीम घटक	स्वीकृति सं. तिथि	राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	राजकीय आयुर्वेद कालेज, त्रिपुनितुरा	पी.जी.	जेड. 14013/12/2006-ई एंड सी-19.07.07	11.84
2.	राजकीय आयुर्वेद कालेज, त्रिपुनितुरा	पी.जी.	जेड. 14013/6/06-ई एंड सी-28.09.07	26.61
3.	राजकीय आयुर्वेद कालेज, तिरूवनंतपुरम	पी.जी.	जेड. 15011/12/2003-ई एंड सी-1.11.07	40.50
4.	राजकीय आयुर्वेद कालेज, कन्नूर	पी.जी.	जेड. 15011/50/2000-ई एंड सी-1.11.07	70.53
5.	वैध रत्नम पी.एस. वरियर आयुर्वेद कालेज, कोट्टाकल	पी.जी	जेड. 15011/26/99-ई एंड सी-12.11.07	45.42

1	2	3	4	5
6.	राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कोझिकोड	यू.जी.	जेड. 15011/30/2006-ई एंड सी-19.07.07	62.00
7.	राजकीय आयुर्वेद कालेज, त्रिपुनितुरा	यू.जी.	जेड. 15011/27/2007-ई एंड सी-29.1.08	9.64
8.	डा. पडियार होम्यो मेडिकल कालेज, चोट्टानीक्करा	यू.जी.	जेड. 15011/29/2007-ई एंड सी-29.1.08	47.00
9.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कालेज, त्रिपुनितुरा	पी.जी.	जेड. 14013/6/06-ई एंड सी-20.02.08	112.00

उपरोक्त के अलावा, 100.00 लाख रुपए संबंधी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर से प्राप्त एक प्रस्ताव को आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग की छानबीन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। 825.00 लाख रुपए के अनुदान संबंधी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरूवनंतपुरम से प्राप्त एक प्रस्ताव पर पिछले अनुदानों से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारण इस पर विचार नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास अभिघात केंद्र

206. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केंद्र स्थापित करने की संकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचआरएसएस) के अंतर्गत एंबुलेंस तैनात की गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी कितनी एंबुलेंस तैनात की गई हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने '11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना के लिए परियोजना' नामक एक संशोधित स्कीम तैयार की है। यह परियोजना दसवीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त अभिघात केन्द्रों के निरीक्षण और विद्यमान परियोजना के दोष के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर बनाई गई है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम महामार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वयं के द्वारा निर्मित और प्रचलित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के 4/6 लेन के खंडों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग इस स्कीम के अंतर्गत अभिघात केन्द्र के लिए अभिनिर्धारित जिला अस्पतालों को एम्बुलेंसों की आपूर्ति करेगा।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ित को निकटतम चिकित्सा केन्द्र तक ले जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को एम्बुलेंस प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंसों के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई एम्बुलेंसों की सूची

राज्य	एम्बुलेंस
1	2
आंध्र प्रदेश	2

1	2
असम	11
बिहार	2
छत्तीसगढ़	10
गोवा	4
गुजरात	9
हरियाणा	27
हिमाचल प्रदेश	12
जम्मू और कश्मीर	12
झारखंड	14
कर्नाटक	22
केरल	8
मध्य प्रदेश	18
महाराष्ट्र	19
मणिपुर	6
मेघालय	7
मिजोरम	8
नगालैंड	4
उड़ीसा	18
पंजाब	13
सिक्किम	8
तमिलनाडु	16
त्रिपुरा	13
उत्तराखंड	18
उत्तर प्रदेश	43
पश्चिम बंगाल	6
चंडीगढ़	1
दिल्ली	6
जोड़	337

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं के लिए विदेशी संस्थानों से अनुदान

207. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के निमार्ण, रख-रखाव और चौड़ीकरण हेतु विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि/अनुदान को खर्च कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन ने भारत सरकार के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की है। इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक ने सूरत-मनोर टोलवे परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यक्ष ऋण भी मुहैया कराया है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से अब तक प्राप्त ऋण और प्रयुक्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य वित्तीय संस्थाओं से कोई निधियां/अनुदान नहीं लिए गए हैं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण की स्थिति
(जनवरी 2008 तक)

एजेंसी	ऋण सं.	परियोजना का विवरण	करार की तारीख	ऋण की प्रभावी तारीख	अंतिम तिथि	ऋण राशि	जनवरी, 08 तक प्रयुक्त धनराशि	आज की तारीख तक प्रयुक्त धनराशि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एडीबी	1747-आईएनडी	सूरत-मनोर टोलवे परियोजना	05/10/2000	8/11/2000	30/09/2005 को बन्द	165,000,000 अमरीकी डालर	149,740,000 अमरीकी डालर	90.75
	1839-आईएनडी	पश्चिम परिवहन महामार्ग परियोजना	14/12/2001	4/2/2002	31/12/2006 को 30/06/2008 तक बढ़ाया गया	159,479,000 अमरीकी डालर	141,523,000 अमरीकी डालर	88.74
	1944-आईएनडी	पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना	25/08/2003	19/11/2003	31/12/2006 को 30/06/2008 तक बढ़ाया गया	320,000,000 अमरीकी डालर	241,904,000 अमरीकी डालर	75.60
	2029-आईएनडी	राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग क्षेत्र-I परियोजनाएं	27/10/2004	24/01/2005	31/12/2007 को 30/06/2008 तक बढ़ाया गया	400,000,000 अमरीकी डालर	257,331,000 अमरीकी डालर	64.33
	2154-आईएनडी	राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग क्षेत्र-II परियोजनाएं	15/12/2005	20/02/2006 31/12/2008	31/12/2008 को अमरीकी डालर तक बढ़ाया गया	400,000,000 अमरीकी डालर	65,315,000	16.33
			जोड़			1,444,479,000 अमरीकी डालर	855,813,000 अमरीकी डालर	59.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्व बैंक	4764-आईएन	लखनऊ मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एलएमएनएचपी)	18/11/2005	28/12/2005	30/06/2010	620,000,000 अमरीकी डालर	252,520,000 अमरीकी डालर	40.73
	4719-आईएन	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (एबीपी)	16/12/2003	15/03/2004	30/06/2009	240,000,000 अमरीकी डालर	167,226,033 अमरीकी डालर	69.68
	4622-आईएन	ग्रांड ट्रंक रोड़ सुधार परियोजना (जीटीआरआईपी)	27/07/2001	21/11/2001	31/12/2006 को 31/12/2007 तक बढ़ाया गया	576,470,000 अमरीकी डालर	461,130,000 अमरीकी डालर	79.99
	4559-आईएन	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (टीएनएचपी)	11/8/2000	2/10/2000	30/06/2006 को 31/12/2007 तक बढ़ाया गया	409,840,,000 अमरीकी डालर	407,785,577 अमरीकी डालर	99.50
			जोड़			1,846,310,000 अमरीकी डालर	1,288,661,610 अमरीकी डालर	69.80
जेबीआईसी	आईडीपी-91	उत्तर प्रदेश में पहुंच मार्ग के साथ इलाहाबाद/नैनी में यमुना नदी पर पुल का निर्माण	24/01/1994	24/01/1994	11/3/2005	10037 मिलियन येन	7514.97 मिलियन येन	74.87
	आईडीपी-100	आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के जगतपुर-चंडीखोल खंड को सुदृढ़ीकरण सहित चार लेन का बनाना	28/05/1995	28/05/1995	12/01/2005	5838 मिलियन येन	3541.24 मिलियन येन	60.68
			जोड़			15,873 मिलियन येन	11,056.21 मिलियन येन	69.65

[अनुवाद]

सार्क देशों के बीच सड़क संपर्क खोलना

208. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्क देश सभी सार्क देशों के बीच सड़क संपर्क खोलने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जी हां। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में अप्रैल, 2007 को राज्याध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों ने ''क्षेत्र में एक एकीकृत बहु-विध परिवहन प्रणाली के पूर्ण फायादे को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि भौतिक अवसंरचना और बहु-विध परिवहन प्रचालन सहित सीमा-शुल्क अनापत्ति एवं अन्य सुविधा के उपायों का व्यापक तौर पर समाधान नहीं कर लिया जाता''। इस संबंध में प्रथम सार्क परिवहन मंत्रियों की 29/31 अगस्त, 2007 तक आयोजित बैठक के दौरान चर्चा की गई, बैठक में एशियाई विकास बैंक द्वारा तैयार और वित्तपोषित की गई सार्क क्षेत्रीय बहुविध परिवहन अध्ययन संबंधी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में, कई रेल और समुद्री संपर्कों के साथ-साथ निम्नलिखित अग्रगामी उप क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय सड़क गलियारे की सिफारिश की गई:

- फुंटशोलिंग से हाशिमारा तक संपर्क
- काठमांडू-बीरगंज-कोलकाता/हल्दिया
- अगरतला-अखौरा-चटगांव

भारत ने सदस्य-राज्यों के विचारार्थ क्षेत्रीय मोटर वाहन करार के प्रारूप को भी परिचालित किया है। सदस्य-राज्य, मार्च/अप्रैल, 2008 में श्रीलंका में होने वाली अंतरसरकारी परिवहन दल की तीसरी बैठक के दौरान कार्यान्वित की जाने के लिए चिह्नित अग्रगामी परियोजनाओं की व्यवहार्यता/वांछनीयता की जांच कर रहा है।

सी.जी.एच.एस. और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा नैदानिक केन्द्र की स्थापना हेतु संयुक्त उद्यम

209. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सी.जी.एच.एच. लाभार्थियों के लिए सी.जी.एच.एस. और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमि. द्वारा एक नैदानिक और रोगविज्ञान परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के संयुक्त उद्याम हेतु सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की एक सहयोगी कम्पनी, हिन्डलैब ने सेक्टर-XII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में उसके आस-पास के क्षेत्रों के सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस की भागीदारी के साथ प्रायोगिक परियोजना आधार पर एक नैदानिक प्रयोगशाला स्थापित की है। इस प्रयोगशाला द्वारा अपना काम एवं खर्च स्वयं चलाए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को चार लेन का बनाना

210. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम यातायात संभालने के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का स्थान तीसरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व अनुमोदनानुसार हैदराबाद से विजयवाड़ा तक के 265 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बना दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा नियत की गई है; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 9 देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के उच्च यातायात सघनता वाले महामार्गों में से एक है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के 265 किमी. की कुल लंबाई में से हैदराबाद-विजयवाडा के बीच लगभग 89 किमी. लंबाई को पहले ही चार लेन का बनाया जा चुका है और शेष लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत बी.ओ.टी. (पथकर) आधार पर बनाने का प्रस्ताव है जिसे दिसंबर, 2011 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुहैया कराई जाने वाली प्रस्तावित मार्गस्थ सुविधाओं में रेस्टोरेन्ट, कार-पार्किंग, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, अल्पावधि के लिए ठहरने हेतु डोरमेटरी, टेलीफोन बूथ, आपतकालीन स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं, विविध आइटम के लिए कियोस्क आदि के प्रावधान शामिल हैं।

दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं संबंधी अध्ययन

211. **श्री रघुनाथ झा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है;

(ग) सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने आपातकालीन वार्ड/सेवाओं के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, दिल्ली विश्व विद्यालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, चिकित्सा, सर्जरी, हड्डीरोग, बालरोग, न्यूरोसर्जरी और बर्न जैसी विशिष्टताओं में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रहती हैं और इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ 24 घंटे तैनात रहते हैं। आपातकालीन सेवाओं के सभी रोगियों को जीवनरक्षक औषधियां निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन

212. **श्री रशीद मसूद :** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन धीमी गति से हो रहा है जैसा कि दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भारत सरकार की ऐसी कितनी परियोजनाएं नियत कार्यक्रमानुसार पूरी नहीं हुई हैं; और

(घ) परियोजनाओं के विलम्ब से पूरा होने के लिए जिम्मेदार कंपनियों/ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) 1 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, इस समय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रबोधन प्रणाली के अंतर्गत 20 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 880 परियोजनाओं में से 298 परियोजनाएं संशोधित अनुमोदित अनुसूची के संदर्भ में समय से पीछे चल रही हैं।

(ख) सरकार ने इन विलम्बों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो चल रहे हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) दो-स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली अपनाना तथा निवेश के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं का सम्यक् मूल्यांकन;

(ii) निधियों की पूर्णत: व्यवस्था के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए लेना;

(iii) सरकार द्वारा मासिक और तिमाही आधार पर परियोजनाओं की गहन समीक्षा;

(iv) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, इन्फ्रास्ट्रकचर सुविधाओं, परियोजना स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करना;

(v) विभागीय तौर पर क्रियान्वित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकार प्राप्त समिति का गठन;

(vi) समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर-मंत्रालयिक समन्वय;

(vii) समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(viii) प्रत्येक परियोजना के लिए, कार्यकाल की निरंतरता के साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; और

(ix) मानक बोली दस्तावेज स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, 2007-08 के दौरान पूरी करने हेतु नियत 343 परियोजनाओं में से, 54 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य 251 परियोजनाओं को मार्च, 2008 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) समय और लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु स्थायी समितियों का एक तंत्र संबंधित मंत्रालयों में स्थापित है। इन समितियों ने 30 परियोजनाओं की जांच की है और प्रशासनिक विलम्बों के संबंध में प्रणाली से संबंधित सुधारों तथा आपूर्तियों में विलम्बों एवं ठेकेदारों द्वारा निर्माण में विलम्बों के वास्ते परिनिर्धारित नुकसान अधिरोपित करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

जैव-संवर्धित फसलें (जी.एम.सी.)

213. श्री पी. मोहन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्रांसजेनिक फसलों की नई किस्मों का परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) किन-किन राज्यों में इन फसलों को मानव उपभोग हेतु उगाया जा रहा है;

(घ) क्या ऐसे जी एम सी उत्पादों को घरेलू किस्मों पर वरीयता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसी जी एम सी किस्मों से लोगों को एलर्जी होती है और वे वातावरण को प्रदूषित करते हैं तथा सरकार ने इसका संज्ञान किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार उपभोक्ताओं को ऐसे प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के प्रति जिन सुरक्षापायों के बारे में विचार कर रही है उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित (जी. एम.) फसलों जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी ओकरा, बीटी कैस्टर, ट्रांसजैनिक ग्रांउडनट, ट्रांसजैनिक टमाटर और ट्रांसजैनिक आलू का लैबोरेटरी, ग्रीनहाउस में विभिन्न चरणों में परीक्षण किया जा रहा है और जैवसुरक्षा आंकड़े तैयार करने के उद्देश्य से बहुस्थानिक फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) बीटी कॉटन एक मात्र ऐसी ट्रांसजैनिक फसल है जिसे भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है।

(घ) और (ङ) किसानों द्वारा देशज फसल प्रजातियों के मुकाबले बीटी कॉटन हाईब्रिड्स को ज्यादा पसंद किया गया है क्योंकि इसका उत्पादन अधिक होता है और कीटनाशकों का भी कम मात्रा में प्रयोग होता है।

(च) और (छ) सभी तरह की ट्रांसजैनिक फसलों का पर्यावरण में रिलीज करने और मानव उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान करने से पूर्व उनका व्यापक स्तर पर जैव-सुरक्षा मूल्यांकन किया जाता है जिनमें पर्यावरण सुरक्षा मूल्यांकन तथा फूड और फीड सुरक्षा मूल्यांकन शामिल हैं।

हरिपुर में परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

214. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल में पुर्बा मेदिनीपुर जिले के हरिपुर में परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रस्ताव हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ली जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भविष्य में लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थलों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति (एसएससी) द्वारा किए गए अनुरोध के जवाब में, पश्चिम बंगाल सरकार ने हरिपुर स्थित एक स्थल की पेशकश की थी। स्थल चयन समिति ने विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का मूल्यांकन किया है। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) के मद्दे नजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जीवनरक्षक दवाओं हेतु अनुसंधान

215. **श्री गणेश सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीवनरक्षक दवाओं हेतु अनुसंधान के संबंध में सरकार द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा नई जीवनरक्षक दवाओं के अनुसंधान पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ड्रग्स और फार्मासुटिकल क्षेत्र में आर एण्ड डी के सहयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष 1994-95 से एक प्लान योजना (ड्रग्स एण्ड फार्मासुटिकल रिसर्च प्रोग्राम डीपी आर पी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके उद्देश्य निम्नवत हैं:-

- सार्वजनिक रूप से निधिक आर एण्ड डी संस्थान और भारतीय फार्मासुटिकल उद्योग की क्षमता को सहक्रियाशील बनाना।
- नई औषध विकास को सुकर बनाने के लिए एक समर्थ अवसंरचना, मशीनतंत्र और अनुबन्धों का सृजन करना।
- औषध और फार्मासुटिकल के लिए आर एंड डी में मानव संसाधनों के कौशल विकास को प्रेरित करना।
- फार्मा इन्डस्ट्रियल आर एण्ड डी परियोजना के लिए आयान ऋण में वृद्धि करना।
- औषध और फार्मासुटिकल विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के जटिल क्षेत्रों में राष्ट्र का स्वावलम्बन बढ़ाना।

इस कार्यक्रम के तहत अब तक पशु चिकित्सा औषधों सहित आधुनिक और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में 85 उद्योग-संस्थागत संगठनों को निधियां दी गई हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों में फार्मासुटिकल आर एण्ड डी के लिए 32 अत्याधुनिक आधारभूत अवसंरचना का सृजन किया गया है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान डीपीआर कार्यक्रम में 217.63 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए 500.00 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन विद्यमान है।

कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु राज्यों का अनुरोध

216. श्री काशीराम राणा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों सरकारों ने अपने राज्य उपक्रमों हेतु और अधिक कोयला ब्लाक आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) 27 ब्लाकों-10 विद्युत क्षेत्र के लिए तथा 17 अन्य उपयोगों की एक सूची कोयला मंत्रालय के दिनांक 7 नवम्बर, 2006 के पत्र के तहत राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके नियंत्रणाधीन केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आबंटन हेतु परिचालित की गई थी। उन्हें 19.1.07 तक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। विद्युत क्षेत्र हेतु निर्धारित ब्लाकों के लिए केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल 183 आवेदन और अन्य कोयला ब्लाकों के लिए 73 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की संख्या तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिन्होंने विभिन्न राज्यों से आवेदन प्रस्तुत किए थे, के सांख्यिकीय ब्यौरे दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने इन आवेदनों की जांच की और सभी 27 कोयला ब्लाक विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आबंटित कर दिए गए हैं।

विवरण

उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या के सांख्यिकी ब्यौरे जिन्होंने विभिन्न राज्यों से आवेदन प्रस्तुत किए

राज्य/केन्द्रीय मंत्रालय	विद्युत क्षेत्र		वाणिज्यिक उपयोग	
	पीएसयू की संख्या	आवेदनों की संख्या	पीएसयू की संख्या	आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5
विद्युत मंत्रालय	2	5		
इस्पात मंत्रालय	5	6	2	9
खान मंत्रालय	2	1		
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	3	17	1	2
पेट्रोलियम मंत्रालय	1	1		
झारखंड	3	15	1	17
आंध्र प्रदेश	3	22	2	18
पांडिचेरी	1	8		

1	2	3	4	5
गुजरात	4	19		
छत्तीसगढ़	2	10	1	4
महाराष्ट्र	3	18	2	10
मेघालय	1	10		
मध्य प्रदेश	1	10	1	8
असम	1	10		
उत्तराखंड सरकार	1	1		
पंजाब	1	1		
उड़ीसा	5	14		
तमिलनाडु	2	6		
उत्तर प्रदेश	1	1		
केरल	1	1		
बिहार	2	2		
राजस्थान	1	3(वापिस लिया)		
पश्चिम बंगाल	1	2	1	3
कर्नाटक			1	2
	कुल	183		73

कोयले की नीलामी

217. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीलामी के माध्यम से उपभोक्ताओं को कोयले बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरीके से कोल इंडिया लि. का लाभ बढ़ेगा तथा वास्तविक उपभोक्ता कोयला पाने के अवसर से वंचित रहेंगे क्योंकि वे उच्च दरों पर बोली लगाने में समर्थ नहीं होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण) : (क) और (ख) जी, हां। 18 अक्तूबर, 2007 को अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोल इंडिया लि. द्वारा ई-नीलामी की नई योजना आरंभ की जाएगी ताकि उन उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराया जा सके, जो कोयले की आवश्यकता की समयानुकूलता, कोयले की सीमित आवश्यकता, जिसके वास्ते दीर्घकालिक लिंकेज अपेक्षित नहीं है, आदि जैसे कारणों से उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। कोल इंडिया लि. द्वारा ई-नीलामी की नई योजना नवम्बर, 2007 से आरंभ की गई है।

(ग) से (ङ) ई-नीलामी की प्रणाली का उद्देश्य कोल इंडिया लि. का लाभ बढ़ाना नहीं है बल्कि सभी इच्छुक कोयला उपभोक्ताओं को कोयला खरीदने के समान अवसर प्रदान करके एक सुगम तथा पारदर्शी प्रणाली की व्यवस्था करना है और यदि कोल इंडिया लि. को कोई लाभ होता है तो वह संयोगवश है। नई योजना में उन औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की आगे बिक्री का भी प्रावधान है जो लम्बे समय तक सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा कोयला कुल कोयला उत्पादन का केवल अल्प प्रतिशत है। लिंकेजों के द्वारा उपभोक्ताओं को कोयला उत्पादन की अधिकांश आपूर्ति की जा रही है।

भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

218. श्री शिशुपाल एन. पटले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने हेतु स्वीकृति दी है जैसाकि 25 जनवरी, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संस्थानों द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है; और

(घ) ऐसे संस्थानों में प्रतिदिन कितने रोगियों का उपचार किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सरिता विहार, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का अनुमोदन किया है जो आयुर्वेदिक औषधि संबंधी मौलिक अनुसंधान, औषधि सुरक्षा मूल्यांकन, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और वैज्ञानिक विधिमान्यकरण पर ध्यान क्रेंद्रित करेगा। संस्थान उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर और वाचस्पति पाठ्यक्रमों को भी संचालित करेगा। संस्थान में नैदानिक अनुसंधान को सरल बनाने हेतु एक 200 बिस्तर वाला अनुसंधान और रेफरल अस्पताल होगा।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान XIवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात मार्च, 2012 तक पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा।

(घ) पूर्णतः क्रियाशील होने पर संस्थान शुरू में आईपीडी रोगियों के अलावा प्रतिदिन लगभग 250-300 ओपीडी रोगियों का उपचार करेगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी

219. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण से संबंधित क्रियाकलापों में अनिवासी भारतीयों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है तथा अनिवासी भारतीयों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में 7 जनवरी से 9 जनवरी, 2008 तक आयोजित छठे प्रवासी भारतीय दिवस, 2008 के दौरान भारत में ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रवासी भारतीयों को अपनी लोकोपकारी प्रवृति को सरणीबद्ध करने के लिए अपेक्षित संस्थागत समर्थन के स्वरूप और भागीदारी के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 'डायस्पोरा लोकोपकार: ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण'

विषय पर एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया था। भारत में डायस्पोरा पूंजी को सरणीबद्ध करने के लिए एक गैर-लाभार्जक संस्था स्थापित करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है। प्रस्तावित संस्था प्रवासी भारतीयों को सामाजिक कार्यों जिनमें ग्रामीण विकास शामिल हैं, के लिए योगदान करने में सहायता हेतु एक विश्वसनीय संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

वनरोपण कार्यक्रम

220. **श्री मदन लाल शर्मा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कोई व्यापक वनरोपण कार्यक्रम क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यों हेतु कोई वनरोपण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने में राज्य सरकारों द्वारा निभायी जा रही भूमिका का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अवक्रमित वनों और आस-पास के क्षेत्रों में पुनरूद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) नामक मुख्य स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम का दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य 5 लाख हेक्टेयर था, जिसके विरूद्ध दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोधन के लिए 8.49 लाख हेक्टेयर कुल परियोजना क्षेत्र अनुमोदित किया गया दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी स्कीमों के अंतर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण के अलावा राज्य क्षेत्र स्कीमों और बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत भी वनीकरण और वृक्षारोपण करती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना

221. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 'राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है जैसा कि वि दिसंबर, 2007 के हिन्दी समाचारपत्र, 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्राधिकरण की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या योजना आयोग ने कुछ ऐसी कम्पनियों की पहचान की है जो अपने उत्पाद बेचने हेतु गुमराह करने वाले विज्ञापनों का सहारा ले रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) योजना आयोग ने अपने ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के अधिनियमन के माध्यम से 'राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उक्त प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापनों सहित धोखाधड़ी से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह विधि निर्माण में होने वाले समयांतराल को पूरा कर सकता है, जो एकाधिकार तथा निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (एम आर टी पी सी) के प्रस्तावित समापन के कारण उत्पन्न हो सकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

रेडियोधर्मी एवं परमाणु ऊर्जा संसाधन

222. **डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कितनी मात्रा में देशी व आयातित रेडियोधर्मी/परमाणु ऊर्जा ईंधन का प्रयोग किया गया तथा कितने रुपये मूल्य के देशी व आयातित पदार्थों का प्रयोग किया गया;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) इस समय काम कर रहे 17 परमाणु विद्युत रिएक्टरों (4120 मेगावाट) में से, दो रिएक्टर (320 मेगावाट) आयातित कम समृद्ध यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं। शेष 15 रिएक्टर (3800 मेगावाट) स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, करोड़ रुपयों में ईंधन के मूल्य और मिलियन यूनिटों (एमयूज) में परमाणु विद्युत के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	स्वदेशी		आयातित		कुल	
	ईंधन (करोड़ रुपए)	उत्पादन (एमयूज)	ईंधन (करोड़ रुपए)	उत्पादन (एमयूज)	ईंधन (करोड़ रुपए)	उत्पादन (एमयूज)
2004-05	540	14423	85	2587	625	17010
2005-06	692	15667	30	1657	742	17324
2006-07	674	16198	75	2603	749	18801

परियोजनाओं हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी

223. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर किए गए प्रस्तावों की कुल लागत कितनी है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को दी गयी सहायता और मंजूरी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान अर्थात् 2006 और 2007 में महाराष्ट्र से कुल 301 परियोजनाएं प्राप्त हुई थी जिनमें से 297 परियोजनाओं को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी 1994 और 2006 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) अधिसूचनाओं के संदर्भ में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-

औद्योगिक परियोजनाएं	71
थर्मल पावर प्लांट्स	08
खनिजों का खनन	58
भवन और निर्माण परियोजनाएं	152
नदी घाटी	08

मंत्रालय इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किसी तरह की सहायता नहीं देता है और 2006 की ई आई ए अधिसूचना के अंतर्गत निवेश मापदंड का परित्याग कर दिया गया है।

(घ) ई आई ए अधिसूचना, 2006 में परियोजना प्रस्तावकों से पूरी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् निर्णय लेने हेतु 105 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

कोलफील्ड्स में आग लगने की घटनाएं

224. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीआईएल ने बीसीसीएल और ईसीएल के झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स क्षेत्रों में आग लगने और जमीन धंसने की

घटनाओं की वजह से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई कार्य योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) बीसीसीएल तथा ईसीएल के क्रमशः झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड्स के लीजहोल्ड क्षेत्रों में आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने के लिए कार्य/मास्टर प्लान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह मामला सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पैकेज के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, किंतु आर एंड आर पैकेज के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, किंतु आर एंड आर पैकेज के लिए झारखंड राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। इसके प्राप्त हो जाने पर ही प्रस्ताव को सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

विवरण

आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने के लिए बीसीसीएल तथा ईसीएल के लीजहोल्ड में कार्रवाई/मास्टर प्लान का संक्षिप्त ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	बीसीसीएल मास्टर प्लान जुलाई, 2006	ईसीएल मास्टर प्लान अगस्त, 2006
1	2	3	4
क.	आग से निपटना		
1.	पहचान की गयी आग की कुल संख्या एवं प्रस्तावित कार्य योजना	67	7
2.	प्रभावित कोलियरियों की संख्या	41	7 क्षेत्रों में फैली
3.	कुछ सतही क्षेत्र (किमी.2)	8.90	7.55
4.	कार्यान्वित की जाने वाली आग परियोजनाओं की संख्या (चालू ईएमएससी/आरसीएफसी योजनाओं सहित)	45	7
5.	कुल अवधि वर्ष में	10+2 (कार्यान्वयन-पूर्व कार्यकलाप)	10
6.	कुल निर्दिष्ट निधि (करोड़ रु.)	2152.51	35.88
ख.	आबादी वाले स्थलों का पुनर्वास		
7.	पुनर्वासित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थलों की संख्या	595	139

1	2	3	4
8.	खाली कराए जाने वाले मकानों की सं.	—	—
	(i) कंपनी के मकान	44155	876
	(ii) गैर-कंपनी के मकान	54159	32320
	कुल	98314	33196
9.	निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित मकानों की संख्या	79159	32000 (लगभग 4 टाउनशिप में)
10.	पुनर्वास के लिए अपेक्षित भूमि (हैक्टे.)	1504.99	896.29
11.	कुल अनुमानित पूंजी आवश्यकता (करोड़ रु.)	4185.94	2256.82
ग.	रेल तथा सड़क का अपवर्तन		
12.	अनुमानित पूंजी (करोड़ रु.)	20.00	7.72
	निधि की आवश्यकता का सकल जोड़ करोड़ रु. में (क + ख + ग)	6358.45	2300.42

इसरो द्वारा चन्द्रयान का प्रक्षेपण

225. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित चन्द्रयान-I परियोजना जिसे अप्रैल, 2008 में आरंभ किया जाना था, समयानुसार चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी तैयारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं। इस समय चन्द्रयान-I जून-जुलाई, 2008 के दौरान प्रमोचन के लिए निर्धारित है।

(ख) विविध एजेंसियों से नीतभार प्राप्त किए जा रहे हैं और योजनानुसार उपग्रह समाकलन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) मिशन के निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु विविध उपप्रणालियों और अंतरिक्षयान की संपूर्ण और समुचित जांच को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2008 के लिए निर्धारित चंद्रयान-I के प्रमोचन को बढ़ाकर जून-जुलाई, 2008 कर दिया गया है।

ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे

226. **श्री उदय सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी संख्या में बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ऐसे बच्चों को समुचित इलाज मुहैया कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) देश में ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, अपंगताओं वाले क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे कई संगठन प्रत्येक दिन ऑटिज्म से ग्रसित कई नए बाल रोगियों का पता लगा रहे हैं। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999, विशेषकर ऑटिज्म और अन्य लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए है। इस अधिनियम, के अंतर्गत परिचर्या प्रदायक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे कई कार्यकलाप किए जाते हैं। इस रोग के शुरू में ही निदान और उपाय कर लेने से सीमित रूप में अपंगता होती है। सरकारी अस्पतालों के बाल रोग एवं मनोचिकित्सा विभाग ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कालेजों/जनरल अस्पतालों तथा राज्य द्वारा चलाए जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के मनोचिकित्सा विभागों को बेहतर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी ऑटिज्म सहित मानसिक विकारों के समुचित उपाय की व्यवस्था करता है।

कोयले की कीमतों में बढ़ोत्तरी

227. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री सुब्रत बोस :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. का विचार विद्युत कंपनियों को बेचे जाने हेतु कोयले की कीमतों में बढ़ोत्तरी की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने दिनांक 12.12.07 की अधिसूचना के तहत नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स जहां बढ़ोतरी 15% है को छोड़कर सीआईएल की सभी कंपनियों में हाल में कोयला मूल्यों की समीक्षा की है और 10% की मूल्य वृद्धि की है। कोयले की इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण साढ़े तीन वर्षों के अंतराल के बाद यह संशोधन लागू किया गया है।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का भारत दौरा

228. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2008 के दौरान ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर उनके दौरे के दौरान चर्चा की गयी तथा उन समझौतों/समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है जिन पर हस्ताक्षर किए गए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री गॉर्डन ब्राउन ने चौथे भारत-यूके शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20-21 जनवरी, 2008 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, यूके और भारत के प्रधानमंत्री ने परस्पर हित के विभिन्न द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए भारत-यूके उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर एक समझौता-ज्ञापन संपन्न किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने शिखर सम्मेलन में 21 जनवरी, 2008 को एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत-यूके शिखर सम्मेलन

संयुक्त वक्तव्य

1. भारत-यूके शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 जनवरी, 2008 को दिल्ली में किया गया। यूनाइटेड किंगडम के शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री महामहिम गॉर्डन ब्राउन ने किया जबकि भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व डा. मनमोहन सिंह ने किया।

भारत-यूके सामरिक साझेदारी

2. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सामरिक साझेदारी है। दोनों पक्षों ने वर्ष 2004 में शुरू की गई सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया तथा वैश्विक चुनौतियों से कारगर ढंग से निबटने के उपाय के रूप में लोकतंत्र के मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रताओं, बहुलवाद, कानून का शासन, मानवाधिकारों के लिए सम्मान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं वित्तीय संरचना में

बहुपक्षवाद, आदि के प्रति अपनी साझी धारणा की फिर से पुष्टि की। घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध की वजह से वैश्विक मामलों में सहयोग बढ़ रहा है तथा नानाविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी में काफी विस्तार हो रहा है। 'नई दिल्ली घोषणा' (2002) और 'भारत-यूके संयुक्त घोष्णा' (2004) की उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापक सामरिक साझेदारी को प्रगाढ़ और सुदृढ़ करने के प्रति स्वयं को वचनबद्ध करते हैं, जो बढ़ते आर्थिक संबंधों तथा यूनाइटेड किंगडम में विशाल भारतीय डायसपोरा की मौजूदगी का आधार है।

आर्थिक और वाणिज्यिक

3. बढ़े हुए व्यापार और निवेश प्रवाहों के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम भारत में तीसरा सबसे बड़ा संचयी निवेशक है। भारत यूनाइटेड किंगडमक में सबसे बड़े निवेशकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें अनेक प्रमुख अधिग्रहण शामिल हैं जिससे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की बढ़ती परिपक्वता परिलक्षित होती है। यूनाइटेड किंगडम भारत के महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक साझेदारों में से है। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से हाई-टेक (आईसीटी, जीवन विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, आदि) अनुसंधान, उन्नत विनिर्माण, अवसंरचना, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि उत्पादों तथा प्रसंस्कृत आहार, उच्च शिक्षा तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावना को स्वीकार किया।

4. दोनों पक्षों ने 13 दिसंबर 2007 को लंदन में आयोजित भारत-यूके संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेईटीसीओ) की चौथी बैठक के परिणाम का जायजा लिया। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई तथा ऐसे उपायों पर दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदायों से बहुमूल्य फीडबैक प्राप्त किया गया जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाहों में और अधिक बढ़ोत्तरी हो सके। भारत और यूनाइटेड किंगडम लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई), उद्यमियों, संयुक्त उद्यम पूंजीपतियों के बीच साझेदारी बढ़ाने में सहयोग करने के लिए सहमत हुए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने दिल्ली में सीईओ के गोल मेज की बैठक तथा भारत और यूनाइटेड किंगडम के व्यापार रहनुमाओं के उद्यमी शिखर सम्मेलन का स्वागत किया। तेजी से बढ़ रहे व्यापारिक और आर्थिक संबंधों तथा तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक प्रतिस्पर्धी लाभ के पैटर्न के आलोक में दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सेवाओं के लिए व्यापक संभावना को स्वीकार किया। उन्होंने दोनों पक्षों के लिए लाभ के व्यापक क्षेत्रों में व्यावसायिकों के सुलभ आवागमन और उदारीकरण के माध्यम से बाजार पहुंच में हो रहे सुधार के महत्व को नोट किया।

5. दोनों पक्षों ने भारत में चल रहे व्यापक अवसंरचना विकास कार्यक्रम के संदर्भ में अवसंरचना के क्षेत्र में विशाल अवसरों का जायजा लिया। क्रियान्वित की जा रही अवसंरचना परियोजनाओं पर सूचना के प्रवाह से व्यापार साझेदारियों को बढ़ावा मिलता है। दोनों पक्ष यूनाइटेड किंगडम की सहायता से अवयंरचना में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के लिए भारत में क्षमता निर्माण कार्यक्रम की स्थापना के लिए प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

6. भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को नोट किया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, गतिशीलता और उद्यमशील प्रतिभाओं के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अनगिनत योगदान दिया है।

शिक्षा

7. दोनों पक्षों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ज्ञान सम्पन्न समाजों के बीच परम्परागत रूप से घनिष्ठ संबंधों को नोट किया। उन्होंने माना कि अप्रैल 2006 में आरम्भ की गई भारत-यूनाइटेड किंगडम शिक्षा एवं अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई) इन सम्पर्कों को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियोजित विशाल विस्तार को भी नोट किया जिससे सकल नामांकन अनुपात में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके तहत केन्द्र सरकार की अनेक उत्कृष्ट संस्थाओं की स्थापना शामिल है जिसमें 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), 7 नए भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम), 5 भारतीय समाज विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों तथा 30 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की

स्थापना शामिल है। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष देशों के छात्रों और संकायों के परस्पर लाभ के लिए शिक्षा और कौशलों में तथा विकास हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठ साझेदारी निर्मित करेंगे। सहयोग को और प्रगाढ़ करने के लिए सहयोग के नए अवसरों का पता लगाते हुए दोनो पक्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशिष्ट उपाय शुरू करने पर सहमत हुए।

वे विशेष रूप से सहमत हुए: शिक्षा साझेदारी करार को जल्दी से सम्पन्न करने की दिशा में कार्य करने के लिए एक शिक्षा मंच स्थापित करना; भारत और यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों में नेतृत्व कौशलों के विकास के लिए भारत-यूनाइटेड किंगडम उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन करना; यूनाइटेड किंगडम की अग्रणी शिक्षा संस्थाओं की भागीदारी से प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों में संकाय विकास को बढ़ावा देने के लिए यूकेआईईआरआई के अंतर्गत कार्यक्रम स्थापित करना; यूनाइटेड किंगडम की सरकार से और निधियन की प्रतिबद्धता के साथ छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम और साझेदारी को और विकसित करना; और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों तथा भारत की अग्रणी शिक्षा संस्थाओं के बीच अग्र सक्रिय संबंधों को बढ़ावा देना, जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कम से कम एक नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक नया भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहयोग करना शामिल है। इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में कुलपतियों से युक्त ब्रिटिश शिष्टमंडल तथा उनके भारतीय समकक्षों के बीच बैठक के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम और भारत के संगत प्राधिकरणों के बीच अधिक सहयोग के माध्यम से डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करने के लिए भी वे सहमत हुए। दोनों पक्ष अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण पर भारत-यूके सहयोग में और विकास के लिए सहमत हुए। दोनों सरकारें अपने वैश्विक शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की दिशा में साथ काम करने के लिए दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं की सशक्त रूचि को स्वीकार करती हैं।

अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8. भारत और यूनाइटेड किंगडम को अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में विकास की काफी संभावना दिखाई देती है। वे नई और विद्यमान पहलों के माध्यम से अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सहमत हैं तथा भारत-यूनाइटेड किंगडम विज्ञान और नवाचार परिषद तंत्र के माध्यम से दोनों देशों की सभी अनुसंधान निधियन संस्थाओं द्वारा चर्चा को विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं। भारत में अनुसंधान परिषद यूके (आरसीयूके) कार्यालय स्थापित करने संबंधी यूनाइटेड किंगडम का प्रस्ताव स्वागत योग्य घटना है जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग और बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत और यूनाइटेड किंगडम समता के सिद्धांत पर संयुक्त निधियन से बराबर की साझेदारी के आधार पर संस्था दर संस्था साझेदारियां निर्मित करने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम विज्ञान सेतु पहल स्थापित करेंगे। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत से तुलन अनुदान के साथ आरसीयूके 4 मिलियन पाउंड का योगदान देगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम की शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम और भारत यूकेआईईआरआई अवार्ड के अगले दौर को अनुसमर्थित करने के लिए भी वे सहमत हुए जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने 3 वर्ष की अवधि में 2 बिलियन पाउंड तथा डीएसटी ने समता के आधार पर इस निधियन का तुलन अनुदान प्रदान करने के लिए वचन दिया है। डीएसटी, भारत और इंजीनियरिंग एवं भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ईपीएसआरसी), यूके अनुसंधान के चयनित क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं के विकास के शुरूआती चरण में सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए।

असैन्य परमाणु सहयोग

9. दोनों पक्ष सुरक्षित, पोषणक्षम और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्त्रोत के रूप में असैन्य परमाणु ऊर्जा की क्षमता पर भरपूर बल देते हैं जो ऊर्जा सुरक्षा, स्थाई विकास, आर्थिक विकास प्राप्त करने तथा जलवायु परिवर्तन सीमित करने

और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। यूनाइटेड किंगडम भारत-अमरीका असैन्य परमाणु सहयोग पहल का इसके सभी अवयवों के साथ समर्थन करता है जिसमें परमाणु प्रदायक समूह दिशानिर्देशों में भारत विशिष्ट उपयुक्त छूट शामिल है। जैसा कि दोनों देश उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी से संपन्न हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं तथा अप्रसार के प्रति अपनी तगड़ी प्रतिबद्धता के अनुरूप इस प्रयोजना के लिए द्विपक्षीय करार की दिशा में त्वरित ढंग से कार्य करेंगे। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तथा सहयोग करने के लिए अपने-अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना भी जारी रखेंगे। दोनों पक्ष आईटीईआर के संबंध में साथ मिलकर काम करने के लिए अपने-अपने वैज्ञानिकों के वास्ते उपलब्ध अवसर का भी स्वागत करते हैं।

जलवायु परिवर्तन

10. भारत और यूनाइटेड किंगडम का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन तथा मानव जाति के लिए इसके प्रभावों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कारगर और व्यावहारिक समाधान ढूंढना आवश्यक है। इसके तहत ऐसी उपशमन और अनुकूलन रणनीतियां शामिल होंगी जो विशेष रूप से विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दें। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर में दीर्घ कालीन अंतर एक महत्वपूर्ण और साम्यपूर्ण सिद्धांत है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं के संदर्भ में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बाली में सफल परिणाम पर संतोष व्यक्त किया जिसने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की प्रासंगिकता की पुष्टि की, जिसमें इसके प्रावधान और सिद्धांत, विशेष रूप से साझी किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं का सिद्धांत शामिल है। बाली रोड मैप के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया का लक्ष्य यूएनएफसीसीसी के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना होना चाहिए तथा विकासशील देशों की चिंता से जुड़े मसलों को उचित अधिमानता देना चाहिए, विशेष रूप से उन मसलों को जो अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और निधियन व्यवस्था से संबंधित हैं। जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने भारत-यूनाइटेड किंगडम जलवायु परिवर्तन प्रभाव तथा अनुकूलन अध्ययन के दूसरे चरण पर भारत-यूनाइटेड किंगडम करार की घोषणा पर संतोष व्यक्त किया।

भारत और यूनाइटेड किंगडम का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है तथा वे बाजार संबंद्ध निवेश के लिए नये दृष्टिकोणों का पता लगाना चाहते हैं जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सम्भव बनाए। दोनों पक्ष न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में आ रही रूकावटों का पता लगाने के उद्देश्य से परियोजना के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे। भारत की भावी प्राथमिकताओं के अनुसरण में कार्बन बाजार निवेश में बढ़ोतरी को सुकर बनाने के उद्देश्य से इसकी क्षमता का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए इस वर्ष भारत में सीएमडी के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए वे इस परियोजना में भी सहयोग करेंगे। दोनों पक्षों ने न्यून कार्बन ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास सहयोग के महत्व को स्वीकार किया तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों एवं अन्य विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर दोनों देशों के बीच विस्तृत हो रही वार्ता का स्वागत किया।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)

11. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तात्कालिक वैश्विक प्रयास की जरूरत है। भारत और यूनाइटेड किंगडम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा वैश्विक गरीबी कम करने के लिए प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए तथा दोनों पक्षों ने वैश्विक स्तर पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नयी साझेदारी आरम्भ की। दोनों पक्षों ने इस लक्ष्य की दिशा में अपने संयुक्त ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का उपयोग करने का वचन दिया जिसमें तृतीय देश सहयोग शामिल है। भारत और यूनाइटेड किंगडम दूसरे देशों में सहयोग करने के लिए अवसरों का पता लगाने का कार्य आरम्भ करेंगे जहां दोनों पक्षों का विकास संबंधी हित है। भारत और यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के उपायों पर संयुक्त रूप से विचार करेंगे। कम्पाला, चोगम 2008 में राष्ट्रमंडल के तहत इस प्रयोजनार्थ तंत्र की स्थापना को नोट करते

हुए दोनों प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि भारत और यूनाइटेड किंगडम को इस महत्वपूर्ण मसले पर द्विपक्षीय रूप में अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए। वे अनुभवों के निरन्तर आदान-प्रदान तथा प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक माल पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में भावी सहयोग के महत्व पर सहमत हुए, जिनका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

12. भारत और यूनाइटेड किंगडम बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दोहा दौर के शीघ्र, निष्पक्ष और महत्वाकांक्षी परिणाम का जोरदार समर्थन करते हैं। दोहा कार्य सूची की सफल निष्पत्ति विकास आयाम पर अवश्य संकेंद्रित होनी चाहिए। सदस्य देशों के बीच विद्यमान मतभेदों को सभी के लाभ के प्रयोजनार्थ दूर करना होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच घनिष्ठ सहयोग संतुलित और व्यापक करार हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

भारत-यूरोपीय संघ

13. भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विस्तृत व्यापार निवेश करार के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्ता के सिलसिले में हुई प्रगति का स्वागत किया तथा इस प्रकार के करार के लिए शीघ्र और परस्पर लाभप्रद वार्ता की निष्पत्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सफलता पर संतोष व्यक्त किया।

अंतर्राष्ट्रीय

14. दोनों पक्षों ने व्यापक श्रेणी के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की, तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक प्रतिनिधिमूलक और कारगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व पर सहमत हुए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि 21वीं शताब्दी की सच्चाइयों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने वाली संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वैश्विक सहयोग और सुरक्षा में वृद्धि होगी। यूनाइटेड किंगडम विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि करता है।

15. उन्होंने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण में अफगान सरकार का समर्थन करने के प्रति अपनी स्थाई प्रतिबद्धता की पुष्टि की, तथा अफगानिस्तान की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुसंहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व को दोहराया। उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए आईएईए के साथ पूरी तरह सहयोग करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए ईरान से आग्रह किया। इस संबंध में, उन्होंने ईरान के साथ सतत वार्ता के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व तथा पश्चिम एशिया में व्यापक, न्यायोचित और टिकाऊ शांति स्थापित करने संबंधी तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों, रोड मैप, और अरब लीग संकल्प (बेरूत 2002) सहित विद्यमान करारों के आधार पर इजरायल और फिलीस्तीन विवाद के वार्ता के माध्यम से समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, तथा इस दिशा में काम करने के लिए संबंधित पक्षों से आग्रह किया। यूनाइटेड किंगडम और भारत अफ्रीका में शांति एवं समृद्धि के लिए योगदान करने हेतु वचनबद्ध हैं। उन्होंने सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूपरेखा यानी नई अफ्रीकी विकास साझेदारी में अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास बढ़ाने के महत्व को स्वीकार किया, तथा यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना अभियानों में भारत के योगदान की विशेष रूप से सराहना की। भारत और यूनाइटेड किंगडम उत्तरी और दक्षिण सूडान के बीच व्यापक शांति करार के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करेंगे। वे डार्फुर, जिसकी नींव एक कारगर शांति स्थापना बल द्वारा रखी गई है, के लिए एक स्थाई राजनीतिक समझौते पर पहुंचने के लिए एयू-यूएन प्रयासों का समर्थन करेंगे। उन्होंने सभी वैर भावों को तत्काल मिटाने के लिए संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों का आह्वान किया तथा स्थाई एवं टिकाऊ युद्ध विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

16. दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान में जल्दी से समृद्धि और स्थिरता की वापसी होगी तथा 18 फरवरी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संसदीय चुनाव के महत्व को स्वीकार किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि बर्मा/म्यांमार में राष्ट्रीय मेलमिलाप और राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया समावेशी, विस्तृत होनी चाहिए तथा तेजी से आगे बढ़नी चाहिए ताकि लोकतंत्र और निष्पक्ष मेलमिलाप की दिशा में प्रगति हो सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के वर्तमान प्रयासों के लिए अपना प्रबल समर्थन व्यक्त किया, तथा आशा व्यक्त की कि वे यथा शीघ्र बर्मा/म्यांमार का फिर से दौरा करने में समर्थ होंगे। उन्होंने नेपाल में 10 अप्रैल को चुनाव होने संबंधी घोषणा का स्वागत किया तथा रोकटोक के बिना, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए घोषित तिथि पर चुनाव कराने के लिए सहयोग करने हेतु सभी पक्षों से आग्रह किया। अपने भविष्य का निर्णय करना नेपाल की जनता के ऊपर है। दोनों पक्षों की यह देखने की इच्छा है कि बांग्लादेश की जनता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपनी इच्छा का प्रयोग करेगी। वे इस बात पर सहमत हुए कि श्रीलंका में जारी संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है, तथा श्रीलंका की सरकार से एकीकृत श्रीलंका की रूपरेखा के भीतर सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य राजनीतिक समाधान ढूंढने में मुख्य योगदान के रूप में विश्वसनीय सत्ता हस्तांतरण पैकेज प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

आतंकवाद से लड़ना

17. आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जिसके लिए वैश्विक प्रत्युत्तर की जरूरत है। दोनों पक्ष आतंकवाद जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, से लड़ने में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हैं। वे द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से तथा बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में विचारों, अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को गहन करने पर सहमत हैं। वे भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त आतंकवाद विरोधी कार्य समूह के माध्यम से सहयोग को सुदृढ़ करेंगे। बहुपक्षीय दृष्टि से, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध व्यापक अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र में यथा शीघ्र करार किए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। द्विपक्षीय दृष्टि से, भारत और यूनाइटेड किंगडम मौजूदा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सहमत हैं जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना का संरक्षण, व्यापक पारगमन प्रणालियां एवं प्रमुख क्रीड़ा कार्यक्रमों की सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा, आतंकवाद के वित्तपोषण पर एक नई द्विपक्षीय वार्ता स्थापित करने पर सहमति हुई। यूनाइटेड किंगडम ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

नई दिल्ली में 21 जनवरी 2008 को हस्ताक्षरित।

डा. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री, भारत

माननीय गॉर्डन ब्राउन,
प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम

जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

229. **श्री एन.एन. कृष्णदास :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के अथीरपल्ली वन क्षेत्र में जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 की शर्तों पर 2x80 मैगावाट अथीरपल्ली हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना, केरल को 18 जुलाई, 2007 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी और पर्यावरणीय मंजूरी में कैचमैंट क्षेत्र सुधार, अथरीपल्ली फाल पर 7.65 क्यू.मी. को न्यूनतम बहाव छोड़ना, फरवरी से मई के दौरान शाम 7 बजे से 11.00 बजे के बीच पावर परियोजना को चलना और जनजातीय परिवारों का विस्थापन न करने की कतिपय शर्तें लगाई थी।

विदेशों में भारतीय कामगारों को परेशान किया जाना

230. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में अकुशल एवं अर्ध-कुशल भारतीय कामगार विदेशों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में काम करने वाले भारतीय, कामगारों को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने/विलम्ब से भुगतान किए जाने, क्रूरता, यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों द्वारा दी गई उत्प्रवास जांच अपेक्षित स्वीकृति के आधार पर भारत से कामगारों के वार्षिक पलायन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां। कभी-कभी मजदूरी का भुगतान न करने/देरी से भुगतान करने और अन्य तरह से परेशान करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) विदेशों में भारतीय कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:

(i) यदि पंजीकृत भर्ती एजेंटों को शामिल पाया जाता है तो उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जैसे लाइसेंस का निलम्बन/रद्द करना, बैंक गारंटी को जब्त करना, आदि।

(ii) यदि अपंजीकृत एजेंटों को शामिल पाया जाता है तो मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों को सौंपा जाता है।

(iii) यदि विदेशी नियोक्ताओं को शामिल पाया जाता है तो उन्हें कालीसूची में डाला जाता है और पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रख दिया जाता है।

(iv) सभी महिला उत्प्रवासियों, जिनके पास 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले पासपोर्ट होते हैं, चाहे उनके रोजगार का स्वरूप/श्रेणी कुछ भी हो, के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा को अनिवार्य रूप से 30 वर्ष कर दिया गया है।

(v) उपेक्षित श्रेणियों अर्थात सभी महिला उत्प्रवासियों और अकुशल श्रमिकों के मामले में सभी 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले देशों के लिए दस्तावेजों का संबंधित भारतीय मिशनों से सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भारतीय उत्प्रवासी की सीधी भर्ती करने वाले प्रत्येक विदेशी नियोक्ता को बैंक गारंटी के रूप में भारतीय मिशन के पास 2500 अमरीकी डालर की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

(vii) यह निर्णय लिया गया है कि 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले देशों में घरेलू सेवा कामगारों के लिए भारतीय मिशनों द्वारा बाजार मजदूरी को ध्यान में रखते हुए 300-350 अमरीकी डालर के दरमियान न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी।

(viii) उत्प्रवासी कामगारों में जागरूकता सृजन के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया है।

(ix) उत्प्रवासी कामगारों के लिए 12x7 हेल्पलाइन सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र खोला गया है।

(x) कामगारों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने प्रमुख श्रम आयातक देशों के साथ द्विपक्षीय करार भी किए हैं। ऐसे समझौता ज्ञापन संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ किए जा चुके हैं। मलेशिया और ओमान के साथ समझौता ज्ञापनों को अन्तिम रूप दिया गया है। कतर के साथ एक अतिरिक्त नयाचार (प्रोटोकोल) को अन्तिम रूप दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005 से 2007 तक के लिए भारत से विभिन्न देशों में श्रमिकों के वार्षिक पलायन का वितरण

क्रमांक	देश	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त अरब अमीरात	194412	254774	312695

1	2	3	4	5
2.	सऊदी अरब	99897	134059	195437
3.	मलेशिया	71041	36500	30916
4.	कतर	50222	76324	88483
5.	ओमान	40931	67992	95462
6.	कुवैत	39124	47449	48467
7	बहरीन	30060	37688	29966
8.	मालदीव	3423	4671	इसीएनआर
9.	मॉरिशस	1965	1795	इसीएनआर
10.	जोर्डन	1851	1485	1254
11.	लिबिया	—	—	3223
	अन्य	15945	14175	3550
	योग	548853	676912	809453

कवल वन्यजीव अभयारण्य में वन भूमि का अतिक्रमण

231. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कवल वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, पेड़ों को काटे जाने तथा अवैध शिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध तथा इस क्षेत्र में वन क्षेत्र के और विनाश को रोकने तथा बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश के कवल वन्यजीव अभयारण्य में 399 हेक्टेयर क्षेत्र में जुलाई, 2007 के अक्टूबर 2007 के दौरान पेड़ों के काटे जाने और अतिक्रमण के प्रयास किए गए। अवैध शिकारियों द्वारा कुल 13246 पेड़ काटे गए। यद्यपि, इस अवधि के दौरान अवैध शिकार की घटनाओं की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य-सरकार द्वारा अतिक्रमण से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. 53 अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 420 लोग गिरफ्तार किए गए और न्यायिक हिरासत में लिए गए।
2. वनों के विनाश को रोकने के लिए जिला-प्रशासन और पुलिस-बल शामिल किए गए हैं।
3. स्थानीय आदिवासियों को सुरक्षा चौकसी के रूप में वनों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है।
4. ग्रामीणों में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।
5. अभयारण्य में 9.00 बजे रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है।

(घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मारीशस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

232. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा मारीशस सरकार ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी हां। भारत सरकार और मारीशस की सरकार ने भारत-मारीशस द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विषय क्षेत्रों को शामिल करते हुए विगत वर्षों में कई करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार एवं आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत और मॉरीशस के बीच संबंध विविध क्षेत्रों में बढ़े हैं और पारस्परिक फायदे के लिए सुदृढ़ हुए हैं। यह दोनों देशों के बीच शीर्ष राजनीतिक स्तरों पर नियमित आदान-प्रदान से प्रदर्शित होता है। मारीशस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का समर्थन किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति उसका निरंतर समर्थन शामिल है। राजनीतिक संपर्कों को सुदृढ़ करने का भारत और मारीशस के बीच आर्थिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है; भारत, मारीशस को सामानों और सेवाओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।

कार्गो पर उपकर

233. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी कार्गो संचालन पर उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नीति को अंतिम रूप देने के पूर्व समुद्रवर्ती राज्यों से परामर्श करेगी; और

(घ) यदि हां, तो राज्य संसाधनों पर वित्तीय दबाव की क्षतिपूर्ति किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एनटीपीसी को कोयले बिक्री

234. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. अपने कोयले की बिक्री नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार, वर्ष-वार कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) आपूर्ति किए गए प्रत्येक श्रेणी के कोयले में राख का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या कोयले की गुणवत्ता नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की आवश्यकता के अनुरूप है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला उत्पादन कंपनियां सम्पूर्ण देश में स्थित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के संयंत्रों को कोयला सप्लाई कर रही हैं। 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) के दौरान कोयले की ग्रेड-वार सप्लाई नीचे दी गई है:

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	गैर-कोकिंग कोयला-ग्रेड						वाशरी से असम्बद्ध कोकिंग कोयला	धुला हुआ गैर-कोकिंग कोयला
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005-06	65	851	9495	20261	12050	47430	2817	4741

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006-07	83	1290	11513	21468	10320	46494	1841	5722
2007-08*	15	646	8265	21269	6145	38713	2147	3937

*दिसम्बर, 2007 तक

(ग) से (च) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/लिंकेज की शर्तों पर आवश्यकता के अनुरूप कोयला उत्पादन कंपनियों में यथा उत्पादित विभिन्न ग्रेड का कोयला सप्लाई किया जाता है। उपयोगी उष्म उपयोगिता (यूएचवी) के आधार पर ग्रेडों में कोयले की कोटि का निर्धारण किया जाता है जिसका निर्णय प्रेषण-वार संयुक्त नमूना एवं विश्लेषण की पद्धति के माध्यम से किया जाता है। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) के दौरान एनटीपीसी के संयंत्रों को सप्लाई किए गए कोयले के विभिन्न ग्रेडों हेतु राख की ग्रेड-वार श्रेणी कंपनी-वार नीचे दी गई है:

कंपनी	गैर-कोकिंग कोयला-ग्रेड					
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	11.7-13.2	16.1-18.9	20.2-22.9	25.8-31.8	30.9-37.4	38.3-39.0
भारत कोकिंग कोल लि.			24.22-30.9	28.1-37.8	33.2-38.2	
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.		17.5-18.4	20.7-23.6	33.1-33.7	33.02-34.28	44.1-44.5
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.			18.0-20.0	21.0-26.0	31.0-33.0	35.0 से ऊपर
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.				21.0-27.0	27.0-33	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.						35.0-41.0
महानदी कोलफील्ड्स लि.						38.0-41.0

वाशरी से असम्बद्ध कोकिंग कोयले तथा धुले हुए गैर-कोकिंग कोयले की राख की अधिकतम प्रतिशतता क्रमशः 35% और 34% है।

इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में ग्रेड समनुरूपता में समग्र सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

हिन्दी पदों का सृजन

235. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 जुलाई, 2004 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अंतरिक्ष विभाग तथा इसके केंद्रों/इकाइयों में अनेक हिन्दी पदों का सृजन नहीं किया गया है, जिनमें से अधिकांश 'ख' और 'ग' क्षेत्र में अवस्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले का हल करने तथा पदों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का है;

(घ) क्या प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में अपने सहकर्मियों की तुलना में राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में अधिकारियों के साथ न सिर्फ

वेतनमान के मामले में बल्कि अगले उच्च पद के लिए पात्रता हेतु अपेक्षित वर्षों की संख्या के दृष्टिकोण से भी भेदभाव किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असंगति को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1997 में अंतरिक्ष विभाग में कुछ हिंदी पदों का सृजन/उन्नयन किया गया था। जहां इस विभाग में हिंदी पदों के लिए वेतनमान राजभाषा विभाग (डी ओ एल ढांचे) के समान हैं, हिंदी अधिकारियों के कुछ पदों के लिए रेजीडेंसी की अवधि में प्रशासनिक कारणों से थोड़ा अंतर है। राजभाषा विभाग के 22.7.2004 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर सीधी भर्ती और पदोन्नति सहित हिंदी पदों के सृजन से संबंधित संपूर्ण मुद्दे पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की गई है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कोयला खान

236. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कुल कितनी कोयला खानें हैं और इनके नाम/स्थान क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कोयला खानों से कुल कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया तथा इनका कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स की कुछ कोयला खानों में कोयले का भंडार लगभग समाप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इन कोयला खानों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ऐसी कोयला खानों को बंद करने की योजना बना रही है/बंद कर चुकी हैं;

(च) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को किसी नए स्थान पर कोयला भंडार का पता चला है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) 1.10.07 की स्थिति के अनुसार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) के अंतर्गत नाम/स्थान सहित कोयला खानों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों से निकाले गए कोयले की कुल मात्रा तथा इसका कुल मूल्य निम्नवत है:

वर्ष	कुल उत्पादन (मि.ट.)	कुल विक्रय मूल्य (करोड़ रु.)
2004-05	41.41	3,976.31
2005-06	43.20	4,407.89
2006-07	43.21	4,434.00

(ग) और (घ) कुछ खानों के खनन योग्य भंडार लगभग समाप्त हो गए हैं तथा ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र. सं.	खान का नाम	खान का प्रकार	बंद होने का संभावित वर्ष	कारण
1.	भाटडी	ओसी	2007-08	कोयला भंडार समाप्त होने के कारण
2.	जुनाद	ओसी	2008-09	-वही-
3.	पाथेरखेरा-I	यूजी	2008-09	-वही-
4.	गजनदोह	यूजी	2008-09	-वही-
5.	न्यू सेथिया	ओसी	2008-09	-वही-
6.	गौरी-I	ओसी	2008-09	-वही-
7.	गौरी-II	ओसी	2008-09	-वही-

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) वर्ष 2007-08 में, डब्ल्यूसीएल कमांड क्षेत्र में कोई नया कोयला भंडार नहीं पाया गया है।

विवरण

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

1.10.2007 की स्थिति के अनुसार क्रियाशील खानों की संख्या

महाराष्ट्र राज्य

क्र.सं.	जिला	क्षेत्र		यूजी खान	स्थिति		ओसी खान	स्थिति	मिश्रित	मिश्रित खान	टिप्पणी
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
1.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	1	एचएलसी सं. 1	उत्पादन हो रहा है	1	एचएलसी ओसी+ एचएलसी विस्त.	उत्पादन हो रहा है	शून्य	11	
			2	एचएलसी सं. 3 (#)	उत्पादन नहीं हो रहा है	2	दुर्गापुर	उत्पादन हो रहा है			(#) 29.3.06 से उत्पादन बंद। सामग्री और उपकरण जो प्रगति पर है, प्राप्त कर लेने के बाद खान का परित्याग करने का प्रस्ताव है।
			3	माना इन्क्ल.	उत्पादन हो रहा है	3	पदमपुर	उत्पादन हो रहा है			
			4	नंदगांव इन्क्ल.	उत्पादन हो रहा है	4	भाटडी	उत्पादन हो रहा है			
			5	महाकाली	उत्पादन हो रहा है						
			6	सी. रयतवारी	उत्पादन हो रहा है						
			7	डी. रयतवारी	उत्पादन हो रहा है						

1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
2.	चन्द्रपुर	बल्लारपुर	8	बल्लारपुर	उत्पादन हो रहा है	5	बल्लारपुर	उत्पादन हो रहा है	शून्य	8	
			9	सास्ती	उत्पादन हो रहा है	6	न्यू धूपताला	उत्पादन हो रहा है			
						7	सास्ती	उत्पादन हो रहा है			
						8	गौरी-I	उत्पादन हो रहा है			
						9	गौरी-II	उत्पादन हो रहा है			
						10	पौणी	उत्पादन हो रहा है			
3.	चन्द्रपुर	माजरी	10	न्यू माजरी सं. 3	उत्पादन हो रहा है	11	न्यू माजरी II ए सेक्स. बी ऐंड सी	उत्पादन हो रहा है	शून्य	7	
						12	न्यू माजरी Iए सेक्स. ए	उत्पादन हो रहा है			
						13	तेलवासा	उत्पादन हो रहा है			
						14	नवीन कुनाडा फेस-I	उत्पादन हो रहा है			
						15	घोर्वासा	उत्पादन हो रहा है			
						16	नवीन कुमाडा फेस-II	उत्पादन हो रहा है			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	चन्द्रपुर	वणी			17 घुघुस	उत्पादन हो रहा है	शून्य	1	
	यवतमल				18 नीलजय साउथ	उत्पादन हो रहा है		5	
	-वही-				19 नीलजय	उत्पादन हो रहा है			
	-वही-				20 नईगांव	उत्पादन हो रहा है			
	-वही-				21 मुंगोली	उत्पादन हो रहा है			
	-वही-				22 कोलगांव	उत्पादन हो रहा है			
5.	यवतमाल	वणी नार्थ	राजपुर पिट(**)	उत्पादन नहीं हो रहा है			शून्य	6	(**) राजपुर पिट उत्पादन 10.7.2000 से बंद है। प्रबंधक, भांडेवाड़ा खान द्वारा डीवाटरिंग और अन्य गतिविधियों का प्रबंधन किया जा रहा है।
			11 भांडेवाड़ा इन्क.	उत्पादन हो रहा है	23 उकनी	-वही-			
			12 कुम्भेरखानी	उत्पादन हो रहा है	24 पीम्पलगांव	-वही-			
				उत्पादन हो रहा है	25 कोलारपिम्परी	-वही-			
				उत्पादन हो रहा है	26 जुनाद	-वही-			

1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
6.	नागपुर	नागपुर	13	सिलवेरा	उत्पादन हो रहा है	27	काम्पटी	-वही-	(एस)	11	(एस) इन्दर यूजी खान 22.4.07 से परित्यक्त। बंद करने संबंधित नोटिस जारी कर दिया गया है। इसलिए इन्दर ओसी खान को अलग से ओपनकास्ट शीर्ष के तहत दर्शाया गया है। इन्दर ओसी खान में उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ है।
			14	एकी इन्क	उत्पादन हो रहा है	28	गोंडगांव				
			15	पिपुला	उत्पादन हो रहा है	29	इन्दर				
			16	पतनसौंगी	उत्पादन हो रहा है						
			17	साउनेर-I	उत्पादन हो रहा है						
			18	साउनेर-II	उत्पादन हो रहा है						
			19	साउनेर-III	उत्पादन हो रहा है						
			20	अदसा	उत्पादन हो रहा है						
7.	चन्द्रपुर	उमरेर	21	मुरपुर परि.	उत्पादन हो रहा है					1	
	नागपुर					30	उमरेर	उत्पादन हो रहा है		2	
	-वही-					31	मकरधोकरा-II	उत्पादन हो रहा है			

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	जिला	क्षेत्र	यूजी खान		स्थिति	ओसी खान	स्थिति	मिश्रित खान		स्थिति	कुल खान
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10
8.	बेतुल	पाथेरखेरा	22	पाथेरखेरा-I	उत्पादन हो रहा है						9
			23.	पाथेरखेरा-II	उत्पादन हो रहा है						
			24.	सतपुरा-II	उत्पादन हो रहा है						
			25.	शोभापुर	उत्पादन हो रहा है						
			26.	सरनी	उत्पादन हो रहा है						
			27.	तवा	उत्पादन हो रहा है						
			28.	तवा-II	उत्पादन हो रहा है						
			29.	छतरपुर-I	उत्पादन हो रहा है						
			30.	छतरपुर-II	उत्पादन हो रहा है						
9.	छिंदवारा	पेंच	31	नेहरिया	उत्पादन हो रहा है			1	रावणवारा खास		14

1	2	3		4	5		6	7		8	9	10
			32	मथानी	उत्पादन हो रहा है	32	न्यू सेतिया	उत्पादन हो रहा है				
			33	थेसगोरा	उत्पादन हो रहा है	33	चानिदा	उत्पादन हो रहा है				
			34	विष्णुपुर-I	उत्पादन हो रहा है	34	शिवपुरी-II	उत्पादन हो रहा है				
			35	विष्णुपुर-II	उत्पादन हो रहा है	35	भज्जीपणी	उत्पादन हो रहा है				
			36	गणपति	उत्पादन हो रहा है	36	बरकुई	उत्पादन हो रहा है				
			37	महादेवपुरी	उत्पादन हो रहा है							
			38	गजनदोह	उत्पादन हो रहा है							
10.	छिंदवारा	कन्ना	39	नंदन-I	उत्पादन हो रहा है	37	गोदावरी-2	उत्पादन हो रहा है	2	मोहन	उत्पादन हो रहा है	9
			40	नंदन-II	उत्पादन नहीं हो रहा है				3	अम्बारा	उत्पादन हो रहा है	
			41	टांडसी 1 एंड 2	उत्पादन हो रहा है				4	घोरवारी	उत्पादन हो रहा है	
			42	टांडसी 3 एंड 4	उत्पादन हो रहा है				5	धमऊ	उत्पादन हो रहा है	
	5 जिला	10 क्षेत्र		42 यूजी खान			37 ओसी खान			5 मिश्रित खान	कुल =	84

एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए आबंटन

237. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण हेतु 62 करोड़ रुपये की अल्प राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशिक्षण तथा भागीदारी के लिए टीमों को विदेश भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं। विभिन्न गतिविधियों, जिनमें एथलीटों का प्रशिक्षण भी शामिल है, के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए 62 करोड़ रु. प्रदान किये गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए "राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी" नामक एक पृथक योजना तैयार की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, उन शीर्ष एथलीटों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, विदेश में प्रदर्शन, वैज्ञानिक समर्थन, उपस्कर आदि प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान आकलन में वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक 802.00 करोड़ रु. का खर्च इस प्रशिक्षण पर दर्शाया गया है जिसमें से विदेश में प्रदर्शन पर काफी खर्च होगा ताकि शीर्ष एथलीट प्रशिक्षण और विदेशी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में डाक्टरों की कमी

238. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. औषधालयों में डाक्टरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) एक औषधालय में प्रतिदिन औसतन कितने रोगी आते हैं;

(घ) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली स्थित औषधालय में प्रतिदिन कितने रोगी आते हैं;

(ङ) क्या उक्त औषधालय में पर्याप्त डाक्टर उपलब्ध हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में सभी औषधालयों के लिए रोगियों की औसत संख्या प्रतिदिन 250 थी।

(घ) श्रीनिवासपुरी औषधालय जाने वाले रोगियों की औसत संख्या प्रतिदिन 345 थी।

(ङ) एसआईयू के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध हैं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

वनरोपण तथा पौधरोपण के लिए अपर्याप्त भूमि

239. श्री वसुभाई धनाभाई वारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनरोपण तथा पौधरोपण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2012 तक देश की कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्र में वनरोपण तथा पौधरोपण की योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) 2005 में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) हैदराबाद और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए भारत में बंजर भूमि मानचित्र के अनुसार, देश में 55.27 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कृषि भूमियों सहित अन्य भूमियों पर भी भू उपयोग कार्यकलापों के लिए पौधरोपण एक व्यवहार्य विकल्प है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार देश

के कुल भू क्षेत्र के एक-तिहाई भाग को वन अथवा वृक्षावरण के अंतर्गत लाना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और वातावरणीय साम्य सहित पारिस्थितिकी संतुलन की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जो कि जीवन के सभी रूपों, मानव, पशु और पौधों की सततता के लिए महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

240. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के नाम एवं इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा में क्या-क्या विकासात्मक क्रियाकलाप शुरू किए गए एवं पूरे किए गए तथा इन योजनाओं से क्या लाभ प्राप्त हुए;

(ग) क्या कई योजनाएं उड़ीसा में पूर्णतया सफल नहीं हुई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के विशेषकर गरीब एवं संवदेनशील वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी प्रभावी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य उड़ीसा राज्य सहित पूरे देश में आर सी एच-II सहित वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में मलेरिया, दृष्टिहीनता, आयोडीन अल्पता, फाइलेरिया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठ और समेकित रोग निगरानी शामिल है। उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तृतीय पंक्ति के नेटवर्क के माध्यम से निवारक और रोगनाशक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करवाई जाती है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा एन आर एच एम के तहत अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में से एक है इसलिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक संसाधन आबंटित किए जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आर सी एच फ्लेक्सी पूल के तहत 10373 लाख रुपए की राशि जारी की गई है और दिसम्बर, 2007 तक मिशन फ्लेक्सी पूल के तहत 9028 लाख रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें से राज्य ने क्रमशः 6286.27 लाख रुपये और 1087.435 लाख रुपये (जिसमें पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि शामिल) की राशि उपयोग कर ली है। राज्य में एन आर एच एम के कार्यान्वयन की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-III

241. **श्रीमती जयाबहन बी ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-III तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा विशेषकर गुजरात राज्य के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी निधि का आबंटन किया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) कार्यक्रम की प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समयावधि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे सलंग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत कार्यान्वयानाधीन परियोजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	धनराशि
2004-05	कुछ नहीं
2005-06	43 करोड़ रुपए
2006-07	1311 करोड़ रुपए

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III को दिसंबर, 2013 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित खंडों की सूची

क्र.सं.	रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	18	कुड्डापाह-मदुकुर-कुरनूल	192.5
2.	202	हैदराबाद-यादगिरि	30
3.	205	तिरूपति-तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-तिरूथानी	44
4.	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	240.5
		जोड़	507
		अरूणाचल प्रदेश	
1.	52ए	ईटानगर-अरूणाचल प्रदेश/असम सीमा	22
		जोड़	22
		असम	
1.	36	दोबोका-असम/नागालैंड सीमा	124
2.	44	असम/मेघालय सीमा से असम/त्रिपुरा सीमा	116
3.	52	बेहाटा चैराली-बंदरदेवा	314
4.	52ए	बंदरदेवा-असम/अरूणाचल प्रदेश सीमा	9
5.	54	सिल्चर-असम/मिजोरम सीमा	50
		जोड़	613
		बिहार	
1.	19व 77	पटना-मुजफ्फरपुर	60
2.	19व 85	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	153

1	2	3	4
3.	28ए	मोतीहारी-रक्सौल	67
4.	30	पटना-बख्तियारपुर	53
5.	31	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया	255
6.	57ए	फोरबिसगंज-जोगवानी	13
7.	77	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	89
8.	80	मोकामा-मुंगेर	70
9.	84	पटना-बक्सर	130
10.	83	पटना-गया-डोभी	125
		जोड़	1015
		छत्तीसगढ़	
1.	200	रायपुर-सिमगा	28
2.	43	कुरनूड-धमतरी	23
3.	6	औरांग-रायपुर	45
4.	6	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	94
		जोड़	190
		दिल्ली	
1.	1व24	दिल्ली/उ.प्र. सीमा तक	8
2.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	20
		जोड़	28
		गोवा	
1.	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	139
2.	4ए	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	69
		जोड़	208

1	2	3	4
		गुजरात	
1.	6	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन	84
2.	6	सूरत-हजीरा पत्तन	29
3	8डी	जैतपुर-सोमनाथ	127
4.	59	गुजरात/म.प्र. सीमा-अहमदाबाद	210
5.	8ए विस्ता.,	कांडला-मुंदरा पत्तन	73
		जोड़	523
		हरियाणा	
1.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा-हिसार	140
2.	22	अंबाला-कालका (हरियाणा खंड)	27
3.	71	रोहतक-बावल	97
4.	71ए	पानीपत-रोहतक	73
5.	65	अंबाला-कैथल	78
6.	71	रोहतक-जिंद	45
7.	73	पंचकुला-बरवाला-साहा-यमुना नगर से उत्तर प्रदेश सीमा	108
		जोड़	568
		हिमाचल प्रदेश	
1.	22	हि.प्र./हरियाणा सीमा (कालका)-शिमला	110
		जोड़	110
		जम्मू और कश्मीर	
1.			0
		जोड़	0

1	2	3	4
		झारखंड	
1.	33	हजारीबाग-रांची	75
		बरही-हजारीबाग	40
2.	33	रांची-जमशेदपुर	150
		जोड़	265
		कर्नाटक	
1.	17	कुंडापुर-सुरथाकल	71
2.	17	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	18
3.	4	नीलमंगला-बंगलौर-होसकोट-कोलार-मुदबागल	105
4.	48	नीलमंगला-हासन	154
5.	4ए	बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा	84
6.	7	बंगलौर-होसूर	25
7.	13	बीजापुर-होसपेट	194
8.	4	मुलबागल-कर्नाटक/आ.प्र. सीमा	11
		जोड़	662
		केरल	
1.	17	कर्नाटक/केरल सीमा-कोझीकोड-इड्डापल्ली	451
2.	47	तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा	29
3.	47	चेरथालाई-तिरुवनंतपुरम	180
		जोड़	660
		मध्य प्रदेश	
1.	3	गुना बाइपास	14

1	2	3	4
2.	3	इंदौर-खालघाट	83
3.	3	खालघाट-म.प्र./महाराष्ट्र सीमा	88
4.	59	इंदौर-झबुआ-गुजरात/म.प्र. सीमा	169
5.	69	औबेदुल्लागंज-भीमबेटका	13
6.	75	झांसी-खजुराहो	100
7.	86 (विस्ता.)	भोपाल-सांची	40
8.	12	भोपाल-राजमार्ग क्रासिंग-जबलपुर	297
		जोड़	804
		महाराष्ट्र	
1.	17	पनवेल-इंदापुर	84
2.	3	गोंडे-वाडपे (थाणे)	100
3.	3	धुले-पिंपालगांव	118
4.	3	पिंपालगांव-नासिक-गोंडे	60
5.	3	म.प्र./महाराष्ट्र सीमा-धुले	97
6.	4	कलामबोली-मुंबरा (6 लेन)	20
7.	50	पुणे-खेड	30
8.	6	नागपुर-वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	60
9.	6	वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	72
10.	6	नागपुर-तेलीगांव	90
11	6	तेलीगांव-अमरावती	58
12.	9	पुणे-शोलापुर	170
13.	13	शोलापुर महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	30
		जोड़	989

1	2	3	4
		मणिपुर	
1.	39	नागालैंड/मणिपुर सीमा-इंफाल	112
		जोड़	112
		मेघालय	
1.	44	शिलांग (शिलांग बाइपास को छोड़कर)-असम/मेघालय सीमा	136
		जोड़	136
		मिजोरम	
1.	54	असम/मिजोरम सीमा-आइजोल	140
		जोड़	140
		नगालैंड	
1.	36व39	असम/नगालैंड सीमा-दीमापुर	
2.	39	कोहिमा-नगालैंड/मणिपुर सीमा	28
		जोड़	28
		उड़ीसा	
1.	200	चंडीखोल-दुबरी-तलचर	137
2.	203	भुवनेश्वर-पुरी	59
3.	215	पानीकोएली-क्योंझर-राक्सी	249
4.	200	राक्सी-राजमुंडा	20
5.	6	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	88
		जोड़	553
		पांडिचेरी	
1.	66	पांडिचेरी से तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा	4
		जोड़	4

1	2	3	4
		पंजाब	
1.	1	जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा	84
2.	15	अमृतसर-पठानकोट	101
3.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	
4.	22	अंबाला-जिरकपुर (पंजाब खंड)	30
5.	22	जिरकपुर-कालका (पंजाब खंड)	1
6.	95	लुधियाना-तलवंडी	84
		जोड़	373
		राजस्थान	
1.	11	उ.प्र./राजस्थान सीमा-भरतपुर	21
2.	11	भरतपुर-महुआ	57
3.	11	महुआ-जयपुर	108
4.	11	जयपुर-रींगस-सीकर	95
5.	12	जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़	328
6.	14	बेवाड़-पाली-पिंडवाड़ा	246
7.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	82
		जोड़	937
		तमिलनाडु	
1.	205	तमिलनाडु/आ.प्र. सीमा-तिरूथानी-चेन्नै	94
2.	220	थेनी-कुमली	57
	42	डिंडीगुल-त्रिची	80
4.	45बी	मदुरै-अरूपकोटई-तुतीकोरिन	144

1	2	3	4
5.	45 विस्ता.	डिंडीगुल-पेरीगुलाम-थेनी	73
6.	47	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	56
7.	49	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी	186
8.	66	तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवनम	36
9	66	कृष्णागिरि-तिरूवेन्नामलाई-टिंडीवनम	170
10.	67	नागपट्नम-तंजौर-त्रिची	130
11.	67	त्रिची-करूर (त्रिची बाइपास सहित)	50
12.	67 विस्ता.	कोयम्बतूर-मेट्टूपलायम	45
13.	68	सलेम-उलूनडूरपेट	134
14.	210	त्रिची-पुदुकोट्टई-रामनाथपुरम	200
		जोड़	1455
		त्रिपुरा	
1.			0
		जोड़	0
		उत्तर प्रदेश	
1.	11	आगरा-उ.प्र./राजस्थान सीमा	42
2.	24	सीतापुर-लखनऊ	76
3.	24	मुरादाबाद-सीतापुर	246
4.	58	दिल्ली/उ.प्र. सीमा से मेरठ	47
5.	58	मेरठ से मुजफ्फरनगर	79
6.	58	मेरठ से उ.प्र./उत्तरांचल सीमा	21
7.	91	गाजियाबाद-अलीगढ़	106
		जोड़	617

1	2	3	4
		उत्तरांचल	
1.	58 व 72	उ.प्र./उत्तराचल सीमा-देहरादून	125
2.	87	रामपुर-काठगोदाम	88
		जोड़	213
		पश्चिम बंगाल	
1.	35	बारासत-बेनगांव	60
2.	34	कोलकाता-डलखोला	438
		जोड़	498

विवरण-II

31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के ठेके

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी.)	लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	दुर्ग बाइपास-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र छत्तीसगढ़	6	82.685	464.00
2.	औरंग-रायपुर किमी 232 से किमी 281 छत्तीसगढ़	6	45	190.00
3.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा	10	63.49	486.00
4.	जीरकपुर-परवानु हरियाणा (20)/हिमाचल प्रदेश (6.69)/पंजाब (2)	22	28.69	295.00
5.	अंबाला-जीरकपुर हरियाणा (6)/पंजाब (30)	21,22	36	298.00

1	2	3	4	5
6.	बंगलौर-नीलमंगला कर्नाटक	4	19.5	445.00
7.	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रानिक सिटी तक उत्थापित राजमार्ग कर्नाटक	7	9.98	450.00
8.	बंगलौर-होसकोट-मुदबागल किमी 237.700 से किमी 318.000 कर्नाटक	4	79.724	565.00
9.	रारा 7 के किमी 18.750 से 33.130 तक बंगलौर-होसूर खंड को 6 लेन का बनाना कर्नाटक	7	14.38	110.00
10.	रारा 48 से देवीहल्ली के साथ नीलमंगला जंक्शन 4 कर्नाटक	48	81	441.00
11.	खलघाट-म.प्र./महाराष्ट्र सीमा मध्य प्रदेश	3	82.8	549.00
12.	इंदौर-खलघाट मध्य प्रदेश	3	80	472.00
13.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगा पुल महाराष्ट्र	6	80.055	424.00
14.	धुले-पिंपलगांव किमी 308/0 से किमी 265/0 महाराष्ट्र	3	118	556.00
15.	गोंडे-वडापे (थाणे) किमी 440/000 से किमी 539/500 महाराष्ट्र	3	100	579.00
16.	कोंधाली-तेलेगांव किमी 50 से किमी 100 महाराष्ट्र	6	50	212.00

1	2	3	4	5
17.	नागपुर-कोंधाली किमी 9.2 से किमी 50 महाराष्ट्र	6	40	168.00
18.	अमृतसर-वाघा सीमा पंजाब	1	36.22	205.88
19.	कुराली-कीरतपुर पंजाब	21	42.9	309.00
20.	जालंधर-अमृतसर किमी 407/100 से किमी 456/100 पंजाब	1	49	263.00
21.	महुआ-जयपुर किमी 120 से किमी 228 राजस्थान	11	108	483.00
22.	भरतपुर-महुआ किमी 63 से किमी 120 राजस्थान	11	57	250.00
23.	मदुरै-अरूपकोटई- किमी 138.8 से किमी 264.5 तमिलनाडु	45बी	128.15	629.00
24.	सलेम-उलून्दूरपेट किमी 0.313 से किमी 136.670 तमिलनाडु	68	136.35	941.00
25.	त्रिची-करूर तमिलनाडु	67	79.7	516.00
26.	पांडिचेरी-टिंडीवनम तमिलनाडु	66	38.61	285.00
27.	त्रिची-डिंडीगुल तमिलनाडु	45	88.273	576.00
28.	तंजावुर-त्रिची किमी 80-किमी 135.750 तमिलनाडु	67	56	280.00

1	2	3	4	5
29.	मेरठ-मुजफ्फरनगर किमी 52.250 से किमी 131.00 उत्तर प्रदेश	58	79	359.00
30.	सीतापुर-लखनऊ किमी 488.27 से किमी 413.20 उत्तर प्रदेश	24	75	322.00
31.	आगरा-भरतपुर किमी 17.756- किमी 63 उत्तर प्रदेश (24.75)/राजस्थान (20.25)	11	45	195.00
	जोड़		2030.52	12318

कर्नाटक में वन भूमि में वृद्धि करने की योजना

242. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में वन भूमि में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार, कर्नाटक राज्य में वन और वृक्ष आवरण 40, 718 वर्ग कि.मी. है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 21.23% है। कर्नाटक वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम, राष्ट्रीय बांस मिशन, कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंध की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और कार्यक्रमों, अवक्रमित वन क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों को हरा बनाना एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जन वितरण हेतु पौध उगाने की राज्य क्षेत्र स्कीमों तथा कर्नाटक सतत वन प्रबन्ध और जैव विविधता संरक्षण (के एस एफ एम बी सी) परियोजना की बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वन और वृक्षावरण को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

243. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का विवरण

परियोजना का नाम	खंड	रारा सं.	झारखंड में लंबाई (किमी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	स्थिति/पूर्ण हो चुकी लंबाई	पूरा होने की तिथि/पूरा होने की अनुमानित तिथि
स्वर्णिम चतुर्भज	बाराचट्टी-गोरहर	2	70	452.71	पूर्ण	जुलाई, 2007
स्वर्णिम चतुर्भज	गोरहर-बरवाअड्डा	2	78.75	399.75	कार्यान्वयनाधीन (71.69*)	सितंबर, 2008
एनएचडीपी चरण-III	हजारीबाग-रांची	33	75	बीओटी	बीओटी (वार्षिकी आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया सीसीईए का अनुमोदन	एनएचडीपी चरण-3 को दिसंबर, 2013 तक पूरा किया जाना है।
एनएचडीपी चरण-III	रांची-रारगांव	33	70	बीओटी	पीपीपीएसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई चल रही है	
एनएचडीपी चरण-III	बरही-हजारीबाग	33	40	बीओटी	विस्तुत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने का कार्य चल रहा है	
एनएचडीपी चरण-III	रारगांव-जमशेदपुर	33	80	बीओटी	पीपीपीएसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई चल रही है	

*4 लेन बनाने का पूर्ण हो चुका कार्य।

[अनुवाद]

देश में कम कोयला धोवन क्षमता

244. श्री जोवाकिम बखला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल कोयला उत्पादन में से अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में कोयला धोवन क्षमता की प्रतिशतता बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोयला धोवन पर औसतन खर्च का आकलन क्या रहा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) प्रमाणित डाटा के अभाव में, भारत में धुलाई क्षमता की तुलना अन्य देशों से नहीं की जा सकती। तथापि, देश में उपलब्ध धुलाई क्षमता 2006-07 में प्राप्त कुल कोयला उत्पादन की लगभग 30% है।

(ग) नान-कोकिंग कोयले के लिए ईष्टतम क्षमता उपयोग पर कोयले की धुलाई की औसत लागत 55.50 रु. प्रतिटन होगी और कोल इंडिया लि. की वाशरियों के मामले में कोकिंग कोयले की लागत 127.19 रु. प्रतिटन होगी।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र

245. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर कर्नाटक में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) 2001 जनगणना के अनुसार मार्च, 2007 तक देश में 20855 उपकेन्द्रों की कमी है। उपकेन्द्रों की राज्यवार अपेक्षित, विद्यमान संख्या और उपकेन्द्रों की कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मार्च, 2007 तक कर्नाटक राज्य में 48 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के तहत नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन/निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य एन आर एच एम कार्यक्रम कार्यान्वयन प्लान के तहत निधियों की अपनी आवश्यकता को शामिल करना अपेक्षित होता है।

सूची 12

विवरण

भारत में (मार्च, 2007 तक) 2001 जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य अवसंरचना में कमी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र		
		अपेक्षित	विद्यमान	कमी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11699	12522	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	254	379	*
3.	असम	5063	5109	*
4.	बिहार	14959	8909	6050
5.	छत्तीसगढ़	4164	4692	*
6.	गोवा	135	172	*
7.	गुजरात	7263	7274	*
8.	हरियाणा	3005	2433	572
9.	हिमाचल प्रदेश	1128	2071	*
10.	जम्मू और कश्मीर	1666	1888	*

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	5057	3958	1099
12.	कर्नाटक	7369	8143	*
13.	केरल	4761	5094	*
14.	मध्य प्रदेश	10402	8834	1568
15.	महाराष्ट्र	12153	10453	1700
16.	मणिपुर	412	420	*
17.	मेघालय	597	398	199
18.	मिजोरम	146	366	*
19.	नागालैंड	535	397	138
20.	उड़ीसा	7283	5927	1356
21.	पंजाब	3219	2858	361
22.	राजस्थान	9554	10612	*
23.	सिक्किम	109	147	*
24.	तमिलनाडु	7057	8683	*
25.	त्रिपुरा	659	579	80
26.	उत्तराखंड	1294	1765	*
27.	उत्तर प्रदेश	26344	20521	5823
28.	पश्चिम बंगाल	12101	10356	1745
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	51	108	*
30.	चंडीगढ़	18	13	5
31.	दादरा और नागर हवेली	50	38	12
32.	दमन और दीव	21	21	0
33.	दिल्ली	188	41	147
34.	लक्षद्वीप	11	14	*
35.	पांडिचेरी	65	77	*
	भारत	158792	145272	20855

टिप्पणियां : आवश्यकता का परिकलन विहित मापदंडों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम कुल और आदिवासी जनसंख्या जनगणना, 2001 के आधार पर किया जाता है। अखिल भारतीय कमी को कुछेक राज्यों में अधिशेष को उपेक्षित करते हुए कमी के राज्यवार आंकड़ों को जोड़कर प्राप्त किया गया है।

खेल अवसंरचना के लिए धनराशि का आबंटन तथा उपयोग

246. श्री के.एस. राव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलों तथा खेल अवसंरचना के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन तथा उपयोग किया गया है; और

(ख) भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए परिकल्पित किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल और खेल अवसंरचना के विकास के लिए इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट अनुमान व संशोधित अनुमान चरण पर आबंटित बजट तथा वास्तविक व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश भर में चरणबद्ध तरीके से सभी के लिए खेल मैदान और सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत को देखते हुए तथा खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए ''पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान'' नामक एक फ्लैगशिप योजना प्रस्तावित है। योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में देश भर में चरणबद्ध तरीके से ग्राम और ब्लाक स्तर पर खेल मैदान और मूल खेल सुविधाएं सृजित करना तथा उपयुक्त प्रतियोगिता ढांचा तैयार करना है। योजना आयोग ने 11वीं योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 1500 करोड़ रु. प्रदान करने की सहमति दी है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने खेलों के विकास के लिए मंत्रालय की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 2737 करोड़ रु. प्रदान करने पर सहमति दी है जिसमें 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 950 करोड़ रु. शामिल हैं।

विवरण

(रु. लाखों में)

योजना का नाम	2004-2005			2005-2006			2006-2007		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय खेल प्राधिकरण	12383 (योजनागत) 2106 (योजनेतर)	11775 (योजनागत) 2118 (योजनेतर)	11775 (योजनागत) 2118 (योजनेतर)	13431 (योजनागत) 2304 (योजनेतर)	13431 (योजनागत) 2304 (योजनेतर)	13431 (योजनागत) 2304 (योजनेतर)	15066 (योजनागत) 2304 (योजनेतर)	12400 (योजनागत) 2642 (योजनेतर)	12300 (योजनागत) 2642 (योजनेतर)
खेल परिसंघों को को अनुदान	4831 (योजनागत) 200 (योजनेतर)	4731 (योजनागत)	191 (योजनेतर)	4500 (योजनागत) 300 (योजनेतर)	4000 (योजनागत) 300 (योजनेतर)	4000 (योजनागत) 297 (योजनेतर)	4060 (योजनागत) 300 (योजनेतर)	3408 (योजनागत) 300 (योजनेतर)	3397 (योजनागत) 299.63 (योजनेतर)
खेलों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजना	900 (योजनागत)	2530 (योजनागत)	2530 (योजनागत)	2200 (योजनागत)	1225 (योजनागत)	1223 (योजनागत)	1350 (योजनागत)	600 (योजनागत)	600 (योजनागत)
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	60 (योजनेतर)	55 (योजनेतर)	55 (योजनेतर)	60 (योजनेतर)	60 (योजनेतर)	60 (योजनेतर)	60 (योजनेतर)	60 (योजनेतर)	— —
खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	25 (योजनेतर)	25 (योजनेतर)	25 (योजनेतर)	40 (योजनेतर)	40 (योजनेतर)	-40 (योजनेतर)	40 (योजनेतर)	5 (योजनेतर)	— —
अर्जुन/ध्यानचंद पुरस्कार	59 (योजनेतर)	64 (योजनेतर)	58 (योजनेतर)	65 (योजनेतर)	61 (योजनेतर)	56 (योजनेतर)	65 (योजनेतर)	65 (योजनेतर)	60.49 (योजनेतर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
द्रोणाचार्य पुरस्कार	16 (योजनेतर)	13 (योजनेतर)	12 (योजनेतर)	60 (योजनेतर)	10 (योजनेतर)	10 (योजनेतर)	16 (योजनेतर)	16 (योजनेतर)	12.49 (योजनेतर)
प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना	250 (योजनागत)	250 (योजनागत)	250 (योजनागत)	300 (योजनागत)	50 (योजनागत)	39 (योजनागत)	180 (योजनागत)	280 (योजनागत)	280.00 (योजनागत)
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर	60600 (योजनागत) 450 (योजनेतर)	450 (योजनागत) 450 (योजनेतर)	450 (योजनागत) 450 (योजनेतर)	810 (योजनागत) 500 (योजनेतर)	810 (योजनागत) 500 (योजनेतर)	810 (योजनागत) 500 (NP)	1000 (योजनागत) 500 (NP)	850 (योजनागत) 550 (NP)	750.00 (योजनागत) 550.00 (योजनेतर) एलएनआईपी (आईटी) 100.00 (योजनागत)
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	6 (योजनागत)	6 (योजनागत)	5 (योजनागत)	6 (योजनागत)	6 (योजनागत)	5 (योजनागत)	6 (योजनागत)	5 (योजनागत)	5.08 (योजनागत)
अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं आदि में विजेता को विशेष पुरस्कार	500 (योजनागत)			544 (योजनागत)	400 (योजनागत)	360 (योजनागत)	494 (योजनागत)	275 (योजनागत)	123.00 (योजनागत)
सार्वजनिक रिहायशी स्कूलों में एनसीसी जूनियर ट्रूप को अनुदान	19 (योजनेतर)	10 (योजनेतर)	— (योजनेतर)	19 (योजनेतर)	10 (योजनेतर)	1 (योजनेतर)	10 (योजनेतर)	— (योजनेतर)	10.00 (योजनेतर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डोप जांच की योजना	720 (योजनागत)	445 (योजनागत)	445 (योजनागत)	940 (योजनागत)	277 (योजनागत)	(योजनागत)	400 (योजनागत)	50 (योजनागत)	43.05 (योजनागत)
वाडा को योगदान	80 (योजनागत)	80 (योजनागत)	68 (योजनागत)	80 (योजनागत)	93 (योजनागत)	86 (योजनागत)	100 (योजनागत)	100 (योजनागत)	— (योजनागत)
राष्ट्रमंडल खेल				4550 (P)	4550 (योजनागत)	3305 (योजनागत)	15000 (योजनागत)	15000 (योजनागत)	835.80 (योजनागत)
राज्य खेल अकादमी	700 (योजनागत)	100 (योजनागत)	—	500 (योजनागत)	200 (योजनागत)	—	400 (योजनागत)	2 (योजनागत)	—
खेल अवसंरचना के योजन के लिए योगदान	181850 (योजनागत)	1350 (योजनागत)	1350 (योजनागत)	—	480 (योजनागत)	480 (योजनागत)	2680 (योजनागत)	1280 (योजनागत)	128.00 (योजनागत)
स्कूलों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए योगदान				20 (योजनागत)	20 (योजनागत)		20 (योजनागत)	20 (योजनागत)	18.35 (योजनागत)
विश्वविद्यालय और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए योगदान				— (योजनागत)	150 (योजनागत)	150 (योजनागत)	135 (योजनागत)	235 (योजनागत)	235.00 (योजनागत)
सिथेंटिक खेल सतह बिछाने के लिए योगदान	700 (योजनागत)	150 (योजनागत)	150 (योजनागत)	—	150 (योजनागत)	150 (योजनागत)	180 (योजनागत)	190 (योजनागत)	190.00 (योजनागत)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अन्य पूंजीगत व्यय (केलोनिवि) आदि	-3 (योजनेतर)	3 (योजनेतर)	—	3 (योजनेतर)	3 (योजनेतर)	— (योजनेतर)	3 (योजनेतर)	3 (योजनेतर)	—
एफ्रो एशियाई खेल	—	—	—	1 (योजनेतर)	1 (योजनेतर)	—			
खेल और शारीरिक टीम विशेषज्ञों का आदान प्रदान	16 (योजनागत)	(योजनागत)	(योजनागत)	10 (योजनागत)	10 (योजनागत)	6 (योजनागत)			
अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद	10 (योजनागत)	1 (योजनागत)	—	10 (योजनागत)	10 (योजनागत)	—			
ग्रामीण स्कूलों को खेल मैदान के विकास और उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान	450 (योजनागत)	450 (योजनागत)	439 (योजनागत)	—	—	—			

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एलटीसी प्रोत्साहन

247. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के पास सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) से पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने के लिए उन्हें राजी करने की कोई योजना है जैसाकि दिनांक 12 जनवरी, 2008 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है तथा इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करने वाले घरेलू तथा विदेशी-पर्यटकों की संख्या कितनी है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास में उनका क्या योगदान है;

(घ) सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या एलटीसी के बारे में दिशानिर्देशों में छूट देकर अपात्र अधिकारियों को वायुयान से यात्रा करने की अनुमति देने से वांछनीय परिणाम प्राप्त होंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जिसमें प्राकृतिक, साहसिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथापि इस क्षेत्र में पर्यटकों का आना इसकी संभाव्यता से बहुत कम है। चूंकि सरकारी कर्मचारी, जिन्हें छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी) की सुविधा उपलब्ध है, घरेलू पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए डोनर मंत्रालय ने उत्तर पूर्व को एल टी सी यात्रियों में पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी, 2008 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन का लक्ष्य क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति सकारात्मक जागरूकता पैदा करना था। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यटन स्थलों तथा उपलब्ध सुविधाओं और उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्य पर्यटन विभागों, पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन परिचालकों आदि द्वारा प्रस्तुतियां दी गई थीं।

(ग) 2004-2006 के दौरान इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है:

	वर्ष		
	2004	2005	2006
घरेलू	3395111	3518671	3957492
विदेशी	39489	46466	47695

इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने से पर्यटन सुविधाओं जैसे कि होटलों, पर्यटन स्थलों आदि के विकास में सहायता मिलेगी जिससे स्थानीय लोगों के लिए आय तथा रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

(घ) से (च) केंद्रीय सरकार ने 2007 से एल टी सी प्राप्त करने वाले अपने कर्मचारियों को निजी एयरलाइन्स का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। जिनमें से अधिकांश के किराये कम हैं। यह अनुमति इस प्रावधान के साथ दी गई है कि इसकी प्रतिपूर्ति राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस सहित रेलगाड़ियों में हकदारी श्रेणी तक सीमित होगी। नियमों में ढील देने से इस क्षेत्र में एल टी सी यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशा है।

पंचायतों के लिए अतिरिक्त धनराशि

248. **श्री सुरेश अंगड़ि : क्या पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। जैसा कि संविधान के भाग IX में परिकल्पित किया गया है, शक्तियों के बेहतर व त्वरित अंतरण के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत सशक्तिकरण व जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम

(पी.ई.ए.आई.एस.) को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि चूंकि इस स्कीम का बजट आबंटन मात्र 10 करोड़ रु. है इसलिए इस स्कीम को अब मंत्रालय ने पूरे देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है, जिसके माध्यम से वे राज्य, जो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने तथा पंचायत के सभी स्तरों पर नागरिकों के लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेही को अमल में लाने में पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करेंगे। राज्यों व पंचायतों के प्रदर्शन को इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए अंतरण इंडेक्स का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकित किया जाएगा। पी.ई.ए.आई.एस. की परिकल्पना भारत सरकार परिचालित निधीयन समर्थन के रूप में की गई है, जिसे विश्व बैंक व अन्य प्रदाता भी अतिरिक्त निधियों से संपूरित कर सकते हैं। यह स्कीम अभी परिकल्पनात्मकता व पूरा किए जाने की प्रक्रिया से गुजर रही है।

वन्य जीवों की गणना

249. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में हाल ही में जंगली बिल्ली, शेर, बाघ, तेन्दुआ, चीता तथा अन्य वन्य जीवों की गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में हुई गणना तथा पिछली गणना के आधार पर प्रत्येक वन्य जीव प्रजाति की तुलनात्मक संख्या कितनी है तथा अभयारण्य-वार वन्य जीवों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है;

(घ) पिछले अवसरों पर की गयी गणना कितनी थी तथा अभ्यारण्यवार वन्य जीवों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) बाघ टास्क फोरस द्वारा सिफारिश की गई परिवर्तित और एकीकृत प्रणाली के प्रयोग द्वारा देश के बाघ रेंज राज्यों में हाल ही में बाघों परभक्षियों और उनके अहेरों का अखिल-भारतीय आकलन किया गया था। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। तथापि, प्रक्रिया में अपनाई गई नई परिवर्तित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, जो कि स्वयं में एक बैंचमार्क है, इसकी तुलना वन्य-जीवों के पिछले आकलन से नहीं की जा सकती। इसके अलावा, वन्यजीवों की बढ़ोतरी का अभ्यारण्य-वार वार्षिक डाटा का मिलान केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है।

इसी प्रकार, उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर देश में जंगली हाथियों की संख्या की परिगणना 2007 में की गई थी। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वनों में उपलब्ध बाघ, परभक्षी अहेर और बाघों की आंकलित संख्या

राज्य	बाघ वर्ग किमी	तेन्दुआ वर्ग किमी	ढोल वर्ग किमी	आलसी भालू वर्ग किमी	चित्तल वर्ग किमी	सांबर वर्ग किमी	जंगली सुअर वर्ग किमी	नीलगाय वर्ग किमी	बाघों की संख्या		
									संख्या	निम्न सीमा	उच्च सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
शिवालिक-गंगा प्लेन लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स											
उत्तराखंड	1901	3683	—	853	2161	2756	3214	422	178	161	195
उत्तर प्रदेश	2766	2936	190	3130	5537	2641	7761	8375	109	91	127
बिहार	510	552	323	532	576	321	570	494	10	7	13
शिवालिक-गंगेय	5177	7171	513	4515	8274	5718	11545	9291	297	259	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केन्द्रीय भारतीय भू-परिदृश्य कॉम्पलैक्स और पूर्वी घाट भू परिदृश्य कॉम्लैक्स											
आंध्र प्रदेश	14126	37609	41093	54673	37814	33159	58336	26526	95	84	107
छत्तीसगढ़	3609	14939	3794	20951	18540	7604	25058	9250	26	23	28
मध्य प्रदेश	15614	34736	28508	40959	41509	33551	59903	41704	300	236	364
महाराष्ट्र	4273	4982	4352	6557	5970	5730	7370	4754	103	76	131
उड़ीसा	9144	25516	8215	43236	6040	6112	21525	711	45	37	53
राजस्थान	356	—	—	—	—	—	—	—	32	30	35
झारखंड**	1488	131	—	2640	721	721	6226	1108	मूल्यांकन नहीं किया गया		
केन्द्रीय भारत	48610	131	85962	2640	721	721	6226	1108	601	486	718
पश्चिमी घाट भू-परिदृश्य कॉम्पलैक्स											
कर्नाटक	18715	20506	15862	20749	42349	43412	21999	—	290	241	339
केरल	6168	8363	10801	6904	2931	10469	8809	—	46	39	53
तमिलनाडु	9211	14484	19658	13224	13567	15909	19768	2505	76	56	95
पश्चिमी घाट	34094	43353	46321	40877	58847	69790	50576	2505	402	336	487
उत्तर-पूर्व पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स											
असम*	1164	1500	285	380	—	270	2047	—	70	60	80
अरुणाचल प्रदेश*	1685	670	675	199	—	353	412	—	14	12	18
मिजोरम*	785	2324	776	479	—	1700	1489	—	6	4	8
उत्तर पश्चिम बंगाल*	596	1135	301	—	280	309	491	—	10	8	12
उत्तर-पूर्वी हिल्स और ब्रह्मपुत्र	4230	5629	2037	1058	280	2632	4439	—	100	84	118
सुंदरवन	1586	-	-	-	1184	-	1591	-मूल्यांकन नहीं किया गया।			
बाघों की कुल संख्या									1411	1165	1657

*अनुमानित गणना उस क्षेत्र में बाघों के द्वारा अधिभोगित भू-दृश्य संभावित घनत्व पर आधारित है और दोहरे नमूनों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है।

**डाटा बाघों की अनुमानित संख्या के अधीन नहीं है। तथापि, भूदृश्य के बारे में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि 0.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में बाघों की सघनता कम है।

विवरण-II

जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या

क्षेत्र	राज्य	हाथियों की संख्या			
		1993	1997	2002	2007
1	2	3	4	5	6
उत्तर-पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	2102	1800	1607	—
	असम	5524	5312	5246	—
	मेघालय	2872	1840	1868	—
	नागालैंड	178	158	145	—
	मिजोरम	15	22	33	—
	मणिपुर	50	30	12	—
	त्रिपुरा	100	70	40	—
	पश्चिम बंगाल (उत्तर)	186	250	292	300-350
उत्तर-पूर्व का योग		11027	9482	9243	
पूर्व	पश्चिम बंगाल (दक्षिण)	14	26	36	25
	झारखंड	550	618	772	624
	उड़ीसा	1750	1800	1841	1862
	छत्तीसगढ़	—	—	—	122
पूर्व का योग		2314	2444	2649	2633
उत्तर	उत्तराखंड	828	1130	1582	1346
	उत्तर प्रदेश	47	70	85	380
उत्तर का योग		875	1200	1667	1726
दक्षिण	तमिलनाडु	2307	2971	3052	3867
	कर्नाटक	5500	6088	5838	4035

1	2	3	4	5	6
	केरल	3500	3600	3850	6068
	आंध्र प्रदेश	46	57	74	28
	महाराष्ट्र	-	-	-	7
दक्षिण का योग		11353	12716	12814	14005
द्वीप	अंडमान और निकोबार	35	35	40	
कुल योग		25604	25877	26413	
कुल योग में से उत्तर-पूर्वी राज्यों को घटा कर		14,577	16,395	17,170	18663

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

250. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.आर.जी.एफ. योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए विनियामक तंत्र क्या है;

(ग) इस संबंध में पंचायतों की भूमिका क्या है;

(घ) इस योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार का पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों को किस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम 27 राज्यों के 250 जिलों को समाविष्ट करता है। इस कार्यक्रम को विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए प्रारूपित किया गया है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित तीन घटकों के अंतर्गत निधियों को निर्मुक्त करने की व्यवस्था करता है, नामतः (i) उन जिलों को निर्मुक्तियां जिन्होंने राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई) के तहत अपनी कुल हकदारी प्राप्त नहीं की है (ii) पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई) के क्षमता निर्माण के लिए निधियों तथा (iii) अबद्ध विकास अनुदान। राज्य सरकार ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों तथा इन निकायों के प्रत्येक स्तर के बीच राज्य के भीतर पिछड़ेपन या विकास के स्तर को निर्धारित करने के लिए स्वीकृत इन्डेक्स या फार्मूले के आधार पर आबंटन का निर्णय करती है। बी.आर.जी.एफ. से निधियों को जिले में विभिन्न कार्यक्रमों को परस्पर जोड़ने एवं चल रहे विकास कार्यक्रमों के किसी भी अंतर को पाटने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीम-वार आबंटन वाली पृथक् उप योजनाओं का भी प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, संविधान के भाग IX तथा IXक के अंतर्गत नहीं आने वाले जिलों को निधियों की निर्मुक्ति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

(ख) विभिन्न जिलों में किए गए कार्य/परियोजनाएं, ग्रामीण इलाकों में पंचायतों व शहरी इलाकों में शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला योजना समितियों द्वारा अनुभूत जरूरतों एवं उनके प्राथमिकीकरण पर निर्भर करती हैं। बी.आर.जी.एफ. के तहत किए गए कार्यों की विस्तृत सूची में आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालयों में मध्याह्न् भोजन बनाने के लिए रसोई घरों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, पशु चिकित्सालयों, खेल के मैदानों, छात्रों के लिए छात्रावासों, अतिरिक्त वर्ग-कक्षों, पंचायत भवनों, सामुदायिक कक्षों, अन्तरग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल है। जल निकासी, विद्युतीकरण, पेय जलापूर्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षणों इत्यादि के

लिए भी निधियों का निर्धारण पाया गया है। विभिन्न जिलों की योजनाओं के कार्यों का विवरण मंत्रालय की वेबसाईट www.brgf.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) ग्रामीण इलाकों में पंचायतें व शहरी इलाकों में नगर पालिकाएं कार्यक्रम के योजनाकरण व कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी है। इस कार्यक्रम के तहत योजना आयोग के 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं की तैयारी के लिए 25 अगस्त, 2006 के दिशा-निर्देशों को अंगीकृत किया गया है। दिशा-निर्देश, प्रत्येक पंचायत व नगरपालिका में अपने-अपने क्षेत्रों में अन्य कार्यक्रमों से संसाधनों के व्यय तथा महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने हेतु बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत निधियों के उपयोग को ध्यान में रखकर सहभागितापूर्ण तरीके से योजना तैयार किये जाने की व्यवस्था करता है। जिले में पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को जिला योजना समितियों द्वारा जिला योजना में समेकित किया जाता है।

(घ) कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए सुझाए गये माड्यूल सहित विस्तृत क्षमता निर्माण के फ्रेमवर्क शामिल हैं। इनमें पंचायती राज पर विहंगम दृष्टि पर आधारभूत पाठ्यक्रम, आंतरिक हाउसकीपिंग, एकाउंट, सामाजिक अंकेक्षण पर प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम, तथा विभिन्न सेक्टरों में स्कीमों के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण यथा, प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, गरीबी उपशमन, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर. आई.) के प्रशिक्षण के लिए के लिए एक एजेंसी को नामित किया है जो अधिकांश मामलों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान हैं। राज्य सरकारें 5-वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत क्षमता निर्माण के लिए योजनाएं बनाती हैं जिनके आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए क्षमता निर्माण अनुदान जारी किये जाते हैं।

(ङ) इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के दो जिले, नामतः चंबा एवं सिरमौर सम्मिलित हैं। चंबा और सिरमौर का आबंटन क्रमशः 15. 53 करोड़ रु. और 12.97 करोड़ रु. है। हिमाचल प्रदेश ने अब तक विकासात्मक अनुदान के लिए आबंटन से किसी भी राशि का दावा नहीं किया है।

रामसेतु को तोड़े जाने की स्थिति में सुनामी का प्रभाव

251. श्री जुएल ओराम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामसेतु को तोड़े जाने की स्थिति में कुछ वैज्ञानिकों ने सुनामी के संभावित प्रभाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) पर्यावरणीय पहलुओं सहित सभी सुसंगत घटकों पर विचार करने और आवश्यक पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा मई, 2005 में सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के मामलों पर सरकार द्वारा गठित मॉनीटरिंग समिति पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करती है और परियोजना प्राधिकारियों को सलाह देती है।

नर्सिंग सेवाओं का विकास

252. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय तंत्र में नर्सिंग क्षेत्र की स्थिति अत्यंत खराब है जैसाकि 23 जनवरी, 2008 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए नर्सिंग सेवा योजना के विकास के अंतर्गत नई स्कीमें लाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश भर में अधिक नर्सिंग कालेज खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) नर्सें, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान

करने संबंधी प्रणाली की सबसे बड़ी कार्य बल हैं। नर्सिंग कार्मिक, समुदाय में अग्रणी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक भी हैं। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा परिचर्या सेवाएं और सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीतियों के लागू होने के बाद उनकी भूमिका और महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। देश में नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए नर्सिंग सेवाओं (मानव संसाधन) के विकास संबंधी नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के प्रस्ताव में 24 राज्यों में उत्कृष्टता वाले केन्द्रों की स्थापना 17 राज्यों में राज्य नर्सिंग परिषदों और नर्सिंग प्रकोष्ठों के सुदृढ़ीकरण, 145 ए एन एम और 137 जी एन एम स्कूलों को खोलने, 6 नर्सिंग कॉलेजों तथा 4 क्षेत्रीय नर्सिंग संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना है।

(च) इस स्कीम के अंतर्गत और अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नर्सिंग सेवाओं (मानव संसाधन) के विकास संबंधी नई स्कीम के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए प्रस्तावित स्थान

6 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

क्रम सं.	प्रस्तावित राज्य	प्रस्तावित स्थान
1.	राजस्थान	जोधपुर
2.	बिहार	पटना
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल
5.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
6.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली

4 क्षेत्रिय नर्सिंग संस्थानों की स्थापना

क्रम सं.	प्रस्तावित राज्य	प्रस्तावित स्थान
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	मुंबई
2.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
3.	तमिलनाडु	चेन्नई
4.	दिल्ली	दिल्ली

ए.आई.सी.टी.ई. को समाप्त किया जाना

253. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का संदर्भित सार संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें कारण बताए गए हैं।

(ग) से (ङ) सिफारिशों की जांच हो रही है।

विवरण

उच्चतर शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का सार-शिक्षा संबंधी सिफारिशों का संकलन

धारा 4. विनियम

स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र उच्चतर शिक्षा विनियामक प्राधिकरण (एआरएएचई) की स्थापना करने की आवश्यकता है। एक ऐसा विनियामक प्राधिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है।

यह दो महत्वपूर्ण कारणों से अनिवार्य है। प्रथम, भारत में किसी विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए संसद के अधिनियम की आवश्यकता होती है। नये संस्थानों को मान्य विश्वविद्यालय बनाना बहुत कठिन है। केवल विधान के द्वारा प्रविष्टि का अधिकार जैसे कि वर्तमान में हो रहा है, अत्यंत कठिन बाधा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान विश्वविद्यालयों के औसत आकार में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती जा रही है। स्पर्धा के अभाव के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। द्वितीय, चूंकि हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए निजी संस्थानों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए प्रवेश मापदंडों की आवश्यकता होगी। इस प्रयोजनार्थ संस्थात्मक ढांचा अभी अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह चार महत्वपूर्ण कारणों से वांछनीय है। प्रथम, इससे हितों की टकराहट कम होगी, क्योंकि इससे पणधारियों से नजदीकी बढ़ेगी। द्वितीय, इससे वर्तमान प्रणाली जोकि अधिक विनियमित किंतु अल्प शासित है, को कई उचित हस्तक्षेपों के द्वारा बदला जाएगा। तृतीय, इससे वर्तमान प्रणाली जिसमें आदेशों की भ्रांति एवं अतिव्याप्ति है, अधिक वैज्ञानिक रीति से सुसंगठित होगी। चतुर्थ, इससे सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने में विनियामक एजेंसियों की बहुलता से छुटकारा मिलेगा।

उच्चतर शिक्षा की वर्तमान विनियामक प्रणाली कई मायने में दोषपूर्ण है। प्रविष्ट करने की बाधाएं बहुत अधिक है। प्रविष्टि अनुमति देने की प्रणाली धीमी और अकुशल है और प्रविष्टि के बाद बहुत अधिक नियम हैं, क्योंकि यूजीसी किसी भी संस्थान की फीस से लेकर पाठ्यक्रम तक लगभग प्रत्येक पहलुओं को विनियमित करना चाहता है। यह प्रणाली स्पष्टतः असंगत सिद्धांतों पर आधारित है। यूजीसी अधिनियम की धारा 3.1.2(क) में यह सुझाव दिया गया है कि अनुदान प्राप्त करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में स्थित वर्तमान संस्थान राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हैं। अन्य विनियामक, अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, सिद्धांतों के अनुपालन में अक्सर असंगत होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां किसी इंजीनियरिंग कालेज या किसी व्यावसायिक विद्यालय को आवश्यक शिक्षकों, अवसंरचना या सुविधाओं के बिना महानगर के उपनगरीय इलाकों के छोटे घरों में शीघ्रता से अनुमति प्रदान कर दी जाती है, परंतु स्थापित विश्वविद्यालयों को इसी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे केवल इस बात की पुष्टि होगी कि वर्तमान विनियामक संरचना की जटिलता, बहुलता और कठोरता भारत में उच्चतर शिक्षा अवसर के विस्तार में सहायक नहीं है।

कुल मिलाकर, वर्तमान नियामक ढांचा अच्छे संस्थान तैयार करने में अवरोधक है, वर्तमान संस्थानों का गलत स्थानों पर अत्यधिक विनियमन करता है तथा उच्चतर शिक्षा में नवीनता एवं सृजनात्मकता के अनुकूल नहीं है। अतः एक ऐसे नियामक तंत्र का गठन करना एक चुनौती है, जो अच्छे संस्थानों की संख्या बढ़ा सके तथा उन संस्थानों में जवाबदेही तय कर सके। एक स्वतंत्र नियामक इस प्रकार की प्रणाली की आधारशिला होना चाहिए।

प्रस्तावित आईआरएएचई उन सिद्धांतों को युक्तिसंगत बनाएगी, जिन पर प्रवेश विनियमित किया जाता है। इस युक्तीकरण के दो पहलू हैं: क्या विनियमित किया जाना है तथा विनियमन के लिए किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा में, नियामक पांच कार्य करते है: (1) प्रवेश: डिग्री देने का लाइसेंस। (2) प्रत्यायन: गुणवत्ता बेंचमार्किंग। (3) सार्वजनिक निधियों का भुगतान। (4) पहुंच: शुल्क अथवा सकारात्मक कार्रवाई। (5) लाइसेंस: व्यवसाय करने हेतु।

विश्व में शायद भारत ही एक मात्र देश है, जहां 5 कार्यों में से 4 का विनियमन एक ही संस्था द्वारा किया जा रहा है, वह है यूजीसी। आईआरएएचई स्थापित करने का उद्देश्य इन कार्यों को अलग करना है। प्रस्तावित आईआरएएचई, मानदण्ड निर्धारित करने तथा प्रवेश का निर्धारण करने हेतु उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्यायन हेतु यह एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करेगा। यूजीसी की भूमिका सार्वजनिक निधियों के भुगतान तक सीमित होगी। पहुंच के मुद्दों को आरक्षण तथा अन्य सकारात्मक कार्रवाई संबंधी राज्य विधान मंडल द्वारा शासित किया जाएगा और कुछ संस्थानों में, व्यावसायिक संगठन व्यवसाय शुरू करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु जरूरतें निर्धारित कर सकते हैं। एआईसीटीई जैसी अन्य सभी नियामक एजेंसियों को समाप्त करने की आवश्यकता होगी, जबकि एमसीआई और बीसीआई की भूमिकाएं व्यावसायिक संगठन के रूप में सीमित होंगी। ये व्यावसायिक संगठन व्यवसाय में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

विनियमन का दूसरा पहलू है विनियम के लिए प्रयोग किया जाने वाला सिद्धांत। नए संस्थान की स्थापना करने हेतु आईआरएएचई पात्रता निर्धारित करेगा, जो विवेकाधीन नियंत्रण के बजाय पारदर्शी मानदंडों पर आधारित होगा। इसकी प्रमुख भूमिका होगी डिग्री प्रदान करने हेतु

लाइसेंस का अनुमोदन करते समय उद्यमशीलता अपनाना। ऐसा करते समय, यह प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्रस्तावित संस्थान की शैक्षिक प्रमाणिकता एवं वित्तीय व्यवहार्यता के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करेगी। यह सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों में वही मानदंड लागू करेगा, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए लागू होगा।

आईआरएएचई का गठन निम्न प्रकार से होगा। इसमें एक अध्यक्ष और छः सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल छः वर्ष का होगा। सदस्यों का कार्यकाल भी छः वर्ष होगा। प्राधिकरण के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात सेवा निवृत्त होंगे। अध्यक्ष किसी भी क्षेत्र के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् होंगे, जिन्हें उच्चतर शिक्षा में अभिशासन का अनुभव हो। सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों से चुने गए सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् होंगेः भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषय जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, विधि अथवा प्रबंधन। उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में प्राधिकरण को सलाह देने के लिए आईआरएएचई शिक्षा के क्षेत्र से कुछ अंश-कालिक सदस्य अथवा स्थायी समितियां नियुक्त कर सकते हैं। आईआरएएचई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

आईआरएएचई की स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा की जानी होगी। यह एक मात्र एजेंसी होगी जिसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के लिए शक्ति देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। यह मानकों की मानीटरिंग और विवादों के निपटान हेतु भी उत्तरदायी होगा। प्रत्यायन एजेंसियों को लाइसेंस देने के लिए प्राधिकरण के रूप में भी इसे समझा जाएगा। आईआरएएचई को अनिवार्यतः सरकार से दूर तथा संबंधित मंत्रालयों सहित सभी पणधारियों से स्वतंत्र होना चाहिए। यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई और बीसीआई के अधिनियमों को संशोधित करना होगा। उच्चतर शिक्षा में सार्वजनिक संस्थानों को अनुदानों के भुगतान एवं अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए यूजीसी की भूमिका को पुनः परिभाषित करना होगा। आईआरएएचई द्वारा एआईसीटीई, एमसीआई और बीसीआई के प्रवेश नियामक कार्य निष्पादित किए जाएंगे, जिससे कि उनकी भूमिका व्यावसायिक संगठनों तक सीमित रखी जा सके। व्यावसायिक संगठन व्यवसाय में प्रवेश करने वाले इच्छुक लोगों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे।

टाइटेनियम का निकाला जाना

254. **डा. के धनराजू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनामी के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी मात्रा में टाइटेनियम जमा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टाइटेनियम निकालने हेतु 500 करोड़ रु. आबंटित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टाइटेनियम निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के तटीय क्षेत्रों में भारी खनिज के निक्षेप में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, सुनामी के परिणामस्वरूप, चवारा, केरल के ज्ञात निक्षेपों में करीबन 0.46 मिलियन टन इल्मेनाइट और 0.03 मिलियन टन रूटाइल की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अंतरिक्ष विभाग ने, रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर 'केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड, कोल्लम' में 500 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक टाइटेनियम स्पंज संयंत्र स्थापित करने के लिए 99.50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

(ङ) पुलिन बालुका खनिज क्षेत्र को उदारीकृत किया गया है और निजी क्षेत्र को भी टाइटेनियम निष्कर्षण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बाघ गणना रिपोर्ट

255. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री रामदास आठवले :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बाघ गणना रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में इस समय बाघों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) देश में बाघों की सही संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या पद्धति अपनाई गई है;

(घ) क्या 'वन्यजीव' संरक्षणविदों ने बाघों को बचाने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार से कदम उठाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे सलंग्न विवरण-I पर दिया है। बाघों की देश स्तर पर कुल संख्या 1411 (मिडवेल्यू) है, लोवर और अपर लिमिट्स क्रमश 1165 और 1657 है।

(ग) क्रिया-पद्धति में डबल सैंपलिंग शामिल है। बाघ युक्त 17 राज्यों में सभी वनावरित वासस्थलों में बाघों की मौजूदगी की संख्या और सूची तैयार करने के लिए बाघों के चिन्हों, शिकार जानवरों की उपस्थिति तथा मानव दबावों के संदर्भ में सर्वेक्षण किया गया है। जी आई एस इलाकों में दूर संवेदी डाटा और परिवर्तनीयताओं के एट्रीब्यूट डाटा का तथा बाघों की संख्या/इंडीसिज के माडल तैयार किए गए। बाद में स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क में कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग करके बाघों की संख्या का अनुमान लगाया गया। तब इन संख्याओं का उपर्युक्त इंडिसिज के साथ आपस में मिलान किया गया और समान तरह के लैंडस्केप के साथ उनके संबंध के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला गया।

(घ) और (ङ) सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व संरक्षणविदों से बाघों के संरक्षण के लिए सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इस संबंध में किए गए महत्वपुर्ण प्रयासों का ब्यौरा सलंग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

परिष्कृत कार्य पद्धति के अनुसार वन आवरण तथा बाघों की संख्या का अनुमान

राज्य	बाघ वर्ग कि.मी.2	बाघों की संख्या		
		सं.	निचली सीमा	ऊपरी सीमा
1	2	3	4	5
शिवालिक गंगा मैदानी लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
उत्तराखंड	1901	178	161	195
उत्तर प्रदेश	2766	109	91	127
बिहार	510	10	7	13
शिवालिक गंगा	5177	297	259	335
मध्य भारतीय लैंडस्केप काम्प्लैक्स और पूर्वी घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
आंध्र प्रदेश	14126	95	84	107
छत्तीसगढ़	3609	26	23	28
मध्य प्रदेश	15614	300	238	364
महाराष्ट्र	4273	103	76	131
उड़ीसा	9144	45	37	53
राजस्थान	356	32	30	36
झारखंड*	1488	मूल्यांकन नहीं किया गया		
मध्य भारतीय	48610	601	486	718
पश्चिमी घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
कर्नाटक	18715	290	241	339
केरल	6168	46	39	53

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	9211	76	56	95
पश्चिमी घाट	34.94	412	336	487
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान				
असम•	1164	70	60	80
अरुणाचल प्रदेश*	1685	14	12	18
मिजोरम*	785	6	4	8
पश्चिमोत्तर बंगाल*	596	10	8	12
पूर्वोत्तर पहाड़िया और ब्रह्मपुत्र	4230	100	84	118
सुन्दरवन	1586	मूल्यांकन नहीं किया गया		
बाघों की कुल सं.		1411	1165	1657

*संख्या का अनुमान बाघों द्वारा वासित क्षेत्र में उनकी संभावित संख्या पर आधारित है, न कि डबल सैंपलिंग आधार पर

**ये आंकड़े बाघों की संख्या के अनुमान के अनुसार नहीं थे। लेकिन लैंडस्केप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं यह संकेत करती हैं कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या 0.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग कि.मी. तक कम हो रही है।

विवरण-II

जंगली बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना। बाघ रिजर्व में किए गए अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. अवैध शिकार गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना जिनमें मानसून पैट्रोलिंग के लिए विशेष रणनीति बनाना। इसके लिए बाघ वाले राज्यों को उनके द्वारा पूर्व सेना कार्मिकों/होम गार्डों, स्थानीय लोगों को शामिल करके शिकाररोधी स्क्वाड तैनात करने के लिए यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता देना तथा कम्यूनिकेशन और वायरलैस सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।

3. पूर्व-सेना कार्मिकों और स्थानीय वर्कफोर्स को शामिल करके बाघ सुरक्षा बल की तैनाती के लिए 17 बाघ वासित राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई।

4. अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्व प्रबंधन में नोरमेटिव मानक सुनिश्चित करना, रिजर्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद के समक्ष वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित करना तथा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करके 4-09-2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करके दिनांक 6-6-2007 से एक बहु-विषयक बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण बोर्ड का गठन करना।

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

7. बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को ग्राम पुन:स्थापन/पुनर्वास विस्तारित पैकेज, कोर अथवा क्रिटिकल बाघ वासस्थलों में रहने वाले लोगों के लिए वित्तीय सहायता देना (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परम्परागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास, पुन:स्थापन और बाघ रिजर्वों के बाहर स्थित वनों में

आजीविका तथा वन्यजीव सरोकारों को युक्तियुक्त बनाना तथा वासस्थलों को विखंडन से बचाने के लिए सुधारात्मक रणनीतियों द्वारा कोरिडोर संरक्षण को प्रोत्साहन देना शामिल है।

8. बाघों की संख्या का अनुमान लगाने (कोप्रीडेटर्स, शिकार जानवरों और वासस्थलों की स्थिति का मूल्यांकन सहित) के लिए एक वैज्ञानिक क्रिया पद्धति तैयार की गई है और इसे युक्ति संगत बनाया गया है। इस अनुमान/मूल्यांकन के निष्कर्ष भावी बाघ संरक्षण रणनीति के बैंचमार्क हैं।

9. 17 राज्यों में 31111 वर्ग कि.मी. क्रिटिकल/कोर बाघ वासस्थलों की पहचान की गई।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के जरिए संरक्षण संबंधी सूचनाओं के बेहतर रूप से कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन।

वित्तीय उपाय

11. विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना और राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों का विकास के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करना ताकि वन्य प्राणियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. भारत ने बाघ संरक्षण के संबंध में चीन के साथ प्रोटोकॉल बनाने के अलावा वन्यजीवों के सीमा पारीय अवैध व्यापार को रोकने तथा वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापित किया है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल टाइगर फोरम तैयार किया गया है।

14. साइट्स कांफ्रेस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक के दौरान जोकि हेग में 3 से 15 जून, 2007 को आयोजित हुई थी में भारत ने चीन, नेपाल और रूस फैडरेशन के साथ मिलकर एक संकल्प पेश किया जिसमें कांफ्रेस के पक्षकारों को ऐसे बन्दीगृह के जानवरों की संख्या जंगली बाघों के संरक्षण में सहायक सिद्ध होने वाली सीमा तक सीमित रखने हेतु वाणिज्यिक स्तर पर बाघ प्रजनन क्रियाकलापों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए। संकल्प को थोड़े से संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने चीन से अपील की कि वह टाइगर फार्मिंग को खत्म करे और एशियाई बाघों के शरीर के अंगों और उनके व्युतपन्नों के स्टोक पाइल्स को समाप्त करे। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया गया।

[हिन्दी]

पासपोर्टों हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण

256. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदनों को जमा करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण दिसम्बर, 2006 में किया गया। इस सरलीकरण की मुख्य विशेषताएं हैं:- तत्काल स्कीम के तहत सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का पर्याप्त विस्तार किया गया है। सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को, जिनकी पहचान को विभागाध्यक्ष अथवा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष अथवा इस प्रयोजना के लिए उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो, ऐसे प्रमाणीकरण के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाता है। आवेदक 14 विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से 3 दस्तावेज जमा करके तत्काल योजना के तहत भी आवेदन कर सके हैं। इसके अतिरिक्त, सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदनों को ऑन-लाइन जमा कराना शुरू किया गया है।

(ग) इन दिशा-निर्देशों से पासपोर्ट आवेदकों के लिए पासपोर्ट आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया और सरल तथा तीव्र हो गई है।

[अनुवाद]

सुबानशिरी बांध को पर्यावरणीय क्षति

257. **डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने एन.एच.पी.सी. के निचले सुबानशिरी बांध स्थल पर हाल ही में भूस्खलन के कारणों तथा उससे हुई पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रि पावर कारपोरेशन लि., जो कि सुर्वणश्री बांध परियोजना का कार्यान्वियन कर रहा है, ने सूचित किया है कि 28 जनवरी, 2008 को हाल में हुआ भूस्खलन भौगोलिक कारणों और पिछले पखवाड़े हुई लगातार वर्षा के कारण हुआ था। यह भी सूचित किया गया था कि खिसकन पूरी तरह से पावर हाउस क्षेत्र में हुआ है और भूस्खलन के मलबे को निर्धारित डम्प यार्ड में डम्प किया जाएगा और साथ ही भूस्खलन के कारण परियोजना क्षेत्र के बाहर कोई पर्यावरणीय हानि नहीं हुई है।

भारत को यूरेनियम की आपूर्ति

258. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को चलाने के लिए यूरेनियम की आपूर्ति हेतु चीन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने गैर-परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के देशों से यूरेनियम खरीदने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा ये देश कौन-कौन से हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) हालांकि, सरकार यूरेनियम प्राप्त करने की सभी संभावनाओं का अध्ययन कर रही है, तथापि, ऐसी किसी संभावना को साकार करने के लिए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय असैन्य नाभिकीय सहकार शुरू करने की शर्तों में परिवर्तन किया जाना जरूरी होगा।

प्रधानमंत्री की चीन यात्रा

259. **प्रो. एम. रामदास :**
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री संतोष गंगवार :
श्री मोहन सिंह :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री कीरेन रिजीजू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री सुरेश अंगडि :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में चीन यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस अवसर पर हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के लिए उक्त यात्रा कितनी लाभकारी होगी?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 13-15 जनवरी, 2008 तक चीन का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रीमियर वेन जिआबाओं के साथ आधिकारिक वार्ता की और उन्होंने चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ और चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष वू बांगुओ के साथ अलग से बैठकें की।

प्रधानमंत्री और प्रीमियर वेन जिआबाओ ने "भारत गणराज्य और चीन लोक गणराज्य का 21वीं सदी के लिए एक में साझी दृष्टि" संबंधी एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उनके समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए नामत: योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के बीच सहयोग; दोनों देशों के रेल मंत्रालयों के बीच सहयोग; भारत के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा निर्माण मंत्रालय, पीआरसी के बीच समझौता ज्ञापन; भू-संसाधन प्रबंधन, भू-प्रशासन और पुनर्वास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फारेन कंट्रीज (सीपीएएफएफसी) के बीच चीन गए भारतीय चिकित्सा मिशन का स्मरणोत्सव मनाने के लिए संयुक्त चिकित्सा मिशन पर समझौता ज्ञापन; भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और सीपीएएफएफसी के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन; भू-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन नाबार्ड और चीन के कृषि विकास बैंक के बीच पारस्परिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन; और भारत से चीन तम्बाकू का निर्यात किए जाने के लिए पादप-स्वच्छता अनिवार्यताओं पर प्रोतोकोल।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत-चीन संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने दोनों देशों की व्यापक, संतुलित और सतत् आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने और एशिया एवं संपूर्ण विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देने के अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दायित्व को स्वीकार किया। भारत-चीन संबंध किसी देश के विरूद्ध निर्देशित नहीं हैं और न ही इससे अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव ही पड़ेगा।

दोनों पक्ष दोनों देशों के नेताओं के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों को और गहन बनाने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वर्ष 2008 में भारत और चीन के विदेश मंत्री एक-दूसरे देश की यात्रा करेंगे। उन्होंने सैन्य बलों के बीच आपसी समझबूझ और विश्वास को गहन बनाने पर सहमत हुए तथा प्रथम संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के सफल समापन का स्वागत किया और वे वर्ष 2008 में दूसरा अभ्यास आयोजित करने पर सहमत हुए। वर्ष 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को वर्तमान के 40 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 60 बिलियन अमरीकी डालर का निर्णय लिया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने वाणिज्य मंत्रियों को क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था के लाभों का व्यवहार्यता अध्ययन करने और शीघ्र अनुशंसाएं देने के लिए अधिदेशित किया। भावी आर्थिक संबंधों पर प्रधानमंत्रियों को सलाह देने के लिए एक उच्च-स्तरीय व्यवसाय प्रमुख मंच की स्थापना करने पर निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में बाढ़ के मौसम के आंकड़े उपलब्ध कराने में चीन द्वारा दी गयी सहायता की सराहना की। दोनों नेता विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के जरिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। नवम्बर, 2006 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सहमत भारत-चीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भागीदारी के अनुरूप अब दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्राथमिक क्षेत्र में और सहयोग करने के लिए भूकंप इंजीनियरिंग, आपदा, प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो विज्ञान की पहचान की है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने सीमा प्रश्न का एक ऐसा समाधान प्राप्त करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों द्वारा की गयी प्रगति का स्वागत किया जो उचित, न्यायसंगत, आपसी स्वीकार्य और अप्रैल, 2005 में संपन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों और राजनैतिक मानदण्डों से संबद्ध करार पर आधारित है। विशेष प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास जारी रखते हुए दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन कायम रखने की आपसी वचनबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री की यात्रा से द्विपक्षीय क्षेत्रों में हमारा प्रकार्यात्मक सहयोग व्यापक हुआ है और हमारे दोनों देशों के बीच आपसी समझबूझ गहन हुआ है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में वन विकास

260. श्री बापू हरी चौरे :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री संजय धोत्रे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वन के विकास के संबंध में कोई कार्य योजना कार्यान्वित की है अथवा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत आरंभ की गई/कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन विकास के लिए महाराष्ट्र को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए समय से निधियां जारी कर दी जाती है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) महाराष्ट्र में वनों के विकास से संबंधित कोई विशिष्ट कार्य योजना नहीं हैं। तथापि, सरकार के पास वनों के विकास हेतु तीन प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् ''राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम'', ''एकीकृत वन सुरक्षा'' और ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यो के विकास हेतु सहायता'' हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय वनीकरण योजना, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से वनीकरण हेतु सहायता प्रदान करती है।

- एकीकृत वन सुरक्षा, दावानल नियंत्रण और प्रबंध, कार्ययोजनाओं को तैयार करने और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास हेतु सहायता में सुरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के तहत महाराष्ट्र राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) जी हां। ज्यादातर, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेशों को समय पर निधियां जारी की जाती हैं।

(च) लागू नहीं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य को जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

स्कीम	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	1312.15	1469.08	1389.06	4170.29
एकीकृत वन सुरक्षा	शून्य	शून्य	131.49	131.49
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु सहायता	108.05	241.68	223.89	573.62
कुल	1420.20	1710.76	1744.44	4875.40

वायु में प्रदूषकों की मात्रा

261. श्री महावीर भगोरा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में विभिन्न स्थानों पर वायु में पाए गए प्रदूषकों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वायु प्रदूषकों के कारण हुई बीमारियों के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का क्या परिणाम निकला?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता

निगरानी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत देश भर में 25 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में 121 शहरों और कस्बों को कवर करते हुए 332 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। परिवेशी वायु की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इसमें सल्फर डाईआक्साईड (एसओ 2), नाइट्रोजन के ऑक्साईड (एनओ x) और विविक्त कण (पी.एम.) के स्तरों की निगरानी की जाती है।

उपलब्ध डाटा के अनुसार, सभी मानीटर किए गए शहरों में आवासीय क्षेत्रों में सल्फर डाईआक्साइड का वार्षिक औसत सान्द्रण निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवता मानदंडों (एन.ए.ए.क्यू.एस) के भीतर है। आवासीय क्षेत्रों में अधिकांश शहरों में एनओx वार्षिक औसत सान्द्रण भी एन.ए.ए.क्यू.एस. की निर्धारित सीमा के भीतर है। तथापि, आवासीय क्षेत्रों में श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) का वार्षिक औसत सान्द्रण निर्धारित एन.ए.ए.क्यू.एस. से अधिक है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चितरंजन राष्ट्रीय कैन्सर संस्थान, कोलकाता के दो एपिडेमियोलॉजिकल अध्ययनों को प्रायोजित किया है जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

सेतुसमुद्रम परियोजना पर श्वेत-पत्र

262. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतुसमुद्रम परियोजना की स्थिति पर श्वेत-पत्र लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना पर केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना सरकार द्वारा मई, 2005 में अनुमोदित की गई थी और इस समय उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, 31.08.2007 और 14.9.07 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अनुसरण में एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य रोक दिया गया है। इसके अलावा, सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना से संबंधित कुछ स्थानांतरण के मामलों और रिट याचिकाओं के संबंध में सरकारी वकील द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 14.9.2007 को किए गए निवेदनों के अनुसरण में, सरकार ने 5.10.2007 को प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जिसके विचारार्थ विषय उपर्युक्त विषय में रूचि रखने वाले रिट याचिकाकर्ताओं सहित सभी संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना और उनकी निजी सुनवाई के बाद सभी सुझावों/प्रस्तावों/दस्तावेजों पर विचार किया जाना थे। इस समिति ने 29.11.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

नए सीजीएसएच कार्ड जारी किया जाना

263. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री नकुल दास राई :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में सी.जी.एच.एस. लाभभोगियों के परिवार के प्रत्येक को नया अलग कार्ड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह अलग कार्ड देश में सभी सी.जी.एच.एस. औषधालयों हेतु मान्य होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्डों को जारी करने पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सीजीएचएस लाभार्थी के परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य को एक फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है ताकि सीजीएचएस कार्ड के दुरूपयोग को और अधिक रोका जा सके और लाभार्थी डाटा के ऑन-लाइन पर उपलब्ध होते ही सभी सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए नगरों में इस कार्ड के उपयोग को सुगम बनाया जा सके।

(ङ) इस कार्ड को जारी करने की अनुमानित लागत 10/- रुपए है।

एड्स के टीके का नैदानिक परीक्षण

264. श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, (एन.ए.आर. आई.), पुणे ने फरवरी, 2005 में एड्स के टीके का नैदानिक परीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत में ऐसे परीक्षण करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एन.ए.आर.आई. को भारत में उक्त परीक्षण करने के लिए विदेशी दानदाताओं से धनराशि प्राप्त हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी हां, फरवरी, 2005 में राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान (एमएआरआई) पूर्ण में एच.आई.वी. वैक्सीन का फेज-I वैक्सीन ट्रायल शुरू किया गया था।

(ख) 7 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन.ए.आर.आई.) पुणे में ए.ए.वी. वैक्सीन सहित फेज-I क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया गया था। ट्रायल में कुल 30 वालन्टियर नामांकित किए गए थे। ट्रायल के परिणामों से पता है कि यह वैक्सीन 3 खुराक उपयोग में लाने से सहनीय और सुरक्षित है। मौजूदा खुराकों में यह साप्ताहिक इमनोजेनिक है। ट्रायल से यह भी पता चला है कि यूरोपियन भागीदारों की तुलना में भारतीय जनसंख्या में ए.ए. व 2 निष्प्रभावी रोग प्रतिकारक की अधिक बेसलाइन टाईटर का साक्ष्य मिला है। चूंकि वैक्सीन कई संक्रमण रोगों के नियंत्रण के लिए लागत प्रभावी उपकरण सिद्ध हुई है, एच.आई.वी. के प्रति निवारक वैक्सीन भी भारत में एच. आई.वी. संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए बहुत उपयोगी उपकरण के रूप में भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए एक प्रभावी निवारक एच.आई.वी. वैक्सीन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां। एन.ए.आर.आई. को भारत में ट्रायल आयोजित करने के लिए विदेशी दानकर्ताओं से निधियां प्राप्त हुई हैं।

(घ) भारत में एच.आई.वी./एड्स वैक्सीन का अनुसंधान करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन अभिक्रम के बीच त्रिपक्षीय करार हुआ है। इस करार के अंतर्गत ही इस ट्रायल को चलाने के लिए एन.ए.आर.आई.ए.वी.ए. से 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

वन भूमि पर अतिक्रमण

265. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
डा. धीरेंद अग्रवाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा/अतिक्रमण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त भूमि को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप खाली कराई गई वन भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में लगभग 16.2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमण के तहत है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वन क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रबंध मुख्यत: संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का उत्तरदायित्व है। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने अपात्र अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण की गई भूमि को खाली करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 21-12-2004 के पत्र द्वारा जनजातियों/वन वासियों को अपात्र अतिक्रमणकारियों के अलावा भूमि खाली करने की मुहिम से अलग रखने को लिखा है। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों (वन अधिकारों की मान्यता) संबंधी अधिनियम, 2006 और उसके नियमों के प्रभावी होने से राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करना है। तदनुसार, अतिक्रमण के मामलों की उक्त अधिनियम के अनुसार जांच की जानी है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	अतिक्रमण के तहत भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	293000 (21/2/08)
2.	बिहार	2634 (5/9/07)
3.	छत्तीसगढ़	56490 (31/8/07)
4.	गुजरात	24774 (31/3/07)
5.	गोवा	1012 (10/12/07)
6.	हरियाणा	1188 (31/8/07)
7.	हिमाचल प्रदेश	1481 (31/3/07)
8.	जम्मू एवं कश्मीर	14375 (4/12/07)
9.	झारखंड	58444 (31/3/06)
10.	कर्नाटक	108405 (22/2/08)
11.	केरल	12474 (1/9/07)
12.	मध्य प्रदेश	240600 (30/6/07)
13.	महाराष्ट्र	82695 (30/6/07)
14.	उड़ीसा	78505 (1/1/04)
15.	पंजाब	8400 (31/8/07)
16.	राजस्थान	32095 (1/1/07)
17.	तमिलनाडु	15213 (15/12/07)
18.	उत्तर प्रदेश	28790 (31/8/07)
19.	उत्तराखंड	9736 (31/3/07)
20.	पश्चिम बंगाल	13534 (30/6/07)
21.	अरुणाचल प्रदेश	89000 (10/9/07)
22.	असम	349401 (22/2/08)
23.	मणिपुर	5244 (31/3/07)
24.	मेघालय	9312 (7/9/07)
25.	मिजोरम	18765 (6/9/07)
26.	नागालैंड	10063 (28/9/07)
27.	सिक्किम	3191 (19/9/07)
28.	त्रिपुरा	47675 (31/3/06)
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3340 (7/9/07)
30.	चंडीगढ़	शून्य (4/9/07)
31.	दादर एवं नागर हवेली	शून्य (5/12/07)
32	दमन और द्वीव	88 (17/10/07)
33.	दिल्ली	200 (15/3/07)
34.	लक्षद्वीप	शून्य (25/9/07)
35.	पांडिचेरी	शून्य (5/9/07)
	कुल	1620126

टिप्पणी: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अतिक्रमण के तहत क्षेत्र, तिथि के अनुसार कोष्ठक में दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

आठ नए बाघ अभयारण्य

266. **श्री असादूद्दीन आवेसी :**
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आठ नए वन क्षेत्रों को अपने अधीन करने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ चिन्हित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजन पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नए बाघ रिजर्वों क्षेत्रों में बाघ संरक्षण के लिए 32.00 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान लगाया गया है।

विवरण

प्रस्तावित नए बाघ रिजर्वों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावित नए बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1.	अन्नामलय-पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु और केरल	1410
2.	उदन्ती और सीता नाड़ी वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़	1580
3.	सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य	उड़ीसा	988.30
4.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम	916.67
5.	अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़	963.274
6.	दन्देली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक	875.84
7.	संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश	831.25
8.	मुदुमलय वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु	321

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाना

267. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री रघुनाथ झा :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री उदय सिंह :
श्री एम. शिवन्ना :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बावजूद देश के विभिन्न भागों विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पता लगाए गए पोलियो के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में पोलियो के उन्मूलन के लिए सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा आबंटित धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में पोलियो के उन्मूलन के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 2007 के दौरान देश में पोलियो टाइप 1• में काफी कमी आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानिकमारी जिलों से एक से अधिक वर्षों से पोलियो टाइप 1 रोगियों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बिहार में भी पोलियों टाइप 1 का संचरण खंडों के छोटे भाग तक सीमित है जिनको प्रचालनात्मक संबंधी कठिनाईयां हुई हैं जो बाढ़ के दौरान बदतर हो गई हैं। पोलियो की खुराक पिलाने की कार्यनीति में परिवर्तन अर्थात पहले मोनोवैलेंट ओरल पालियो वैक्सीन 1 का प्रयोग करके पालियो टाइप-1 के उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित करने से उत्तर प्रदेश में पी 3 का पुन: प्रकोप हुआ है जो आसपास के क्षेत्रों में फैल गया है तथा बिहार में दोबारा शुरू हो गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पता लगाये गये पोलियो रोगियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना के समन्वय से मुरादाबाद जिले के बच्चों में पोलियो वायरस एंटिबॉडी का पता लगाने और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में पांच वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में नान-पोलियो ए.एफ.पी. रोगियों में पोलियो वायरस एंटिबॉडी की व्याप्तता का पता लगाने के लिए दो अध्ययन कर रही है। मुरादाबाद जिले के बच्चों में पोलियो वायरस एंटिबॉडी की व्याप्तता का पता लगाने के लिए अध्ययन से संबंधित लोगों के 900 सेरम नमूने एकत्र किये गये हैं और इन्ट्रोवायरस अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई द्वारा 30 नवम्बर, 2007 को प्राप्त किए गए। इन्ट्रोवायरस अनुसंधान केन्द्र, मुंबई नमूने की जांच कर रहा है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित और जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

(च) देश में पोलियो का उन्मूलन हासिल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

- पोलियो टाईप-1 और पोलियो टाईप-3 वायरस के विरूद्ध प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों और राज्यों में मोनोवायलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (एम. ओ.पी.वी.-1 और एम.ओ.पी.वी.-3) का उपयोग किया जा रहा है।

- देश के अन्य भागों में वाइल्ड पोलियो वायरस का पता लगने के बाद इससे निपटने की कार्रवाई के रूप में मोपिंग-अप प्रतिरक्षण चलाया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में पहचान की जा रही है तथा इन बच्चों को अगस्त, 2007 से उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए उपराष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस के दौरान कवर किया जा रहा है।

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पता लगाई गई कमियों के बारे में राज्य राजनैतिक नेतृत्व और प्रशासन को लगातार अवगत किया जा रहा है जो इसके बाद जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रगति की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट, कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए गठित कार्यदल के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं।

- उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में प्रत्येक नवजात शिशु का पता लगाया जा रहा है और पोलियो प्रतिरक्षण के दौरान उनको पोलियो की खुराक दी जा रही है और बाद के आठ दौरों के लिए उन पर नजर रखी जा रही है। पल्स पोलियो दौर के समय प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचने के लिए निश्चित बूथों पर और घर घर जाकर बच्चों को पालियो की खुराक देने की कार्यनीति के अलावा देशभर में रेलवे स्टेशनों पर मार्गस्थ बच्चों, लम्बी दूरी की ट्रेनों के अंदर, बड़े बस पड़ावों, बाजार स्थलों, धार्मिक जमावड़ों, बड़े रोड क्रासिंग आदि में बच्चों को पोलियो की खुराक देने के सघन प्रयास किए गए हैं।

- पोलियो की खुराक से छूट गए बच्चों को पोलियो की खुराक देना सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता को शामिल किया जा रहा है और

वे मासिक स्वास्थ्य दिवस सत्र में इन छूटे हुए बच्चों को एकत्रित करती हैं और उनको पोलियो की खुराक देती हैं।

— ओरल पोलियो वैक्सीन के उपयोग के बारे में समुदाय के कतिपय वर्ग के बीच व्याप्त भ्रांति और अफवाहों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

— पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अल्पसेवित समुदाय के नेताओं और जनमत तैयार करने वाले व्यक्तियों को इस कार्य में शामिल करने की कार्यनीति अपनाई जा रही है।

विवरण-I

राज्यों में वर्ष 2005-08 के दौरान पोलियो रोगियों की संख्या

राज्य/संघशासित क्षेत्र	2005	2006	2007*	2008*
1	2	3	4	5
बिहार	30	61	495	69
उत्तर प्रदेश	29	548	339	12
हरियाणा	1	19	6	1
उत्तराखंड	1	13	6	
आंध्र प्रदेश	0	0	5	
राजस्थान	0	1	3	
दिल्ली	1	7	2	
महाराष्ट्र	0	5	2	
पश्चिम बंगाल	0	1	2	
पंजाब	1	8	1	
गुजरात	1	4	1	
कर्नाटक	0	0	1	
उड़ीसा	0	0	1	
मध्य प्रदेश	0	3		
असम	0	2		
झारखंड	2	1		
चंडीगढ़	0	1		
हिमाचल प्रदेश	0	1		
जम्मू और कश्मीर	0	1		
तमिलनाडु	0	0		
छत्तीसगढ़	0	0		
केरल	0	0		
दमन और दीव	0	0		
दादरा और नगर हवेली	0	0		
गोवा	0	0		
पांडिचेरी	0	0		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0		
अरुणाचल प्रदेश	0	0		
लक्षद्वीप	0	0		
मणिपुर	0	0		
मेघालय	0	0		
मिजोरम	0	0		
नागालैंड	0	0		
सिक्किम	0	0		
त्रिपुरा	0	0		
कुल	66	675	864	82

*दिनांक 22.2.2008 की स्थिति के अनुसार आंकड़ा

स्रोत : राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां और उनके द्वारा सूचित व्यय

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2008	
		राज्यों को स्वीकृत	सूचित व्यय	राज्यों को स्वीकृत	सूचित व्यय	राज्यों को स्वीकृत	सूचित व्यय	राज्यों को स्वीकृत*	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	57.41	57.41	42.852	42.807	97.645	95.66	50.02	
2.	असम	943.30	943.30	471.815	471.815	1252.842	751.60	735.46	
3.	मणिपुर	98.96	98.96	65.605	65.585	129.982	129.83	64.99	
4.	मेघालय	111.13	82.23	77.923	59.989	156.960	138.84	79.04	
5.	मिजोरम	36.44	36.44	24.188	24.188	48.882	48.88	25.09	
6.	नागालैंड	74.84	74.84	49.524	42.937	103.507	53.98	53.98	
7	सिक्किम	74.94	74.84	49.524	42.937	103.507	53.98	53.98	
8.	त्रिपुरा	114.59	114.59	76.028	73.787	250.556	155.93	79.16	
9.	बिहार	3351.35	2403.80	4305.434	4282.588	5737.280	4571.52	5034.90	
10.	मध्य प्रदेश	1459.46	1447.63	891.97	891.978	2407.821	1083.67	954.01	
11.	उड़ीसा	513.33	513.33	325.14	322.441	657.029	322.44	564.06	
12.	राजस्थान	1653.38	1485.71	959.30	827.721	2080.155	67.46	1302.36	
13.	उत्तर प्रदेश	10877.36	9838.10	15564.23	14717.196	17491.461	14251.04	13942.69	
14.	उत्तराखंड	326.37	289.38	466.07	417.561	548.666	162.31	451	
15.	छत्तीसगढ़	351.93	345.81	231.52	226.485	471.988	225.16	372.56	
16.	झारखंड	841.65	621.18	974.70	636.803	1195.433	206.64	551.03	
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.88	17.65	14.98	11.383	29.954	22.81	14.70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	आंध्र प्रदेश	1523.91	1499.69	853.31	811.120	2252.527	8.04	2710.10	
19.	चंडीगढ़	14.37	13.75	9.27	9.246	32.338	9.36	14.38	
20.	दादरा और नगर हवेली	4.40	3.83	2.95	2.831	7.500	1.45	2.97	
21.	दमन और दीव	3.24	3.23	3.12	2.685	4.455	5.29	2.25	
22.	दिल्ली	489.50	463.62	857.01	720.004	870.911	572.37	861.73	
23.	गोवा	14.97	14.97	9.78	10.194	19.567	10.19	9.78	
24.	गुजरात	1117.03	1080.68	643.05	589.626	1652.510	1213.98	1005.94	
25.	हरियाणा	610.59	524.30	561.86	493.534	1049.079	735.37	646.81	
26.	हिमाचल प्रदेश	156.09	143.88	102.93	92.058	239.701	92.06	102.93	
27.	जम्मू और कश्मीर	260.09	216.92	178.09	141.991	390.209	142.30	179.38	
28.	कर्नाटक	1015.83	1022.43	505.87	480.918	1302.440	496.90	636.39	
29.	केरल	316.91	280.06	203.13	189.963	406.267	203.13	203.13	
30.	लक्षद्वीप	4.27	4.08	2.61	2.127	5.640	5.54	2.84	
31.	महाराष्ट्र	1627.20	1582.77	1567.57	1448.780	3634.652	1519.46	2183.51	
32.	पांडिचेरी	13.29	13.29	8.57	8.572	17.499	8.57	19.60	
33.	पंजाब	391.33	373.04	356.01	359.524	838.115	129.18	461.21	
34.	तमिलनाडु	794.94	777.93	512.65	483.417	1025.309	493.62	512.65	
35.	पश्चिम बंगाल	2004.03	1974.08	1839.37	1702.277	2855.171	380.49	944.88	
	कुल	31216.89	28384.44	32772.518	30678.215	49292.292	28330.37	34790.46	

नोट* जनवरी-फरवरी, 2008 तक आंकड़े

[अनुवाद]

जननी सुरक्षा योजना

268. श्री एल. राजगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है;

(ख) इस संबंध में अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों

का ब्यौरा क्या है और उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बी.पी.एल. और ए.पी.एल परिवारों से संबंधित महिलाओं को इस योजना में शामिल किए जाने का कोई पृथक प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर जहां योजना बनाए जाने के समय संस्थागत प्रसव की दर 25% से अधिक थी, को छोड़कर शेष राज्यों को 'उच्च निष्पादन करने वाले राज्यों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है इन राज्यों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अलग प्रस्ताव नहीं है क्योंकि निम्न निष्पादन वाले राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की गर्भवती महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्र हैं।

विवरण

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08 सितम्बर, 2007 तक
1	2	3	4	5
	निम्न निष्पादन वाले राज्य			
1.	असम	17523	193910	127000
2.	बिहार		50414	62034
3.	छत्तीसगढ़	25000	75452	45925
4.	जम्मू और कश्मीर	9000	55486	10000
5.	झारखंड		86000	65215
6.	मध्य प्रदेश	68252	401184	185808
7.	उड़ीसा	41100	227204	241340
8.	राजस्थान	4905	563770	343681
9.	उत्तर प्रदेश	12000	169000	193498
10.	उत्तराखंड	1360	40650	
	उच्च निष्पादन वाले राज्य			
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	214	882	120
12.	आंध्र प्रदेश	167765	505135	193853
13.	अरुणाचल प्रदेश	1000	4885	1282
14.	चंडीगढ़		3000	56
15.	दादरा और नगर हवेली	156	484	34
16.	दमन और दीव			
17.	दिल्ली		491	492
18.	गोवा	41	483	190
19.	गुजरात	12573	153381	26182
20.	हरियाणा	4207	23000	39140
21.	हिमाचल प्रदेश	1457	738	2212
22.	कर्नाटक	39000	215170	92000
23.	केरल	18200	56000	31033
24.	लक्षद्वीप	200	42	245
25.	महाराष्ट्र	20010	181251	133779

1	2	3	4	5
26.	मणिपुर		8000	1000
27.	मेघालय	471	4257	1003
28.	मिजोरम	5650	7187	4877
29.	नगालैंड	अनुपलब्ध	1352	4044
30.	पुडुचेरी	414	2288	2000
31.	पंजाब	11595	18779	3145
32.	सिक्किम	1730	1714	923
33.	तमिलनाडु	112170	349255	105781
34.	त्रिपुरा	2247	7614	6792
35.	पश्चिम बंगाल	224863	171000	244205
	कुल	803193	3579458	2168889

एच आई वी/एड्स के मामले

269. श्री नरहरि महतो :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश के विभिन्न राज्यों में एच.आई.वी. पॉजिटिव/एड्स के राज्यवार और वर्षवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एड्स से कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच एड्स जागरूकता अभियान चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में एच.आई.वी./एड्स को और फैलने से रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों से प्राप्त सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में एचआईवी पाजिटिव रोगियों और मौतों की सूचित संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) एचआईवी/एड्स के बारे में लोगों को जागरूक बनाने तथा सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां जन प्रचार माध्यमों तथा अंतर-वैयक्तिक संचार माध्यमों के जरिए नियमित सूचना, शिक्षा, संप्रेषण अभियान चलाती है। नाको के कार्यक्रम ''जीवन है अनमोल'' और ''लेट्स टाक एड्स'' आकाशवाणी के 174 केंद्रों से 24 भाषाओं में प्रसारित किए गए। स्वास्थ्य पात्रिका ''कल्याणी'' के विशेष एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं। गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय के जरिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम उन क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं जहां नियमित जन-प्रचार माध्यमों की विद्यमानता कम है। इसके अलावा, ग्राम सभाओं, पंचायती राज संस्थाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं स्वयं सहायता समूहों और प्रचार माध्यमों के सदस्यों को भी नियमित आधार पर सुग्राही बनाया जाता है। रेड रिब्बन एक्सप्रेस 50,000 गांवों में एक वर्ष की अवधि में जागरूकता संदेशों को फैलाने के लिए 1 दिसंबर, 2007 को शुरू किया गया।

(ङ) अधिक जोखिम वाले समूहों में लक्षित कार्यकलापों को बढ़ाकर, बेहतर जागरूकता के लिए व्यवहार में बदलाव लाने संबंधी संप्रेषण, परामर्श और जांच सेवाओं को बढ़ाकर रक्त निरापदता, कभी-कभार होने वाले संक्रमणों के उपचार सहित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की सहायता और उपचार कर एंटी रिट्रोवायरल औषधों की व्यवस्था करके और एचआईवी कार्यकलाप कार्य नीतियों को मुख्यधारा में लाकर एचआईवी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चरण-III तैयार किया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान एड्स मामलों की वर्ष सहित राज्यवार सूचित संख्या पिछले तीन वर्षों में एड्स मामलों की राज्यवार और वर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	अनुपलब्ध	2

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	7806	10167	5930
3.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	13	1
4.	असम	40	107	10
5.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	चंडीगढ़	749	451	713
7.	छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	82
8.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	दिल्ली	1464	1925	1822
11.	गोवा	167	23	88
12.	गुजरात	1955	859	705
13.	हरियाणा	198	202	173
14.	हिमाचल प्रदेश	72	6	80
15.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	34	211
16.	झारखंड	173	159	469
17.	कर्नाटक	2219	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18.	केरल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	मध्य प्रदेश	359	230	489
21.	महाराष्ट्र	5683	4347	2426
22.	मणिपुर	अनुपलब्ध	80	351
23.	मेघालय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	19
24.	मिजोरम	अनुपलब्ध	4	23
25.	नगालैंड	18	0	450
26.	उड़ीसा	177	116	58
27.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	पंजाब	103	239	266
29.	राजस्थान	303	302	509
30.	सिक्किम	3	अनुपलब्ध	13
31.	तमिलनाडु	3856	11481	अनुपलब्ध
32.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	उत्तर प्रदेश	339	685	206
34.	उत्तरांचल	49	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	103
36.	अहमदाबाद एमएससीएस			101
37.	मुम्बई एमएससीएस			5108
	कुल	25738	31430	20408

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में एड्स से हुई मौतों की राज्यवार और वर्षवार सहित

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	आंध्र प्रदेश	412	564	560

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	6	अनुपलब्ध
4.	असम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4
5.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	चंडीगढ़	27	34	116
7.	छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	9
8.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	दमन और द्वीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	दिल्ली	46	18	141
11.	गोवा	85	21	89
12.	गुजरात	130	31	31
13.	हरियाणा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	हिमाचल प्रदेश	26	2	17
15.	झारखंड	अनुपलब्ध	11	35
16.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	42
17.	कर्नाटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
18.	केरल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	मध्य प्रदेश	15	55	37
21.	महाराष्ट्र	306	156	443
22.	मणिपुर	अनुपलब्ध	9	56
23.	मेघालय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2
24.	मिजोरम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	20
25.	नगालैंड	3	अनुपलब्ध	34
26.	उड़ीसा	177	81	58
27.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	पंजाब	12	20	18
29.	राजस्थान	11	10	34
30.	सिक्किम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1
31.	तमिलनाडु	187	768	0
32.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2
34.	उत्तरांचल	9	अनुपलब्ध	0
35.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11
	कुल	1624	1786	1760

[हिन्दी]

सेतुसमुद्रम परियोजना

270. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री रशीद मसूद :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतुसमुद्रम परियोजना से देश की सुरक्षा को खतरा है जैसाकि दिनांक 01 फरवरी, 2008 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार परियोजना की समीक्षा और उक्त परियोजना में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सेतुसमुद्रम परियोजना की समीक्षा के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(छ) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस परियोजना के पूरा होने की लक्षित समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने, दिनांक 1 फरवरी, 2008 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित "सेतुसमुद्रम से देश की सुरक्षा को खतरा" शीर्षक वाले लेख को देखा है। सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना सरकार द्वारा सभी आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर लेने और अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद मई, 2005 में अनुमोदित की गई थी।

(ग) से (ज) सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना से संबंधित कुछ स्थानांतरण के मामलों और रिट याचिकाओं के संबंध में सरकारी वकील द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सक्षम 14.9.2007 को किए गए निवेदनों के अनुसरण में, सरकारी ने 5.10.2007 को प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जिसके विचारार्थ विषय उपर्युक्त विषय में रूचि रखने वाले रिट याचिकाकर्ताओं सहित सभी संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना और उनकी निजी सुनवाई के बाद सभी सुझावों/प्रस्तावों/दस्तावेजों पर विचार किया जाना थे। उपर्युक्त समिति का संघटन इस प्रकार है:-

(i) प्रोफेसर एस. रामाचन्द्रन-अध्यक्ष, सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना के पर्यावर्णीय प्रभाव के विषयों से संबंधित समिति और कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय-संयोजक।

(ii) प्रोफेसर आर.एस. शर्मा-पूर्व आचार्य, इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय।

(iii) डा. एम. शक्तिवेल-अध्यक्ष, एकूआकल्चर फाउंडेशन ऑफ इंडिया।

(iv) श्री दिलीप के. बिस्वास-पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार।

(v) डा. जे.आर.बी. अलफ्रेड-पूर्व निदेशक, जूओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता।

(vi) डा. एस.आर. वाटे-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, नागपुर।

(vii) प्रोफेसर पी. जगदीशन-पूर्व कुलपति, भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिची, तमिलनाडु।

(viii) प्रोफेसर वाई. वैंकुंठम-पूर्व कुलपति, काकातीया विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश।

(ix) डा. के. पाड्डय्या-निदेशक, डैक्कन कॉलेज, पुणे।

(x) श्री आर.के. जैन, भा.प्र.से.-प्रबंध निदेशक, भारतीय पत्तन संघ, सदस्य सचिव।

उपर्युक्त समिति ने 29.11.2007 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

(झ) इस परियोजना द्वारा नवंबर, 2008 में काम करना प्रारंभ कर दिए जाने की आशा है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

जिला आयोजना समितियां

271. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं करने का निर्णय लिया है जिन्होंने जिला आयोजना समितियों का गठन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का अनुमोदन किया गया है; और

(घ) दिसम्बर, 2007 तक पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष से कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) योजना आयोग ने जिला योजना के संबंध में 25.08.2006 को दिशा-निर्देश जारी किए। योजना आयोग राज्यों के वार्षिक योजना के आवंटनों के निर्धारण में इन दिशा-निर्देशों का पालन करता है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इन दिशा-निर्देशों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) कार्यक्रम के लिए भी स्वीकार किया गया। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सहभागितापूर्ण तृणमूल स्तर की योजना बी.आर.जी.एफ. के तहत अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए अपरिहार्य शर्त मानी गई है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायतें एवं नगरपालिकाएं कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं। स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार गठित जिला योजना समितियों (डी.पी.सी.) द्वारा समेकित की जाती हैं। इसलिए, उन जिलों को निर्मुक्तियां नहीं की जा सकती जिन्होंने डी.पी.सी. का गठन नहीं किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश राज्यों ने अभी तक डी. पी.सी. गठित नहीं की गई है।

(ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.आई.) को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम में विलयित कर दिया गया है।। इसलिए आर.एस.वी.वाई. के तहत शामिल किए गए जिलों के लिए निर्मुक्तियां जिन्होंने अपनी कुल हकदारी का अभी तक दावा नहीं किया; बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम में शामिल हैं। ये राज्य पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के लिए क्षमता निर्माण अनुदान के भी हकदार हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों में जिलों को की गयी निर्मुक्तियों का विवरण संलग्न है। तथापि, इन जिलों को बी. आर.जी.एफ. के तहत विकासात्मक अनुदान की निर्मुक्ति के लिए जिला योजना समिति (डी.पी.सी.) का गठन एक आवश्यक पूर्व शर्त है। सभी राज्यों से मंत्रालयी एवं अधिकारिक दोनों स्तरों पर सम्मेलनों, बैठकों एवं पत्राचारों के दौरान डी.पी.सी. के गठन के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है। झारखंड को छोड़कर, जहां पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबी मुकदमेबाजी के कारण, आयोजित नहीं किए गए, सभी राज्यों ने प्रगति की सूचना भेजी है और डी.पी.सी. के गठन की औपचारिकताओं की प्रक्रिया विधि को पूरा किया जा सकना संभव होना चाहिए।

(घ) दिसम्बर, 2007 तक 2965 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। आगे निर्मुक्ति जनवरी, 2008 में हुई जिसकी वजह से कुल निर्मुक्ति 3201.56 करोड़ रुपये की रही।

विवरण

आर.एस.वी.आई.-बी.आर.जी.एफ. के तहत 2007-08 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश-राज्यों की निर्मुक्तियों का सार

क्रम सं.	राज्यों के नाम	निर्मुक्तियां (करोड़ रुपए में)			
		आर.एस. वी.वाई.	क्षमता निर्माण	जिला योजनाओं के निर्माण के लिए अग्रिम	योग
1.	गुजरात	7.50	*	60	8.10
2.	झारखंड	82.50	21.00	2.10	105.60
3.	महाराष्ट्र	75.00	*	1.20	76.20
4.	पंजाब	7.50	*	10	7.60
5.	उत्तर प्रदेश	135.00	25.30	3.40	163.70
	कुल योग	307.50	46.30	7.40	361.20

*अभी तक दावा नहीं किया गया।

35वें राष्ट्रीय खेल 2009 की मेजबानी

272. **श्री पी.सी. थामस :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम हैं जिन्होंने 35वें राष्ट्रीय खेल 2009 की मेजबानी के लिए बोली प्रस्तुत की है;

(ख) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ और भारत सरकार ने केरल में इन खेलों के आयोजन की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग)

राज्यों को राष्ट्रीय खेलों का आबंटन भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.ए.) द्वारा किया जाता है। भारतीय ओलम्पिक संघ ने सरकार को सूचित किया है कि 35 वें राष्ट्रीय खेलों के लिए केवल उत्तर प्रदेश ने बोली लगायी है। चूंकि 35वें राष्ट्रीय खेलों का आबंटन उत्तर प्रदेश को पहले ही किया जा चुका है, अतः अब 35वें राष्ट्रीय खेलों का आबंटन किसी अन्य राज्य को करना संभव नहीं है।

विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन

273. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों द्वारा संकट के समय संपर्क करने के लिए एक निःशुल्क हैल्पलाइन की स्थापना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने में कितनी मदद मिलेगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय कामगारों और जो रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, को सहायता देने के लिए एक प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र स्थापित किया है। केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

— उत्प्रवास संबंधी मामलों पर सूचना का प्रचार प्रसार।

— उत्प्रवासी कामगारों से प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, उन पर कार्रवाई और उनकी निगरानी।

— शिकायत निवारण और दावा धारकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र उत्प्रवासी कामगारों की सहायता करने के लिए भारत में किसी भी स्थान से 1800 11 3090 नम्बर पर निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। इस समय हेल्पलाइन सप्ताह में सातों दिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक सात भाषाओं अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ और तेलगू में कार्य कर रही है। हेल्पलाइन से कानूनी उत्प्रवास को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ग) प्रवासी भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, भारत और विदेशों के बीच संयुक्त कार्यकारी दलों का गठन करना, उत्प्रवास में ई-प्रशासन लागू करना और कार्य संविदाओं का अनिवार्य सत्यापन शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य संविदा की शर्तें और स्थितियां उचित हैं और उनका नियोक्ताओं द्वारा पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वंदेमातरम योजना की प्रभावकारिता

274. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच के लिए शुरू की गई वंदेमातरम योजना कितनी असरदार रही है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) वंदेमातरम स्कीम भारतीय प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी सोसाइटिज फेडरेशन (एफओजीएसआई) के तत्वावधान में फरवरी, 2004 में एक स्वैच्छिक स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए कोई निधियां प्रदान नहीं की गई।

इस स्कीम के अंतर्गत एफओजीएसआई ने अपने सदस्यों से हर

महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जांच के लिए ओपीडी सेवाएं तथा परिवार नियोजन सेवाएं मुफ्त प्रदान करने और यदि अपेक्षित हो तो महिलाओं को किसी भी जटिलता के उपचार के लिए पूर्व निर्धारित रेफरल केन्द्रों में भेजने के लिए अपील की थी। जैसा कि एफओजीएसआई द्वारा सूचित किया गया है, 1653 निजी स्त्री रोग विज्ञानियों (एफओजीएसआई के सदस्यों) ने स्वैच्छिक सेवा प्रदान की और अपने आप को वंदेमातरम सेवाएं प्रदान करने की स्कीम के साथ संबद्ध किया। तथापि एफओजीएसआई द्वारा भारत सरकार को इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों की संख्या के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई।

भारतीय प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी सोसाइटिज फेडरेशन (एफओजीएसआई) से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वंदेमातरम स्कीम को वर्ष 2005 के बाद बंद कर दिया गया था।

[अनुवाद]

विषैले अपशिष्ट का पाटन

275. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपन्न देशों द्वारा संदूषित पोतों के माध्यम से भारत में विषैले अपशिष्टों का पाटन करके घोर उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं। संपन्न देशों के किसी जहाज द्वारा देश के किसी भी महापत्तनों के क्षेत्र में विषैले अपशिष्टों के पाटन का कोई दृष्टांत नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3

276. **डा. एम. जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार ग्रामीण लोगों को सुगम, किफायती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एनएफएचएस-3) वर्ष 2005-06 में 29 राज्यों में कराया गया। इसमें मृत्युदर, विवाह और जननक्षमता, परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, शिशु रोगप्रतिरक्षण, शिशु पोषण रीतियों, शिशुओं और वयस्कों की पोषण संबंधी स्थिति, शिशुओं और किशोरों में रक्ताल्पता की व्याप्तता, पुरूषों और महिलाओं में मोटापा, एचआईवी/एड्स और इसकी व्याप्तता तथा उपचार संबंधी जानकारी रवैया और व्यवहार तथा क्षय रोग और मलेरिया के लिए उपचारापेक्षित व्यवहार सहित विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर सूचना एकत्र की गई।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चरण-1 (आरसीएच-1) को 1997-98 से 2002-03 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया। कार्यक्रम के नियमित अनुवीक्षण और मूल्यांकन के जरिए यथाप्रदर्शित अनुभव के आधार पर प्रजजन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा चरण 2005 से 2010 तक चलाया गया। तदुपरांत यह कार्यक्रम अप्रैल 2005 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण जनता खासकर समाज के निर्धन और असुरक्षित वर्गों के लिए सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसमें मातृ मृत्युदर के अनुपात, नवजात मृत्युदर और कुल जननक्षमता स्तर को 2012 में समाप्त हो रही मिशन की सात वर्षों की अवधि के अंदर घटाने का भी प्रयास किया गया है। इस मिशन में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के संवर्ग के गठन के जरिए जवाबदेह, कारगर, भरोसेमंद और गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, सभी स्तरों पर जन स्वास्थ्य प्रदाय पद्धति के सुदृढ़ीकरण, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के जरिए निर्धारित बेहतर अस्पताली परिचर्या, स्थानीय कार्य हेतु सभी सुविधाओं के लिए खुली निधियों के प्रावधान करने, संसाधनों की अन्त: और अंतर्क्षेत्रीय समाभिरूपता तथा उनके प्रभावी उपयोग को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। राज्यों को आवश्यकता आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए नम्यता प्रदान की गई है। परिणामों की नियमित कार्य निष्पादन रिपोर्टिंग और एनएफएचएस जैसे आवधिक सर्वेक्षणों के जरिए मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

एम्स में पे-क्लिनिक की स्थापना

277. **श्री रसीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में पे-क्लिनिक की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धन और जरूरतमंद रोगियों की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर उन के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पे-क्लिनिक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) अस्पताल अंतरोगी जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं अथवा गरीब रोगी जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड (बी.पी.एल. कार्ड) नहीं हैं परन्तु जो वास्तव में गरीब हैं और जो अपेक्षित दवाइयां/सर्जिकल अपभोज्य सामग्री खरीदने में समर्थ नहीं हैं, को उपचार कर रहे डाक्टर/परामर्शदाता अथवा चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी की सिफारिश पर अस्पताल से ऐसी सभी मदें प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

उनतीसवां दक्षेस मंत्री सम्मेलन

278. **श्री नन्द कुमार साव :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनतीसवां दक्षेस मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था जैसाकि दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई और जिन्हें अंतिम रूप दिया गया?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) मंत्रियों की परिषद का 29वां सत्र 7-8 दिसंबर, 2007 तक आयोजित किया गया। इस सत्र से पहले स्थायी समिति (5-6 दिसंबर, 2007) की 34वीं और कार्यक्रम समिति की 31वीं बैठक (3-4 दिसंबर, 2007) का आयोजन हुआ।

2. इस बैठक में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का जायजा लिया गया और सार्क को घोषणा की अवस्था से क्रियान्वयन की अवस्था में ले जाने के संबंध में आगे निर्णय लिए गए। इस बैठक के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी और अंतिम रूप दिया गया वे निम्नलिखित हैं:

- परिषद ने सार्क विकास कोष (एसडीएफ) की स्थापना से संबंधित करार को अंतिम रूप दिये जाने पर संतोष व्यक्त किया और निर्णय लिया कि उपलब्ध निधियों से चिन्हित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सार्क सचिवालय में एक अस्थायी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। परिषद ने यह निर्णय लिया कि एसडीएफ परिषद के अगले सत्र से पूर्व परियोजनाओं का वित्तपोषण आरंभ कर देगी।

- मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सार्क घोषणा को पारित कर दिया जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर सार्क सदस्य राज्यों की चिंताएं परिलक्षित हुई। इस घोषणा की सूचना बाली में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भी दी गयी।

- परिषद ने मारीशस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने की अनुशंसा की। पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने के आस्ट्रेलिया के अनुरोध पर भी चर्चा की गयी। समिति ने सार्क सचिवालय को निम्नलिखित के संबंध में टिप्पणी तैयार करने का निर्देश दिया: (क) पर्यवेक्षकों और अन्य दाताओं के साथ सहयोग करने के तौर-तरीके और मानदंड; (ख) पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने के लिए मानदंड; और (ग) सार्क के कार्यक्रमों में पर्यवेक्षकों की भागीदारी के मानदंड। परिषद की अगली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

– 29 फरवरी, 2008 को वर्तमान महासचिव श्री चेन्कयाव दोरजी का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात सार्क के अगले महासचिव के रूप में भारत के डा. शील कांत शर्मा को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

– मंत्रियों ने सार्क कार्यक्रमों और तंत्र को तर्कसंगत बनाने और इसे प्राथमिकता प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए की गयी अनुशंसाओं का समर्थन किया। परिषद ने 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के बाद परिवहन, वित्त और गृह विषयों पर आयोजित तीन मंत्रिस्तरीय बैठकों की अनुशंसाओं का भी समर्थन किया।

– परिषद ने उत्प्रवासन प्राधिकरणों को सार्क वीजा से छूट की योजना (एसवीईएस) की पुन: जांच करने का निर्देश दिया ताकि विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के लिए वीजा की अनिवार्यता में छूट दी जा सके और व्यवसायियों, पत्रकारों और खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए वीजा व्यवस्था उदार बनाई जा सके।

– परिषद ने सार्क क्षेत्रीय केंद्रों के कार्यकरण के संबंध में महासचिव महोदय द्वारा की गयी व्यापक समीक्षा पर भी विचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि सचिवालय सार्क सदस्यों राज्य से प्राप्त जानकारियों के आधार पर एक नोट तैयार करेगा जिसकी केंद्रों की व्यापक समीक्षा हेतु कार्यक्रम समिति के अगले सत्र में जांच की जाएगी।

– परिषद ने वर्ष 2008 में पंद्रहवें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के श्रीलंका के प्रस्ताव का स्वागत किया; यह सम्मेलन श्रीलंका की स्वतंत्रता की हीरक जयंती के साथ-साथ आयोजित किया जाएगा। इसमें आगे यह निर्णय लिया गया कि 16वें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2009 मालदीव द्वारा की जाएगी।

– इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को आतंकवाद से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए परिषद ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों का दमन करने के सदस्य राज्यों के प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संदर्भ में परिषद ने आपराधिक मामलों में आपसी सहायता से संबद्ध अभिसमय के प्रारूप को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की अनुशंसा की।

– परिषद ने सार्क क्षेत्रीय बहु-विध परिवहन अध्ययन (एसआरएमटीएस) की अनुशंसाओं के पश्चात चिन्हित अनेक सड़क, रेल और समुद्री गलियारे की परियोजनाओं के संबंध में संबंधित सदस्य राज्यों के साथ आपसी परामर्श करने और सार्क परिवहन मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार क्षेत्रीय मोटर-वाहन करार संपन्न करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।

तम्बाकू उत्पादों के अवयवों को दर्शाना

279. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा पाउचों/लेबलों पर तम्बाकू उत्पादों के अवयवों की सूची दर्शाए जाने को आवश्यक बनाने के बारे में निर्धारित की गई समय-सीमा के बारे में सूचित करने हेतु कोई निदेश जारी किया है जैसाकि दिनांक 22 जनवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में ऐसे विनिर्माताओं को अनुदेश दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 (5) के उपबंधों के कार्यान्वयन की स्थिति; उपबंध को लागू न करने के कारणों और उसे लागू करने की समय-सीमा बताने के लिए कहा है।

अधिनियम की धारा 7 (5) तम्बाकू उत्पादों पर निकोटिन और तम्बाकू के टार कंटेन्ट को इंगित करना होता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन तम्बाकू उत्पादों के कंटेन्ट की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को सृजित करने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियमों

और प्रभावी तारीख के बारे में प्रयोगशाला सुविधाओं को स्थापित करने और सरकार द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप होने के बाद ही निर्णय किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को आठ लेन का बनाना

280. **श्री सूरज सिंह :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को आठ लेन का बनाने का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे जनता के लिए खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य समापन के मूल लक्ष्य के अनुसार निर्माण कार्य में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निर्माण कार्य में हुई लागत वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 14.300 से 42.000 किमी. तक दिल्ली-गुड़गांव खंड का कार्य पूर्ण हो चुका है और जो दिनांक 23.1.2008 को जनता के लिए खोल दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। विलंब के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। इस परियोजना को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर विकसित किया गया है और इसलिए इसकी पूरी लागत का वहन रियायतग्राही द्वारा किया गया है।

विवरण

विलंब के कारण

(i) **कार्य के स्वरूप में परिवर्तन :** निर्माण कार्य के लिए विस्तृत डिजाइन तैयार करते समय और विमान पत्तन प्राधिकरण, दिल्ली और हरियाणा राज्य प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान और तत्कालीन माननीय मंत्री के निर्देशानुसार दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए कतिपय सुधारों की अनिवार्यता महसूस की गई। तदनुसार, कार्य सौंपने के पश्चात् मूल्य वृद्धि के साथ मूल रूप से नियोजित संरचनाओं में कतिपय परिवर्तनों की परिकल्पना की गई। परिणामस्वरूप लगभग 155.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से तीन कार्य स्वरूप परिवर्तन नोटिस ठेकेदार को जारी किए गए जिसके लिए दिनांक 22.6.2006 को कार्य के स्वरूप में परिवर्तन आदेश भी जारी किया गया। लगभग 155.25 करोड़ रु. के इस अतिरिक्त कार्य के परिणामस्वरूप कार्य पूरा करने में विलंब हुआ।

(ii) **24.00 किमी. पर दिल्ली-गुड़गांव सीमा पर पथकर प्लाजा के निर्माण के लिए हरियाणा पर्यटन/हुडा भूमि का अंतरण** : हरियाणा पर्यटन/हुडा द्वारा दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पथकर प्लाजा के निर्माण के लिए एनएचएआई को भूमि अंतरित करने में विलंब हुआ।

(iii) **वित्तीय समापन :** मूल अनुसूची के अनुसार परियोजना के वित्तीय समापन को करार की तारीख अर्थात् 18.4.2002 से 180 दिनों के अंदर प्राप्त किया जाना था। तथापि, वास्तव में यह दिनांक 12.5.2003 को प्राप्त किया गया।

(iv) रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भूमि के अंतरण में विलंब हुआ।

(v) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य सहायता करार पर हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ।

डाक्टरों द्वारा लापरवाही

281. **श्री शिशुपाल एन. पटले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों द्वारा ऑपरेशन के दौरान रोगियों के शरीर में चिकित्सीय उपकरणों को छोड़ने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं जैसाकि दिनांक 24 जनवरी, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने रोगियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है;

(ग) क्या सरकार ने चूक करने वाले डाक्टरों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। शल्य-चिकित्सा प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली एक आर्टरी फोरसेप्स अनजाने में एक महिला रोगी के पेट में रह गई थी। गलती का पता नेमी अनुवर्ती एक्सरे जांच से चला और फोरसैप हटाने के लिए रोगी का उसी दिन आप्रेशन किया गया। रोगी ने अब स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त कर लिया है और उसे 14-2-2008 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सारा खर्च अस्पताल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए वहन किया गया है कि रोगी पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े।

(ख) एम्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो और ऐसी घटनायें हुई हैं।

(ग) और (घ) एक मामले में संबंधित डाक्टर को निलंबित कर दिया गया था जो उच्च न्यायालय में चला गया और मामला न्यायाधीन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अन्य दो मामलों में पूछताछ चल रही है।

[अनुवाद]

ओवरसीज इम्प्लाइमेंट प्रमोशन कार्उसिल

282. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज इम्प्लाइमेंट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का प्रस्ताव सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में 'प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद' गठित करने का है। प्रस्तावित परिषद एक नीतिगत 'चिन्तन सागर' के रूप में कार्य करेगी और भावी प्रवासी रोजगार अवसरों का पता लगाने के लिए यथाशीघ्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंडी में परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, कामगारों के प्रवासी नियोजन के लिए वास्तविक परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी, संभावित उत्प्रवासियों को संबंधित सूचना प्रदान करेगी और बाजार आवश्यकताओं के अनुकूल एक स्थाई कौशल उन्नयन कार्यक्रम कार्यान्वित करेगी। मंत्रिमण्डल ने परिषद के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) मंत्रालय परिषद को एक गैर-लाभ-अर्जक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कार्रवाई कर रहा है। प्रक्रिया संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

283. **श्री मदन लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गर्भावस्था संबंधी मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवार नियोजन की व्यापक सूचना और सेवाओं के अभाव के फलस्वरूप मौतें हो रही हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए नए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नए कार्यक्रम कितने प्रभावी हैं;

(च) क्या राज्य सरकारों से इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) की गई कार्यवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) बन्ध्यीकरण के स्वीकारकर्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज को बढ़ाना

(ii) एन एस वी स्वीकार्यता को बढ़ाना, आई यू डी प्रदायकों की दक्षताओं को बढ़ाना और पूरी नहीं हुई आवश्यकताओं के आधार पर टर्मिनल और स्पेसिंग तरीकों में राज्यों के लिए कार्यनिष्पादन स्तरों को स्थापित करना।

(iii) एफ पी कार्यनिष्पादन पर जोर को बढ़ाना। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों का आई पी एच एस मानकों के अनुरूप उन्नयन।

(iv) राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा स्कीम।

(ङ) अप्रैल से नवम्बर, 2007-08 के दौरान पिछले वर्ष (06-07) की इसी अवधि की तुलना में बन्ध्यीकरण का निष्पादन 2.6% और आई यू डी का निष्पादन 6.9% बढ़ा है।

(च) जी, हां।

(छ) स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण

284. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक इकाइयां दिल्ली के इर्द-गिर्द पर्यावरण संबंधी प्रदूषण फैला रही हैं, जैसाकि दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रदूषण फैलाने के लिए दोषी पाई गई इन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है; और

(च) औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) दिनांक 17-12-07 के ''दैनिक जागरण'' में कवर किया गया समाचार बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव से संबंधित है। इस संबंध में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी), के डाटा के आधार पर, गत छः वर्षों अर्थात् 2000 से 2006 के लिए दिल्ली के परिवेशी वायु गुणवता डाटा में प्रदूषण स्तरों महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। 2000 की तुलना में 2006 में सल्फर डाईआक्साईड (SO_2) स्तर 44% तक कम हो गए हैं। वर्ष 2006 में, 2000 की तुलना में विक्षिप्त कण पदार्थ (एस पी एम) और नाईट्रस ऑक्साईड (NO_2) स्तर क्रमशः 0.6% और 34% तक बढ़ गए है।

(ग) और (घ) सी पी सी बी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण में योगदान का पता लगाने के लिए स्रोत संविभाजन अध्ययन किया गया है। अध्ययन प्रगति पर है।

(ङ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1-4-2007 सं, वायु (प्रदूषण उपशमन और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (क) के अंतर्गत, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 58 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(च) औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- सामान्य और उद्योग विशिष्ट उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों की अधिसूचना;

- उद्योगों को प्रचालन कार्य करने से पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) से जल (प्रदूषण उपशमन और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण उपशमन और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों

के तहत "कन्सेन्ट फार इस्टैबिलशमेन्ट" के साथ-साथ "कन्सेन्ट टू ऑपरेट" प्राप्त करना है;

– सितम्बर, 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना को तैयार करना;

– स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों और उन्नत ईंधन गुणवत्ता के उपयोग को अपनाना;

– पर्यावरणीय अनुपालन हेतु औद्योगिक इकाइयों की नियमित मानीटरी करना;

– पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन न कर रहे उद्योगों के मामलों में निदेश जारी करना।

[अनुवाद]

चिकित्सा अनुदान आयोग

285. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा अनुदान आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग की प्रमुख विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने से संबंधित मामले को योजना आयोग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

पत्तनों में निजी निवेश

286. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्तन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पी.पी.पी. के माध्यम से अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई आदर्श रियायत समझौता स्वीकृत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इन पत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए चुने गए क्षेत्र, विनियामक ढांचा, भागीदारी के तरीके, बोली की प्रक्रिया, चयन के मापदंड और इस प्रकार की भागीदारी के लिए अन्य सामान्य निबंधन व शर्तें, निर्धारित की गई हैं। सरकार ने इस प्रकार की भागीदारी के लिए परियोजना विशेष के लिए दस्तावेज तैयार करने में महापत्तनों का मार्गदर्शन करने के लिए आदर्श बोली दस्तावेज भी निश्चित किए हैं। इसका उद्देश्य महापत्तनों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए जरूरी संसाधन जुटाना, कार्यकुशलता, उत्पादकता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ पत्तन सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा लाना भी है।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में 3.1.2008 को महापत्तनों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक मॉडल रियायत करार भी अनुमोदित किया है। उपर्युक्त मॉडल रियायत करार से निजी निवेशकों द्वारा पत्तन सुविधाओं के विकास और प्रचालन के लिए एक सुविधाजनक, खुला और पारदर्शी वातावरण सुदृढ़ होने और उनकी बैंक ग्राह्यता बढ़ोत्तरी होने की आशा है।

खाद्य एवं औषध प्राधिकरण की स्थापना

287. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने खाद्य एवं औषध प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में भारत की सहायता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी नहीं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य एवं औषध प्राधिकरण स्थापित करने में भारत की मदद करने का औपचारिक रूप से प्रस्ताव नहीं किया है।

खाद्य प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। यह स्थापित किए जाने की बहुत ही अग्रिम अवस्था में है।

केन्द्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है। वर्तमान में यह विधेयक संसदीय स्थाई समिति के विचाराधीन है।

दो प्राधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न विकसित देशों के साथ ऐसे प्राधिकरणों के संबंध में इन देशों में अपनाई गई उत्तम पद्धतियों के बारे में इनपुट्स प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र से रक्षित कोयला खंड हेतु प्रस्ताव

288. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्रों से रक्षित कोयला खंडों के लिए पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निजी कंपनियों और उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि सरकार ने 13 नवम्बर, 2006 को 38 केप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से कुल 1422 आवेदन प्राप्त हुए। सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित 15 कोयला ब्लाकों का आबंटन 31 निजी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को पहले ही कर दिया है। अन्य विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए निर्धारित शेष 23 कोयला ब्लाकों के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

चंद्रमा परियोजना हेतु मोबाइल लांचिंग पेडस्टल

289. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरो मोबाइल लांचिंग पेडस्टल पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस एजेंसी को मोबाइल लांचिंग पेडस्टल का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है और इसरो द्वारा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान द्वितीय प्रमोचन पैड के संवर्धन के भाग के रूप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में मोबाइल लांचिंग पेडस्टल पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) मैसर्स के सी पी लिमिटेड, चेन्नई को मोबाइल लांचिंग पेडस्टल को तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। मार्च, 2007 के दौरान क्रियाकलाप पूरे किए गए और इस पर 9.84 करोड़ रुपये की लागत आई थी।

एच.आई.वी./एड्स हेतु ग्लोबल फंड

290. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच.आई.वी./एड्स से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड के ग्लोबल फंड के साथ कोई समझौता किया है जैसाकि दिनांक 21 दिसम्बर, 2007 के "दैनिक हिंदुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। कार्यक्रम अनुदान समझौते पर दौर IV के चरण-II के लिए जो अगस्त, 2010 में पूरा होगा, भारत सरकार और एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया से लड़ने हेतु

वैश्विक निधि (जी.एफ.ए.टी.एम.) के बीच दिनांक 20-12-2007 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत अधिक व्याप्तता वाले 6 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एच आई वी/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को एंटी रिट्रोवायरल उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस समझौते के अंतर्गत 122,668,637 अमेरिकी डालर का वित्तीय अनुदान निगमित क्षेत्र में 10 केंद्रों सहित 78 नए ए.आर.टी. केन्द्र स्थापित करने के वास्ते जी.एफ.टी.ए.एम. से प्राप्त किया जाएगा। तकरीबन 84.7 लाख व्यक्तियों की जांच की जाएगी और 1.8 लाख पी.एल.एच.ए. को इन ए.आर.टी. केंद्रो में उपचार प्रदान किया जाएगा। 188 ए.आर.टी. केंद्रों में सी.डी. 4 जांच की सुविधाएं चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएगी। इन ए.आर.टी. केंद्रों में कार्यरत चिकित्सीय, उपचर्या काउंसलरों; प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) उक्त समझौते की शर्तें निम्नवत हैं:-

(i) वित्त पोषण नीतियों के अनुरूप है जो विश्व निधि मंडल द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं;

(ii) किन्ही सीमा शुल्कों, टैरिफों, आयात करों या उत्पादों या पण्यों के आयात विनिर्माण या बिक्री अथवा इस कार्यक्रम की सेवाओं के प्रापण से जुड़ी अन्य सदृश उगाहियों और करों के वित्तपोषण के लिए अनुदान निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(iii) लेखा परीक्षक भारत सरकार के नियंत्रक और लेखा परीक्षक होंगे;

(iv) वैश्विक निधि एल एफ ए के रूप में सेवा करने के लिए नई हस्ती का चयन करने से पहले कंट्री कोर्डिनेटिंग मेकेनिजम से परामर्श करेगी;

(v) वैश्विक निधि और प्रधान प्राप्तकर्ता कार्यक्रम के तहत प्रापण से संबंधित किसी विषय के समाधान के लिए अपने बेहतर प्रयास एक सहयोगात्मक तरीके से करेंगे;

(vi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) इस समझौते के प्रयोजनों के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी होगी।

(घ) जी एफ ए टी एम राउंड IV में 6 उच्च व्याप्तता वाले राज्य (तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कवर किए गए हैं। जी एफ ए टी एम राउंड IV के चरण I (सितम्बर, 2005-सितम्बर, 2007) के अधीन 105 ए आर टी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में ए आर टी के अधीन कवर कुल पी एल एच ए 59007 के लक्ष्य की तुलना में 79,390 थे और चरण I के दौरान अवसरवादी संक्रमणों के 2,37,559 के लक्ष्य की तुलना में 2,15,698 घटनाओं का उपचार किया गया था। सी डी 4 काउंट आयोजित करने के लिए प्रयोगशाला क्षमता के साथ कुल 51 स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं स्थापित की गई हैं। डाक्टरों, परामर्शदाताओं, प्रयोगशाला तकनीशियनों, डाटा एंट्री आपरेटरों सहित 1129 सेवा प्रदायकों को काउंसलिंग, तकनीकी और व्यवहार क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। जी एफ ए टी एम राउंड IV के चरण I के दौरान उच्च व्याप्तता वाले राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 4,068,929 लोगों का परामर्शन किया गया और एच आई वी के लिए जांच की गई। तीन प्रचालनात्मक अनुसंधान अध्ययन भी किए गए हैं।

वनों का संरक्षण

291. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) मौजूदा वनों के संरक्षण के लिए दसवीं योजना के दौरान एकीकृत वन संरक्षण स्कीम, नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई थी। दावानल नियंत्रण और प्रबंध, अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, कार्यकारी योजनाओं की तैयारी और अन्य संरक्षण संबंधित उपायों के लिए भागीदारी आधार पर वित्तीय उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 204.57 करोड़ रु. जारी किए गए थे। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष में यथा, वर्ष 2007-08, 15/2/08 को 62.54 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

अवैध निर्माणों को हटाया जाना

292. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिना पूर्व अनुमति के अनेक शापिंग मॉलों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण संबंधी अधिनियम/नियमों के उपबंध प्राधिकारियों को ऐसे अवैध-निर्माणों के ढहाए जाने की अनुमति देते हैं, जिनका निर्माण अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना दिल्ली में निर्मित शापिंग मॉलों को नहीं ढहाये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अधिनियम/नियमों में दंड लगाने के पश्चात् ऐसे अवैध निर्माणों को नियमित किए जाने का कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अवैध रूप से निर्मित उन शापिंग मॉलों के नाम और पते क्या हैं, जिन्हें दंड लगाए जाने के पश्चात् नियमित किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे दंडों से कितनी धनराशि संग्रहित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चिकित्सीय पौधों की खेती

293. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड और राज्य स्तरीय बोर्डों द्वारा खेती किए जाने वाले चिकित्सीय पौधों की सूची क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड संविदात्मक कृषि स्कीम कार्यान्वित करता रहा है जिसके तहत् किसानों/काश्तकारों को चिह्नित औषधीय पादपों की कृषि के लिए परियोजना लागत की 30% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि यह सहायता 9.00 लाख रु. से अधिक न हो। इस स्कीम को राज्य औषधीय पादप बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड ने प्राथमिकता पर कृषि और विकास हेतु 32 औषधीय पादपों की सूची को चिह्नित किया था जिसे संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तथापि, संचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार, व्यापारिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण पादपों की कृषि से संबंधित उन परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है जिनके लिए आश्वस्त बाजार विद्यमान हो। तभी से बोर्ड ने अपनी स्कीमों के अंतर्गत कृषि और विकास के लिए प्राथमिकृत पादपों की सूची को संशोधित किया है जो विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

प्राथमिकता पर कृषि और विकास हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा चिह्नित 32 औषधीय पादपों की सूची

क्र. सं.	प्रचलित नाम	वानस्पतिक नाम
1	2	3
1.	आंवला	एंबेलिका आफिसीनालिस गाएटन
2.	अशोक	सरका असोका (राक्सब) डी विल्डे
3.	अश्वगंधा	विथेनिया सोमनीफेरा लिन्न ड्यूनल
4.	अतीस	अकोनिटम हेट्रोफाइलम वाल एक्स रॉयल
5.	बेल	ईगल मार्मिलोस एल.कोर्र.
6.	भूमि आमलकी	फाइलैंथस एमेरस स्कम एंड थान्न
7.	ब्राह्मी	बकोपा मोन्नेरी (एल.) पेनेल
8.	चंदन	सन्तलम अल्बम लिन्न
9.	चिरायता	स्वर्शिया चिराइता बुच-हम
10.	दारूहल्दी	बरबेरिस अरिस्टाटा डी सी
11.	गिलोय	टिनोसपोरा कार्डिफोलिया मियर्स.

1	2	3
12.	गुड़मार	जिमनिमा सिलवेस्ट्रि आर.बर.
13.	गुग्गुल	कोम्मिफोरा विगटी (अर्न.) भण्डारी
14.	इसबगोल	पलांटेगी औवेटा फोर्स्क.
15.	जटामांसी	नार्डोस्टेकिस जटामांसी डी सी
16.	कालीहरी	ग्लोरिओसा सुपरबा लिन्न.
17.	कालमेघ	अन्डोग्राफिस पैनीकुलेटा वाल. एक्स नीस
18.	केसर	क्रोकस सटाइवस लिन्न.
19.	कोकुंम	गारसीनिया इण्डिका कोईस.
20.	कुठ	सॉस्सूरिया कोस्टस सी.बी. क्लार्क (एस. लाप्पा)
21.	कुटकी	पिकोरिजा कुर्रो बेन्थ एक्स रॉयल
22.	मकोय	सोलेनम निग्रम लिन्न.
23.	मुलेठी	गलाइरिजा ग्लोबरा लिन्न.
24.	सफेद मूसली	क्लोरोफाइटम अरूनडेनिसियम सेन्ट.
25.	पत्थर चूर	कोलियस बारबेटस बेन्थ./सी. वेट्टिवेरवॉइडस जैकब
26.	पिप्पली	पाइपर लॉगम लिन्न.
27.	सर्पगंधा	राउवोल्फिया सर्पेंटीना बेन्थ. एक्स कुर्ज
28.	सनाय	केसिया अंगुस्टीफोलिया वहल.
29.	शतावरी	एस्पारागस रेसेमोसस विल्ड
30.	तुलसी	ओसीमम सैंक्टम लिन्न.
31.	वाय विडंग	एमबेलीया राइब्स बर्म.एफ.
32.	वत्सनाभ	एकोनिटम फेरॉक्स वाल

विवरण-II

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) की स्कीम के अंतर्गत विकास और कृषि हेतु प्राथमिकृत पादपों की सुझाई गई/संशोधित सूची

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	सामान्य नाम
1	2	3
1.	एकोनिटम फेरोक्स वॉल	वत्सनाभ
2.	एकोनिटम हेट्रोफाईलम वॉल एक्स रोयल	अतीस
3.	एकोनिटम पलमेटम डी डॉन	प्रतिविसा
4.	एकोरस क्लेमस लिन्न	वच
5.	ईगल मारमेलॉस (लिन्न) कोर.	बेल
6.	अलबीजिया लेब्बेक बेंथ	शिरीष
7.	एलोविरा टोर्न एक्स लिन्न	घृतकुमारी
8.	अल्सटोनिया स्कोलेरिस आर.ब्र.	सतविन, सप्तपर्ण
9.	अलर्टिजिया एक्ससेल्सा नॉरान्हा	सिलरस
10.	एन्ड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा वॉल एक्स.निस.	कालमेघ
11.	एक्विलेरिया अगेलोचा रॉक्सब.	अगर
12.	आर्टेमिसिया एनुआ लिन्न.	अर्तिमिसिया
13.	अस्पार्गस रेसिमोसस विल्ड.	सतावरी
14.	अजादिरचटा इंडिका ए.जस	नीम
15.	बकोपा मोन्निरी (एल.) पेन्नल्ल	ब्राह्मी
16.	बरबरिस अरिसटाटा डीसी	दारुहल्दी
17.	बोरेविया डिफ्युजा लिन्न.	पुनर्नवा
18.	कर्कम कर्वी लिन्न.	काला जीरा
19	केसिया एंगसटिफोलिया वह्ल	सनाय

1	2	3
20.	सेंटेला एसियाटिया लिन्न.	मंडूक पर्णी
21	क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम संट.	श्वेत मुसली
22	सिनामोमम (सी.जाईलेनिकम,सी.टमाला, सी.कम्फोरा)	(दाल चीनी, तेजपत्ता, कपूर)
23.	कोलियस बार्बेटस बेंथ	पत्थर चूर
24	कोलियस वेट्टिवेरॉयडिस के.सी. जैकब	ह्वेर
25.	कॉमीफोरा विग्टि (अर्न.) भंडारी	गुग्गुल
26	कॉनवॉलवल्स माईक्रोफाईलस	शंख पुष्पी
27.	क्रेटिवा नरवला वच. हम	वरूण
28	क्रोकस सेटिवस लिन्न.	केसर
29	क्रिप्टोलेपिस बचनानी रौयम एण्ड शूल्ट	कृष्ण सरीव
30	डिजिटलिस परपूरिया लिन्न.	फॉक्सग्लोव
31.	डायस कोरिया फ्लोरिबंड	डायसकोरिया
32.	एमबेलिया रिब्स बर्म एफ.	वाय विडंग
33.	एंबलिका ऑफिसिनेलिस गार्टन	आमला
34.	फेरूला फोटिडा रेजल	हींग
35.	गर्सिनिया इंडिया कॉयस	कोकुम
36.	जेंटियाना कुरू रॉयल	त्रयामना
37.	जिंवगो बिलोबा	गिंगको
38.	ग्लोरिओसा सुपर्ब लिन्न.	कलिहारी
39.	ग्लाईसिरिजा ग्लेब्रा लिन्न.	लिकोरिस, मुलेठी
40.	मेलीना आरबोरिया लिन	गंभारी
41.	जिमनेमा सिलवेस्टर आर ब्र	गुड़मार

1	2	3
42.	हेडीचियम स्पीकैटम हेम	कपूर कचारी
43.	हेमीडेसमस इंडीकस आर ब्र	अनंतमूल, सरसपरिल्ल
44.	हिपोफेई रैमनोईडेस लिन	सीबकथोर्न
45.	होलार हेना एंटीडायसेन्ट्रिका वॉल	कुर्ची/कुटज
46.	आईपोमोइया पेटालोईडिया कोईजी	वृधदारूका
47.	आइपोमियाटरपेथम आर ब्र	त्रिवृत
48.	लिटसिया गूलूटिनोसा	लिस्टीया
49.	मैसूआ फैरिया लिन	नागाकेसर
50.	मूकूना प्रुरियन्स बैक	कौंच
51.	नारडोस्टाचिस जटामान्सी डीसी	जटामांसी
52.	ओसिमम सेंकटम लिन	तुलसी
53.	आरचिस लेटीफोलिया लिन	सलामपंज
54.	ऑरक्सीलम इंडीकम वेंट	सिओनाका
55.	पैनैक्स सिडो जिनसेंग	जिनसेंग
56.	परमेलिया परलाटा एक	सेलिया
57.	फाइलैन्थस एमआरसशोम और थोन	भूमी आमलकी
58.	पिकरोरहिजा कुरूआ बेंथ एक्स रॉयल	कुटकी
59.	पीपर लॉगम लिन	पिप्पली
60.	प्लांटैगो ऑवाटा फारस्क	ईसबगोल
61.	पोडोफाइलम हैक्सानड्रम रॉयल	बनककड़ी, इंडियन पोडोफाइलम
62.	प्रेरमा इनट्रेगीफोलिया लिन	अग्निमंथ
63.	पीटेरोकारपस संटालिनस लिन	रक्त चंदन, रेड सेंडर्स

1	2	3
64.	राउलफिया सरपेन्टिना बेंथ एक्स कुर्ज	सर्पगंधा
65.	सैलेशिया रेटीकुलाटा सैलेशिया ऑबलौंगटा	सप्तचक्र (सप्तरंगी)
66.	सेंटटेलम एलबम लिन	चंदन
67.	साराका अशोका (राक्सब) डी वाइलडे	अशोक
68.	सॉसूरिया लप्पा/सॉसूरिया कॉस्टस सीबी कलैर्क (एस.लप्पा)	कुठ, कुष्ठ
69.	सिमीलैक्स चाइना लिन	हदधात्री (मधुसनुही) चोब चीनी लोखंडी
70.	सोलानम निगरूम लिन	मकोय
71.	स्टिरियो स्पर्मम सोवियोलैंस डीसी	पटाला
72.	सिटीविया रेबोडियाना	मधुकरी
73.	""र्शिया चिराता बच्छ हेम	चिराता, चिरायता
74.	टैक्सस बकाटा लिन्न.	थनर, तालिस पत्र
75.	टरमीनेलिया अर्जना डब्ल्यू एंड ए	अर्जुन
76.	टरमीनेलिया बेलेरिका राक्सब	बहेड़
77.	टरमीनेलिया चेबुला रैज	हरड़
78.	टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मिअरर्स	गिलोय
79.	विथानिया सोमनीफेरा (लिन) डुनाल	अश्वगंधा
80.	वूडफॉरडिया फ्रुटीकोसा कुर्ज	धातकी

जन समस्याओं और पेंशनों संबंधी शिकायतें

294. **श्री रामदास आठवले :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकार को गुजरात सहित कुछ राज्यों से जन समस्याओं और पेंशनों के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी शिकायतों/समस्याओं को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटने और अनुचित विलंब के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक (31.01.2008 तक) प्राप्त राज्य-वार शिकायतें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से लोक सेवकों के विरूद्ध, सेवा से संबंधित शिकायतें, कानून और व्यवस्था, बेरोजगारी, वित्तीय सहायता, संपत्ति/भूमि विवाद, नागरिक सुविधाओं आदि से संबंधित है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक (31.01.2008 तक) सारे देश से 8270 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथापि, पेंशनभोगियों की शिकायतों से संबंधित राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) शिकायतों की छानबीन करने के बाद शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए इन शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है। सभी राज्यों को नागरिकों की शिकायतों का निवारण दो महीने की अवधि के भीतर करने और यदि शिकायतों का निवारण नहीं किया जा सकता हो तो उसका कारण सहित उत्तर इस अवधि के भीतर देने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।

विवरण

संख्या	राज्य	प्राप्त पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार सरकार	369

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	9844
3.	अरुणाचल प्रदेश सरकार	74
4.	असम सरकार	3206
5.	बिहार सरकार	12433
6.	छत्तीसगढ़ सरकार	413
7.	गोआ सरकार	349
8	गुजरात सरकार	4846
9.	हरियाणा सरकार	12689
10.	हिमाचल प्रदेश सरकार	2294
11.	जम्मू और कश्मीर सरकार	2473
12.	झारखंड सरकार	4972
13.	कर्नाटक सरकार	6959
14.	केरल सरकार	5209
15.	मध्य प्रदेश सरकार	17616
16.	महाराष्ट्र सरकार	18037
17.	मणिपुर सरकार	193
18.	मेघालय सरकार	102
19.	मिजोरम सरकार	85
20.	नागालैंड सरकार	65
21.	उड़ीसा सरकार	3877
22.	पांडिचेरी सरकार	599
23.	पंजाब सरकार	11770
24.	राजस्थान सरकार	14765
25.	सिक्किम सरकार	11
26.	तमिलनाडु सरकार	17118
27.	त्रिपुरा सरकार	54
28.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार	49
29.	दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सरकार	36
30.	दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र सरकार	84
31.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सरकार	26
32.	उत्तर प्रदेश सरकार	46397
33.	उत्तराखंड सरकार	2995
34.	पश्चिम बंगाल सरकार	10689
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	24240

*लोक शिकायत निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक 12702 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निदेशालय द्वारा शिकायतों का राज्यवार विवरण नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में यूनानी औषधालय खोला जाना

295. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में सीजीएचएस यूनानी औषधालयों के नाम क्या-क्या हैं और ये कहां-कहां अवस्थित हैं;

(ख) क्या माहाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़ी संख्या में केन्द सरकार के कर्मचारी होने के बावजूद सीजीएचएस यूनानी औषधालय हेतु कोई सुविधा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य के प्रत्येक ऐसे खंड में कम से कम एक सीजीएचएस यूनानी औषधालय

खोलने का है जहां बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोइ यूनानी औषधालय नहीं है और महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का यूनानी औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा. सांबासिवा राव समिति प्रतिवेदन

296. **श्री पी. मोहन :**
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक वर्ष के लिए प्रस्तावित अनिवार्य ग्रामीण सेवा के विरूद्ध डाक्टरों के हाल के विरोध के संबंध में जांच हेतु गठित डा. सांबासिवा राव समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) उक्त समिति द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इस प्रकार की अनिवार्य ग्रामीण सेवा से उन्हें राज्य चिकित्सा सेवा में रोजगार का अधिकार मिल जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्थायी पंजीकरण प्रदान करने से पहले चिकित्सा छात्र की एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण तैनाती शुरू करके ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संभावना की जांच करने के उद्देश्य से डा. आर. सम्बाशिव राव, अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति के विचारार्थ विषयों में एम बी बी एस छात्र की ग्रामीण तैनाती को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों की राय प्राप्त करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसकी जांच की जा रही है।

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण

297. **श्री सर्वे सत्यनारायण :** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सन् 1993, जब संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 प्रभाव में आया, से संविधान के अनुच्छेद 243 घ के खंड 2 व 3 के प्रावधानों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था के सभी तीन स्तरों की सीटों तथा अध्यक्ष पदों के एक तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है:

अनुच्छेद 243 घ

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद के दो से तीन दौरों के चुनावों में पंचायतों में महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और बहुधा वह प्रतिनिधित्व का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। काफी संख्या में महिलाएं सामान्य स्थानों से भी चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। कुछ राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 243 घ में उपबंधित एक-तिहाई अनुपात से अधिक स्थान के आरक्षण

को भी महिलाओं के लिए अधिदेशित किया है। उदाहरणस्वरूप बिहार एवं मध्य प्रदेश ने पंचायतों के सभी तीन स्तरों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया है जबकि सिक्किम ने 40% स्थान आरक्षित किया है।

विवरण

तालिका 1 : राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायतों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या उद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पंचायतों की संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या		
			कुल	महिलाएं	
				संख्या	%
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	22945	224003	74019	33.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	1789	8260	3183	38.54
3.	असम	2431	25436	9903	38.93
4.	बिहार	9040	130091	70400	54.12
5.	छत्तीसगढ़	9982	160386	54102	33.73
6.	गोवा	191	1045	534	51.10
7.	गुजरात	14068	114187	38068	33.30
8.	हरियाणा	6325	69805	25503	36.33
9.	हिमाचल प्रदेश	3330	6325	9128	33.47
10.	झारखंड	3979	0		0
11.	कर्नाटक	5856	96090	41210	42.89
12.	केरल	1165	12860	5614	43.65
13.	मध्य प्रदेश	23414	396516	136196	34.34
14.	महाराष्ट्र	28277	229740	76581	33.33

1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	169	1736	758	43.66
16.	उड़ीसा	6578	92454	33630	36.37
17.	पंजाब	12604	90963	31809	34.97
18.	राजस्थान	9457	119975	42434	35.39
19.	सिक्किम	258	986	394	39.96
20.	तमिलनाडु	13031	116488	39364	33.79
21.	त्रिपुरा	540	5733	1986	34.64
22.	उत्तर प्रदेश	52890	771661	299025	38.75
23.	उत्तराखंड	7335	7335	2485	33.88
24.	पश्चिम बंगाल	3713	58828	21351	36.29
	संघ शासित प्रदेश		0		0
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	75	856	296	34.58
26.	चंडीगढ़	14	125	42	33.6
27.	दादर एवं नागर हवेली	12	125	49	39.2
28.	दमन एवं दीव	15	97	37	38.14
29.	लक्षद्वीप	11	110	41	37.27
30.	पुद्दुचेरी	108	1021	370	26.24
	योग	239600	2519234	1018512	40.42

अस्पतालों के लिए वित्तीय सहायता

298. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों में कार्य दशा में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से आज की तारीख तक केन्द्र सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ चालू पंचवर्षीय योजना में राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 2008-09 के लिए प्रस्तावों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के जरिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) प्रस्तावों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्रवाई की गई थी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी की गई हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रस्तुत की जा रही कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर भारतीय जन स्वास्थ्य मानदंड के अनुसार अस्पतालों के निर्माण एवं उन्नयन सहित अवसंरचनात्मक विकास के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को निधियां आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जारी की जानी वाली वास्तविक धनराशि राज्यों द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर निर्भर करती है।

गंगा और अन्य नदियों की सफाई हेतु विदेशी विशेषज्ञता

299. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्य देशों ने देश की विभिन्न प्रमुख नदियों से प्रदूषण हटाने में अपनी विशेषज्ञता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.के. ने भी देश में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों की सफाई करने में सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना प्रारम्भ होने के समय से, देश की नदियों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए विदेशों/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से समय-समय पर वित्तीय/तकनीकी सहायता प्राप्त की जा रही है। इस समय 'भारत में मलजल क्षमता निर्माण' परियोजना के लिए जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एर्जेसी (जे आई सी ए), जापान सरकार से तकनीकी सहायता मुहैया कराई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों और केन्द सरकार के तकनीकी कार्मिकों/पदधारियों की नियोजन, डिजाइन और विशेषकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्थापित सीवरेज सुविधाओं (मलजल शोधन संयंत्रों सहित) के प्रचालन और रखरखाव के लिए क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत और जापान में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पहचानने के लिए भारत में सीवरेज कार्यों के प्रचालन और रखरखाव पर मानव संसाधन विकास पर प्रारूप योजना तैयार करना भी शामिल है।

(ग) केन्द्र सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों को बंद किया जाना

300. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी :**
श्री रनेन बर्मन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों को बंद होने की कगार पर खड़ी कोयला खानों से कोयले के खनन का अधिकार देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में कितनी कोयला खानें बंद होने की कगार पर हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खानों के बंद होने से विस्थापित कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने उन खानों, जिनका भंडार

समाप्त हो जाएगा, के सिवाय किसी कोयला खान को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। तथापि, कुछ कोयला खानें बंद होने के कगार पर हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) : औद्योगिक तथा वित्ती पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा नियुक्त प्रचालन अभिकरण ने भंडारों के समाप्त होने और सुरक्षा कारणों से 26 भूमिगत अव्यवहार्य खानों/यूनिटों को स्थगित करने की सिफारिश की गई थी। 9 भूमिगत खानों/यूनिटों के प्रचालन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इनमें से 7 खानों में उत्पादन को आस्थगित कर दिया गया और 2 शेष हैं। शेष 17 (सत्रह) खानों/यूनिटों के संबंध में इन यूनिटों को प्रचालित करने का निर्णय लिया गया था और जनशक्ति के यौक्तिकिकरण के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने और संभव सीमा तक लागत में कमी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) : बीसीसीएल की पुनरूद्धार योजना पर मैसर्स क्रेडिट अनालेसिस एंड रिसर्च लि. (सीएआरई) की रिपोर्ट में चरणबद्ध रूप से उन 41 भूमिगत खानों को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें 1000 रुपए प्रतिटन से अधिक का घाटा हो रहा था। भूमिगत खान को बंद करने की योजना को संशोधित किया गया था और संशोधित प्रस्ताव 24 खानों को बंद करने के संबंध में है। 7 खानों में उत्पादन को आस्थगित कर दिया गया है तथा अगले 4 वर्षों (2008-12) में 17 अन्य खानों में उत्पादन को आस्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि./साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल/एसईसीएल) : डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल में क्रमशः 7 खानों और 6 खानों के भंडार समाप्त हो जाने की संभावना है जो बंद होने के कगार पर होंगे।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि./नार्दर्न कोलफील्ड्स लि./महानदी कोलफील्ड्स लि./नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (सीसीएल/एनसीएल/एमसीएल/एनईसी) : इस समय किसी भी खान को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) : भंडारों के समाप्त हो जाने तथा ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित होने जैसे कारणों से 11वीं योजना अवधि के 4 वर्षों के दौरान 23 खानों को बंद करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) खानों के बंद हो जाने की स्थिति में किसी कामगार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी कामगारों को अन्य खानों तथा कोयला कंपनी के विभागों में उपयुक्त रूप से पुनः तैनात किया जाएगा।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

301. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री गिरिधर गमांग :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार इनकी लंबाई कितनी है;

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत विकसित तथा उन्नत राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2007-08 सहित दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'घाट कटिंग' आदि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) उड़ीसा से गुजरने वाले 15 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3704 किमी. है। प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 444.03 किमी. लंबाई जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और राष्ट्रीय राजमार्ग 60 (राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की 390.62 किमी. लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग 60 की 53.41 किमी.), को उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया जा चुका है। 444.03 किमी. लंबाई में से 339.28 किमी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है और शेष लंबाई में कार्य चल रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उन्नयन के लिए निधियां राष्ट्रीय राजमार्ग वार प्रदान नहीं की जाती हैं। घाट कटिंग कार्य जहां कहीं आवश्यक है, सहित सभी कार्यों के लिए प्रदान की गई निधियों और विकास तथा अनुरक्षण पर किए व्यय के वर्ष वार ब्योरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

(i) धनराशि के आबंटन और राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने पर राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों पर किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए)

शीर्ष		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
रारा (मूल)	आबंटन	45.32	69.97	74.54	67.63	73.37	131.81
	व्यय	45.32	69.97	72.33	67.30	72.21	95.93*
एमएण्डआर	आबंटन	42.37	42.57	37.24	42.90	44.31	50.51
	व्यय	38.70	42.51	33.83	40.92	43.20	35.41*

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों पर किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
रारा (मूल)	359.05	319.31	296.82	362.37	206.20	139.18*
एमएण्डआर	0.25	8.33	0.06	1.82	0.12	0.87*

*31 जनवरी, 2008 तक

विवरण

उड़ीसा से गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	लंबाई (किलोमीटर)
1	2	3
1.	5	488
2.	5ए	77
3.	6	462
4.	23	209
5.	42	261
6.	43	152
7.	60	57
8.	75	18
9.	200	440
10.	201	310
11.	203	97
12.	203ए	49
13.	215	348

1	2	3
14.	217	438
15.	224	298
	जोड़	3704

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विस्तार

302. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 50,000 करोड़ रु. आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के कुछ अन्य पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेष रूप से उड़ीसा के संबंध में ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनिवासी पतियों द्वारा भारतीय तलाकशुदा महिलाओं को निर्वाह भत्ता

303. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में भारतीय महिलाओं को उनके अनिवासी पतियों द्वारा तलाक दिया गया है/दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबद्ध देशों के साथ प्रभावित भारतीय महिलाओं को निर्वाह भत्ता देने का मुद्दा उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को भारतीय महिलाओं से उनके भारतीय पतियों द्वारा तलाक/परित्यक्ता के बारे में 230 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रभावित महिलाओं को निर्वाह भत्ता दिया जाना किसी भी देश में इस विषय पर कानूनी प्रावधानों द्वारा प्रशासित होता है और यह न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिया जाता है। मंत्रालय ने भारतीय महिलाओं जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा तलाक दे दिया/परित्यक्त कर दिया है, को कानूनी सहायता देने की एक योजना शुरू की है ताकि वे संबंधित देश में संबंधित न्यायालय (यों) में मामले को उठाने सकें। प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा विस्थापित की गई महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता देने की योजना के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता देने की योजना

1. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य बेसहारा महिलाओं, जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है, को परामर्शी और कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ''प्रवासी भारतीय'' शब्दों में अप्रवासी भारतीय और भारतीय

मूल के विदेशी नागरिक शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में भारतीय मिशनों में पंजीकृत भारतीय महिला संगठनों/भारतीय सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत परामर्शी और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना स्थानीय भारतीय समुदाय को एकजुट करके और सरकार से कुछ वित्तीय सहायता देकर भारतीय मूल की उन महिलाओं, जो परेशानी में हैं, की सहायता करने का एक कल्याणकारी उपाय हैं।

2. **योजना का कार्यक्षेत्र और पात्रता**

योजना उन भारतीय-महिलाओं के लिए होगी जिनका उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्याग कर दिया गया है अथवा जो विदेशों में तलाक प्रक्रियाओं का सामना कर रही हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों :

(1) महिला एक भारतीय पासपोर्ट धारक हो।

(2) महिला का विवाह भारत में हुआ हो।

(3) महिला का परित्याग भारत में अथवा विदेश पहुंचने पर विवाह के पांच वर्ष के भीतर किया गया हो।

(4) उसके प्रवासी भारतीय पति द्वारा तलाक की प्रक्रियाएं विवाह के पांच वर्ष के भीतर शुरू की गई हों।

(5) प्रवासी भारतीय पति द्वारा विवाह के दस वर्ष के भीतर एकतरफा तलाक प्राप्त कर लिया हो और पालन-पोषण और निर्वाह खर्च का मामला दायर किया गया हो।

(6) योजना उस महिला के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला चल रहा हो अथवा किसी आपराधिक मामले का फैसला उसके विरूद्ध हो चुका हो।

(7) योजना के अंतर्गत सहायता चाहने वाली महिला का जन्म स्थान लाभ की अनुमति देने के लिए तर्कसंगत नहीं है। आवेदन करने के समय महिला अपने प्रवासी पति के देश में अथवा भारत में अधिवासित हो सकती है।

(8) आवेदकों को वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर वरीयता दी जा सकती है।

(9) सहायता भारतीय महिला संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिला की ओर से दस्तावेज तैयार करने और मामले को दायर करने के लिए प्रारम्भिक लागत और सामयिक प्रभारों तक सीमित होगी।

(10) सहायता प्रति मामला 10,000 अमेरिका डालर तक सीमित होगी और यह संबंधित भारतीय समुदाय संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की जाएगी ताकि वे मामले को दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और दूसरे तैयारी के कार्य को पूरा करने में महिला की सहायता करने के लिए कदम उठा सकें।

(11) महिला संगठन/गैर-सरकारी संगठन बिना पारिश्रमिक की मांग के आधार पर कानूनी सहागता/न्यायालय में पेश होने आदि की सहायता के लिए समुदाय के वकीलों, जिसमें महिला वकीलों को प्राथमिकता दी गई हो, की सूची तैयार करने के प्रयास करेंगे।

सहायता का स्वरूप

योजना के अंतर्गत संबंधित देशों में भारतीय मिशन साख वाले महिला संगठनों/भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों और उनके सदस्य वकीलों, जिनमें प्राथमिकता महिलाओं को दी गई हो, का पेनल तैयार करेंगे ताकि परेशानी की शिकार और जिनके नाम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिए हों, को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके, मिशनों द्वारा कानूनी सहायता देने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर मिशन के प्रमुख द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी और उसे मिशन के प्रमुख/उपप्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में प्राप्त आवेदनों की जांच एक आन्तरिक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें एक कानूनी सलाहकार और निदेशक/उपसचिव स्तर का एक अधिकारी होगा और इनका अनुमोदन सचिव द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्रालय कानूनी सहायता देने के लिए संबंधित मिशन से सिफारिश करेगा। आवेदक को इस संबंध में संबंधित मिशन से संपर्क करने के लिए भी सूचित किया जाएगा।

[अनुवाद]

असम में गैंडों का अवैध शिकार

304. डा. अरूण कुमार शर्मा :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री अमिताभ नन्दी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गैंडों को अवैध रूप से मारे जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्यान में अतिक्रमण करने वालों की संख्या कितनी है तथा उन्हें वहां से हटाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(घ) जानवरों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ लगते क्षेत्रों में 2007 में 18 गैंडों तथा 2008 में अब तक 4 गैंडों का अवैध शिकार किया गया था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में जुड़ने वाले छठे भाग पर अभी भी 169 परिवारों ने कब्जा कर रखा है। उनकी बेदखली अभी क्षेत्र में जुड़ने वाले छठे भाग की अधिसूचना पर माननीय गुवाहटी उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण रूकी हुई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा वन्य सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर कठोर दंड लगाया गया है।

2. वन्यजीव सुरक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय और कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।

4. गैंडों सहित वन्यजीव और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

5. भारत, कन्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा (साइटस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

6. वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए भारत की चीन और नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने गैंडों के अवैध शिकार को रोकने और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाएं है:

1. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गशत लागाना और रिक्तियों को भरना।

2. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय।

3. हथियार और गोला बारूद और संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

4. जनता के लिए प्रकृति के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।

5. स्थानीय समुदायों से सद्भाव और सहयोग अर्जित करना।

6. गैंडा संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करना।

'कोरोनरी आर्टरी' रोग के मामलों में बढ़ोतरी

305. श्री दुष्यंत सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'कोरोनरी आर्टरी' (हृदय धमनी) रोग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे रोगियों के लिए पर्याप्त उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये अनुसंधान के अनुसार देश में हृदय-वाहिका रोग में वृद्धि दर्शायी गई है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनेक अध्ययनों ने मधुमेह, अतिरक्तदाब, हाइपरलीपिडेमिया, मौटापा एवं धूम्रपान को हृदय-वाहिका रोगों के लिए जोखिम कारक बताया है।

(ग) मधुमेह, हृदय-वाहिका रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण जोखिम कारकों की दृढ़ता का मूल्यांकन करने, जोखिम में कमी करने और इन रोगों के शीघ्र निदान तथा समुचित उपचार करने के उद्देश्यों से इस वर्ष 9 राज्यों के 9 जिलों में आरम्भ किया गया है।

बच्चों में कुपोषण

306. **श्री एम. रामदास :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अबु अयीश मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शहरों में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कुपोषण के मामले अधिक हैं;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं;

(घ) बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) कारण बहुक्रमगुणित अर्थात खाद्य असुरक्षा, महिला निरक्षरता तथा स्वास्थ्य परिचर्या, सुरक्षित पेय जल, सफाई तक कम पहुंच और कम क्रय शक्ति है।

(घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

- समेकित बाल विकास योजना
- अल्प पोषित किशोरियों एवं गर्भवती तथा धाय को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम।
- खाद्य एवं पोषण बोर्ड का पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रजनन और स्वास्थ्य (आरसीएच-II) कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

- संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देकर बेहतर कवरेज तथा प्रसवपूर्व परिचर्या की गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं की दक्षतापूर्ण परिचर्या, सामुदायिक स्तर पर प्रसवोत्तर परिचर्या द्वारा मातृ स्वास्थ्य।
- रोग प्रतिरक्षण।
- नवजात एवं बाल्यावस्था बीमारियों का समेकित उपचार।
- शिशु एवं छोटे बच्चे के पोषण पर बल।
- 5 वर्षा की आयु तक बच्चों के लिए विटामिन ए संपूरण के जरिए तथा स्कूल जाने की उम्र से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण के जरिए विटामिन ए एवं आयरन तथा फोलिक एसिड सूक्ष्म पोषक की कमियों को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे जो नाटे, दुर्बल और कम भार वाले हैं (%), राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण— एनएफएचएस I, II और III (ग्रामीण/शहरी)

क्र.सं.	राज्य	नाटे (%)					दुर्बल (%)					कम भार वाले (%)				
		एनएफ एचएस-I (92-93)	एनएफ एचएस-II (98-99)	एनएफएचएस-III (2005-06)			एनएफ एचएस-I (92-93)	एनएफ एचएस-II (98-99)	एनएफएचएस-III (2005-06)			एनएफ एचएस-I (92-93)	एनएफ एचएस-II (98-99)	एनएफएचएस-III (2005-06)		
				कुल	शहरी	ग्रामीण			कुल	शहरी	ग्रामीण			कुल	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	अखिल भारत	एनए	एनए	48.0	31.1	40.7	एनए	एनए	19.8	16.9	19.8	51.5	46.7	42.5	36.4	49.0
1	**बड़े राज्य (जनसंख्या-20 लाख)**															
1.	आंध्र प्रदेश	एनए	38.6	42.7	27.4	37.3	एनए	9.1	12.2	13.0	12.5	45.0	37.7	32.5	29.1	40.4
2.	असम	50.4	50.2	46.5	28.9	35.5	10.8	13.3	13.7	16.3	12.7	49.2	36.0	36.4	34.1	41.1
3.	बिहार	एनए	54.9	55.6	31.9	43.7	एनए	19.9	27.1	28.8	27.5	एनए	54.3	55.9	51.5	59.3
4.	छत्तीसगढ़	एनए	57.9	52.9	32.8	47.9	एनएन	18.5	19.5	17.7	17.9	एनए	60.8	47.1	38.9	54.6
5.	गुजरात	44.1	43.6	51.7	36.7	45.6	19.8	16.2	18.7	15.7	17.7	84.1	45.1	44.6	42.7	50.0
6.	हरियाणा	42.9	50.0	45.7	26.9	38.9	5.7	53.	19.1	17.9	16.2	34.6	34.6	39.6	42.1	41.8
7.	झारखंड	एनए	49.0	49.8	28.1	44.2	एनए	24.5	32.3	23.7	32.9	एनएन	54.3	56.5	43.3	63.1
8.	कर्नाटक	40.4	36.6	43.7	28.4	43.3	19.5	20.0	17.6	15.8	19.1	50.6	43.9	37.6	33.8	45.1
9.	केरल	25.2	21.9	24.5	21.3	21.1	12.8	11.1	15.9	10.1	19.1	27.0	26.9	22.9	22.5	31.9
10.	मध्य प्रदेश	एनए	49.0	50.0	34.6	41.6	एनए	20.0	35.0	34.3	32.9	एनए	53.5	60.0	52.8	62.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	महाराष्ट्र	40.9	39.9	46.3	34.8	40.3	23.1	21.2	16.5	13.4	15.6	51.4	49.6	37.0	34.8	43.5
12.	उड़ीसा	44.9	44.0	45.0	32.9	39.1	23.4	24.3	19.5	12.6	19.4	52.4	54.4	40.7	33.3	45.7
13.	पंजाब	38.0	39.2	36.7	26.5	28.7	21.1	7.1	9.2	7.2	10.0	46.0	28.7	24.9	21.5	29.9
14.	राजस्थान	41.8	52.0	43.7	22.9	36.4	21.2	11.7	20.4	19.2	19.9	44.3	50.6	39.9	36.3	45.9
15.	तमिलनाडु	एनए	29.4	30.9	25.9	24.4	एनए	19.9	22.2	20.6	22.1	45.7	36.7	29.8	31.3	34.8
16.	उत्तर प्रदेश	एनए	55.7	56.8	39.9	47.4	एनए	11.2	14.8	12.9	13.6	एनए	51.8	42.4	37.9	49.4
17.	पश्चिम बंगाल	एनए	41.5	44.6	22.7	35.4	एनए	13.6	16.9	14.2	20.2	54.8	48.7	38.7	30.0	46.7
2.	**छोटे राज्य**															
1.	अरुणाचल प्रदेश	49.2	26.5	43.3	31.7	35.2	12.9	7.9	15.3	6.3	20.5	38.4	24.3	32.5	23.8	42.1
2.	दिल्ली	39.7	36.8	42.2	0.0	0.0	12.7	12.5	15.4	0.0	0.0	40.9	34.7	26.1	0.0	0.0
3.	गोवा	29.8	18.1	25.6	18.3	24.9	15.5	13.1	14.1	8.7	16.3	34.1	28.6	25.0	21.6	38.6
4.	हिमाचल प्रदेश	एनए	41.3	38.6	25.0	26.7	एनए	16.9	19.3	18.5	18.8	43.7	43.6	36.5	33.9	36.4
5.	जम्मू एवं कश्मीर	एनए	38.8	35.0	25.2	28.3	एनए	11.8	14.8	12.2	16.1	एनए	34.5	25.6	20.6	31.6
6.	मणिपुर	24.4	31.3	35.6	18.9	26.8	9.9	8.2	9.0	7.4	8.6	26.8	27.5	22.1	20.3	25.2
7.	मेघालय	47.1	44.9	55.1	39.1	42.2	17.8	13.3	30.7	23.9	28.9	44.4	37.9	48.8	35.9	48.0
8.	मिजोरम	36.4	34.6	39.8	23.0	36.7	3.0	10.2	9.0	8.7	9.6	28.4	27.7	19.9	13.8	28.8
9.	नगालैंड	28.7	33.0	38.8	21.5	32.4	13.0	10.4	13.3	11.7	15.3	27.5	24.1	25.2	21.3	31.8
10.	सिक्किम	एनए	31.7	38.3	26.0	29.3	एनए	4.8	9.7	20.5	12.0	एनए	20.6	19.7	26.0	22.1
11.	त्रिपुरा	41.4	40.4	35.7	29.0	30.2	19.5	13.1	24.6	14.5	20.8	45.2	42.6	39.6	37.1	39.2
12.	उत्तराखंड	एनए	46.6	44.4	18.4	36.3	एनए	7.6	18.8	11.0	17.8	एनए	41.8	38.0	29.4	40.8

विवरण-II

संपूरक पोषण के लिए जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण-2005-06, 2006-07 और 2007-08

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त 2005-06	निर्मुक्त 2006-07	निर्मुक्त 2007-08 (22.02.08 के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4745.42	9052.04	13507.00
2.	बिहार	8260.92	11828.92	13548.40
3.	छत्तीसगढ़	3133.33	2953.64	3515.24
4.	गोवा	115.13	175.41	166.70
5.	गुजरात	3339.82	4297.21	3855.01
6.	हरियाणा	1810.62	2829.56	5118.46
7.	हिमाचल प्रदेश	660.00	629.63	1017.58
8.	जम्मू एवं कश्मीर	343.56	653.20	917.69
9.	झारखंड	761.49	11154.47	6648.47
10.	कर्नाटक	7379.97	9407.65	6787.71
11.	केरल	1738.28	3666.11	3520.80
12.	मध्य प्रदेश	5457.86	5770.97	10320.67
13.	महाराष्ट्र	9869.23	8443.33	16770.11
14.	उड़ीसा	6697.98	6646.40	6295.06
15.	पंजाब	1246.53	3138.07	819.66
16.	राजस्थान	5534.27	8571.57	6067.07
17.	तमिलनाडु	3703.59	3451.94	3521.89
18.	उत्तर प्रदेश	18125.13	41902.48	45232.09
19.	उत्तराखंड	705.72	1347.89	344.87
20.	पश्चिम बंगाल	6348.24	5916.07	11021.60
		89977.09	**141836.56**	**158996.08**
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80.39	93.67	67.45
22.	चंडीगढ़	76.33	154.76	46.17
23.	दादर व नगर हवेली	22.59	22.59	86.49
24.	दमन व दीव	13.74	13.74	
25.	लक्षद्वीप	7.52	39.91	27.75
		200.57	**324.67**	**227.86**
26.	दिल्ली	737.49	694.29	516.47
27.	पांडिचेरी	85.72	55.03	129.70
		823.21	**749.32**	**646.17**
28.	अरुणाचल प्रदेश	113.41	879.60	307.78
29.	असम	3066.67	3711.54	3376.61
30.	मणिपुर	664.58	914.32	645.08
31.	मेघालय	687.17	1023.42	1007.99
32.	मिजोरम	471.24	488.97	535.20
33.	नगालैंड	929.07	1188.71	824.82
34.	सिक्किम	118.48	95.77	64.68
35.	त्रिपुरा	407.06	707.69	759.54
		6457.68	**9010.02**	**7521.70**
	कुल	97458.55	151920.57	167391.81

नोट : भारत सरकार वर्ष 2005-06 से आईसीडीएस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को वित्तीय मानकों की 50% की सीमा तक अथवा राज्यों द्वारा वहन किए गए वास्तविक व्यय के 50% तक, इनमें से जो भी कम हो, संपूरक पोषण के लिए सहायता अनुदान देती है।

वर्ष 2004-05 से 2007-08 (21.2.2008 तक) के दौरान आईसीडीएस योजना (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों और सूचित व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05 निर्मुक्त निधियां	2005-06 निर्मुक्त निधियां	2006-07 निर्मुक्त निधियां	2007-08 निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7277.34	14750.69	21877.67	24015.86
2.	बिहार	9408.47	5036.11	20976.12	15660.39
3.	छत्तीसगढ़	3275.49	4412.01	4561.5	9498.18
4.	गोवा	286.33	373.53	397.96	105.55
5.	गुजरात	12405.58	9917.54	12732.62	11050.69
6.	हरियाणा	4674.34	5312.47	6015.49	5117.41
7.	हिमाचल प्रदेश	2617.26	3480.88	2882.29	2565.16
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3457.78	4989.19	5410.99	5201.09
9.	झारखंड	3824.62	4288.33	7845.37	9191.01
10.	कर्नाटक	11023.50	14176.11	19122.28	9642.55
11.	केरल	5546.74	5725.65	8115.91	9687.99
12.	मध्य प्रदेश	6263.10	9498.48	13002.16	15367.06
13.	महाराष्ट्र	11930.96	16808.92	20433.15	18470.86
14.	उड़ीसा	9968.40	10600.69	12137.96	13506.53
15.	पंजाब	3904.27	5591.61	5861.62	4019.54
16.	राजस्थान	7849.67	7459.77	13809.14	9385.03
17.	तमिलनाडु	12303.16	15212.94	12786.6	11171.43
18.	उत्तरांचल	1723.77	2861.67	1676.39	2360.95
19.	उत्तर प्रदेश	15100.87	31989.58	24768.42	37189.40

1	2	3	4	5	6
20.	पश्चिम बंगाल	12633.07	19391.00	17182.73	18488.29
21.	दिल्ली	1118.36	1290.03	1379.78	1084.54
22.	पांडिचेरी	218.89	233.68	195.22	170.99
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	185.39	212.82	174.11	175.55
24.	चंडीगढ़	155.26	159.87	163.41	136.00
25.	दादर व नगर हवेली	48.27	70.10	62.33	51.70
26.	दमन व दीव	38.98	47.74	56.78	37.50
27.	लक्षद्वीप	25.15	42.67	38.34	42.33
28.	एल आई सी	500.00	800.00	1200.00	200.00
29.	अरुणाचल प्रदेश	1697.61	1780.28	3145.86	1471.26
30.	असम	15799.37	22462.56	16077.48	6999.70
31.	मणिपुर	2054.55	1664.87	3631.405	1843.42
32.	मेघालय	1450.81	2158.35	2114.925	853.83
33.	मिज़ोरम	781.68	1476.66	1573.255	1008.16
34.	नगालैंड	1358.50	2531.64	2471.215	726.72
35.	सिक्किम	332.88	354.75	782.6	253.31
36.	त्रिपुरा	1414.45	2779.91	4475.41	1463.76
	कुल	172654.87	229940.10	269138.48	248213.74

वर्ष 2007-08 के दौरान निर्मुक्त निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरसीएच	सीसी और वी	पीपीआई	एनआरएचएम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1113400000	42631639	69212142	1798900000

1	2	3	4	5	6
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4000000	0	1469816	39704000
3.	अरुणाचल प्रदेश	28700000	8199373	5002263	132400000
4.	असम	1091800000	106479490	73546004	3223100000
5.	बिहार	0	208465974	505058193	1376300000
6.	चंडीगढ़	1800000	825516	438406	17700000
7.	छत्तीसगढ़	357600000	2567760	37256182	642290000
8.	दादरा और नगर हवेली	150000	5401	296683	1200000
9.	दमन और द्वीव	0	138521	224746	0
10.	दिल्ली	33800000	2789568	13035300	232300000
11.	गोवा	2425000	0	0	9400000
12.	गुजरात	611000000	59461314	51470504	997600000
13.	हरियाणा	112800000	10662031	64680932	193100000
14.	हिमाचल प्रदेश	42100000	0	0	23600000
15.	जम्मू और कश्मीर	37500000	7277602	17938444	1220500000
16.	झारखंड	221551000	21284889	58874510	526000000
17.	कर्नाटक	307400000	10015269	10872708	472900000
18.	केरल	192690000	15855143	20313336	526600000
19.	लक्षद्वीप	109000	28418	284440	0
20.	मध्य प्रदेश	2075900000	74023379	95911169	1522400000
21.	मणिपुर	60300000	5709070	6499107	149200000
22.	मेघालय	62500000	1348451	7903766	232200000
23.	मिजोरम	50900000	0	2509381	89500000
24.	महाराष्ट्र	1862070000	23545954	74184680	1720300000

1	2	3	4	5	6
25.	नागालैंड	49600000	4539833	5398304	180800000
26.	उड़ीसा	1037300000	47500594	56406074	902800000
27.	पंजाब	42930000	8385621	25671350	260800000
28.	पांडिचेरी	6300000	0	1959509	12300000
29.	राजस्थान	1164400000	21524475	134454213	1132000000
30.	सिक्किम	27100000	1810763	1464768	46700000
31.	तमिलनाडु	1030467000	48284060	0	1101100000
32.	त्रिपुरा	74000000	1477175	7916224	380600000
33.	उत्तर प्रदेश	1297500000	238129489	187320448	3373200000
34.	उत्तरांचल	80996000	12586537	18937519	34800000
35.	पश्चिम बंगाल	371400000	11828505	99061049	1629000000
36.	अन्य प्रभार				4000000
	कुल	13449788000	997381814	1656572170	24205594000

पर्यावरण परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

307. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वच्छ पर्यावरण के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु एक कैपिटल वेन्चर फंड स्थापित करने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 8 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को मिलाकर एक नेशनल नॉलेज नेट बनाने तथा ऐसे प्रमुख ज्ञान संस्थाओं की पहचान करने का निर्णय किया है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुसंधान में उत्कृष्टता के केन्द्र बन गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (च) जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री काउंसिल की 13 जुलाई, 2007 को हुई पहली बैठक में साथ ही साथ यह निर्णय लिया था

कि जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जाएगी। अन्य के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

गुर्दा दान करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम

308. **श्री एम. अप्पादुरई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में जरूरतमंद रोगियों को स्वस्थ लोगों द्वारा स्वैच्छिक रूप से गुर्दा दान करने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आरंभिक रूप से किन राज्यों की पहचान की गई है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के जरिए अंगों के दान को लोकप्रिय बनाए जाने और प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की योजना के तहत वार्षिक योजना 2007-08 के लिए एक करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा

309. **श्री अनन्त नायक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के दौरान चर्चित मुद्दों तथा किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री निकोलस सरकोजी ने भारत-फ्रांस शिखर सम्मेलन के लिए 25-26 जनवरी, 2008 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। वे गणतंत्र दिवस समारोह में भी मुख्य अतिथि थे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सरकोजी ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। वैश्विक तापन के विरूद्ध मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त वक्तव्य तथा एक संयुक्त घोषणा जारी की गई है (क्रमशः विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न)। इसके अतिरिक्त रक्षा सजा-प्राप्त कैदियों के अंतरण, जुल्सहोरोविह्ज उन्नत अनुसंधान और परीक्षण रिएक्टर में भारत की सहभागिता, विकास सहयोग और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्र में वर्गीकृत सूचना के पारस्परिक संरक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए पांच द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए (विवरण-III के रूप में संलग्न)।

विवरण-I

फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री निकोलस सरकोजी की 25 एवं 26 जनवरी 2008 को भारत की यात्रा के अवसर पर जारी किया गया भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य

25/01/2008

राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की भारत की सरकारी यात्रा तथा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति अपनी सामरिक साझेदारी को नया बल प्रदान करने संबंधी भारत और फ्रांस दोनों की साझी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

भारत और फ्रांस लोकतंत्र हैं जो स्वंत्रतता, मानवाधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, सहिष्णुता आदि जैसे मूल्यों को समान रूप से महत्व देते हैं तथा वैश्विक चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने के उपाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और वित्तीय रूपरेखा में बहुपक्षवाद में विश्वास रखते हैं। ये मानव मूल्य उनके परिवर्धित सहयोग और सामरिक साझेदारी के केन्द्र बिन्दु हैं।

I. **सामरिक साझेदारी**

प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और फ्रांस के विचार एक जैसे हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, परमाणु अप्रसार तथा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रति वचनबद्ध हैं।

फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत के समावेश का और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की

आवश्यकताओं के प्रति अधिक संगत बनाने तथा वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका निभाने में भारत को समर्थ बनाने का समर्थन करता है। फ्रांस का यह भी विश्वास है कि जी-8 का समय के साथ विस्तार करके इसे जी-13 के रूप में स्तरोन्नयन किया जाना चाहिए जिसमें भारत भी शामिल हो।

पूरे विश्व में अतिवाद और आतंकवाद द्वारा पेश किए गए गंभीर खतरों से दोनों देश पूरी तरह अवगत हैं। इस साझी चुनौती का सामना करने के लिए दोनों देश अन्य बातों के साथ परिवर्धित प्रचालनात्मक संपर्कों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग सुदृढ़ करने के लिए सहमत हुए।

दोनों देश विकास आयाम पर बल देते हुए बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दोहा दौर के शीघ्र, संतुलित और व्यापक परिणाम के महत्व पर सहमत हैं।

भारत और फ्रांस पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्ध हैं तथा इस संदर्भ में अलग से एक संयुक्त घोषणा जारी की गई है।

अपनी सामरिक वार्ता बढ़ाने के लिए, दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर अपने-अपने विदेश मंत्रालयों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच नियमित परामर्श का आयोजन करेंगे।

II. द्विपक्षीय संबंध

दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए, आपसी तालमेल के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान को गहन करने पर सहमति हुई।

दोनों देश अपने-अपने संयुक्त सैन्य अभियानों और सहयोग की श्रेणी, स्तर और बारंबारता में वृद्धि करके रक्षा के क्षेत्र में अपने संबंध को प्रगाढ़ करेंगे। इस संबंध में, रक्षा उद्योग में अपने संयुक्त कार्यक्रमों एवं संभावनाओं को और गहन करने, संयुक्त अनुसंधान संचालित करने तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुकर बनाने के लिए सहमति हुई। दोनों पक्षों ने वर्गीकृत सूचना संरक्षण और सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने सैन्य बल स्थिति करार पर विस्तृत चर्चा आरंभ करने का निर्णय लिया।

दोनों देश अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए।

इस बात से कायल होकर कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना के साथ आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं, भारत और फ्रांस अपने व्यापार की तेजी से बढ़ रही रूझान और अपने व्यवसाय दर व्यवसाय संबंधों की तीव्र गति को बनाए रखने के उत्सुक हैं। दोनों देशों का लक्ष्य 2012 तक द्विपक्षीय व्यापार को 12 बिलियन यूरो पर पहुंचाना तथा निवेश में भारी वृद्धि करना है।

द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सेवाओं के लिए विद्यमान प्रचुर संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने बढ़ते बाजार पहुंच के महत्व को नोट किया। दोनों पक्ष अपनी कंपनियों, विशेष रूप से लघु, मझोले और स्थूल उद्यमों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना जारी रखने पर सहमत हुए। वे कौंसुलर से संबंधित मामलों में अपनी भागीदारी बढ़ाने पर भी सहमत हुए जिसमें व्यापारियों, व्यावसायिकों और इन्टर्न के लिए वीजा सरल बनाना शामिल है। संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के संबंध में द्विपक्षीय परामर्श चालू करने के लिए भी वे प्रयास करेंगे ताकि फ्रांस और भारत में प्रचालन करने वाले दोनों देशों के नागरिकों के लिए परस्पर लाभप्रद व्यवस्थाएं विकसित की जा सकें।

दोनों पक्षों ने भारत में एजेंसे फ्रैंकैसे डी डेवलपमेंट (एफडीए-फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) की स्थापना से संबंधित करार किए जाने का स्वागत किया। नोट किया गया कि अन्य बातों के साथ वैश्विक चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और उपशमन पर ध्यान देने वाली परियोजनाओं को फ्रांस सहायता देने की योजना बना रहा है।

भारत और फ्रांस ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया है।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंध और बढ़ाने के लिए भारत-फ्रांस मंच के योगदान की सराहना की। आर्थिक साझेदारों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने तथा विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता देने के लिए उन्होंने भारत-फ्रांस प्रतिष्ठान के सृजन से संबंधित प्रस्ताव का स्वागत किया।

III. असैन्य परमाणु सहयोग का विकास

भारत और फ्रांस ने अपनी सामरिक साझेदारी की अभिव्यक्ति के रूप में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास में अपने सहयोग को नई गति प्रदान करने का निर्णय लिया है। दोनों पक्षों का मानना है कि स्थाई और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोत के रूप में, यह ऊर्जा सुरक्षा, स्थायी विकास, आर्थिक विकास प्राप्त करने तथा जलवायु परिवर्तन को सीमति करने संबंधी वैश्विक चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। परमाणु ईंधन चक्र सहित उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले जिम्मेदार देशों के रूप में, भारत और फ्रांस सुरक्षा और संरक्षा के सर्वोच्च मानकों के साथ तथा अपनी-अपनी परमाणु नीतियों एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार तथा आतंकवादियों के हाथों में उनके पड़ जाने की संभावना सहित उनके सुपुर्दगी के साधनों के संबंध में भारत और फ्रांस के सरोकार एवं उद्देश्य एक समान हैं। इस संबंध में, फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार में भारत के स्थाई और सतत योगदान की सराहना करता है।

मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तथा परमाणु सुरक्षा के क्षेत्रों में दशकों पुराने अपने वर्तमान संबंधों को देखते हुए, इस साझेदारी को विस्तृत और सुदृढ़ करने पर सहमति हुई। इस प्रयोजनार्थ, भारत और फ्रांस ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए द्विपक्षीय करार करने के संबंध में वार्ता को अंतिम रूप दिया है। यह करार मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान से लेकर असैन्य परमाणु सहयोग तक व्यापक श्रेणी के द्विपक्षीय सहयोग का आधार होगा जिसमें रिएक्टर, ईंधन आपूर्ति और प्रबंधन शामिल होगा। इस प्रयोजनार्थ दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशिष्ट सुरक्षोपाय करार के अंतिम रूप दिए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय असैन्य परमाणु सहयोग रूपरेखा में समायोजन की प्रतीक्षा है। फ्रांस ने इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में आज एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किया गया जो भविष्य के लिए तैयारी करने की कुंजी है। यह जूल्स हॉरोविट्ज रिएक्टर नामक अनुसंधान परियोजना में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की भागीदारी से संबंधित है जिसे फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा कडारके, फ्रांस में निर्मित किया जाएगा। एक तरफ भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र एवं टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान और दूसरी तरफ ग्रांड ऐक्सेलरेटर नेशनल डीआयन्स लौउर्ड्स (जीएएनआईएल) के बीच केन, फ्रांस में स्पाइरल 2 उच्च घनत्व बीम उत्पादन प्रणाली के प्रयोग पर सहयोग स्थापित करने वाले समझौता ज्ञापन पर मुम्बई में हस्ताक्षर किया जाएगा। भारत और फ्रांस परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने, प्रशिक्षण के लिए संरचना स्थापित करने तथा परमाणु सुरक्षा अनुसंधान करने के लिए भी सहमत हुए।

IV. जन दर जन संपर्क

भारत और फ्रांस शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग गहन करने पर सहमत हुए। इस बात पर सहमति हुई कि पेरिस में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र शीघ्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा यह कि फ्रांस इस कार्य को संभव बनाएगा। दोनों पक्षों ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, अपनी-अपनी शैक्षिक प्रणालियों के बीच सहलग्नता बढ़ाने तथा छात्रों का आदान-प्रदान बढ़ाने का निर्णय लिया। आशा है कि संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सृजन, जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों में सहयोग और भारत-फ्रांस विश्वविद्यालय कन्सोर्टियम की स्थापना के साथ-साथ इस कार्य से संबंधों में हर दृष्टि से प्रगाढ़ता आएगी। इस तरह के व्यापक जन दर जन संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देश एक दूसरे के देश में अपना-अपना कोंसुलेट खोलने के लिए सहमत हुए तथा इस संदर्भ में 2008 में भारत में कोलकाता और बंगलौर में फ्रांस द्वारा दो नए कोंसुलेटों के खोले जाने का स्वागत किया गया।

V. भारत-यूरोपीय संघ

दोनों देशों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। फ्रांस जुलाई 2008 के प्रारंभ से यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। फ्रांस की अध्यक्षता के दौरान, भारत-यूरोपीय आयोग संयुक्त कार्य योजना के तंत्र के माध्यम से संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ विस्तृत व्यापार और निवेश करार के लिए परस्पर लाभप्रद वार्ता के शीघ्र संपन्न होने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।

राष्ट्रीय सरकोजी ने भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर 2008 में फ्रांस का सरकारी दौरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। भारत के प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

विवरण-II

वैश्विक तापन के खिलाफ संघर्ष पर भारत और फ्रांस की संयुक्त घोषणा

25/01/2008

I. मानवता की उत्तरजीविता और विकास पर जलवायु परिवर्तन के असर, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष करने तथा स्थायी विकास प्राप्त करने के महत्व और तात्कालिकता को अनुभूत करते हुए भारत और फ्रांस वैश्विक तापन के खिलाफ संघर्ष करने तथा मानवता की उत्तरजीविता एवं विकास के लिए इसके संभावित परिणामों से बचने हेतु घनिष्ठता से और समवेत रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं। दोनों देशों ने इस प्रमुख चुनौती के खिलाफ अपने प्रयासों में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया है। वे जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर सरकारी पैनल द्वारा प्रकाशित हाल की रिपोर्ट का स्मरण करते हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की तात्कालिता के वैज्ञानिक प्रमाण दिए गए हैं। उनके प्रयास साझी किन्तु विभेदीकृत जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी सक्षमताओं जिसे उन्होंने स्वीकार किया है, के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के सदस्य देशों के सम्मेलन के 13वें सत्र तथा क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्य देशों के तीसरे सत्र के दौरान 15 दिसम्बर, 2007 को अपनाई गई बाली कार्य योजना में रेखांकित कार्य सूची के अंग हैं। वे जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय और इसके क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधानों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को याद करते हैं। वे "अनुकूलन कोष" को मूर्त रूप देने के संबंध में बाली में हुई प्रगति को देखकर प्रसन्न हैं तथा भरोसा करते हैं कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा तीन वर्ष की अन्तरिम अवधि में उपलब्ध सचिवालय सेवाएं दक्ष, लागत प्रभावी और सामयिक होंगी।

II. जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता पर सामयिक सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान के साथ भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों के क्षेत्र में अपने आदान-प्रदान को सुदृढ़ करते हैं। इस संबंध में, वे अब तक के तथा 2012 से आगे तक के जलवायु परिवर्तन से लड़ने में दीर्घ कालीन सहयोगात्मक कार्रवाई पर 2009 तक तेजी से सर्वसम्मति प्राप्त कर लेने के निमित्त कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे इस बात की फिर से पुष्टि करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों का पर्यावरण में संकेन्द्रण एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना होना चाहिए जो यूएनएफसीसीसी के उद्देश्य के मुताबिक जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय दखलन्दाजी को रोक सके। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि विकासशील देशों तथा विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जनों का दीर्घ कालीन अभिसरण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वे विशेष रूप से यूएनएफसीसीसी तथा क्योटो प्रोटोकॉल की रूपरेखा के भीतर सक्रिय रूप से और रचनात्मक ढंग से कार्य करके इसे प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप में प्रयास करेंगे।

III. भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याओं (जैव विविधता, जल संसाधन, मरूस्थलीकरण, प्राकृतिक आपदा, वन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषणों के खिलाफ संघर्ष) पर अपना सहयोग सुदृढ़ करने, तथा सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास, नवाचार, प्रसार, अनुप्रयोग तथा विकासशील देशों को हस्तांतरण सहित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करके अपनी अनुकूलन सक्षमता बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में अपना सहयोग और सुदृढ़ करेंगे:

1. जलवायु परिवर्तन का प्रतिरूपण;
2. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से उत्पन्न अरक्षिता का अध्ययन;
3. जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामों का अनुमान लगाने के लिए सुविधाओं में सुधार;
4. जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए प्रौद्योगिकियों और उपायों पर अनुसंधान एवं विकास।

IV. भारत और फ्रांस ऐसे प्रयास के महत्व पर बल देते हैं जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास को कायम रखते हुए कार्बन गहनता को नियंत्रित करना हो, तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, अनुप्रयोग और विकासशील देशों को हस्तांतरण में, विशेष रूप से ऊर्जा बचत, ऊर्जा दक्षता में सुधार तथा चिरस्थाई ऊर्जा अवसरंचना, असैन्य परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी,

और पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था निर्मित करने के संबंध में सहयोग को व्यावहारिक रूप से बढ़ाने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं।

V. जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वे नवाचारी प्रौद्योगिकियों के विकास के निमित्त संयुक्त पहलों के सृजन को प्रोत्साहित करते हैं। वे स्थायी विकास एवं जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में और अधिक शामिल होने के लिए अपने-अपने उद्योगों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं।

VI. वे सार्वजनिक निधियन के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वित्त पोषण के लिए बाजार तंत्र के महत्व को रेखांकित करते हैं। वे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में समर्थकारी क्योटो प्रोटोकॉल के "स्वच्छ विकास तंत्र" (सीडीएम) की रूपरेखा में शुरू की गई परियोजनाओं को लागू करने तथा उन्हें गहन करने को बढ़ावा देते हैं।

VII. वे वनों के संरक्षण एवं पोषणक्षम प्रबंधन, वानिकीकरण और पुनर्वानिकीकरण की दिशा में काम करके विवानिकीकरण से उत्सर्जन घटाने के महत्व को स्वीकार करते हैं।

VIII. इसके अलावा, अपने सहयोग को प्रगाढ़ करने के विचार से भारत और फ्रांस ने विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ परस्पर लाभप्रद आर्थिक विकास के लिए विधि सम्मत तलाश को द्विपक्षीय विनिमयों में समाशोधित करने के निमित्त जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी वैश्विक सामरिक साझेदारी की रूपरेखा में विशिष्ट साझेदारी निर्मित करने का निर्णय लिया है।

इसके मद्देनजर, वे निम्नलिखित उपायों और अभिविन्यासों के लिए सहमत हुए हैं:

— भारत और फ्रांस ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उनका निधियन नामक पर्यावरण डीलिंग पर भारत-फ्रांस कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। इस कार्य समूह में दोनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के अलावा सभ्य समाज (कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे जो विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में त्वरित क्रियान्वयन के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई की पहचान करेगा:

— ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत;

— नवीकरणीय ऊर्जा;

— हाइड्रोजन और ईंधन सेल्स;

— स्वच्छ कोयला;

— आज की तिथि को अपनाए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप असैन्य परमाणु ऊर्जा;

— वनों का संरक्षण और पोषणक्षम प्रबंधन, वानिकीकरण एवं पुनर्वानिकीकरण, तथा मृदा प्रबंधन;

— जैव विविधता;

— स्वास्थ्य और पर्यावरण।

— इस प्रयोजनार्थ, भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के निमित्त नवाचारी प्रौद्योगिकी सहयोग परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी खिलाड़ियों, तथा स्थानीय प्राधिकरणों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें इनके वित्त पोषण से संबंधित मुद्दे तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में ठोस प्रत्युत्तरों का सृजन शामिल है।

— भारत और फ्रांस लोहा एवं इस्पात उद्योग, स्थायी अवसंरचना (तत्वत: जल विद्युत बांध, ताप विद्युत केन्द्र और नेटवर्क) के अलावा शहरी विकास, ऊर्जा दक्ष परिवहन (हाई स्पीड ट्रेन, मैट्रो, ट्राम) जैसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक परियोजनाओं का पता लगाने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं। सौर बल्बों के माध्यम से व्यक्तिगत प्रकाश व्यवस्था के व्यापक वितरण पर भी विचार किया जा सकता है।

— भारत और फ्रांस एजेंसे डी एनवायरमेन्टल एट डी ला मैट्राइज डी एनर्जी (एडीईएमई-पर्यावरण और ऊर्जा नियंत्रण एजेंसी) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत के बीच वर्तमान उपयोगी सहयोग को स्वीकार करते हैं। यह सहयोग भारत में ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देगा।

— दोनों पक्ष विशेष रूप से शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करेंगे, और कार्मिकों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे। दोनों पक्ष अपने प्रमुख

अनुसंधान प्रतिष्ठानों एवं प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा अपने शोधकर्ताओं एवं विशेषज्ञों के विनिमय को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएंगे।

इसके अतिरिक्त, वे अपने असैन्य परमाणु सहयोग के सर्वोपरि महत्व को स्मरण करते हैं, जो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आर्थिक विकास की उनकी इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दोनों देशों को समर्थ बनाएगा।

नई दिल्ली

25 जनवारी 2008

विवरण-III

फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान संपन्न करारों/समझौता ज्ञापनों की सूची

25 जनवरी, 2008

क्र.सं.	करार/समझौता ज्ञापन का पूरा नाम
1	2
1.	**रक्षा के क्षेत्र में वर्गीकृत सूचना के पारस्परिक संरक्षण संबंधी करार** रक्षा मंत्रालय, भारत और फ्रांस का रक्षा मंत्रालय
2.	**सजा-प्राप्त कैदियों के अंतरण पर भारत और फ्रांस के बीच करार** गृह मंत्रालय, भारत और फ्रांस का आंतरिक मंत्रालय
3.	**जुल्स होरोविट्ज (जेएच) रिएक्टर निर्माण एवं प्रचालन के लिए कोमीसेरिएट ए एल' एनर्जी एटोमिक (सीईए) और डीएई भारत के बीच करार** डीएई भारत और सीईए फ्रांस
4.	**एएफ डी के जरिए भारत-फ्रांस विकास निगम के संबंध में फ्रांस गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार** डीएई भारत और एएफडी फ्रांस
5.	**न्यूरो साइंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोजित प्रयोगशाला से संबद्ध समझौता ज्ञापन** आईएनएसईआरएम और पेरिस यूनीवर्सिटी-VII और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेशलन ब्रेन रिसर्च सेंटर (एनबीआरसी), भारत

पंचायतों को शक्तियां प्रदान करना

310. **श्री पी. मोहन : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायतों को शक्ति सम्पन्न करने के संबंध में वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ख) राज्य/केंद्र सरकार दोनों के द्वारा पंचायतों के लिए कुल निधियों का आवंटन कितना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) संविधान के 73वें संशोधन ने, अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक के भाग IX को भारत के संविधान में समाहित किया। संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुपालन में उन सभी राज्यों (झारखंड को छोड़कर), जिन पर संविधान का यह संशोधन लागू होता है, न पंचायतों का गठन कर लिया है। सभी संबंधित राज्यों ने राज्य पंचायती राज अधिनियम के रूप में संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप विधानों का अधिनियमन कर लिया है। राज्य पंचायती राज अधिनियम, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज के कार्यान्वियन की रूपरेखा दर्शाते हैं। सभी राज्यों ने अनुच्छेद 243 घ के अनुरूप अ.जा., अ.ज.जा. तथा महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध कराया है। बिहार व मध्य प्रदेश राज्यों ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए अपने राज्य अधिनियमों में संशोधन किया है और सिक्किम 40 प्रतिशत उपलब्ध कराता है। झारखंड को छोड़कर (जहां पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि अ.जा.जा. के लिए आरक्षण की मात्रा का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है) मोटे तौर पर सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव, अनुच्छेद 243 ड. के अनुरूप नियमित रूप से सम्पन्न हुए हैं। उन सभी राज्यों ने राज्य चुनाव आयोगों का गठन कर लिया है जो अनुच्छेद 243 च में निहित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित हैं।

अनुच्छेद 243 छ, इन दो उद्देश्यों (i) अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने, तथा (ii) अपने-अपने क्षेत्रों में ग्यारहवीं अनुसूची में बद्ध विषयों सहित और जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित हो, के शर्तों के अधीन पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए गए विषयों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ''अंतरण'', यानी पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को उपलब्ध कराता है। पंचायती राज मंत्रालय आगे बढ़ने के लिए सर्वसम्मति हेतु पंचायती राज के राज्य मंत्रियों को शामिल करते हुए गोलमेज बैठकों का आयोजन करता रहा है। कोलकाता व मैसूर में क्रमश: आयोजित हुई पहली व दूसरी गोलमेज बैठक में यह सहमति हुई थी कि राज्यों को ''सहायकता'' के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए गतिविधि मानचित्रण के तंत्र के माध्यम से कोषों, कार्यों व कर्मियों का अंतरण अवश्य करना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा प्रभावी अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का नियमित रूप से अनुवर्तन किया है।

अनुच्छेद 243 ज की भावना के अनुरूप राज्य सरकारों से, राज्यों के समेकित निधि से पंचायतों को अबद्ध अनुदान उपलब्ध कराने तथा पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए पंचायत सेक्टर विण्डो बनाने के लिए नियमित रूप से आग्रह किया गया है। अनुच्छेद 243 ट, के अनुरूप सभी राज्य सरकारों ने प्रत्येक पांच साल की समाप्ति के बाद तथा बीच के दौरान यदि कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो उसे भरने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य चुनाव आयोगों का गठन किया है।

संविधान के अनुच्छेद 243 ड के अनुपालन में संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम संविधान के भाग IX के प्रावधानों को नौ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र, जो संविधान की पांचवी अनुसूची में बद्ध हैं, के जनजातीय क्षेत्रों तक परिव्याप्त करता है। सभी संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम के अनुरूप विधानों को अधिनियमित किया है।

(ख) पंचायतों को वित्तीय अंतरण से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि वैसी शक्तियां व जवाबदेही जिन्हें पंचायतों को सौंपा गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 243 छ के शर्ताधीन सौंपी गई स्कीमें वास्तव में पंचायतों तक पहुंचे। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पंचायतों के लिए निर्धारित कोष पहले राज्य सरकारों के समेकित निधि में पहुंचे लेकिन उसके बाद उसे बिना विलंब अथवा विपथन के तेजी के साथ पंचायतों को हस्तांतरित होना चाहिए। बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के तहत निर्मुक्त अनुदान इस निधि-प्रवाह के अनुरूप होते हैं। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से 2007-08 में पंचायतों को अग्रसारित किए जाने के लिए निर्मुक्त कोषों के ब्यौरों को क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के द्वारा पंचायतों को प्रेषित सभी संसाधन राज्यों के समेकित निधि में अभिसरित होते हैं। केंद्रीय सरकार का यह मानना है कि राज्यों के समेकित निधि से पंचायतों को वित्तीय आबंटनों की स्पष्ट तस्वीर केवल तभी उभर सकती है जब राज्य अपने बजटों में पंचायत सेक्टर विण्डो का सृजन करें। राज्यों के बजटों में पंचायत सेक्टर विण्डो के सृजन की प्रणाली को कुछ राज्यों नामत: कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान द्वारा अंगीकृत किया गया है।

विवरण-I

12वें वित्त आयोग अनुदानों की निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण, 01.02.2008 के अनुसार

राज्य	कुल आबंटन	एक किस्त की राशि (छमाही)	2005-06 निर्मुक्त राशि		2006-07 निर्मुक्त राशि		2007-08 निर्मुक्त राशि	
			1 ली किस्त	2 री किस्त	1 ली किस्त	2 री किस्त	1 ली किस्त	2 री किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	158700	15870	15870	15870	15870	15870		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	6800	680	680	0	0	0		
असम	52600	5260	5260	5260	5260	0		
बिहार	162400	16240	16240	16240	16240	16240	16240	
छत्तीसगढ़	61500	6150	6150	6150	6150	6150	6150	
गोवा	1800	180	180	—#	—#	77#		
गुजरात	93100	9310	9310	9310	9310	9310	9310	
हरियाणा	38800	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880
हिमाचल प्रदेश	14700	1470	1470	1470	1470	1470	1470	
जम्मू व कश्मीर	28100	2810	1762**	1762	1762	0		
झारखंड	48200	4820	0	0	0	0		
कर्नाटक	88800	8880	8880	8880	8880	8880	8880	
केरल	98500	9850	9850	9850	9850	9850		
मध्य प्रदेश	166300	16630	16630	16630	16630	16630	16630	
महाराष्ट्र	198300	19830	19830	19830	19830	19830	19830	
मणिपुर	4600	460	212*	212	212	212		
मेघालय	5000	500	500	500	500	0		
मिजोरम	2000	200	200	200	200	200		
नागालैंड	4000	400	400	400	400	400		
उड़ीसा	80300	8030	8030	8030	8030	8030	8030	
पंजाब	32400	3240	3240	3240	3240	3240		
राजस्थान	123000	12300	12300	12300	12300	12300	12300	
सिक्किम	1300	130	130	0	0	0		
तमिलनाडु	87000	8700	8700	8700	8700	8700	8700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	5700	570	570	0	0	0		
उत्तर प्रदेश	292800	29280	29280	29280	29280	29280	29280	29280
उत्तरांचल	16200	1620	1620	1620	1620	1620		
पश्चिम बंगाल	127100	12710	12710	12710	12710	12710		
योग	2000000	200000	193884	192324	192324	184879	140700	33160
कुल योग								937271

*पहाड़ी क्षेत्रों के पी आर आई अनुदानों के हिस्से की 248.40 लाख रुपए की राशि को छोड़कर

**जहां चुनाव नहीं हुए वहां पी आर आई के हिस्से में से 1048.03 लाख रुपए को घटाने के बाद

—ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रयुक्त न हुए अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों के पास उपलब्ध 463 लाख रुपए की राशि को इन किस्तों की देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया गया।

विवरण-II

पंचायतों को प्रेषित क्षेत्र अनुदान निधि के तहत विकासात्मक अनुदान की निर्मुक्त

क्र. सं.	राज्य	2006-07 में निर्मुक्त की गयी राशि (करोड़ रुपए में)	2007-08 में निर्मुक्त की गयी राशि (करोड़ रूपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	301.88
2.	असम	शून्य	35.00
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	223.15
4.	कर्नाटक	शून्य	82.76
5.	केरल	शून्य	9.25
6.	मध्य प्रदेश	20.04	378.42
7.	उड़ीसा	शून्य	240.09
8.	राजस्थान	शून्य	300.81
9.	पश्चिम बंगाल	शून्य	187.75
10.	बिहार	शून्य	511.39
	योग	20.04	2270.50

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम

311. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दान दिए गए अंगों की संख्या मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कितने रोगियों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्यारोपित अंगों की संख्या क्या है;

(ग) उन रोगियों की संख्या कितनी है जिनकी समय पर प्रत्यारोपण की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु हो जाती है;

(घ) क्या देश में अंग प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम आरम्भ करने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन गरीब लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें थोड़े से पैसे का लालच देकर अपने अंग दान देने का लालच दिया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। अत: आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा महसूस किया गया है कि अंगों के दान को एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के जरिए लोकप्रिय बनाए जाने और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय अंग प्रत्योरोपण कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2007-2008 के लिए एक करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया है।

(च) मानव अंग प्रत्योरोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मानव अंगों की बिक्री/खरीद पहले से ही प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उपयुक्त प्राधिकरण मानव अंगों की खरीद-फरोख्त के अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए जिम्मेवार एवं अधिकृत हैं।

विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री को मान्यता प्रदान करना

312. **श्री जुएल ओराम :**
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विषय पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारत और कुछ विदेशी देश वर्ष, 1975 तक आपस में एक दूसरे के छात्रों को प्रदत्त मेडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान करते थे; और

(घ) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे 1975 के बाद इसे बन्द किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। कतिपय बाहरी देशों में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस समय, भारत से बाहर प्रदत्त और भारतीय नागरिकों द्वारा धारित स्नातक पूर्व चिकित्सीय अर्हताएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद जांच परीक्षा विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गंगा कार्ययोजना की समीक्षा

313. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा कार्ययोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कार्यान्वयन एजेंन्सियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) गंगा कार्य योजना को 1985 से इसके प्रारंभ से ही चरणबद्ध ढ़ंग से कार्यान्वित किया गया जिसमें जल की गुणवत्ता में

सुधार करने के प्रयोजन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभिनिर्धारित प्रदूषित नदी क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन कार्य किए गए हैं। गंगा नदी के अलावा इसकी प्रमुख सहायक नदियों, नामतः यमुना, गोमती, दामोदर, और महानंदा को भी गंगा कार्य योजना में शामिल कर लिया गया था। गंगा और इसकी उपर्युक्त सहायक नदियों के लिए अभी तक कुल 1765.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता विकसित की गई है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एक मल्टीलेयर मानीटरिंग मैकेनिजम की सहायता से योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। यह मैकेनिजम समय समय पर नीतिगत मामलों, वित्तपोषण संबंधी पैटर्न तथा कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र और ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा नदी की जल गुणवत्ता की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। नदी किनारों के आसपास शहरी जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद गंगा योजना से पूर्व की गुणवत्ता के मुकाबले प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई दिया है।

प्रदूषण उपशमन कार्यों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा नामित तथा उनके अधीन कार्य करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। राज्यों को राज्य के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव द्वारा नियमित बैठकें बुलाकर कार्यान्वयन स्तर पर विभिन्न विभागों/एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा अन्य मामलों के अलावा बिजली आपूर्ति, संसाधन जुटाना आदि इंटरसैक्टोरल मामलों का हल खोजने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय अर्धचिकित्सीय शिक्षा संस्थान

314. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल के कोजीकोड़ स्थित आयुर्विज्ञान कालेज में क्षेत्रीय अर्धचिकित्सीय शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को केरल सरकार से मेडिकल कालेज, कोजीकोड, केरल में एक क्षेत्रीय पराचिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कालीकट मेडिकल कालेज, कालीकट, केरल में एक क्षेत्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान खोने का प्रस्ताव है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दो राष्ट्रीय और छः क्षेत्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने की एक नई पहल का एक हिस्सा है।

समवर्ती सूची में कृषि विपणन को शामिल करना

315. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि संबंधी कार्य समूह ने कृषि विपणन को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में शामिल किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य समूह द्वारा सुझाए गए सुझाव को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से इस संबंध में उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु पत्र लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) जिसे 19 दिसम्बर, 2007 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की 54वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर एस. एस. आचार्य की अध्यक्षता में गठित आंतरिक और बाह्य व्यापार हेतु विपणन अवसंरचना व नीति संबंधी कार्यदल ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ 'कृषि विपणन' को राज्य विषयों की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। कार्य-दल की सिफारिशों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) बनाने के लिए उपलब्ध कराए गए कई इनपुटों में एक इनपुट यह भी प्रदान किया था। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में 'कृषि विपणन' को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने राज्यों को, विशेष रूप से इस संबंध में उनके विचार प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा है।

राष्ट्रीय विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

316. **श्री नन्द कुमार साय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए राष्ट्रीय विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 के ''फाइनेंशियल एक्सप्रेस'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए आवंटित निधियां क्या हैं;

(घ) क्या सांबासिवा राव समिति में अंशधारियों के मत की जांच की है तथा सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व समिति, प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अधीन इक्कीस राज्यों ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है।

(ग) राज्यों को एक समन्वित तरीके से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के लिए सभी पहलों के चल रहे नियोजन, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में नम्यता बरतने की अनुमति देने के लिए कार्यक्रम के लिए एक फ्लैक्सी पूल के अधीन राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं। 2007-2010 के लिए सभी राज्यों को आबंटन हेतु आरसीएच कार्यक्रम फ्लैक्सी पूल और एनआरएचएम फ्लैक्सी पूल की एक प्रति विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) शाम्बासिब राव समिति की रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

विवरण-I

आरसीएच-II कार्यक्रम नम्यपूल 2007-10 का आबंटन

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राज्य कारक	राज्यवार आबंटित निधियाँ 2007-08	राज्यवार आबंटित निधियाँ 2008-09	राज्यवार आबंटित निधियाँ 2009-10	राज्यवार आबंटित निधियाँ 2007-10
1	2	3	4	5	6	7
क.	**इएजी राज्य**					
1	बिहार	8.62	144.32	160.26	176.20	480.78
2.	झारखंड	2.80	46.86	52.03	57.21	156.10
3	मध्य प्रदेश	6.28	105.15	116.76	128.38	350.29
4	छत्तीसगढ	2.16	36.21	40.21	44.21	120.63
5	उडीसा	3.82	63.92	70.98	78.04	212.94

1	2	3	4	5	6	7
6.	राजस्थान	5.87	98.34	109.20	120.06	327.60
7.	उत्तर प्रदेश	17.26	289.15	321.08	353.02	963.25
8.	उत्तराखंड	0.88	14.77	16.40	18.03	49.20
	उप योग	47.69	798.71	886.92	975.15	2,660.78
ख.	अन्य राज्य					
9.	आंध्र प्रदेश	6.06	101.43	112.64	123.84	337.91
10.	गुजरात	4.05	67.77	76.26	82.74	225.77
11.	हरियाणा	1.69	28.24	31.36	34.48	94.08
12.	हिमाचल प्रदेश	0.49	8.14	9.04	9.94	27.12
13.	जम्मू व कश्मीर	0.81	13.49	14.98	16.47	44.94
14.	कर्नाटक	4.22	70.64	78.44	86.24	235.32
15.	केरल	2.55	42.65	47.36	52.07	142.08
16.	महाराष्ट्र	7.74	129.60	143.91	158.22	431.73
17.	पंजाब	1.94	32.53	36.13	39.72	108.38
18.	तमिलनाडु	4.97	83.20	92.38	101.57	277.15
19.	पश्चिम बंगाल	6.42	107.45	119.32	131.19	357.96
	उप योग	40.94	685.14	760.82	836.48	2,282.44
ग.	संघ राज्य क्षेत्र					
20.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.03	0.48	0.53	0.58	1.59
21.	चंडीगढ़	0.07	1.21	1.34	1.47	4.02
22.	दादरा व नगर हवेली	0.02	0.30	0.33	0.36	0.99
23.	दमण व दीव	0.01	0.21	0.24	0.26	0.71
24.	दिल्ली	1.10	18.46	20.50	22.54	61.50

1	2	3	4	5	6	7
25.	गोवा	0.11	1.80	2.00	2.20	6.00
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.08	0.09	0.10	0.27
27.	पांडिचेरी	0.08	1.30	1.45	1.59	4.34
	उप योग	1.42	23.84	26.48	29.10	79.42
	पूर्वोत्तरी राज्य					
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.28	4.68	5.19	5.71	15.58
29.	असम	6.82	114.18	126.79	139.40	380.37
30	मणिपुर	0.61	10.24	11.37	12.50	34.11
31.	मेघालय	2.58	9.88	10.98	12.07	32.93
32.	मिजोरम	0.23	3.82	4.24	4.66	12.72
33.	नागालैंड	0.51	8.52	9.47	10.41	28.40
34.	सिक्किम	0.14	2.32	2.57	2.83	7.72
35.	त्रिपुरा	0.82	13.68	15.19	16.70	45.57
	उप योग	10.00	167.32	185.80	204.28	557.40
	महायोग	100.05	1,675.01	1,860.02	2,045.01	5,580.04

विवरण-II

दिसम्बर, 2007 तक फ्लैक्सी पूल मिशन के अंतर्गत निर्मुक्ति और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		कुल		
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय 21.12.2007 तक किया गया व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	अव्ययित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उच्च लक्षित राज्य										
1.	बिहार	68.37	0.59	125.79	13.18	137.63	3.53	331.79	17.30	314.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	छत्तीसगढ़	29.10	4.89	61.75	5.13	64.23	17.09	155.08	27.11	127.97
3.	हिमाचल प्रदेश	16.15	0.39	32.29	4.33	2.36	1.40	48.80	6.12	42.68
4.	जम्मू और कश्मीर	18.68	0.11	31.39	0.90	122.05	28.68	172.11	29.69	142.42
5.	झारखंड	32.48	0.95	46.53	28.51	52.63	9.36	131.64	38.82	92.81
6.	मध्य प्रदेश	82.23	0.68	136.62	22.49	152.24	20.80	371.09	43.97	327.12
7.	उड़ीसा	59.32	6.98	66.91	41.31	90.28	10.87	216.50	59.16	157.34
8.	राजस्थान	70.56	1.05	138.06	1.44	113.20	71.97	321.82	74.45	247.37
9.	उत्तर प्रदेश	129.52	1.10	241.77	41.25	337.32	32.55	708.61	74.89	633.72
10.	उत्तराखंड	17.54	0.33	15.92	47.06	3.48	3.42	36.94	50.80	-13.86
	उत्तर पूर्वी राज्य									
11.	अरुणाचल प्रदेश	10.05	1.68	31.07	8.33	13.24	11.01	54.36	21.02	33.34
12.	असम	36.02	0.11	245.41	45.28	322.31	121.40	603.74	166.79	436.94
13.	मणिपुर	7.52	0.00	20.48	0.82	14.92	2.67	42.92	3.49	39.44
14.	मेघालय	7.22	0.02	19.51	2.54	23.22	6.45	49.95	9.01	40.94
15.	मिजोरम	6.01	0.17	32.43	3.91	8.95	0.00	47.38	4.08	42.30
16.	नागालैंड	7.83	0.87	22.62	14.31	18.08	5.13	48.52	20.30	28.22
17.	सिक्किम	3.09	0.00	18.22	1.14	4.67	2.68	25.97	3.81	22.16
18.	त्रिपुरा	3.92	0.30	12.97	2.93	38.06	2.25	54.95	5.48	49.47
	उपयोग	81.65	3.14	402.70	79.26	443.45	151.58	927.80	233.98	693.82
	कम उच्च लक्षित राज्य									
19.	आंध्र प्रदेश	46.28	4.83	119.19	59.39	179.89	52.66	345.28	116.88	228.40
20.	गोवा	1.86	0.00	1.12	0.35	0.94	0.00	3.92	0.35	3.57
21.	गुजरात	46.38	0.35	93.63	25.37	99.76	44.88	239.78	70.61	169.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	हरियाणा	23.10	1.12	34.32	2.23	19.31	6.86	76.73	10.21	66.52
23.	कर्नाटक	48.84	0.00	84.38	4.25	47.29	7.49	180.51	11.74	168.77
24.	केरल	25.26	0.00	44.60	1.90	52.66	48.26	122.53	50.15	72.37
25.	महाराष्ट्र	65.33	0.00	113.94	8.99	172.03	71.52	351.30	80.51	270.78
26.	पंजाब	24.37	1.95	42.41	5.24	26.08	8.05	92.86	15.25	77.62
27.	तमिलनाडु	31.63	8.68	97.93	27.34	110.11	17.95	239.67	53.96	185.71
28.	पश्चिम बंगाल	36.10	4.17	115.71	54.35	162.90	162.85	314.70	221.36	93.34
	उपयोग	349.09	21.11	747.22	189.41	870.97	420.52	1967.28	631.04	1336.24
	छोटे राज्य/संघशासित प्रदेश									
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	1.49	0.00	0.63	0.05	3.97	0.00	6.09	0.05	6.04
30.	चंडीगढ़	0.44	0.00	0.47	0.13	1.77	0.06	2.68	0.19	2.49
31.	दादर व नगर हवेली	0.47	0.00	0.54	0.06	0.12	0.10	1.13	0.16	0.97
32.	दमण	0.59	0.00	0.67	0.06	0.00	0.13	1.26	0.18	1.08
33.	दिल्ली	1.37	0.00	4.54	0.32	23.23	0.00	29.14	0.32	28.83
34.	लक्षद्वीप	0.94	0.00	0.28	0.06	0.00	0.01	1.22	0.07	1.15
35.	पांडिचेरी	1.76	0.03	1.64	0.57	1.23	0.40	4.63	1.00	3.63
	अन्य			15 41		0.40		15.81	0.00	15.81
	उप योग	7.06	0.03	24.18	1.24	30.72	0.69	61.96	1.96	60.00
	महायोग	961.74	41.35	2069.12	475.49	2420.56	772.45	5451.42	1289.30	4162.12

यमुना नदी की सफाई

317. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किए जाने तक यमुना नदी की सफाई की संभाव्यता के संबंध में गहरी चिन्ताएं प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समय-सीमा से पूर्व परियोजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यमुना नदी की जल गुणता की मानीटरी कर रहा है और उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली सहित चयनित स्थानों पर नदी की जलगुणता वांछित मानकों के अनुरूप नहीं है।

भारत सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटर नेशनल कोआपरेशन की सहायता से चरण बद्ध ढ़ंग से यमुना कार्य योजना शुरू की है। अप्रैल, 1993 में शुरू किए गए यमुना कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत प्रतिदिन 753.25 मिलियन लीटर सीवेज शोधन क्षमता तैयार की गई जिसमें से प्रतिदिन 30 मिलियन लीटर सीवेज शोधन क्षमता दिल्ली की है, यमुना कार्य योजना चरण-I को फरवरी, 2003 मे बंद घोषित किया गया था।

यमुना कार्य योजना चरण-II, जिसे 624 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से दिसम्बर, 2004 में शुरू किया गया था के अंतर्गत परिव्यय का बड़ा भाग 387.17 करोड़ रु. दिल्ली को आवंटित किया गया है। यमुना कार्य योजना-II के अंतर्गत दिल्ली में प्रतिदिन 135 मिलियन लीटर सीवेज शोधन क्षमता तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, यमुना कार्य योजना चरण II के अंतर्गत प्रतिदिन 324 मिलियन लीटर शोधन क्षमता की पुनर्स्थापना और 30.82 कि.मी. लम्बाई में सीवर की पुनस्थापना/ट्रंक सीवर डालने की परियोजना की भी संकल्पना की गई है।

यमुना कार्य योजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने निजी संसाधनों से भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू किए हैं। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड ने समयबद्ध ढ़ंग से मुख्य नालों के किनारे अवरोधक सीवर लाइन डालने, सीवेज शोधन संयत्रों के संवर्धन, छोटे नालों को अवरूद्ध करने, ट्रंक सीवरों की पुन:स्थापना और अतिरिक्त सीवेज शोधन संयत्रों के निर्माण की परिकल्पना की है।

पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट आवेदन

318. श्री मदन लाल शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट जारी किए जाने के संबंध में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार इस संबंध में पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित समय सीमा के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में दिनांक 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं। यह 2007 में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या का केवल 8% है।

(ग) और (घ) पासपोर्ट जारी करने में विलंब होने के अनेक कारण हैं: पुलिस सत्यापन रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब और प्रतिकूल/अधूरी पुलिस सत्यापन रिपोर्टें; आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधूरी सूचना और/अथवा दस्तावेज/पासपोर्ट कार्यालयों में तेजी से बढ़ता कार्यभार भी लंबित होने का एक कारण है।

सरकार ने पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: (i) बाद की अवस्थाओं में आपत्ति नहीं हो इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अवस्था में आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की समुचित संवीक्षा (ii) पुलिस सत्यापन रिपोर्टें शीघ्र प्राप्त करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क स्थापित करना (iii) पासपोर्ट कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का गठन (iv) आवेदकों को पासपोर्ट सुविधाएं और आसानी से प्रदान करने के लिए राज्यों के विभिन्न जिलों में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ खोलना और स्पीड पोस्ट केंद्रों में पासपोर्ट आवेदन पत्र स्वीकार करना और (v) सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदनों का ऑन-लाइन पंजीकरण करना। सरकार में नागरिकों को पासपोर्ट के प्रेषण से संबंधित सेवाएं समय से पारदर्शिता के साथ आसानी से उपलब्ध कराते हुए तथा भरोसेमंद तरीके से प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पक्षों सहित पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली पर समय बाधित अध्ययन करने का कार्य नैशनल इंस्टीटयूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी), हैदराबाद को सौंपा है। एनआईएसजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और ''पासपोर्ट सेवा परियोजना'' आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना

के परिणामस्वरूप पासपोर्ट के सत्यापन प्रक्रिया के समाप्त होने के 3 दिनों के भीतर जारी होने की संभावना है। तत्काल पासपोर्ट के उसी दिन जारी होने की संभावना है। पुलिस सत्यापन की कार्रवाई को पासपोर्ट सुविधा केंद्रों का संपर्क इलेक्ट्रानिक लिंकेज के माध्यम से राज्यों की राजधानियों में स्थित पुलिस प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करके तीव्र किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की कमी के ब्यौरे 31.12.2007
1	2	3
1.	अहमदाबाद	1827
2.	बैंगलोर	7565
3.	बरेली	14793
4.	भोपाल	21914
5.	भुवनेश्वर	13353
6.	चंडीगढ़	53933
7.	चेन्नई	15733
8.	कोचिन	3831
9.	दिल्ली	44775
10.	गाजियाबाद	1236
11.	गुवाहाटी	14429
12.	हैदराबाद	1919
13.	जयपुर	8828
14.	जालंधर	19626
15.	जम्मू	10674
16.	कोलकाता	21788
17.	कोझीकोड़	587
18.	लखनऊ	24679
19.	मदुरई	शून्य
20.	मलप्पुरम	210
21.	मुंबई	3300
22.	नागपुर	2926
23.	पणजी	807
24.	पटना	56434
25.	पुणे	4293
26.	रायपुर	शून्य
27.	रांचा	10118
28.	शिमला	3374
29.	श्रीनगर	12265
30.	सूरत	1023
31.	थाने	3091
32.	तिरुचिरापल्ली	15231
33.	तिरुवनंतपुरम	3376
34.	विशाखापट्टनम	930
	कुल	398868

सीवर ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित किया जाना

319. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा तथा यमुना कार्य योजना के तहत सीवर ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो जीएपी तथा वाईएपी के तहत स्थापित एसटीपी की कुल राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए जाने की लागत व इसके लिए जुटाई गई निधियों का स्रोत क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार किसी स्कीम के तहत इस प्रकार के संयंत्रों के लिए निधियां उपलब्ध कराती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न अभिनिर्धारित शहरों में प्रमुख प्रदूषण शमन स्कीम के रूप में सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह संयंत्र इंटरसैट और डायवर्ट किए गए सीवेज को अपेक्षित मानकों तक शोधन करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए है। गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में इन सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत लागत 727.65 करोड़ रुपये है और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन से सहायता प्राप्त यमुना कार्य योजना और भारत सरकार के परियोजना परिव्यय से गंगा कार्य योजना का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्यों के बीच लागत हिस्सेदारी से किया जा रहा है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना के अलावा, सीवेज का अवरोधन और दिशापरिवर्तन, अल्प लागत स्वच्छता कार्य, विद्युत/उन्नत काष्ठ आधारित शवदाह गृह, नदी तट विकास, जैसी विभिन्न प्रदूषण निवारण स्कीमें स्वीकृत की है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस समय 20 राज्यों में 35 नदियों के प्रदूषित किनारों पर स्थित 164 शहरों का प्रदूषण निवारण कार्य शामिल है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदूषण निवारण कार्यों की अनुमोदित लागत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-II

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करना

क्रम सं.	योजना/राज्य	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	सीवेज शोधन संयंत्र (संख्या)		
			स्वीकृत	पूरे हो चुके	चल रहे
1	2	3	4	5	6
	गंगा कार्य योजना चरण-1				
1	उत्तर प्रदेश	102.25	13	13	0
2	बिहार	15.14	7	6	1
3	पश्चिम बंगाल	73.61	15	15	0
	उप-जोड़	191.00	35	34	1
	गंगा कार्य योजना चरण-II				
1	बिहार	0.00	0	0	0
4	झारखंड	0.00	0	0	0
5	उत्तर प्रदेश	29.42	8	1	7
6	उत्तरांचल	46.68	10	2	8
7	पश्चिम बंगाल	84.70	29	12	17
	उप-जोड़	160.80	47	15	32
	यमुना कार्य योजना चरण I और II				
1	दिल्ली	78.48	7	6	1
4	हरियाणा	110.67	17	17	0
5	उत्तर प्रदेश	186.70	17	15	2
	उप-जोड़	375.85	41	38	3

विवरण-II

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुमोदित लागत

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित लागत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	395.11
2.	बिहार	32.42

1	2	3
3	दिल्ली	573.73
4	गुजरात	93.83
5	गोवा	14.10
6.	हरियाणा	311.06
7.	झारखंड	41.34
8.	कर्नाटक	72.00
9.	केरल	18.45
10.	मध्य प्रदेश	101.19
11	महाराष्ट्र	123.17
12.	उड़ीसा	72.27
13.	पंजाब	234.58
14.	राजस्थान	13.21
15	तमिलनाडु	1103.10
16	उत्तरांचल	85.64
17	उत्तर प्रदेश	924 43
18	सिक्किम	26.55
19	पश्चिम बंगाल	465.09
20.	नागालैंड	31.74
	जोड (नदी)	4733.03

इसरो द्वारा आदित्य उपग्रह छोड़े जाने का प्रस्ताव

320. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य उपग्रह छोड़े जाने की योजना बना रहा है;

(ख) आदित्य द्वारा किए जाने वाले अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसरो के उपग्रहों की सहायता के लिए इस प्रस्तावित अध्ययन के कितना सहायक होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) आदित्य सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र, किरीट के अध्ययन के लिए अभिप्रेत एक उपकरण अपने साथ ले जाएगा। यह उपग्रह किरीटीज चुंबकीय क्षेत्र की संरचनाओं और किरीटीय चुंबकीय क्षेत्र के विकास जैसे किरीटीय द्रव्यमान अंत:क्षेपण और अंतरिक्ष संबंधी मौसम के महत्वपूर्ण भौतिक प्राचलों का अध्ययन भी करेगा।

(ग) यह मिशन सूर्य के विकिरण के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने और सूर्य के वातावरण के सतत मानीटरन हेतु अभिप्रेत है। यह आंकड़ा और वातावरण के प्रतिकूल प्रभावों को सहने हेतु उपग्रहों का डिजाइन करने में भी मदद करेगा।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार

321. **श्री रामदास आठवले :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने प्रधानमंत्री को अपना छठा प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिवेदन में दिए गए सुधार के मुख्य बिन्दुओं का श्रेणी वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन सुधारों के संबंध में पहले ही कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "स्थानीय अधिशासन भविष्य में एक प्रेरक यात्रा" नामक अपनी छठी रिपोर्ट दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट भारत में शहरी स्थानीय अधिशासन से संबंधित मुद्दों से सबंधित है जिसमें देश में वास्तविक प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी अधिशासन दोनों के लिये 78 सिफारिशें हैं। 56 सिफारिशें विशेष रूप से ग्रामीण अधिशासन और 122 सिफारिशें शहरी अधिशासन से संबंधित हैं। यह रिपोर्ट http:èèwww.arc.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन

322. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यावरणीय प्रदूषण/संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार योजना आयोग के समन्वय से पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण के परिरक्षण, संरक्षण और सुरक्षा और उल्लंघन को रोकने के लिए विभिन्न अध्यादेश और अन्य विनियामक प्रावधान रखता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, हर वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्कीमों सहित विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग के अनुमोदन से वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्यों सहित अपनी वार्षिक योजना तैयार करता है।

अपशिष्ट का पुनर्चक्रण

323. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मौजूद अपशिष्ट का पुनर्चक्रण तंत्र तथा अन्य विकसित देशों में मौजूद तंत्र से इसकी तुलना क्या है; और

(ख) तकनीकी विकास के आलोक में मौजूदा तंत्र के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) वर्ष 2003 में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एव हथालन) नियमावली 1989 के अनुसार अलौह धातु अपशिष्ट, उपयोग किए गए तेल और अपशिष्ट तेल के पुन: चक्रणकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के पास पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। रजिस्ट्रेशन प्रदान करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श करके प्रस्तावों की जांच करता है। पंजीकरण केवल उन्हीं पुन: चक्रणकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिनके पास पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट के संबंध में अलग कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अपशिष्टों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति को भी बढ़ावा दिया जाता है। यह तंत्र अन्य देशों में उपलब्ध तंत्रों के समान ही है।

(ख) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियमावली, 2003 की अधिसूचना से पूर्व पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त तेल के पुन शुद्धिकरण के लिए एसिड क्ले प्रौद्योगिकी अपनाई जाती थी जो पर्यावरणीय अनुकूल नहीं थी क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से अधिक मात्रा में खतरनाक अपशिष्ट पैदा होता है। वर्ष 2003 में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 1989 में तीन पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकियां अधिसूचित की गई है और ऐसी प्रौद्योगिकियों की स्थापना प्रयुक्त तेल के पुन: शुद्धिकरण की पूर्वापेक्षा है।

दूतावासों में प्रवासी केन्द्र खोला जाना

324. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में अपने दूतावासों तथा मिशनों में अनिवासी भारतीयों की समस्या पर ध्यान देने के लिए प्रवासी केन्द्र खोलने का विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) मंत्रालय का प्रस्ताव भारतीय डायस्पोरा के हितों की देखरेख के लिए दुबई, कुवाला लम्पुर और वाशिंगटन में भारतीय मिशनों और पोस्टों में प्रवासी भारतीय केन्द्रों की स्थापना करने का है। केन्द्रों का उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा को कानूनी, चिकित्सीय और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। जबकि दुबई केन्द्र पूरे खाड़ी क्षेत्र की देख-रेख करेगा, कुवाला लम्पुर का केन्द्र मलेशिया, सिंगापुर ओर बुर्नेई में डायस्पोरा की देख-रेख करेगा। इसी प्रकार के कार्य वाशिंगटन केन्द्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए करेगा।

कामगारों का शोषण भारत में भर्ती एजेन्टों द्वारा और विदेशों में विदेशी नियोक्ताओं और इनके एजेंटों द्वारा किया जाता है। उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति उन्हें जानकारी देने और नियोक्ताओं के साथ विवादों के मामलों में उन्हें परामर्श देने के लिए कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है। विशेष रूप से महिला उत्प्रवासी कामगारों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें मानसिक परामर्श शामिल की है, की आवश्यकता होती है। अधिकांश प्रवासी भारतीय कामगारों को निधियों, बचतों के स्थानांतरण और निवेशों के बारे में वित्तीय परामर्श की भी आवश्यकता होती है।

स्थानीय डायस्पोरा के अनुभव और विशेषज्ञता के बड़े भंडार में स्थान पाने में भारत की मदद करने के लिए ज्ञान क्षेत्र तक पहुंच बनाने की भी आवश्यकता है। अप्रवासी महिलाएं जोकि धोखेबाजी के विवाहों की शिकार हैं, को कानूनी और अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है।

भारतीय केन्द्रों को कार्यशील बनाने के लिए सीजीआई, दुबई और एचसीआई, कुवाला लम्पुर में 6 पद, ईओआई और वाशिंगटन में 5 पद सृजित किए गए हैं। जिनमें निदेशक, सहायक और वैयक्तिक सहायक का एक-एक पद है और तीन पद (वाशिंगटन में 2) कानूनी, चिकित्सीय और वित्तीय विशेषज्ञता वाले व्यावसायिकों के हैं। इन केन्द्रों में निदेशक सामुदायिक कल्याण (विकास) के पदों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से चयन की कार्यवाही की जा रही है। शेष पदों को स्थानीय तौर पर भरने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी को कोयला आपूर्ति

325. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिपावा स्थित एनटीपीसी की 1000 मे. वा. विद्युत परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की है जिसके कारण इस विद्युत परियोजना को प्रचालनात्मक नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त विद्युत परियोजना के लिए कब तक कोयले का आबंटन/आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने जून, 2006 में कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें गुजरात विद्युत निगम लि. के साथ संयुक्त उद्यम में पिपावा, गुजरात में 1000 मे. वा. की कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक कोयला लिंकेज देने का अनुरोध किया गया था। 14 अगस्त, 2006 को कोयला मंत्रालय ने एनटीपीसी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि वे विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन शुल्क के साथ संगत ब्यौरा देते हुए निर्धारित प्रपत्र में दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिए आवेदन करें। इस संबंध में एनटीपीसी से कोई पत्र अथवा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, पिपावा में प्रस्तावित परियोजना के लिए दीर्घकालिक कोयला आबंटन के संबंध में एनटीपीसी का कोई अनुरोध कोयला मंत्रालय में लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

एंथ्रेक्स के कारण मौतें

326. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कतिपय हिस्सों से हाल ही में एंथ्रेक्स की वजह से मौत होने की खबरें प्राप्त हुई हैं जैसाकि दिनांक 9 फरवरी, 2008 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस रोग को नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी हां। 9 फरवरी, 2008 के "दि हिन्दू" समाचार पत्र में उड़ीसा के कोरापुट जिले से एंथ्रेक्स के कारण चार संदिग्ध मौतों और आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से त्वचीय एंथ्रेक्स के पांच मामलों की सूचना दी गई है।

संदिग्ध एंथ्रेक्स की घटना की जांच-पड़ताल करने के लिए 11-13 फरवरी, 2008 के दौरान उड़ीसा का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार कोरापुट जिले के सेमिलिगुढा खंड में जनवरी और फरवरी, 2008 के दौरान कुल 19 मामलों और 4 मौतों की सूचना दी गई थी।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 जनवरी, 2008 के आस-पास चित्तूर जिले (आंध्र प्रदेश) के करवेतीनगर से त्वचीय एंथ्रेक्स के पांच मामलों की सूचना दी गई थी। स्वास्थ्य और पशु-चिकित्सा विभागों ने शीघ्र कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से एक दल ने विस्तृत जांच करने और नियंत्रण संबंधी उपाय सुझाने के लिए प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(क) सभी अस्पष्ट पशु मौतें अथवा संदिग्ध पशु मामलों की अवश्य ही जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

(ख) एंथ्रेक्स के मामले की पुष्टि होने के पश्चात् शवों को खोला नहीं जाना चाहिए और एंथ्रेक्स शवों का निपटान करने के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान किया जाना चाहिए।

(ग) रोग निदान की पुष्टि के लिए अमूर्तिक रूप से मृत पशु से रक्त एकत्रित किया जाना चाहिए। शव-परीक्षा से संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसे नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) शवों से पुरानी हो जाने वाली मिट्टी को अवश्य ही प्रदूषण रहित किया जाना चाहिए।

(ङ) रोगियों को अस्पताल में दाखिल करने के पश्चात् उनको पर्याप्त उपचार दिया जाना चाहिए।

(च) अलाक्षणिक प्रभावित व्यक्तियों (जिन्होंने मृत पशुओं को उठाने और रखने का काम किया है) को प्रतिदिन दो बार डोक्सिसाइक्लिन 100 मि.ग्रा. का अथवा प्रतिदिन दो बार सिप्रोफ्लोक्ससाइन 500 मि.ग्रा. का चार सप्ताह का कोर्स दिया जाना चाहिए।

(छ) एंथ्रेक्स स्पार वैक्सीन का प्रयोग करते हुए वर्ष में एकबार (अधिमानत: नवम्बर मास में) स्थानिकमारी वाले खंडों के सभी घरेलु पशुओं को वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। इस वैक्सीन को कम से कम 5 वर्षों के लिए लगाया जाना जारी रखा जाना चाहिए।

(ज) मृत पशुओं को न मारने और उनका मांस न खाने के बारे में आम जनता को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

सभी स्थानिकमारी वाले राज्यों को एंथ्रेक्स के निवारण और नियंत्रण के बारे में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विकसित किए गए दिशानिर्देश परिचालित कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश

327. श्री अनन्त नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) ने अपने मंत्रालय से संबंधित कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस सिफारिशों पर गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर सुग्राही और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने,

देश में चिकित्सा सेवा को विनियमित और अनुरक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक निकाय का सृजन करने, राष्ट्र व्यापी परीक्षाओं के आयोजन के लिए शक्ति सहित व्यावसायिक संघ में भारतीय चिकित्सा भारतीय उपचर्या परिषद् और भारतीय पुनर्वास को परिवर्तित करने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश और शुल्क अवसंरचना को विनियमित करने, अनवरत चिकित्सा सेवा को पुनर्गठित करने और सी.एम.ई. के माध्यम से ख्याति प्राप्त मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक पांच वर्षों में चिकित्सकों का पुनर्पंजीकरण करने, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कुछेक प्रतिशत स्नातकोत्तर पदों को आरक्षित करने, चिकित्सा महाविद्यालयों की उपलब्धता में क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने इत्यादि की सिफारिश की है। चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है।

[हिन्दी]

परमाणु समझौता

328. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमेरिका सरकार ने शीघ्रतापूर्वक समझौते को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूवर में अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड हेतु प्रस्ताव

329. श्री पी.सी. थॉमस : क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पूवर में अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। केरल की सरकार ने भारत के पश्चिमी तट पर अंतर राष्ट्रीय आकार का शिपयार्ड स्थापित किए जाने के लिए संभावित स्थान के रूप में केरल-तमिलनाडु सीमा पर तिरुवनन्तपुरम जिले में पुवर को प्रस्तावित करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है:–

– इस प्रस्तावित स्थल का लंबाई में 2.5 किलोमीटर का जल-क्षेत्र है और लगभग 800-1000 एकड़ का क्षेत्र एक हिस्से को भूमि अधिग्रहण द्वारा बाकी भूमि उद्धार द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

– तट-रेखा के 500 मीटर के भीतर जल की 13 मीटर की गहराई उपलब्ध है। भूमि उद्धार के बाद इसके साथ-साथ 13 मीटर की गहराई उपलब्ध हो जाएगी।

– इस स्थल का आसानी से सड़क-रेल से संपर्क कायम किया जा सकता है। इस समय, इस स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग-47, 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और कन्याकुमारी-तिरुवनन्तपुरम ब्रॉड गेज रेल लाइन 10 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है।

– विझिंझम में नया पत्तन, जो कि प्रस्तावित स्थल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, को उपर्युक्त शिपयार्ड को विकसित करने और कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी सामग्रियों को जलयान से लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) मुंबई पत्तन न्यास को, भारत के पश्चिम तट पर अंतर राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड को स्थापित किए जाने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। इस मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त नोडल अभिकरण शिपयार्डों के उपयुक्त स्थलों को चुनने के बारे में सुझाव देने में सभी बातें शामिल करते हुए अपना दृष्टिकोण रख सकता है। यह निर्णय भी लिया गया है कि 3 और 4 वैकल्पिक स्थलों के चयन के लिए नोडल अभिकरण द्वारा परामर्शकों की नियुक्ति की जा सकती है। मुंबई पत्तन न्यास द्वारा परामर्शकों की नियुक्ति के लिए 21 जनवरी, 2008

को समाचार पत्रों में एक निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव विज्ञापित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को चार लेन का बनाना

330. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाराणसी से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को चार लेन का बनाना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना पर आंध्र प्रदेश में कार्य में देरी हो रही है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को चौड़ा करने के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) लखंडन से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को 4 लेन बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) जी हां। 81.9 किमी. की संयुक्त लंबाई में तीन पैकेजों में कुछ विलंब हुआ है। शेष 641.9 किमी. लंबाई को पूरा करने की नियत तारीख के अंदर पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) इन पैकेजों में विलंब बी ओ टी (पथकर) योजना को रद्द करने, ठेकेदार द्वारा जाली बैंक गांरटी प्रस्तुत करने और ठेकेदार की नकदी प्रवाह की समस्या के कारण हुआ है।

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) विवरण-I में दी गई तालिका के अनुसार।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी)	प्रारंभ तारीख	मूल संपूरण की तारीख	अनुमानित संपूरण की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्वर्णिम चतुर्भुज						
	कर्नाटक						
1	बंगलौर-हाथीपल्ली किमी 0-किमी 33 कर्नाटक	7	33				4 लेन
	तमिलनाडु						
2.	हाथीपल्ली-होसूर किमी 33- किमी 48.6 तमिनाडु	7	16	दिसं-1999	दिसं-2001	अग-2002	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	होसूर-कृष्णागिरि किमी 48.6-किमी 94.0 तमिलनाडु	7	45.4	जून-2001	जून-2004	जन-2004	4 लेन
	उत्तर दक्षिण						
	आंध्र. प्रदेश						
4.	इस्लाम नगर से कदताल (NS-2/BOT/आंध्र प्रदेश-7) किमी 230 से किमी 278 आंध्र प्रदेश	7	48	मार्च-2007	मार्च-2010	मार्च-2010	कार्यान्वियनाधीन
5.	अरमूर से कडलूर येलारेड्डी (NS-2/आंध्र प्रदेश-1) किमी 308 से किमी 367 आंध्र प्रदेश	7	60.25	•			Balance for award
6.	कडलूर येलारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (NS-2/BOT/आंध्र प्रदेश-2) किमी 367 से किमी 447 आंध्र प्रदेश	7	85.74	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वियनाधीन
7.	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा से इस्लाम नगर (NS-2/BOT/आंध्र प्रदेश-6) किमी 175 से किमी 230 आंध्र प्रदेश	7	55	मई-2007	नवं.-2009	नवं.-2009	कार्यान्वियनाधीन
8.	कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (NS-8) किमी 447 से किमी 464 आंध्र प्रदेश	7	17	दिसं-1999	दिसं-2001	अप्रैल-2002	4 लेन
9.	कादल से अरमूर (NS-2/BOT/आंध्र प्रदेश-8) किमी 278 से किमी 308 आंध्र प्रदेश	7	31	मई-2007	नवं.-2009	नवं.-2009	कार्यान्वियनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	गुंडला पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (NS-23/आंध्र प्रदेश) किमी 464.00 - किमी 474.00 & किमी 9.40 - किमी 22.30 आंध्र प्रदेश	7	23.1	दिसं-2005	दिसं-2006	मार्च-2008	कार्यान्वयनाधीन
11.	बोवनपल्ली (हैदराबाद सिटी) से शिवरामपल्ली किमी 0.00 से किमी 9.200 आंध्र प्रदेश	7	9.2			अप्रैल.-1998	4 लेन
12.	थोंडापल्ली से फारुखनगर (NS-9) किमी 22.3 - किमी 34.8 आंध्र प्रदेश	7	12.5	दिसं-1999	जून-2001	जन.-2003	4 लेन
13.	फारुखनगर से कोटाकाटा (NS-2/आंध्र प्रदेश-3) किमी 34.140 से किमी 80.050 आंध्र प्रदेश	7	46.162	अग.-2006	फर.-2009	फर.-2009	कार्यान्वयनाधीन
14.	फारुखनगर से कोटाकाटा (NS-2/आंध्र प्रदेश-4) किमी 80.050 से किमी 135.469 आंध्र प्रदेश	7	55.74	अग.-2006	फर.-2009	फर.-2009	कार्यान्वयनाधीन
15.	हैदराबाद बंगलौर खंड (NS-2/BOT/आंध्र प्रदेश-5) किमी 135.469 से किमी 211 आंध्र प्रदेश	7	74.65	सित-2006	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयनाधीन
16.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-10) किमी 211 से किमी 251 आंध्र प्रदेश	7	40	मार्च-2007	अग.-2009	अग.-2009	कार्यान्वयनाधीन
17.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-11) किमी 251 से किमी 293.4 आंध्र प्रदेश	7	42.4	मार्च-2007	अग.-2009	अग.-2009	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-12) किमी 293.4 से किमी 336 आंध्र प्रदेश	7	42.6	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयनाधीन
19.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-13) किमी 336 से किमी 376 आंध्र प्रदेश	7	40	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयनाधीन
20.	हैदराबाद बंगलौर खंड (ADB-11/C-14) किमी 376 से किमी 418 आंध्र प्रदेश	7	42	मार्च-2007	अग.-2009	अग.-2009	कार्यान्वयनाधीन
21.	हैदराबाद बंगलौर. खंड (ADB-11/C-15) किमी 418 से किमी 463.6 आंध्र प्रदेश	7	45.6	मार्च-2007	अग.-2009	अग.-2009	कार्यान्वयनाधीन
	कर्नाटक						
22.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग एवं देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव किमी 463.6 से किमी 527 व किम 535 - किमी 539 कर्नाठक	7	61.38	मार्च-2007	मार्च-2009	मार्च-2009	कार्यान्वयनाधीन
23.	अवती गांव से नंदी हिल क्रास ओर देवनहल्ली-मीनूकुंटे को 6 लेन का बनाना (NS-10) किमी 524 से किमी 527 व किमी 535 - किमी 539 कर्नाटक	7	7	जन.-2000	अक्तू-2001	जुलाई-2001	4 लेन
24.	नंदी हिल क्रास से देवनहल्ली और मीनूकुंटे से हब्बल तक 6 लेन बनाना (NS-10) किमी 539 - 556 — किमी 527 - किम 535 कर्नाटक	7	25	सित-2001	मार्च-2004	मार्च-2008	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश						
25.	लखंडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्रसीमा (NS-1/BOT/मध्य प्रदेश-2) किमी 547.4 से किमी 596.75 मध्य प्रदेश	7	49.35	मार्च-2007	सित-2009	सित-2009	कार्यान्वयनाधीन
26.	लखंडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्रसीमा (NS-1/BOT/मध्य प्रदेश-3) किमी 596.75 से किमी 653.225 मध्य प्रदेश	7	56.475	दिसं-2007	जून-2010	जून-2010	कार्यान्वयनाधीन
	महाराष्ट्र						
27.	कंपटी कानून सहित मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक 4 लेन बनाना किमी 689 से किमी 723 महाराष्ट्र	7	95				Balance for award
28.	नागपुर-चिंचभुवन किमी 0.00 - किमी 9.200 महाराष्ट्र	7	9.2			अप्रैल-1998	4 लेन
29.	चिंचभुवन-बुटीबोरी-बोरखेडी (NS-7) किमी 9.2 - किमी 22.85 & किमी 24.65 - किमी 36.6 महाराष्ट्र	7	25.6	सित-1999	मार्च-2002	मार्च-2002	4 लेन
30.	बुटीबोरी आरओबी (NS-29/महाराष्ट्र) किमी 22.850 से किमी 24.650 महाराष्ट्र	7	1.8	जून-2005	दिसं.-2006	मई-2008	कार्यान्वयनाधीन
31.	बोरखेडी जाम (NS-22/महाराष्ट्र) किमी 36.6 - किमी 64.0 महाराष्ट्र	7	27.4	जून-2005	दिसं.-2007	जून-2008	कार्यान्वयनाधीन
32.	जाम-वाडनेर (NS-59/महाराष्ट्र) किमी 64 से किमी 94 महाराष्ट्र	7	30	अक्तू-2005	अप्रैल-2008	अप्रैल-2008	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	वाडनेर-देवधारी (NS-60/महाराष्ट्र) किमी 94 से किमी 123 महाराष्ट्र	7	29	अक्तू-2005	अप्रैल-2008	अप्रैल-2008	कार्यान्वयनाधीन
34.	देवधारी-केलापुर (NS-61/महाराष्ट्र) किमी 123 से किमी 153 महारांष्ट्र	7	30	अक्तू-2005	अप्रैल-2008	अप्रैल-2008	कार्यान्वयनाधीन
35.	केलापुर-पिंपलखाटी (NS-62) किमी 153 से किमी 175 महाराष्ट्र	7	22	मई-2006	नवं.-2008	नवं.-2008	कार्यान्वयनाधीन
	तमिलनाडु						
36.	कृष्णागिरि से थोपुरघाट (NS-2/TN1) किमी 94.000 से 156 तमिलनाडु	7	62.5	जुलाई-2006	दिसं-2008	दिसं-2008	कार्यान्वयनाधीन
37.	थोपुरघाट खंड (NS/14) किमी 156 - किमी 163.4 तमिलनाडु	7	7.4	दिसं-1999	सित-2001	अप्रैल-2002	4 लेन
38.	थोपुरघाट से थुम्पीपाडी (NS-25/TN) किमी 163.40 - किमी 180.00 तमिलनाडु	7	16.6	मई-2005	नवं.-2007	सित-2008	कार्यान्वयनाधीन
39.	थुम्पीपाडी से सलेम (NS-26/TN) किमी 180.00 से किमी 199.20 तमिलनाडु	7	19.2	सित-2001	अग.-2003	जून-2008	कार्यान्वयनाधीन
40.	सलेम बाइपास (NS/12) किमी 199.2 - किमी 207.6 तमिलनाडु	7	8.4	दिसं-1999	सित-2001	जन.-2003	4 लेन
41.	सलेम से करूर (NS-2/TN-2) किमी 207.050 से किमी 248.625 तमिलनाडु	7	41.55	अग.-2006	फर.-2009	जन.-2009	कार्यान्वयनाधीन
42.	सलेम से करूर (NS-2/TN-3) किमी 258.645 से किमी 292.6 तमिलनाडु	7	33.48	जुलाई-2006	जन.-2009	नवं.-2008	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	बंगलौर-सलेम-मदुरै (NS-27/TN) किमी 248.0 - किमी 259.6 तमिलनाडु	7	8.4	सित.-2001	नवं.-2002	अप्रैल-2004	4 लेन
44.	अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास को 4 लेन का बनाना तमिलनाडु	7	9.36	अग.-1999	अग.-2001	सित-2002	4 लेन
45.	करूर आरओबी का निर्माण तमिलनाडु	7	0.84	जुलाई-1999	मार्च-2001	सित-2002	4 लेन
46.	करूर से मदुरै (TN-4) किमी 305.6 से किमी 373.275 तमिलनाडु	7	68.125	अक्तू-2006	अप्रैल-2009	दिसं-2008	कार्यान्वयनाधीन
47.	करूर से मदुरै (TN-5) किमी 373.275 से किमी 426.6 तमिलनाडु	7	53.025	जुलाई-2006	जन.-2009	दिसं-2008	कार्यान्वयनाधीन
48.	मदुरै से मदुरै के किमी. 120 - तिरुनेलवेली खंड और मदुरै बाइपास (NS-39) किमी 0.000 से किमी 42.000 तमिलनाडु	7	42	सित-2005	अप्रैल-2008	अक्तू-2008	कार्यान्वयनाधीन
49.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-40/TN) किमी 42.000 से किमी 80.000 तमिलनाडु	7	38.86	सित-2005	अप्रैल-2008	अक्तू-2008	कार्यान्वयनाधीन
50.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-41/TN) किमी 80.00 से किमी 120.00 तमिलनाडु	7	39.51	सित-2005	अप्रैल-2008	अक्तू-2008	कार्यान्वयनाधीन
51.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-42/TN) किमी 120 से किमी 160 तमिलनाडु	7	42.7	सित-2005	मार्च-2008	जून-2008	कार्यान्वयनाधीन
52.	किमी 120 of मदुरै - Tirunelveli खंड से Panagudi (किमी 203) (NS-43) किमी 160 से किमी 203 तमिलनाडु	7	43	अक्तू-2005	मई-2008	सित-2008	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	कन्याकुमारी-पानीगुडी (NS-32) किमी 203 से किमी 233.6 तमिलनाडु	7	30.6	मार्च-2004	सित-2006 ठेका रद्द		कार्यान्वयनाधीन
	एनएचडीपी चरण IIIA						
	कर्नाटक						
54.	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रानिक सिटी जंक्शन तक उत्थापित राजमार्ग तमिलनाडु	7	9.98	जुलाई-2006	जुलाई-2008	जुलाई-2008	कार्यान्वयनाधीन
55.	रारा 7 के बंगलौर-होसूर खंड को 6 लेन का बनाना किमी 18.750 से 33.130 तमिलनाडु	7	14.38	अप्रैल-2007	जुलाई-2008	जुलाई-2008	कार्यान्वयनाधीन

विवरण-I

परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए की गई कार्रवाई

(I) **नागपुर-हैदराबाद (308 से 367 किमी.) खंड :** जो पैकेज पहले नवंबर, 2005 में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) आधार पर सौंपा गया था, उसे निविदादाता द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त न होने के कारण रद्द कर दिया गया था। 9.66 करोड़ रु. की निविदा जमानत राशि जब्त कर ली गई थी। बाद में, मई, 2006 में पुराने आदर्श रियायत करार फार्मेट पर वार्षिकी आधार पर निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई थी जो नए आदर्श रियायत करार फार्मेट पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) आधार पर पैकेज शुरू करने संबंधी पीपीपीएसी के निर्णय के कारण रद्द कर दी गई थीं। तदनुसार, पीपीपीएसी के अनुमोदन के लिए परामर्शदाता द्वारा गहन समीक्षा/उन्नयन के पश्चात् सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(II) **नागपुर-हैदराबाद (464 से 474 किमी.) खंड और हैदराबाद-बंगलौर (9.40 से 22.30 किमी.) :** ठेकेदार द्वारा जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के कारण इस पैकेज के तहत मूल ठेका रद्द कर दिया गया था। बाद में शेष कार्य दूसरी एजेंसी को सौंप दिया गया है। ठेकेदार को पेश आ रही नकदी प्रवाह की समस्या के कारण ठेके की प्रगति धीमी रही है।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित बिस्तर

331. **श्री नन्द कुमार साय :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल ने वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रत्येक वार्ड में बिस्तर आरक्षित किए हैं जैसाकि 2 जनवरी, 2008 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा इन वार्डों के अन्य रोगियों को किस प्रकार स्थान दिया जाएगा; और

(घ) वर्ष 2008 के दौरान सफदरजंग अस्पताल द्वारा रोगियों

के लिए प्रदान की जाने वाली अन्य नई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। चिकित्सा, सर्जरी, स्त्रीरोग विज्ञान, हड्डी विज्ञान, बर्न एवं प्लास्टिक विभागों के प्रत्येक वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चार बिस्तर निर्धारित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न रोगियों के लिए अन्य शेष बिस्तरों की व्यवस्था की जाती है। तथापि, वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित बिस्तरों के खाली होने की स्थिति में इन्हें अन्य रोगियों को भी प्रदान किया जाता है।

(घ) अस्पताल गरीबी रेखा के नीचे के रोगियों को एन्जियोग्राफी/एन्जियोप्लास्टी/कार्डियक-सर्जरी/हेमोडायलसिस की सुविधाएं प्रदान करेंगे, अस्पताली नियमावली के अनुसार अस्पताल की आपातकालीन विंग में एक आपातकालीन चिकित्सा काउन्टर आरंभ करेंगे, चिकित्सा विभाग में एक जेरिएटिक वार्ड आरंभ करेंगे एवं आपातकालीन रोगियों के उपयोग के लिए एक दूसरी सीटी मशीन उपलब्ध करायेंगे।

सीजीएचएस औषधालय की स्थापना

332. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका उपशहर में रहने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए वहां एक सीजीएचएस औषधालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने कम उपयोग में आने वाले कुछ औषधालयों को बंद करने एवं स्टाफ की पुन: तैनाती करके अन्य स्थानों पर नए औषधालय खोलने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय खोलने के लिए द्वारका का भी चयन किया गया है।

डाक्टर-रोगी अनुपात

333. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर-रोगी अनुपात वर्ष 2007 की तुलना में बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इनके तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर-रोगी के बीच के अनुपात से संबंधित आंकड़ा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, डाक्टर-रोगी अनुपात अलग-अलग रोग के लिए अलग-अलग होता है जो रोगों के प्रकार, विशेषज्ञता की प्रकृति, आवश्यक रोगी-परिचर्या के प्रकार अर्थात अंतरंग/बाह्य जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार देश में पंजीकृत एलोपैथिक डाक्टरों की कुल संख्या 6,83,582 है। इस प्रकार एलोपैथिक डाक्टर-जनसंख्या के बीच का अनुपात 1:1634 बैठता है। इसके अतिरिक्त देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के 6 लाख से अधिक प्रेक्टिशनर हैं। सभी आंकड़ों को ध्यान में रखने के बाद डाक्टर-जनसंख्या के बीच का अनुपात 1:870 होगा। देश में 271 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें वार्षिक प्रवेश क्षमता 3,1172 विद्यार्थी हैं जो मौजूदा चिकित्सा कार्मिकों में जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को विशेषकर निर्धन और असुरक्षित वर्ग के लोगों को सुलभ और भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने के मुख्य उद्देश्य से प्रचालित किया गया है।

[हिन्दी]

रक्त की कमी

334. **श्री रामदास आठवले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद रोगियों को रक्त की कमी की वजह से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद रोगियों के लिए रक्त की पर्याप्त व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। 'नेगेटिव' रक्त समूहों जैसे दुर्लभ रक्त समूहों की कभी-कभार होने वाली कमी के अलावा सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी की कोई गंभीर समस्या नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद रोगियों के लिए रक्त की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:-

(i) अधिक रक्त घटक तैयार करने के लिए घटक पृथकीकरण सुविधाओं के साथ रक्त बैंकों का उन्नयन करना।

(ii) देश में वार्षिक रूप से 48600 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करके स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना।

(iii) युवा वर्ग को प्रोत्साहन देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम और स्वैच्छिक रक्तदाताओं के रूप में उनको भर्ती करना एवं रखा जाना।

[अनुवाद]

हेपेटाइटिस बी. के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम

335. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हेपेटाइटिस बी. से निपटने के लिए कोई पहल शुरू की है तथा देश के राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी. टीके को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए/उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 11 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हैपेटाइटिस-बी की वैक्सिनें शुरू की हैं। इसे पात्र नवजातों को रोगप्रतिरक्षण अनुसूची के अनुसार दिया जाना है।

राष्ट्रीय खेल-कूद नीति का मसौदा

336. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ (आई ओ ए) और राष्ट्रीय खेल-कूद परिसंघ ने राष्ट्रीय खेल-कूद नीति के संशोधित मसौदे को अस्वीकार कर दिया है जैसा कि दिनांक 29 जनवरी, 2008 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या 'खेलों' को समवर्ती सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) बृहत राष्ट्रीय खेल नीति के संशोधित मसौदे पर भारतीय ओलम्पिक संघ (आई ओ ए) तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) के प्रतिनिधियों ने दिनांक 28.01.2008 को हुई बैठक में चर्चा की थी जिसमें उन्होंने इस नीति के मसौदे के विभिन्न प्रावधानों पर अपने विचार/सुझाव दिए थे। मंत्रिमंडल के लिए भेजे जाने वाले मसौदे को अंतिम रूप देते समय इन बिन्दुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

(घ) और (ङ) 'खेलों' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक 1988 से लंबित है। बृहत खेल नीति के मसौदे में इस मुद्दे को उठाया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा मसौदे पर विचार करने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बाल मृत्यु दर संबंधी यूनिसेफ रिपोर्ट

337. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री अमिताभ नन्दी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ के निष्कर्षों के अनुसार भारत में हर वर्ष 2.1 मिलियन बच्चे अपने पांचवें जन्म दिवस से पूर्व ही मर जाते हैं जबकि इससे संबंधित विश्व आंकड़ा हर वर्ष 9.7 मिलियन है जैसा कि दिनांक 23 जनवरी, 2008 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जा रहे ठोस कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड चिल्ड्रन, 2008 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सालाना मरने वाले 9.7 मिलियन बच्चों में से भारत में सालाना 2.1 मिलियन बच्चे अपना पांचवा जन्मदिन आने से पहले मर जाते हैं।

(ग) सरकार ने प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिन्न घटक के रूप में नवजात, बाल और पांच वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उपाय शुरू किए हैं।

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय नवजात और बाल्यावस्था रूग्णता का एकीकृत उपचार (आई एम एन सी आई) संबंधी कार्यनीति जो नवजात और बाल्यावस्था के सामान्यतय कारणों-पूतिता, गंभीर श्वसनी संक्रमणों, अतिसार, खसरा और मलेरिया सभी कुपोषण द्वारा संयोजित, के उपचार के लिए समग्रतावादी नीति अपनाते हैं, का कार्यान्वयन करना है। आई एम एन सी आई देशभर में एक चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा, संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने और अनिवार्य नवजात परिचर्या पर स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जन्म के समय दक्ष परिचर्या उपलब्ध रहे और सभी नवजातों को विशिष्ट परिचर्या मिल सके। नवजात परिचर्या की प्रदानगी के लिए सुविधा आधारित और गृह आधारित दोनों प्रकार की परिचर्या प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विटामिन ए, आयरन फोलिक एसिड और जिंक के साथ सूक्ष्म पोषक संपूरक दिए जा रहे हैं। नवजात और युवा बच्चा पोषण पर जोर दिया जा रहा है। रोग प्रतिरक्षण चल रहे प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जोर दिए जाने वाला एक क्षेत्र है। अप्रैल, 2005 में 7 वर्षों की अवधि (2005 से 2012) के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक समग्रतावादी नीति के साथ एक ओवरआरकिंग कार्यकलाप है और इसमें शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी की परिकल्पना प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों में से एक लक्ष्य के रूप में की गई है।

आर.टी.आई. अधिनियम से छूट

338. **श्री नन्द कुमार साय :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने सूचना का अधिकार अधिनियम से छूट का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) से मंत्रालयों/विभागों को छूट देने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर.टी.आई. अधिनियम से अब तक कौन-कौन से मंत्रालयों/विभागों को छूट दी गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) कतिपय संगठनों जैसे सचिव (सुरक्षा) का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप; केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीमा सड़क विकास बोर्ड; वित्तीय आसूचना एकक, भारत; रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन; रेलवे सुरक्षा बल; आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण); केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय; राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन; नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो; सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना, नौ सेना और तट रक्षक) आदि ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से छूट मांगी है।

(ग) सरकार को किन्ही भी आसूचना और सुरक्षा संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम से छूट प्रदत्त संगठनों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन
1	2
1.	आसूचना ब्यूरो
2.	मंत्रिमंडल सचिवालय का अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध
3.	राजस्व आसूचना निदेशालय
4.	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
5.	प्रवर्तन निदेशालय
6.	नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो
7.	विमानन अनुसंधान केन्द्र
8.	विशेष फ्रंटियर बल
9.	सीमा सुरक्षा बल
10.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
11.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस
12.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
13.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
14.	असम राइफल्स
15.	सशस्त्र सीमा बल
16.	विशेष शाखा (सी.आई.डी.) अंडमान और निकोबार
17.	अपराध शाखा, सी.आई.डी.सी.बी., दादरा और नगर हवेली
18.	विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस
19.	स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप
20.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
21.	सीमा सड़क विकास बोर्ड
22.	वित्तीय आसूचना एकक, भारत

अस्पतालों में शिकायत समिति

339. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सभी अस्पतालों में शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) केंद्र सरकार के अस्पतालों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/समितियां अपर चिकित्सा अधीक्षकों की अध्यक्षता में पहले से विद्यमान हैं। लोगों को लिखित फरियादें/सुझाव/शिकायतें दर्ज कराने में समर्थ बनाने के लिए अस्पताली परिसरों के अंदर विभिन्न स्थानों पर अनेक शिकायत बाक्स स्थापित किए गए हैं। ये बाक्स समय-समय पर खोले जाते हैं और उसके बाद सभी फरियादें शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। शिकायत समिति उनकी संबंधित अनुभागों/विभागों से इन फरियादों के बारे में प्राप्त हुए की गई कार्रवाई के नोट के आधार पर जांच करने के लिए हर सप्ताह/महीने बैठक करती है और तदनुसार शिकायत समिति का फैसला/सिफारिश प्रशासन को उनके निवारणार्थ सूचित की जाती है।

लिंग अनुपात

340. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भ्रूण हत्या की दर और बालक-बालिका के अनुपात में अंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग). क्या सरकार ने इस मुद्दे पर गौर करने के लिए किसी समिति को गठित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति के गठन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समिति को कब तक गठित किए जाने की संभावना है और यह अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप देगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 1991 में 927 से बढ़कर 2001 में 933 हो गया है। तथापि, उसी अवधि के दौरान शिशु लिंग अनुपात 945 से घटकर 927 हो गया है। लिंगानुपात तथा शिशु लिंग अनुपात का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम) को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण तंत्रों के जरिए इस मामले के बारे में जागरुकता सृजित करने के संबंध में कार्रवाई की है। देश में शिशु लिंग अनुपात को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से कुछ कदम केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किया जाना है जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ (i) केन्द्र सरकार को प्रसवपूर्व निदान तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों तथा उनके दरुपयोग को रोकने से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देना (ii) अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरिंग करना तथा केन्द्र सरकार से उक्त अधिनियम एवं नियमों में परिवर्तन की सिफारिश करना; (iii) गर्भधारण पूर्व लिंग चयन एवं भ्रूण के प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के चलन जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है, के विरुद्ध जन जागरूकता पैदा करना; देश भर में आवधिक तौर पर क्षेत्रीय दौरे करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति का गठन तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सहायता एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का गठन, न्यायपालिका का प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन, बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न, मंत्रालय की वेबसाइट पर आन-लाइन शिकायत सुविधा, सुग्राहिता कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना; 'बेटी बचाओ अभियान' शुरू करना, गैर सरकारी संगठनों/धार्मिक नेतागण इत्यादि से सहयोग मांगना इत्यादि है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायक नर्सधात्री एवं प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को इस विषय पर सुग्राही बनाया जा रहा है। साथ ही, अधिनियम और संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां भी प्रदान की गई हैं।

विवरण

वर्ष 1991 तथा 2001 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात

भारत तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*/ जिला	लिंग अनुपात		शिशु लिंग अनुपात	
	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	927	933	945	927
जम्मू और कश्मीर	896	892	अनुपलब्ध	941
हिमाचल प्रदेश	976	968	951	896
पंजाब	882	876	875	798
चंडीगढ़*	790	777	899	845
उत्तरांचल	936	962	948	908
हरियाणा	865	861	879	819
दिल्ली*	827	821	915	868
राजस्थान	910	921	916	909
उत्तर प्रदेश	876	898	927	916
बिहार	907	919	953	942
सिक्किम	878	875	965	963

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	859	893	982	964
नागालैंड	886	900	993	964
मणिपुर	958	978	974	957
मिजोरम	921	935	969	964
त्रिपुरा	945	948	967	966
मेघालय	955	972	986	973
असम	923	935	975	965
पश्चिम बंगाल	917	934	967	960
झारखंड	922	941	979	965
उड़ीसा	971	972	967	953
छत्तीसगढ़	985	989	974	975
मध्य प्रदेश	912	919	941	932
गुजरात	934	920	928	883
दमन एवं दीव*	969	710	958	926
दादरा और नगर हवेली*	952	812	1013	979
महाराष्ट्र	934	922	946	913
आंध्र प्रदेश	972	978	975	961
कर्नाटक	960	965	960	946
गोवा	967	961	964	938
लक्षद्वीप*	943	948	941	959
केरल	1036	1058	958	960
तमिलनाडु	974	987	948	942
पांडिचेरी*	979	1001	963	967
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	818	846	973	957

स्रोत: जनगणना 1991 एवं 2001, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

*संघ राज्य क्षेत्र

कोयला खानों का निजी कंपनियों द्वारा दोहन

341. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खानों के निजी कंपनियों द्वारा दोहन करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का एक विधेयक अप्रैल, 2000 में राज्य सभा में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था:

(i) केप्टिव खपत के मौजूदा प्रतिबंधों के बिना देश में कोयला और लिग्नाइट का खनन करने के लिए भारतीय कंपनियों को अनुमति देना।

(ii) देश में कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का अन्वेषण करने के लिए भारतीय कंपनियों को अनुमति देना।

यह विधेयक राज्य सभा में विचारार्थ लंबित है।

महत्वपूर्ण वन्य जीव पर्यावासों की सुरक्षा

342. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जनजातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाले नये जनजाति अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करते समय महत्वपूर्ण वन्य जीव पर्यावासों की पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि इस अधिनियम को क्रियान्वित करते समय इस अधिनियम के अनुसार महत्वपूर्ण वन्य जीव पर्यावासों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए;

(ग) क्या सरकार और राजनैतिक दलों को यह आशा है कि इस अधिनियम से वनवासियों के प्रति हुआ ऐतिहासिक अन्याय समाप्त हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो यह अधिनियम किस सीमा तक सहायक होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां। माननीय प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने और अधिनियम की धारा 4 में प्रदत्त महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है। उसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण वन्यजीव वासस्थलों की पहचान करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006, वनों में रह रही ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वनों में रह रहे निवासी, जो पीढ़ियों से वनों में निवास कर रहे हैं किंतु जिनके अधिकारों को रिकार्ड नहीं किया जा सका था, को वन अधिकारों को मान्यता देने और वन भूमियों में जीविका प्रदान करने के लिए और निहितार्थ वन अधिकारों को रिकार्ड करने के लिए ढांचा प्रदान करने और वनभूमि के संबंध में निहितार्थ ऐसी मान्यता प्रदान करने के लिए अपेक्षित साक्ष्यों की प्रकृति के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के तहत नियमों को 1 जनवरी 2008 को अधिसूचित किया गया है।

बायोमीट्रिक आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया

343. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश उच्चायोग ने वीजा जारी करते समय पहचान संबंधी धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम के लिए बायोमीट्रिक आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा वीजा जारी करने के लिए इस प्रणाली का अनुसरण करने का प्रस्ताव है जोकि पहले से ही 120 से अधिक देशों में चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार ने दिसम्बर, 2007 से भारत के वीजा आवेदकों के लिए बायोमीट्रिक वीजा देना शुरू किया है। वह प्रक्रिया 2006 से विभिन्न देशों में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नई प्रणाली में वीजा आवेदकों से बायोमीट्रिक आंकड़े (अंगुली स्कैन और एक डिजीटल फोटोग्राफ) संग्रहित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार की फिलहाल बायोमीट्रिक वीजा जारी करने की कोई योजना नहीं है।

परमाणु हथियारों से खतरा

344. श्री रूपचंद पाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पड़ोसी देश में परमाणु हथियारों के आंतकवादियों के हाथ में पड़ने के वास्तविक खतरे के बारे में चिंतित हैं; और

(ख) यदि हां, तो किसी भी प्रकार के संभावित खतरे से देश व उसके नागरिकों की संरक्षा वे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को नाभिकीय हथियारों और संबंधित सामग्री के आतंकवादियों के हाथ में आ जाने के बढ़े हुए खतरे की चिंता है। सरकार यह अपेक्षा रखती है कि नाभिकीय हथियारों वाले सभी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे कि उनके नाभिकीय हथियारों और संबंधित सामग्री पर कड़ा नियंत्रण रखा जाएगा।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

म्यांमार को सड़क द्वारा जोड़ा जाना

345. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-म्यांमार सड़क-समुद्र नदी लिंक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) कालादान बहुविध पारगमन परिवहन सुविधा में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय बंदरगाहों और म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह के बीच संपर्क बनाना परिकल्पित है, जिससे कि म्यांमार से होकर पूर्वोत्तर भारत में सामानों के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हो सके। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 545 करोड़ रुपए होने की आशा है। परियोजना हेतु समय-सीमा परियोजना की वास्तविक शुरुआत की तारीख से 5 वर्ष है, जो दोनों सरकारों द्वारा करार और प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होगी।

बौद्ध एंक्लेव तवांग पर चीन का दावा

346. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत-पाक सीमा विवाद के समाधान के लिए एक कदम के रूप में बौद्ध एंक्लेव तवांग को, चीन को अंतरित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) चीन अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग सहित भारतीय भू-क्षेत्र के लगभग 90,000 वर्ग किमी पर अपना अवैध दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न भाग है और सरकार ने चीनी पक्ष को इस तथ्य से अवगत करा दिया है।

मानवों पर बर्ड फ्लू का प्रभाव

347. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग में बर्ड फ्लू से मानव के प्रभावित होने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बीमारी की रोकथाम के लिए औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) स्थिति के नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों में संघ सरकार द्वारा चिकित्सकों के कितने दल तैनात किए गए हैं;

(च) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के दल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है;

(छ) यदि हां, तो उक्त दौरे का निष्कर्ष क्या निकला; और

(ज) देश में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) देश के किसी भाग से एवियन इंफ्लूएंजा का कोई भी मानव मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) एवियन इंफ्लूएंजा नियंत्रण कार्यकलापों के लिए अपेक्षित औषध, ओसेल्टामीवीर के एक मिलियन कैप्सूलों का राष्ट्रीय संचय रखा जाता है। इसकी प्रभावित राज्यों को जब कभी आवश्यकता होती है, आपूर्ति की जाती है।

(ङ) एवियन इंफ्लूएंजा नियंत्रण कार्यकलापों में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए पश्चिम बंगाल के सभी प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चौदह केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त किए गए थे। झारखंड, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा राज्यों में प्रत्येक में एक केंद्रीय दल प्रतिनियुक्त किया गया था।

(च) और (छ) पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों में संचारी रोग संस्थान के अधिकारी शामिल थे। केन्द्रीय दलों ने नियंत्रण कार्यकलापों में राज्य सरकार की सहायता की।

(ज) पश्चिम बंगाल में पोल्ट्री में एवियन एंफ्लूएंजा के हाल ही के प्रकोप के दौरान केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रण कार्यकलापों में राज्य की सहायता करने के लिए और रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए कई कार्यवाइयां शुरू की हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभावित जिलों में आकस्मिकता योजना कार्यान्वित की गई है। झारखण्ड, बिहार और असम राज्यों जिनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं, में तैयारी स्थिति की समीक्षा की गई थी। अन्य राज्यों को भी सतर्क कर दिया गया है। समुदाय को सुग्राही बनाने के लिए दृश्य और प्रिंट मीडिया में सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किए गए थे। ओसेल्टामीवीर (निवारण और उपचार के लिए अपेक्षित औषध) का पर्याप्त स्टॉक और व्यक्तिगत बचाव उपकरण पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों को उपलब्ध करवाए गए थे।

भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ

348. श्री उदय सिंह :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को चीन सरकार के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) चीन का विवाद भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है। 1993 से, दोनों सरकारों वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण के साथ-साथ सीमा विवाद संबंधी अपनी-अपनी स्थितियों के पूर्वाग्रह को छोड़कर भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास शांति एवं भाईचारा बनाए रखने पर सहमत हुई। इसी समय, एक अंतिम निर्णय को लंबित रखते हुए, दोनों पक्ष संयुक्त कार्य दल, विशेषज्ञ समूह, सीमा कार्मिकों बैठकों, ध्वज बैठकों तथा राजनयिक चैनलों सहित सुस्थापित तंत्रों के माध्यम से महसूस किए गए उल्लंघनों को देखने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा को सुस्पष्ट करने पर सहमत हुए।

मृत्युपरांत अंगदान

349. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन लोगों को निःशुल्क द्वितीय रेल यात्रा पास व स्वास्थ्य बीमा कवर देने पर विचार कर रही है, जिन्होंने अपने "ब्रेन डेड" संबंधियों के अंगदान करने पर सहमति दी है, जैसाकि 31 जनवरी, 2008 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत मृत्युपरांत अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठए गए हैं;

(घ) क्या अंग प्रत्यारोपण की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अंगदान को सरल बनाने तथा इसे अत्यधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अंग प्रत्यारोपण से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यह महसूस किया गया है कि अंगों के दान को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के जरिए लोकप्रिय बनाए जाने/प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, की समीक्षा हेतु गत वर्ष हुए राष्ट्रीय परामर्शन के दौरान उन व्यक्तियों को भारतीय रेलवे में रियायती यात्रा सुविधा और स्वास्थ्य बीमा कवर सहित कुछ गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने से संबंधित सुझाव दिए गए थे जो अपने "ब्रेन डेड" संबंधियों के अगों को दान करने की सहमति देते हैं। योजना आयोग ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की योजना

के तहत वार्षिक योजना 2007-2008 के लिए एक करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

भारत अमरीका परमाणु संधि की स्थिति

350. डा. के. धनराजू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीका परमाणु समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस समझौते को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत और अमरीका ने जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 को हुई सहमति को क्रियान्वित करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित सहयोग के लिए द्विपक्षीय करार के पाठ को 20 जुलाई, 2007 को अंतिम रूप दे दिया। जैसा कि अंतिम रूप दिए गए करार में प्रावधान किया गया है, इस समय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ विशेष रूप से भारत से संबंधित सुरक्षोपाय करार पर बातचीत की जा रही है और अब तक वार्ता के चार दौर पूरे हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि इस करार को लागू करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाएं शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

वन प्रबंधन पर वन मंत्रियों का सम्मेलन

351. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :
श्री किन्जरपु येरननायडू :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन प्रबंधन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में अखिल भारतीय वन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जैसाकि 23 जनवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या पशु उत्पादों और पादपों की किस्मों की बिक्री और निर्यात हेतु अवैध शिकारियों की अन्तरराज्जीय सीमाओं के आर पार उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए संयुक्त रणनीति की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो संघ सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12-13 फरवरी, 2008 को वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के वन सचिवों/प्रधान मुख्य वन संरक्षकों और मुख्य वन्य-जीव वार्डनों के एक सम्मेलन का आयोजन किया है। विभिन्न कार्यसूची मदें जैसे कि वन और वृक्षावरण को बढ़ाने, राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, वन विभाग में फ्रंट लाइन स्टॉफ की रिक्तियों को भरने और उनके प्रोन्नति के अवसरों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन, मानव-पशु संघर्ष विवाद और बाघ संरक्षण सहित वन्य जीव संरक्षण के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। सम्मेलन में वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 और बाघ गणना रिपोर्ट भी जारी की गई।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 वाई के अंतर्गत अवैध शिकारियों की क्रांस बार्डर गतिविधियों और वे जो उक्त अधिनियम की धारा 38-जेड में विनिर्दिष्ट पशु उत्पादों और पौधों की प्रजातियों की अंतर्राज्य बिक्री और आयात में लगे हुए हैं, की जांच में सुविधा के लिए वन्यजीव अपराध ब्यूरो का गठन किया है।

तुर्की के विदेश मंत्री का दौरा

352. श्री उदय सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम निकले;

(ग) क्या तुर्की के विदेशी मंत्री ने ईरान गैस पाइपलाइन प्रस्ताव के किसी विकल्प की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों देशों के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करने हेतु एक करार संपन्न किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : कल से आप मुझसे कोई अपेक्षा न रखें। मैं मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए सभा स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों का कर्जा माफ करे।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01¼ बजे

इस समय प्रो. एस.पी. बघेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री टी.आर. बालू।

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8108/08]

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मारा जा रहा है... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री रामकृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : महोदय, मैं उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2007 जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 658(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 8109/08]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : महोदय, मैं पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 733(अ) जो 28 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 23 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 603 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 8110/08]

(व्यवधान)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1930(अ) और का.आ. 1931(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(दो) का.आ. 2082(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2133(अ) जो 14 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(चार) का.आ. 1925(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 1936(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(छह) का.आ. 1886(अ) जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (धुबुरी-भुबन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8111/08]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.0¼ बजे

विशेषाधिकार समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं

विशेषाधिकार समिति के 10वें प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) देश में एड्स की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : मैं अविलंबनीय लोक महत्व का निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं:-

हाल के आंकड़े दर्शाते है कि भारत में इस समय 2.4 मिलियन लोग एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हैं। यू.एन.ए.आई.डी.एस. एण्ड डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, केवल पिछले वर्ष ही 2.7 लाख से 6.8 लाख लोग एड्स से मर गए और अभी हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एक नया वर्गीकरण किया है। इस नये वर्गीकरण के अनुसार, यह रोग 20 राज्यों के 163 जिलों में फैल चुका है जो महामारी का रूप ले चुका है। यह स्पष्ट तौर पर समस्या की गंभीरता की तस्वीर पेश करता है। इसलिए, मैं भारत सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(1) एड्स नियंत्रण को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

(2) प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आंकड़ों सहित व्यापक प्रचार किया जाए और जागरूकता लाई जाए जो लोगों को इसे रोग के चंगुल में आने से रोकेगा।

(3) स्वास्थ्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने वर्ष 2002 में रेड रिबन एक्सप्रेस शुरू करनी थी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे तत्काल शुरू करें। जिससे लोगों के बीच जागरूकता पैदा हो।

(4) नाको द्वारा तीसरे चरण, जो 1 अप्रैल, 2008 से शुरू होने जा रहा है, में श्रेणी 'क' रूप में वर्गीकृत 163 जिलों तथा श्रेणी 'ख' के अंतर्गत वर्गीकृत 59 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि इन उपायों का देश के एच.आई.वी./एड्स के नियंत्रण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(दो) मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्राकृतिक गैस भण्डारों का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : मध्य प्रदेश के सागर जिले के कई स्थानों पर जहां टयूबवेल का खनन हुआ है, वहां फरवरी मार्च में जैसे-जैसे पानी कम हो जाता है, उन बोर में से गैस निकलने लगती है। उस गैस से जहां घरों का खाना बनाया जाता है, वहीं राहतगढ़ के एक होटल में भी उसका उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी लोक सभा में मामला उठाया था।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सागर जिले में निकलने वाली गैस के संबंध में ओ.एन.जी.सी. से सघन जांच कराकर संभावनाओं का पता लगाया जाए, जिससे लोगों की भ्रांतियां दूर हो सकें तथा इससे संबंधित उद्योगों के लगाए जाने से युवाओं को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध हो सकें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) अफीम प्रसंस्करण उद्योग में निजी कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौरगढ़ तथा झालावाड़ आदि जिलों में अफीम की काश्त बहुतायत में होती है। अफीम के प्रसंस्करण के लिए यहां पर ओपियम एंड अल्कोलायड फैक्ट्री भी है जिसमें सैंकड़ों लोग कार्य करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार ने अफीम प्रसंस्करण करने का कार्य निजी कंपनी से करवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए दो निजी कंपनियों का चुनाव भी किया जा चुका है। सरकार के इस निर्णय से लोगों में इस बात का भय व्याप्त है कि यह सरकार की निजीकरण की मंशा तथा अतिसंवेदनशील एवं लाभ के उपक्रमों पर तालेबंदी की शुरूआत है। जहां फैक्ट्री में कार्यरत लोग अपनी रोजी-रोटी के प्रति आशंकित हैं वहीं विभिन्न समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार भी आए हैं तथा आशंका व्यक्त की गई है कि उक्त कंपनियां अफीम की खेती पर भी क्षेत्राधिकार के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं और वे अफीम से कोडिन फास्फेट बनाने की बजाए मार्फिन भी सप्लाई कर सकती हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर अफीम प्रसंस्करण का कार्य निजी कंपनियों से न कराकर स्वयं पूर्व की भांति मंत्रालय के अधीन ही इन फैक्ट्रियों का संचालन किया जाए।

(चार) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मैंगनीज़ अयस्क आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा मध्य प्रदेश के सेमरिया में मैंगनीज़ का प्रचुर भंडार है जिसका भारी पैमाने पर उत्खनन कर बिहार और झारखंड ले जाया जाता है। अगर भारत सरकार वहां पर समेरिया के आस-पास मैंगनीज़ से संबंधित कारखाना लगाने की दिशा में पहल करे तो न केवल रीवा संसदीय क्षेत्र अपितु रीवा संभाग की बेरोज़गारी दूर हो सकती है और बेरोज़गार हाथ गुमराह हो रहे हैं, उनको रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार डमौरा के पास सिलिका सैन्ड की प्रचुरता है। वहां स्लेट बनाने का कारखाना लगाया जा सकता है। अकेले रीवा जिले में चूने के पत्थर का भण्डार होने से 2 सीमेन्ट फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और न केवल काफी लाभ कमा रही हैं, बल्कि रीवा के औद्योगिक विकास में भी योगदान दे रही हैं।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि सरकार रीवा जिले में मैंगनीज़ से संबंधित कारखाना लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे ताकि रीवा जिले की बेरोज़गारी कुछ हद तक दूर हो सके। अत: सरकार इस दिशा में शीघ्र ही सार्थक एवं ठोस कदम उठाए।

(पांच) छत्तीसगढ़ विधान सभा और राज्य से लोक सभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के कोटे के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का परिसीमन किया गया है, जिसमें विधानसभा की 90 सीटें हैं तथा लोक सभा की 11 सीटें हैं। उक्त में अनुसूचित जाति की लोक सभा में दो सीट और अनुसूचित जनजाति की चार सीट आरक्षित थीं। सीटें विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति की तथा 34 सीटें अनुसूचित जनजाति की विधानसभा में आरक्षित थीं। नए परिसीमन से विधानसभा में पांच सीटें अनुसूचित जनजाति की कम हो गई हैं और लोक सभा में अनुसूचित जाति की एक सीट कम हो गई है।

छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाने का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति का विकास व उत्थान तथा उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की कल्पना को साकार करना था। उपरोक्त संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटें कम होने के कारण उनके मौलिक अधिकारों को छीना गया है, जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में भारी असंतो एवं आक्रोश है तथा वे अपने अधिकारों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक बहुत पिछड़ा प्रदेश है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में नए परिसीमन से उत्तर पूर्व के चार राज्य और एक पड़ोसी नए राज्य झारखंड को जिस आधार पर छूट दी गई है, उसी तरह की छूट छत्तीसगढ़ में भी लागू होनी चाहिए, अन्य पांच राज्य की तरह छत्तीसगढ़ भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य है। इसलिए विधानसभा एवं लोक सभा की सीटों को कम न करते हुए सभी आरक्षित सीटों को यथावत रखा जाए।

(छह) 11वीं पंचवर्षीय योजना में 'के.बी.के.' जिलों की संशोधित दीर्घावधि कार्ययोजना शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : इस तथ्य के बावजूद कि

उड़ीसा के 'के.बी.के.' जिलों में प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि के खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य वन संसाधन हैं, ये जिले पिछड़े हुए हैं। इन जिलों में प्रमुख रूप से जनजातीय लोग बसते हैं। इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनायी गई और समय-समय पर योजना दर योजना विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई। सरकार द्वारा इस कार्य योजना को समाप्त कर देने से इन जिलों के गरीब तथा दलित लोग सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं।

अत: मैं भारत सरकार से ग्यारहवीं योजना में के.बी.के. जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना शामिल करने तथा पर्याप्त धन देने का अनुरोध करता हूं जिससे इन क्षेत्रो के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत उपायों को क्रियान्वित किया जा सके और इन जिलों के निर्धनतम लोगों की जीवनदशा में सुधार लाया जा सके।

(सात) देश में पर्याप्त आंगनवाड़ी केन्द्र बनाकर समेकित बाल विकास सेवा योजना का सार्वभौमिकरण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : इस तथ्य के बावजूद है कि हमारे देश में 1975-76 से ही समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाएं (आई सी डी एल) परियोजना चल रही हैं। विश्व भूख सूचकांक (जी.एच.आई), 2007 में भारत का 94वां स्थान है और इसका मुख्य कारण अल्प-पोषित बच्चे है जो इस देश के भविष्य के परिसम्पत्ति समझे जाते हैं तत्कालीन योजना कारो ने अनुभव किया कि प्रारंभिक बालावस्था सेवाओं संबंधी संगठन को देश की भावी आर्थिक तथा सामाजिक विकास के निवेश के रूप में समझा जाए। सरकार ने स्वीकार किया है कि 30 जून, 2007 के अनुसार देश के 164 मिलियन बच्चो में से केवल 60 मिलियन बच्चों को समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषण प्राप्त हुआ है। इसका कारण यह है कि इस सेवा को पूरे देश में बच्चों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं हैं। संप्रग सरकार ने प्रत्येक बस्ती के सभी बच्चों तक योजना को पहुंचाने के लिए कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध कराने हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना को पूरे देश में लागू करने की वचनबद्धता व्यक्त की थी। यहां तक की इसमें उच्चतम न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था और इसमे 2006 के अपने आदेश में सरकार को दिसंबर, 2008 तक 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान करने तथा उन्हें चालू करने के निर्देश दिया था।

इसलिए, मैं सरकार से समेकित बाल विकास सेवा योजना को पूरे देश में लागू करने तथा देश में पर्याप्त संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) उत्तर प्रदेश में जलालाबाद और सरसवा के बीच रेल संपर्क प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : महोदय, जलालाबाद, मुज्फफरनगर (उ.प्र.) से सरसावा तक जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है। यह रेलवे लाइन तीतरो, गंगोह एवं नकुड़ से होते हुए सरसावा तक पहुंच जायेगी। सरसावा रेलवे स्टेशन सहारनपुर एवं अंबाला के बीच स्थित है जहां पर एयरफोर्स का बेस डिपो है। इस रेलवे लाइन के बिछाने से सरसावा, नकुड, गंगोह एवं तीतरो क्षेत्र की जनता सीधी दिल्ली, अम्बाला एवं अमृतसर से जुड़ जायेगी। जनता की मांग को देखते हुए इस लाइन को प्राथमिकता के आधार पर बिछवाने की आवश्यकता है।

(नौ) उड़ीसा के भुवनेश्वर में शिशुपालगढ़ में पुरातात्विक स्थल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मन्दिरों के शहर भुवनेश्वर में एक ऐसा स्थान है जिसका विश्व के लिए पुनरन्वेषण हुआ है। यह एक ऐतिहासिक शहर है जो 2500 वर्ष पहले मौजूद था और विशेषज्ञों का विश्वास है कि समृद्धि काल के दौरान इसकी जनसंख्या 25 हजार थी जो प्राचीन यूनान से दोगुनी थी पुरातत्ववेताओं के एक दल द्वारा शिशुपालगढ़ उत्खनन कार्य किया गया था जिसमें दक्कन कॉलेज, पुणे, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्ववेता थे।

यह शहर अपनी दीवारों, विशालकाय संरचनाओं और द्वारों से जाना जाता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि उनकी अनुसंधान विधियां एक वृहत क्षेत्र में विशाल शहरी ढांचे की तस्वीरें प्रस्तुत करती हैं जिसका संभवत: उत्खनन किया जा सकता है। प्रोफैसर बी.लाई ने 1948 में शिशुपालगढ़ में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कराया था। सम्राट अशोक के महान कलिंग युद्ध से इसका घनिष्ठ संबंध और अशोक के शिलालेख वाली प्रसिद्ध धौली पहाड़ियों से इस प्राचीन शहर की निकटता के कारण इतिहासकार इसे अत्यधिक महत्व देते हैं। इतिहासकारों

[श्री भर्तृहरि महताब]

का मत है कि इस स्थल से इतिहास-लेखन में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है।

लेकिन यह भी खतरे में है। आज शिशुपालगढ़ को सर्वाधिक खतरा जमीन हड़पने वालों से है। इसलिए, यह बिलकुल उचित समय है कि सरकार इस स्थल था संरक्षण सुनिश्चित करे। इसे अतिक्रमण-मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए तुरंत पर्याप्त कदम उठाए जाएं। मैं सरकार से इस स्थल, जो अपने समय में प्राचीन यूनान से भी बड़ा था, का कब्जा लेने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को निदेश देने का अनुरोध करता हूं।

(दस) पूर्वी रेलवे में बारासात और हसनाबाद खंड के बीच रेलगाड़ी के फेरे बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : पूर्व रेलवे का बारासाट-हस्नाबाद खंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंग्लादेश से लगे होने के कारण इसकी स्थिति विशिष्ट हो गई है। एक ओर यह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करता है और दूसरी ओर यह उन अनेक लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है जो इस खंड से आगे पड़ने वाली जांच-चौकी धोजाडांगा पर भारत-बंग्लादेश सीमा पार करते हैं।

इसके अलावा, सुन्दरबन क्षेत्र के उत्पाद सहित, इस क्षेत्र में उत्पादित होने वाली सब्जियों का बड़ा हिस्सा इसी खंड से होकर कोलकाता जाता है।

लेकिन, इस खंड पर स्थानीय रेलगाड़ियों के फेरे अत्यंत कम होने के कारण दैनिक यात्रियों को जिनमें बड़ी संख्या में कार्यालयों में जाने वाले, छात्र और सब्जी विक्रेता शामिल हैं, परेशानी उठानी पड़ती है।

इसलिए, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सकारात्मक कदम उठाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि इस खंड पर स्थानीय यात्री रेलगाड़ियों के फेरों में कम से कम सुबह-शाम दो-दो रेलगाड़ियों की वृद्धि हो सके।

(ग्यारह) बिहार के छपरा और सिवान जिलों में बाढ़ के कारण जल भराव और गाद के जमाव को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। परंतु लगातार होने वाली बाढ़ और सूखे की विभीषिका ने देश के किसानों की कमर तोड़ दी है। एक सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी का भोजन जुटाने वाले किसान की हालत आज सरकार की उपेक्षा के कारण भूखे और फटेहाल है।

प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से देश के अन्य भागों की तुलना में उत्तर बिहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण जल जमाव की समस्या है। उत्तर बिहार का छपरा-सिवान जिला सरयू एवं नारायणी नदी से घिरा हुआ है, साथ ही छोटी-छोटी नदियां भी सिवान-छपरा से होकर गुजरती हैं। छपरा-सिवान जिला का महत्वपूर्ण हिस्सा जितना बाढ़ से प्रभावित होता है, उससे कहीं ज्यादा जल-जमाव से प्रभावित होता है। किसानों की हजारों एकड़ भूमि की फसल प्रतिवर्ष जल निकासी नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है। अगर जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो प्रतिवर्ष बर्बाद हो रहे किसानों की फसल को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जिन-जिन भू-भागों में जल-जमाव की समस्या है, उन भू-भागों से पक्का पईन बनाकर उस पईन को नदी से जोड़ दिया जाए, ताकि अत्यधिक पानी पईन के माध्यम से नदी में गिरता रहे और जल जमाव न हो। छपरा जिला के माझी प्रखंड में धुरदेह चवर एवं बनियापुर प्रखंड में बहियरा चव की जल निकासी, जलालपुर प्रखंड में तेल नदी की निकासी के साथ ही छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी भर जाने के कारण पानी नदी से बाहर हो जाता है एवं बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

मैं आके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर बिहार के छपरा एवं सिवान जिले में जल जमाव की समस्या एवं छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी जमाव से निजात दिलाने हेतु बिहार सरकार से प्रोजैक्ट मंगवाकर उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आबंटित की जाए।

(बारह) झारखण्ड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल) : महोदय, झारखंड राज्य के पाकुड़ एवं साहिबगंज जिला के कई स्थानों खासकर राजमहल के क्षेत्रों में बाढ़ एवं वर्षा के कारण प्रत्येक वर्ष करीब पांच लाख लोग प्रभावित होते हैं और गर्मी के मौसम में प्रायः आग से सैंकड़ों घरों में जानमाल

की हानि होती है। बाढ़ की विभीषिका के संबंध में सरकार का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया है परंतु इस संबंध में कार्रवाई शून्य होती है। वर्ष 2007-08 के दौरान देश के कई बाढ़ प्रभावित राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई परंतु झारखंड के इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के पीड़ितों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने से वंचित किया गया है। झारखंड राज्य में बाढ़ एवं आग से प्रतिवर्ष जानमाल की क्षति के संबंध में ब्यौरा संग्रह करने में संबंधित विभाग विफल है।

अत: केन्द्र सरकार झारखंड के राजमहल अनुमण्डल और साहिबगंज जिला आदि में बाढ़ एवं आग से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कराकर, इसे रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाकर, पीड़ित व्यक्तियों की पहचान कर, उन्हें उचित सहायता एवं मुआवजा प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

(तेरह) तेलुगु भाषा को "श्रेण्य" भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद तेलुगु भाषा को 'श्रेण्य' भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि तेलुगु जाति का इतिहास 3000 वर्ष से भी प्राचीन है और राजभाषा आयोग के अनुसार तेलुगु भाषा 2000 वर्ष प्राचीन है। छठी शताब्दी ईस्वी से तेलुगु राजभाषा थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसके संदर्भ 800-600 ई.पू. में भी मिलते हैं। 11वीं शताब्दी के तमिल कवि नन्नय के काल से भी पूर्व तेलुगु व्याकरण की पुस्तक मौजूद थी जिसका जिक्र उसने अपनी महान कृति 'यप्पिरूंगला करिकाइ' में किया हैं। इन संदर्भों से यह पूर्णत: स्पष्ट है कि 11वीं शताब्दी में नन्नय से पूर्व भी तेलुगु साहित्य प्रचलन में था। केवल पांडुलिपियों पर निर्भर रहने के स्थान पर, सरकार को न केवल भारत अपितु विश्वभर के करोड़ों तेलुगु लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेलुगु को 'श्रेण्य' का दर्जा देने के लिए और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करने और तेलुगु लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेलुगु भाषा को तुरंत प्राचीन 'श्रेण्य' भाषा का दर्जा देने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रही घुमंतु जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री थेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में अभूतपूर्व भारी हिमपात हुआ जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हुआ और इस क्षेत्र के निवासियों को जान-माल का भारी नुकसान हुआ। लद्दाख क्षेत्र के उत्तरी पठार में रहने वाली यायावरी जनजाति चांगपस को जिनकी जीविका पशुपालन पर निर्भर है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र की शीतकालीन चरागाह पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी और उनके पशुओं के चरने के लिए घास की एक पत्ती तक नहीं बची। लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद, लेह और टाइल जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों के लिए भोजन और चारा उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्यवाही शुरू की लेकिन उनके इस प्रयासों के लिए पर्याप्त राहत मंजर किए जाने की आवश्यकता है ताकि पशुओं को मरने से बचाया जा सके। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक हिमपात के कारण सड़क संपर्क बहाल नहीं किया जा सका उनमें भोजन और चारा गिराने के लिए रक्षा मंत्रालय ने विमान उपलब्ध कराए। भोजन और चारे का प्रबंध और विभिन्न स्थानों तक उनके परिवहन था खर्च काफी अधिक था। लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद और जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को शीघ्र राहत देने का अनुरोध भेजा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और भारत सरकार से लद्दाख क्षेत्र और राज्य के अन्य क्षेत्रों में, जहां इस वर्ष अभूतपूर्व भारी हिमपात के कारण आकस्मिक खर्च हुआ है, पर्याप्त राहत मंजूर करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 28 फरवरी, 2008/ 9 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री निखिल कुमार श्री हेमलाल मुर्मू	21
2.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री वी.के. ठुम्मर	22
3.	डा. अरुण कुमार शर्मा	23
4.	श्री दुष्यंत सिंह	24
5.	श्री पुन्नूलाल मोहले श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	25
6.	प्रो. एम. रामदास प्रो. महादेवराव शिवनकर	26
7.	श्री बापू हरी चौरे श्री संजय धोत्रे	27
8.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी श्री सी.के. चन्द्रप्पन	28
9.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	29
10.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	30
11.	श्री एम. अप्पादुरई श्री अबु अयीश मंडल	31
12.	श्री अनन्त नायक डा. धीरेंद्र अग्रवाल	32
13.	श्री गुरुदास दासगुप्त	33
14.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री हरिसिंह चावड़ा	34
15.	श्री असादूद्दीन ओवेसी डा. के. धनराजू	35
16.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	36
17.	श्री एल. राजगोपाल श्री नन्द कुमार साय	37
18.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	38
19.	श्री जुएल ओराम	39
20.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	224, 286
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	262, 279, 307, 351
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	243, 265, 313

1	2	3
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	180, 258, 270, 288
5.	अजय कुमार, श्री एस.	307
6.	अंगडि, श्री सुरेश	194, 248, 259
7	अप्पादुरई, श्री एम.	259, 263, 304, 308
8.	आठवले, श्री रामदास	234, 255, 294, 321, 334
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	206, 231, 255
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	177, 239
11.	बर्मन, श्री हितेन	185
12.	बर्मन, श्री रनेन	188, 300
13.	बखला, श्री जोवाकिम	186, 244
14.	भगोरा, श्री महावीर	184, 261
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	203, 209, 275
16.	बोस, श्री सुब्रत	227
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	253, 243
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	264
19.	चौरे, श्री बापू हरी	228, 260
20.	चिन्ता मोहन, डा.	280
21.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	264
22.	देवरा, श्री मिलिन्द	193, 247, 255, 349
23.	धनराजु, डा. के.	254, 350
24.	धोत्रे, श्री संजय	260
25	गढ़वी, श्री पी.एस.	233
26.	गमांग, श्री गिरिधर	301

1	2	3
27.	गंगवार, श्री संतोष	201, 259
28.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	207, 274
29.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	255
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	210, 276, 315, 330
31.	जटिया, डा. सत्यनारायण	222
32.	जयाप्रदा, श्रीमती	267
33.	झा, श्री रघुनाथ	211, 267
34.	जोशी, श्री प्रहलाद	202
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	223, 285, 319, 333, 340
36.	खारवेनथन, श्री एस.के.	179, 296, 347
37.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	189, 293, 321
38.	कृष्ण, श्री विजय	238, 298
39.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	229
40.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	267
41.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	178
42.	महतो, श्री नरहरि	182, 269
43.	महताब, श्री भर्तृहरि	259
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	259
45.	मंडल, श्री सनत कुमार	197, 250, 302, 335, 345
46.	मसूद, श्री रशीद	212, 270, 277
47.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	200, 253, 317, 332, 339
48.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	221, 284
49.	मोहन, श्री पी.	213, 296, 310

1	2	3
50.	मंडल, श्री अबु अयीश	306
51.	मुर्मू, श्री हेमलाल	267
52.	नन्दी, श्री अमिताभ	337, 304
53.	नायक, श्री अनन्त	309, 327
54.	निखिल कुमार, श्री	255
55.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	210
56.	ओराम, श्री जुएल	251, 312
57.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	337, 266, 311
58.	पाल, श्री रूपचंद	344
59.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	198, 255, 266
60.	पाण्डा, श्री प्रबोध	214, 259
61.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	203, 259, 270
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	195, 342
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	256, 303, 325
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	206, 228, 259, 264, 290
65.	पाठक, श्री हरिन	204
66.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	296
67.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	218, 255, 259, 267, 281
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	183, 313
69.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	205, 314
70.	राई, श्री नकुल दास	263
71.	राजगोपाल, श्री एल.	268
72.	रामदास, प्रो. एम.	259, 306

1	2	3
73.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	225, 287, 312, 320
74.	राणा, श्री काशीराम	216
75.	राव, श्री के.एस.	191, 246
76.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	206, 273, 306, 337
77.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	236, 295, 322
78.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	187, 245, 300, 324, 341
79.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. .	219, 273, 282
80.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	216, 260
81.	रिजीजू, श्री कीरेन	203, 259, 270, 328
82.	साय, श्री नन्द कुमार	278, 316, 331, 338
83.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	199, 271
84.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	257, 304
85.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	237, 297, 323
86.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	267
87.	शर्मा, श्री मदन लाल	220, 283, 318
88.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	262, 307, 326, 336
89.	शिवन्ना, श्री एम.	267
90.	शिवनकर, प्रो, महादेवराव	259, 291, 306
91.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	242, 299
92.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	192, 269
93.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	240, 301
94.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	208, 269
95.	सिंह, श्री दुष्यंत	258, 305

1	2	3
96.	सिंह, श्री गणेश	215
97.	सिंह, श्री मोहन	203, 259
98.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	230, 292
99.	सिंह, श्री रेवती रमन	328
100.	सिंह, श्री सुग्रीव	206, 228, 259, 264, 290
101.	सिंह, श्री सूरज	217, 258, 280
102.	सिंह, श्री उदय	226, 267, 348, 352
103.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	196, 249
104.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	190, 346, 348
105.	सुमन, श्री रामजीलाल	217, 258
106.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	235
107.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	181, 241
108.	थामस, श्री पी.सी.	205, 272, 314, 329
109.	तुम्मर, श्री वी.के.	303, 325
110.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	259, 328
111.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	227, 273, 278, 289, 331
112.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	256, 265
113.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	252, 262, 279, 307, 349
114.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	199, 232, 351

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	33
कोयला	:	25, 32
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	22, 23, 27, 28, 31, 34, 40
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	21, 29, 37
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	30
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	28
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	24, 26, 36, 39
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	35

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	214, 222, 254, 258
कोयला	:	185, 186, 188, 203, 216, 217, 224, 227, 234, 236, 244, 288, 300, 325, 341
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	247
पर्यावरण और वन	:	191, 195, 196, 213, 220, 223, 229, 231, 239, 242, 249, 255, 257, 260, 261, 265, 266, 284, 291, 292, 299, 304, 307, 313, 317, 319, 322, 323, 242, 351

विदेश	:	189, 190, 198, 202, 204, 208, 228, 232, 256, 259, 278, 309, 318, 328, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 352
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 187, 205, 209, 211, 215, 218, 226, 238, 240, 245, 252, 263, 264, 267, 268, 269, 274, 276, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 290, 293, 295, 296, 298, 305, 306, 308, 311, 312, 314, 316, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 347, 349
प्रवासी भारतीय कार्य	:	219, 230, 273, 282, 303, 324
पंचायती राज	:	248, 250, 271, 297, 310
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	199, 200, 294, 321, 338
योजना	:	221, 253, 315
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	181, 192, 193, 197, 201, 206, 207, 210, 233, 241, 243, 251, 262, 270, 275, 280, 286, 301, 302, 329, 330
अंतरिक्ष	:	225, 235, 289, 320
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	212
युवक कार्यक्रम और खेल	:	194, 237, 246, 272, 336.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।